वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2014-15

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2014-15

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
प्रथम तल, आईसीएडीआर बिल्डिंग, प्लाट नं. 6, वसंत कुंज इंस्टीट्यूशनल एरिया,
FIRST FLOOR, ICADR BUILDING, PLOT NO. 6, VASANT KUNJ INSTITUTIONAL AREA,
फेस–II, नई दिल्ली–110070
PHASE - II, NEW DELHI - 110070
फोन / Tel. : +91–11–26897948 / 49, फैक्स / Fax : +91–11–26897938 www.pfrda.org.in

सत्यमेव जयते

हेमंत जी. कांट्रेक्टर
अध्यक्ष
Hemant G. Contractor
CHAIRMAN

पेंशन निधि विनियामक और
विकास प्राधिकरण
प्रथम तल आईसीएडीआर भवन, प्लॉट न. 6,
वसंत कुंज इन्स्टिट्यूशनल एरिया,
फेज -II, नई दिल्ली - 110070
दूरभाष : 91-11-26897937
फैक्स : 91-11-26897938
ई-मेल : chairman@pfrda.org.in
www.pfrda.org.in

PENSION FUND REGULATORY
AND DEVELOPMENT AUTHORITY
1st Floor, ICADR Building, Plot No. 6,
Vasant Kunj Institutional Area,
Phase - II, New Delhi - 110070
Tel : 91-11-26897937
Fax : 91-11-26897938
E-mail : chairman@pfrda.org.in
www.pfrda.org.in

प्रेषण--पत्र

संदर्भः फाइल संख्या. पीएफआरडीए/11/87/3 3 दिसम्बर, 2015

सचिव (वित्तीय सेवाएं)
वित्तीय सेवाएं विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार,
नई दिल्ली – 110001

महोदया,

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 46 (2) के प्रावधान के अनुसार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट आपको प्रेषित करते हुए मुझे अति प्रसंनता हो रही है।

भवदीय
हेमंत जी कांट्रेक्टर
(हेमंत जी कांट्रेक्टर)

विषय–सूची

		पृष्ठ संख्या
प्रेषण पत्र		
परिकल्पना एवं उद्देश्य		(i)
अध्यक्ष का संदेश		(iii)
संक्षिप्तियां		(v)
1	नीतियां और कार्यक्रम	1
1.1	सामान्य आर्थिक परिवेश की समीक्षा	1
1.2	वित्तीय बाजारों का प्रदर्शन	3
1.3	ओईसीडी देशों में पेंशन प्रणालियां	7
1.4	भारत में पेंशन सेक्टर	13
1.5	एनपीएस से संबंधित मध्यवर्तियां और संस्थाएं	19
1.6	वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का प्रदर्शन	20
1.7	अटल पेंशन योजना	25
1.8	अधिनियम के अंतर्गत शामिल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य पेंशन योजनाओं के कामकाज से संबंधित नीतियां एवं कार्यक्रम	25
2	एनपीएस के अंतर्गत निधियों का निवेश	27
2.1	योजनाएं	27
2.2	निवेश संबंधी दिशानिर्देश	27
2.3	निवेश की विभिन्न श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य योजनाओं का प्रकटीकरण	28
3	प्राधिकरण के संवैधानिक कार्य	31
3.1	मध्यवर्त्तियों का विनियमन	31
3.2	पेंशन योजनाओं का पंजीकरण और विनियमन	32
3.3	अभिदाताओं के निकास संबंधी रिपोर्ट	32
3.4	अभिदाताओं की सुरक्षा संबंधी गतिविधियां	34
3.5	अभिदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र	34
3.6	पेंशन प्रणाली से जुड़े व्यवसायिक सगंठनों को बढ़ावा	35
3.7	आंकड़ों का संकलन, अध्ययन, शोध और परियोजनाओं की शुरूआत	35
3.8	अभिदाताओं और आम जनता को शिक्षित करना	35
3.9	सूचना के प्रसार का मानकीकरण	36
3.10	विनियमित आस्तियों का विनियमन	37

पृष्ठ संख्या

3.11	अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाये जाने वाले शुल्क एवं अन्य प्रभार	37
3.12	निरीक्षण, पुछताछ एवं जांच	39
3.13	अन्य कार्य	39
3.13.1	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत विस्तार	39
3.13.2	उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी)	45
3.13.3	प्रबंधन के अधीन आस्तियां–योजनावार	45
3.13.4	केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण	45
3.13.5	पेंशन निधियां	48
3.13.6	न्यासी बैंक	49
3.13.7	एनपीएस अभिरक्षक	51
3.13.8	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (एनपीए न्यास)	51
3.13.9	एग्रीगेटर सहित अन्य मध्यवर्ती संस्थाए	52
4.	पीएफआरडीए द्वारा की जाने वाली अन्य गतिविधियां	53
4.1	पेंशन सलाहकार समिति	53
4.2	विनियम निर्माण और संशोधन	53
4.3	एनपीएस और अन्य पेंशन योजनाओं से संबंधित अन्य गतिविधियां	53
5.	संगठनात्मक विषय	55
5.1	पीएफआरडीए बोर्ड का गठन	55
5.2	प्राधिकरण की बैठकें	55
5.3	सूचना तकनीक	55
5.4	कार्यालयी भाषा का प्रचार–प्रसार	56
5.5	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	56
5.6	आपदा प्रबंधन योजना	57
5.7	पीएफआरडीए में कर्मचारियों की संख्या	57
5.8	विभागों का पुनर्गठन	57
5.9	पीएफआरडीए में ओबीसी/एससी/एसटी प्रकोष्ठ का गठन	58
5.10	कार्यस्थल पर यौन–शोषण के रोकथाम के लिए समिति	58
5.11	पीएफआरडीए का लेखा	58

पृष्ठ संख्या

6	पेंशनधारकों के हितों को प्रभावित करने वाले कोई अन्य संवेदनशील क्षेत्र	59
6.1	एनपीएस की ईईटी स्थिति	59
6.2	निधि प्रबंधको तथा निवेश वर्गों का विकल्प	59
6.3	एनपीएस के अंतर्गत वार्षिकी खरीदने पर सेवा कर	59
7	पीएफआरडीए द्वारा किए गए प्रयास	60
7.1	विज्ञापन एवं प्रचार–प्रसार	61

सारणी की सूची

सारणी 1.1 वास्तविक जीडीपी वृद्धि (वर्ष–दर–वर्ष, प्रतिशत) 1

सारणी 1.2 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली – वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान प्रदर्शन 20

सारणी 1.3 विभिन्न सेक्टरों में एनपीएस अभिदाताओं की लिंग वार संख्या 24

सारणी 1.4 विभिन्न सेक्टरों में आयु समूह वार एनपीएस अभिदाता 24

सारणी 1.5 एनपीएस योजनाओं के लिए संशोधित निवेश संबंधी दिशा निर्देश 26

सारणी 2.1 विभिन्न वित्तीय साधनों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और एनपीएस लाईट योजनाओं के लिए निवेश संबंधी प्रकटीकरण सीमाए 27

सारणी 2.2 जीवनचक्र निधि का निवेश संबंधी प्रारूप (डिफॉल्ट विकल्प) 28

सारणी 2.3 विभिन्न साधनों मे एनपीए का प्रकटीकरण 28

सारणी 2.4 31 मार्च, 2015 को विभिन्न पेंशन निधियों की योजनाओं का राष्ट्रीय प्रतिलाभ 30

सारणी 3.1 31 मार्च, 2015 को एनपीएस से सेक्टरवार प्रत्याहरण 33

सारणी 3.2 2014–15 के दौरान शिकायतों की स्थिति 35

सारणी 3.3 वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं 36

सारणी 3.4 एनपीएस मध्यवर्तियों के प्रभार एवं शुल्क 38

सारणी 3.5 एनपीएस के तहत् सीएबी का विवरण 40

सारणी 3.6 एनपीएस के तहत एसएबी का विवरण 40

सारणी 3.7 स्वावलम्बन के अंतर्गत योग्य अभिदाताओं की वर्षवार संख्या 44

सारणी 3.8 31 मार्च, 2015 को पेंशन निधियों की योजनावार एयूएम 45

सारणी 3.9 न्यासी बैंक के मुख्य गतिविधियां 50

सारणी 3.10 31 मार्च, 2015 को एनपीएस न्यास के बोर्ड का गठन 51

पृष्ठ संख्या

तालिकाओं की सूची

तालिका 1.1: 10 वर्ष सरकारी सेक्टर प्रतिलाभ (प्रतिशत) 4

तालिका 1.2: मासिक औसत बीएसई सूचकांक और एफआईआई निवल मासिक अंतर्वाह 5

तालिका 1.3: 2013 में चुनिंदा गैर–ओईसीडी देशों में अर्थव्यवस्था की आकार से संबंधित पेंशन निधियों का महत्व 10

तालिका 1.4: 2013 में चुनिंदा गैर–ओईसीडी देशों में चुनिंदा निवेश श्रेणियों के लिए पेंशन निधि आस्ति आबंटन 12

तालिका 1.5: एनपीएस संरचना और मध्यर्त्ती 19

तालिका 1.6: एनपीएस के अंतर्गत अभिदाताओं की वर्षवार संख्या 21

तालिका 1.7: एनपीएस के अंतर्गत वर्षवार एयूएम 22

तालिका 1.8: वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान एनपीएस में अभिदाताओं की मासिकवार संख्या 22

तालिका 1.9: वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान एनपीएस में मासिकवार एयूएम और अंशदान 23

तालिका 1.10: वर्ष 2014–15 के दौरान मासिक वार अंशदान में वृद्धि 24

तालिका 2.1: 31 मार्च 2015 को एनपीएस आस्तियों का वर्गीकरण 29

तालिका 3.1: एनपीएस के अंतर्गत कॉरपोरेट की संख्या 41

तालिका 3.2: कॉरपोरेट सेक्टर के अंतर्गत एयूएम 42

तालिका 3.3: कॉरपोरेट सेक्टर के अंतर्गत अभिदाताओं की संख्या 42

तालिका 3.4: सर्व नागरिक मॉडल के अंतर्गत अभिदाताओं की संख्या 43

तालिका 3.5: सर्व नागरिक मॉडल के अंतर्गत एयूएम 43

तालिका 3.6: वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वावलम्बन योग्य अभिदाताओं का लिंगवार विश्लेषण 44

तालिका 3.7: वर्ष 2014–15 के लिए स्वावलम्बन अभिदाताओं का आयुवार विश्लेषण 44

तालिका 4.1: संगठन तालिका 57

अनुलग्नक

अनुलग्नक I: पेंशन सलाहकार समिति (पीएसी) का गठन और पीएसी बैठकों के दौरान विचारित मुद्दे 63

अनुलग्नक II: एनपीएस के अंतर्गत मध्यवर्तियां 65

अनुलग्नक III: पीओपी की सूची 66

अनुलग्नक IV: संकलनकर्ताओं की सूची 68

अनुलग्नक V: पेंशन निधियों की सूची 71

अनुलग्नक VI: 31 मार्च, 2015 को पीएफआरडीए का तुलन पत्र 72

परिकल्पना

नागरिकों की वृद्धावस्था आय की दीर्घकालिक आधार पर पूर्ति हेतु व्यवस्थित पेंशन प्रणाली के संवर्धन एवं विकास के लिए एक आदर्श विनियामक की भूमिका अदा करना।

उद्देश्य

पेंशन प्रणाली और अभिदाताओं के सर्वश्रेष्ठ हितों के अनुरूप सभी नागरिकों के लिए पेंशन उद्योग के विवेकपूर्ण विनियमन एवं विकसित निर्देशों द्वारा ऐसी पेंशन प्रणाली को स्थापित एवं विकसित करना जो संस्थागत निर्माण एवं क्षमता विकास पर केन्द्रित हो और सभी हितधारकों और बाजार प्रतिभागियों के लिए उत्पादों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों में नये अन्वेषण के लिए समर्थकारी रूपरेखा उपलब्ध कराना।

अध्यक्ष का संदेश

पीएफआरडीए की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट – वित्तीय वर्ष 2014–15 को पेश करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है।

पेंशन निधि विनियमाक और विकास प्राधिकरण अधिनियम (पीएफआरडीए), 2013, पीएफआरडीए को सभी नागरिकों की वृद्धावस्था आय आवश्यक्ताओं की दीर्घकालिक आधार पूर्ति करने हेतु भारत में संगठित और क्रमबद्ध पेंशन प्रणाली को विकसित और प्रसारित करने का अधिकार प्रदान करता है। 1 फरवरी 2014 को अधिसूचित किये जाने के बाद पीएफआरडीए ने एक वर्ष पूरा कर लिया है।

2004 में एनपीएस की शुरूआत ने परिभाषित लाभ से परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली में स्थानांतरित होकर, दीर्घकालिक पेंशन प्रणाली के विकास और वित्तीय समझदारी की दिशा में एक प्रतिमान स्थापित किया जिसके माध्यम से न केवल परिभाषित लाभ पेंशन के वित्तीय भार को कम किया जा सकता है बल्कि भारत के बड़े सेक्टर को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली के अंतर्गत लाया जा सकता है। एनपीएस के अंतर्गत, निजी सेक्टर और असंगठित सेक्टर से स्वैच्छिक प्रतिभागिता प्राप्त करने और सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से शामिल करने के उद्देश्य के साथ आधुनिक तकनीक पर आधारित एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) की परिकल्पना की गई है। वृद्ध जनसंख्या को पेंशन वायदों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त प्रतिलाभों की प्राप्ति की आशा से अंशदानों का संचयन और उन्हें निवेशित किया जाता है। यह पेंशन निधियां सरकारी वित्त पर बोझ कम करते हैं और दीर्घ कालिक निधियों की उपलब्धता बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने, वित्तीय नवाचार प्रेरित करने, कॉरपोरेट प्रशासन को सुधारने के साथ वित्तीय बाजारों के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

पीएफआरडीए, एनपीएस की खुली संरचना के माध्यम से आवृति और अंशदान राशि में लचीलेपन और पीएफएम, निवेश मिश्रण और विभिन्न वार्षिकियों के साथ–साथ वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के चुनाव विकल्प के साथ रोजगार एवं स्थान में परिवर्तन पर संवहनीय, तकनीकी रूप से समर्थ, कम लागत पेंशन उत्पाद के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है।

मार्च अंत 2015 तक एनपीएस के कुल अभिदाताओं की कुल संख्या 34.47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करती हुई 8.7 मिलियन पहुंच गई। अभिदाताओं की संख्या में अधिकांश वृद्धि असंगठित क्षेत्र में देखी गई। सभी सेक्टरों के मध्य अंशदान रूपये 637 बिलियन और प्रबंधन के अधीन आस्ति 68 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हुई रूपये 808 बिलियन पहुचं गई। भारित संघटित वार्षिक वृद्धि दर पर आधारित प्राप्त योजना प्रतिलाभ की एनएवी योजना से गणना की गई जो केन्द्रीय सरकारी योजना के लिए 10. 46 प्रतिशत, राज्य सरकारी योजना के लिए 10.37 प्रतिशत एनपीएस लाइट योजना के लिए 11.78 प्रतिशत, कॉरपोरेट सीजी योजना के लिए 11.58 प्रतिशत, योजना–ई के लिए 13.04 प्रतिशत, योजना–सी के लिए 11.53 प्रतिशत और योजना–जी के लिए 10.18 प्रतिशत रही।

अभिदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए एनपीएस के अंतर्गत अभिदाताओं के अंशदानों का संकलन और प्रेषण, अभिलेखपालन, निधि प्रबंधन और अन्य संबंधित कार्यों में आलिप्त सभी मध्यवर्तियों के लिए पंजीकरण, जांच, संपरीक्षा, फीस और शिकायत प्रबंधन का प्रशासन करने के लिए एक संवैधानिक संस्था होने के कारण पीफआरडीए ने विनियमों को अधिसूचित किया है। तीव्र पंजीकरण हेतु ई–प्रान लाइब्रेरी, शामिल होने, निकास/प्रत्याहरण, अभिदाता विवरण में परिवर्तन की ऑन लाइन सुविधा जैसे नये कदम उठाये गये हैं।

जागरूकता फैलाने की दृष्टि से, पीएफआरडीए द्वारा पणधारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालओं तथा अधिभावी अभिदाताओं के मध्य एनपीएस और एपीवाई की परिधि का विस्तार करने के लिए जागरूकता अभियानों का आयोजन किया गया। नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अंशदान करने पर अनुच्छेद 80 सीसीडी (1 ख) के अंन्तर्गत रूपये 50,000 की अतिरिक्त आयकर छूट की घोषणा, नागरिकों के लिए एक अच्छा कदम है।

वर्ष 2015–16 के बजटीय भाषण में असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री द्वारा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की घोषणा और 1 जून 2015 को इसकी औपचारिक शुरूआत का लोगों ने स्वागत किया है। यह योजना

नामिति को निधि वापसी के साथ लाभार्थियों और उसके पति/पत्नी को न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन लाभ उपलब्ध कराती है। 5 वर्षों के लिए सरकारी सह–अंशदान का लाभ उन लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जो आयकर प्रदाता नहीं है और किसी अन्य संवैधानिक पेंशन योजना में शामिल नहीं हैं।

वृद्धावस्था, आज सभी समाजों को प्रभावित करती है और वृद्ध लोगों द्वारा झेले जाने वाली चुनौतियों से संबंधितं चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। अंशदान पेंशन के समरूपी प्रावधानों के बिना वृद्ध लोगों की बढ़ती संख्या के चलते कई बार स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत सरंचना विकास इत्यादि अन्य सार्वजनिक कार्यो और सेवाओं पर किये जाने वाले खर्च के बजाये गैर–अंशदायी वृद्धावस्था सामाजिक पेंशन पर सरकार द्वारा किये जाने वाले खर्च में बढ़ोतरी का कारण बनती है। इसके परिणामस्वरूप हुए वित्तीय दवाब को हल करने में असफल रहने पर गंभीर समष्टि अर्थव्यवस्था और सरंचनात्मक विध्वंस हो सकता है।

एनपीएस में देश के पेंशन परिदृश्य को बदलने का सामर्थ्य है। निधियों में वृद्धि और विवेकपूर्ण निवेश नियमों के द्वारा वित्तीय बाजारों के विकास और अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए पूंजी उपलब्ध कराने के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा उपलब्ध कराने की उम्मीद की जा सकती है।

अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय जनसंख्या के उस भाग को ,जो अभी तक योजना में शामिल नहीं है, उसकी महत्वता तथा विखंडित और विविध पेंशन सेक्टरों की चुनौतियों को हल करने की आवश्यकता है और मै यह जोर देकर कहना चाहता हूँ कि पीएफआरडीए, अभिदाताओं और पेंशन प्रणाली के सर्वोत्तम हित में, सभी पणधारियों और बाजार प्रतिभागियों के मध्य उत्पादों, योजनाओं और कार्यक्रमों में नवाचार के लिए संस्था निर्माण, क्षमता विकास और रूपरेखा निर्माण को ध्यान में रखते हुए निर्देशित विकास और विवेकपूर्ण विनियमन के माध्यम से सभी नागरिकों के लिए पेंशन प्रणाली की स्थापना और प्रचार के लिए प्रतिबद्ध है। हमें पूर्ण विश्वास है कि अधिनियम के आदेशानुसार भारत के सभी नागरिकों को वृद्धावस्था आयु सुरक्षा उपलब्ध कराने के इस महत्वपूर्ण और अनूठे प्रयास में पीएफआरडीए को इसके सभी पणधारियों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा।

हेमंत जी कांट्रेक्टर

संक्षिप्तियां

एयूएम	प्रबंधन के अधीन आस्तियां
सीएबी	केन्द्रीय स्वशासी निकाय
सीएडी	चालू खाता घाटा
सीएजीआर	मिश्रित वार्षिक विकास दर
सीजी	केन्द्रीय सरकार
सीजीएमएस	केन्द्रीय शिकायत निगरानी प्रणाली
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीआरआर	नगद आरक्षी अनुपात
सीएसपी	नागरिक सेवा पेंशन
ईएमडीई	उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
ईपीई	कर्मचारी भविष्य निधि
एफआईआई	वित्तीय संस्थागत निवेशक
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलु उत्पाद
जीआरसी	शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानें
एलएएफ	तरलता समायोजन सुविधा
एमएसएफ	मार्जिनल स्टैडिंग फैसिलिटी
एनएवी	निवल आस्ति मूल्य
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
ओईसीडी	आर्थिक विकास एवं सहयोग संगठन
ओएमओ	खुला बाज़ार गतिविधियां
पीएओ	वेतन एवं लेखा कार्यालय
पीआरएओ	मुख्य लेखा अधिकारी
एसएबी	राज्य स्वशासी निकाय
एसईपीएफ	अभिदाता शिक्षा एवं संरक्षा निधि
एसजी	राज्य सरकार
यूएनएफपीए	संयुक्त राष्ट्र जनसंख्यां निधि
डब्लूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक

अध्याय–1

नीतियां और कार्यक्रम

1.1 सामान्य आर्थिक परिवेश की समीक्षा और वित्तीय बाजारों का प्रदर्शन

विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाजारों में मंदी और पिछले वर्ष की तुलना में अग्रिम अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के चलते वर्ष 2014 में वैश्विक वृद्धि दर 3.4 प्रतिशत रही। मंदी के बावजूद, 2014 की वैश्विक वृद्धि में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाजारों की भागीदारी तीन चौथाई प्रतिशत रही है।

श्रम और हाउसिंग बाजार की परिस्थितियों में सुधार के कारण अमेरिका की वृद्धि स्थिर रही। युरोप क्षेत्र में बैंक ऋणों में वृद्धि के साथ–साथ कच्चे तेल की कम कीमतों और यूरो के मूल्य में गिरावट के कारण आर्थिक परिस्थितियां कमजोर बनी रही। जापान में 2014 की अंतिम तिमाही में गतिविधियों का संकुचन धीमा रहा, 2015 की शुरूआत में उच्च आवृति आकंड़े से प्राप्त मिले–जुले संकेतों के बीच उपभोक्ता विश्वास और निर्यात में सुधार दिखाई दिया, लेकिन औद्योगिक उत्पादन और खुदरा व्यापार संकुचित रहा।

बाहरी मांग में कमी, राजनैतिक अस्थिरता और घरेलु मांग के दबाव के चलते अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्थाओं की गति धीमी रही। चीन में, 2014 की दूसरी छमाही और पहली तिमाही में निवेश में मांग की गति में कमी के कारण गतिविधि धीमी रही और 2015 की पहली तिमाही में घरेलु और निगमों के मध्य वित्तीय सुधार के चलते स्थावर संपदा क्षेत्र कमजोर रहा। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और तेल की कीमतों में गिरावट के कारण रूस की अर्थव्यवस्था धीमी रही। बाज़ील की अर्थव्यवस्था में भी संकुचन देखने को मिला जहां उच्च मुद्रास्फीति ने घरेलु मांग पर बुरा असर डाला। तेल और खाद्य वस्तुओं के मूल्य में हुई गिरावट ने भी मध्य पूर्व, पूर्वी युरोप और लैटिन अमेरिका देशों के वृद्धि के पूर्वानुमानों को प्रभावित किया।

सारणी 1.1 : वास्तविक जीडीपी वृद्धि (वर्ष दर वर्ष, प्रतिशत)

अवधि	पहली तिमाही 2014	दूसरी तिमाही 2014	तीसरी तिमाही 2014	चौथी तिमाही 2014	**2015P**
अग्रिम अर्थव्यवस्थाएं					
अमरीका	1.9	2.6	2.7	2.4	3.6
यूरो क्षेत्र	1.1	0.8	0.8	0.9	1.2
जापान	2.1	-0.4	-1.4	-0.7	0.6
ब्रिटेन	2.7	2.9	2.8	3.0	2.7
कनाडा	2.1	2.6	2.7	2.6	2.3
उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं					
चीन	7.4	7.5	7.3	7.3	6.8
रूस*	0.6	0.7	0.9	0.4	-3.0
ब्राजील*	2.7	-1.2	-0.6	-0.2	0.3
भारत	5.3	7.4	8.4	6.8	6.1
मैक्सिको	0.9	2.8	2.2	2.6	3.2
दक्षिण अफ्रीका	2.1	1.3	1.5	1.3	2.1
मेमो आइटम्सः	2014				2015P
विश्व उत्पाद	3.3				3.5
विश्व व्यापान मात्रा	3.1				3.8

P:विक्षेप,
*अवधि के अनुसार समायोजित नहीं
स्रोतः ओईसीडीए आईएमएफ और ब्लूमबर्गए डब्ल्यू ई.ओ.

समग्र रूप से, यद्यपि करीबी परिदृश्य में धीरे–धीरे सुधार हो रहा है, अग्रिम अर्थव्यवस्थाओं को अभी भी वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चातवर्ती प्रभावों से पूरी तरह उभरना बाकि है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं सतत नकारात्मक उत्पाद घाटे और गिरते वृद्धि संभावना की चुनौती का सामना कर रही हैं जो उनके लिए एक निकट अवधि में एक और धीमे परिदृश्य को उत्पन्न करती है। वास्तव में, वर्ष 2014 और 2015 की अवधि के दौरान धीमे वैश्विक पुर्नुत्थान ने 'अनंत गतिहीनता' की चिंताओं के बीच, विश्व के लिए लगातार अधोमुखी समायोजनों की भविष्यवाणी का विश्वास दिलाया है।

अग्रिम अर्थव्यवस्थाओं में तेल की कीमतों में कमी, अन्य वस्तुओं के मूल्य में गिरावट और लक्ष्य से कम मुद्रास्फीति का समाना कर रहे यूरो क्षेत्र और जापान जैसे देशो में कमजोर मांग के चलते शीर्ष मुद्रास्फीति में गिरावट आई। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में, रूस जैसे महत्वपूर्ण अर्थव्यस्थाओं को छोड़कर जो कि बड़े पैमाने पर विनिमय दर अवमूल्यन का समाना कर रही हैं, तेल और अन्य वस्तुओं (खान–पान, जिसका उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में महत्वपूर्ण स्थान है) की कीमतों में कमी ने मुद्रास्फीति को कम करने में योगदान दिया।

मुख्य अग्रिम अर्थव्यवस्थाओं में दीर्घकालिक सरकारी ऋणपत्र ऋणों में गिरावट आई है। यह गिरावट कुछ हद तक मुद्रास्फीति परिणामों में लगातार कमी के कारण उत्पन्न हुई कम मुद्रास्फीति की संभावनाओं, तेल की कीमतों में भारी कमी और (युरो क्षेत्र और विशेषकर जापान) कमजोर घरेलु मांग के कारण देखने में आई। लेकिन दीर्घकालिक सांकेतिक ब्याज दरों में गिरावट का मुख्य कारण मियादी प्रिमीयम का दबाव और लघु अवधि वास्तविक दरों में कटौती के साथ वास्तविक ब्याज दरों में गिरावट आया। अनुकूल मौद्रिक परिस्थितियों ने अक्टूबर 2014 में मियादी प्रिमियम की कटौती में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, बैंक ऑफ जापान ने अपनी संख्यात्मक और गुणवत्तात्मक मौद्रिक रूपरेखा को सरल किया, ईसीबी ने सरकारी ऋणपत्रों के साथ उम्मीद से काफी बढ़ कर आस्तियों की खरीद के कार्यक्रम की घोषणा की। यद्यपि अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने 2014 के आखिरी में आस्ति विक्रय में कमी की और देश का आर्थिक पुर्नत्थान में उम्मीद से बढ़कर मजबूती आई। अमरीकी आस्तियों की मांग में बढ़ोतरी के कारण डालर की स्थिति मे तेजी से वृद्धि हुई साथ ही मुद्रास्फीति दबाव में कमी ने दीर्घ कालिक कोषीय ऋणों पर दबाव बढ़ा दिया।

अग्रिम अर्थव्यवस्थाओं में सुगम वित्तीय परिस्थितयों और ऋणपत्र ऋणों में गिरावट के साथ, कई तेल आयातक उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने मौद्रिक परिस्थितियों को भी आसान किया, जिससे नीति दरों कमी में आई क्योंकि तेल की कम कीमतों और मांग के कम दबाव के कारण मुद्रास्फीति की दरें कम रही। इसके विपरीत, रूस में नीति दरों में वृद्धि देखी गई जिससे रूबल पर दबाव दिखाई दिया और साथ ही साथ ब्राजील में भी मौद्रिक नीतियां सख्त रही। सामान्य रूप से, जोखिम वृद्धियों में बढ़ोतरी हुई और वस्तु निर्यातकों की मुद्राओं में गिरावट आई और उच्च ऋण वाले ऋणपत्रों और अन्य उत्पादों पर जोखिम वृद्धि से ऊर्जा मूल्यों में भी बढ़ोतरी हुई।

2015–16 के लिए वैश्विक दृष्टिकोण[1]

विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार, 2014 की 3.4 के मुकाबले 2015 में वैश्विक दर मामूली वृद्धि के साथ 3.5 रहने की संभावना है और 2016 में और बढ़कर वार्षिक दर 3.8 प्रतिशत हो जाने की संभावना है। 2015 में वृद्धि का कारण तेल की कीमतों के कमी और अग्रिम अर्थव्यवस्थाओं में उछाल के कारण होगी। इसके विपरीत, उभरते बाजारों में, लगातार पांचवे वर्ष भी वृद्धि दर में कमी का अनुमान है। इस गिरावट का कई कारण है जैसे– तेल निर्यातकों, विशेष रूप से उन देंशो में जो तेल कीमतों की गिरावट के साथ कठिन आंतरिक परिस्थितियों का सामना कर रही हैं (उदहारण के लिए रूस और वेनुजुएला) वृद्धि में बार बार तेजी से गिरावट, चीन में धीमी गति जिससे वृद्धि की अधिक स्थायी पद्धति की, जोकि कम ऋण आश्रित है, की ओर कदम, वस्तु कीमतों के कम रहने के कारण लैटिन अमेरिका में लगातार कमजोर दृष्टिकोण।

[1] वर्ल्ड इॅकोनामिक्स आउटलुक, अप्रैल 2015

वैश्विक वित्तीय बाजार

अमरीका में आकंड़े जारी करने और मौद्रिक नीति के सामन्यीकरण पर फेडरल बैंक के बयान के कारण मध्य 2014 से ही वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है। ग्रीस के कारण युरोप में राजनीतिक तनाव, तेल की कम कीमतों और देश–विदेशों की घटनाओं ने निवेशकों की मनोदशा को प्रभावित किया। अप्रत्याशित कम ब्याज दरों और संकुचित जोखिम लाभांश के कारण दीर्घकालिक सरकारी ऋणपत्र ऋणों में औधेमुंह गिरावट आई जबकि ऋणों की तलाश ने निवेशकों को जोखिम धारित आस्तियों की ओर आकर्षित किया जिससे अधिकांश आस्ति मूल्यों में रिकार्ड बढ़ोतरी हुई।

इसके अतिरिक्त 2015 की पहली तिमाही में मौद्रिक नीतियों को सरल बनाने के कारण वैश्विक शेयर बाजारों विशेषकर अग्रिम अर्थव्यवस्थाओं को सहारा दिया, हालांकि इससे पहले 2014 के दूसरी छमाही/अर्धवर्ष में अस्थिरता बनी रही। वृद्धि के धीमा बने रहने के कारण 2015 के दूसरे अर्धवर्ष में ईमई में पूंजी प्रवाह में कमी आई। वस्तु मूल्यों में गिरावट और अमरीकी मुद्रा नीति ने उच्च जोखिम प्रतिकूलता से अपना रास्ता बदल लिया। हालांकि, ईसीबी की संख्यात्मक सुधार कार्यक्रम की घोषणा से 2015 की पहली तिमाही में कुछ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शेयर समूहों में बढ़ोतरी हुई। फेड ने अपनी मार्च की विवरणी में बाजार को शांत,ईमई के शेयर समूहों में अस्थिरता और निवेशक कमजोर घरेलु समष्टि अर्थशास्त्र मूल सिद्धांतों के संदर्भ के साथ देशों की अर्थव्यवस्थाओं को वर्गीकृत करने की ओर प्रवृत होते हुए बताया।

मुख्य मुद्राओं और अधिकांश उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर में मजबूती आई। जून अंत 2015 से ही मुख्य मुद्राओं के मुकाबले डॉलर सूचकांक में वास्तविक और सांकेतिक रूपों मे लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

वैश्विक मुद्रास्फीति परिदृश्य

मुख्य रूप से तेल की कीमतों में गिरावट के कारण अधिकांश विकासशील अर्थव्यवस्थाओं एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं और अग्रिम अथव्यवस्थाओं दोनों में ही 2015 में मुद्रास्फीति के कम रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वस्तु मूल्यों में हाल ही में हुए बड़े परिवर्तनों के समान ही तेल की कम कीमतों मुख्य मुद्रास्फीति के मध्यम रहने की संभावना है। तेल की कीमतों में सभी प्रकार की गिरावट उपभोक्ता तक नहीं पहुंचने के बाद भी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में तेल की कीमतों में गिरावट और गतिविधियों में कमी के कारण 2015 में मुद्रास्फीति के कम रहने का अनुमान है।

भारतीय अर्थव्यवस्था[2]

उत्पादन और सेवाओं के क्षेत्र में तेजी के कारण 2014–15 में घरेलु आर्थिक गतिविधियों में मजबूती आई। 2014–15 में वास्तविक जीडीपी अथवा जीडीपी (2011–12) का स्थिर मूल्य 106.44 लाख करोड़ रूपये रहने के अनुमान के बीच वृद्धि दर 2013–14 की 6.9 प्रतिशत के मुकाबले 7.3 प्रतिशत रहने की संभावना है जबकि 2012–13 में यह 5.1 प्रतिशत थी। कृषि क्षेत्र में कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए जारी किये गये अग्रिम अनुमान में कृषि उत्पादन के 0.2 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 251.12 मिलियन टन रहने का अनुमान है। बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य आवश्यक सेवाओं में 7.9 प्रतिशत और उत्पादन क्षेत्र में 7.1 प्रतिशत और निर्माण क्षेत्र मं 4.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2014–15 के दौरान औद्योगिक सेक्टर में 6.1 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2013–14 की 9.1 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले वर्ष 2014–15 के दौरान सेवाओं के क्षेत्र में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

1.2 वित्तीय बाजारों का प्रदर्शन[3]

तरलता परिस्थितियों के कठोर रहने के कारण जुलाई 2014 में मुद्रा बाजार में रातो–रात कठोरता आ गई। हालांकि, मध्य अगस्त 2014 से मुद्रा बाजार मूल्यों में नरमी आई जबकि सितम्बर 2014 में अग्रिम कर भुगतान के कारण छोटी सी बढ़त को छोड़कर तरलता समायोजन सुविधा रेपो रेट से दरें कम रही। इस अवधि की एक खास बात बैंकों द्वारा रातों रात संपार्श्विक सेगमेंट की ओर स्थानांतरण के कारण मांग मुद्रा मात्राओं मे कमी आना रही। कुछ एक समय की तेज़ी

[2] स्रोत : सीएसओ

[3] स्रोत : विभिन्न माइक्रो अर्थव्यवस्था एवं मौद्रिक विकास और मौद्रिक नीति रिपोर्ट

को छोडकर तीसरी तिमाही के दौरान ब्याज दरे नरम बनी रही। मुद्रा नीति में परिवर्तन द्वारा जो कि नीति रेपो दर में दो कटौटियों से प्रभावित रही, चौथी तिमाही में ब्याज दरों में नरमी बनी रही।

मुद्रा बाजार के अन्य भाग मांग मुद्रा बाजार के अनुरूप बढ़ा। संपार्श्विक भाग में संतुलित कियाकलाप में स्थानांतरण के साथ अर्थात् संपार्श्विक ऋण लेने और देने की देयता (सीबीएलओ) एवं बाजार रेपो के साथ मांग मुद्रा मात्रा में गिरावट आई।

मंदी काल में व्यापार और मध्य–पूर्व में क्षेत्रीय राजनीतिक तनाव से जैसे ही कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई जुलाई के पहले पखवाड़े में सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार प्रतिफल में धीमी बढ़ोतरी हुई। इसके बाद 10 वर्ष के नये प्रतिभूति मानदण्ड की वापस घोषणा होने तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआईएस) के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश सीमा में पुनः समायोजन से तेजी का वातावरण वापस आया। बकाया प्राथमिक निलामियों के अंतर्गत वर्ष की पहली छमाही के लिए निर्धारित राशि में कमी से पूरे अगस्त में साकारात्मक वातावरण छाया रहा। साथ ही साथ मध्य–पूर्व और युक्रेन में तनाव में कमी से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। सितम्बर में किसी गतिविधियों के अभाव में प्रतिफल सही क्रम में बढ़ा। दूसरी तिमाही में जून के अंत में प्रतिफल 8.7 प्रतिशत से घटकर सितम्बर 29 को 8.5 प्रतिशत हो गया। दूसरी तिमाही में व्यापार मात्रा में भारी गिरावट हुई। दिसम्बर 2014 के दूसरे पखवाड़े के दौरान मामूली अड़चनों को छोड़कर यूक्रेन संकट एवं रूसी मुद्रा संकट के परिणामस्वरूप युक्रेन संकट से तीसरी तिमाही में प्रतिलाभ में नरमी आई। भारत में चल रहे अवस्फीति द्वारा उत्साही निवेशकों के विचारों को अंर्तबद्ध किया गया और अक्टुबर मौद्रिक नीतियों की अपेक्षाओं में कमी से बाजारों को फेडरल रिजर्व के विद्यमान परिणामात्मक कमी (क्यूई) प्रभावों को पूर्णतः हटाने में मदद मिली। उत्पादन में कमी न करने के नवम्बर 2014 के ओपेक के निर्णय से बाजार में मजबूती आई और सरकारी प्रतिभूति के प्रतिलाभों की गिरावट में सुधार हुआ। रूबल में अवमूल्यन के कारण वैश्विक स्तर पर सस्ता बिकवाली के दौरान, हालांकि, 16 दिसम्बर को 10 वर्षीय सामान्य प्रतिलाभ में 15 बेसिक अंकों का उछाल आया जो कि 2014–15 की दूसरी छमाही में किसी एक दिन में हुई सबसे अधिक वृद्धि थी।

तालिका 1.1: 10 वर्ष सरकारी सेक्टर प्रतिलाभ

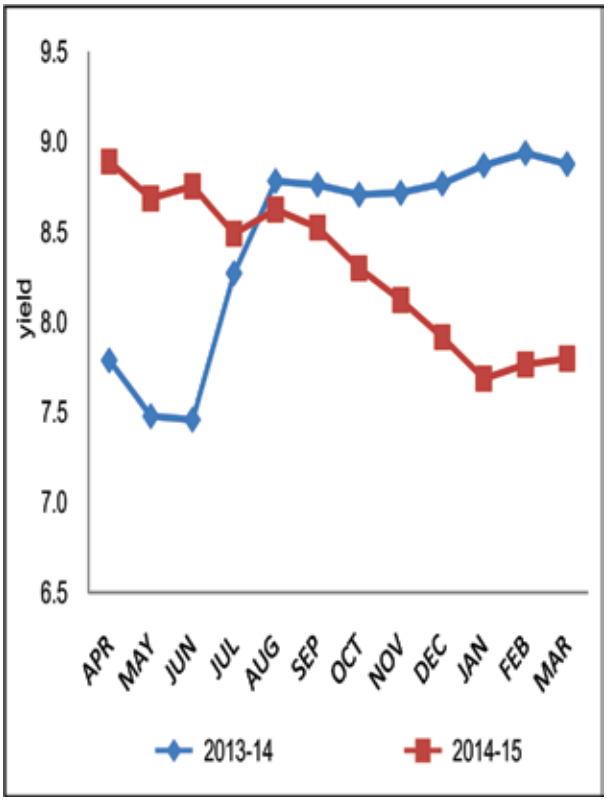

स्रोत : आरबीआई

रूसी मुद्रा संकट जैसे ही समाप्त हुआ, अन्तर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में कमी से चौथे तिमाही में सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिलाभों में गिरावट आई। युएस ट्रेजरी प्रतिलाभों में कमी से और घरेलु विदेशी विनिमय बाजार में चढ़ाव आने से फरवरी में एसएलआर में कमी और बड़े पैमाने पर विस्तृत अपरिवर्तित ऋण लेने के बाजार कार्यक्रम की केन्द्रीय बजट में घोषणा की प्रतिक्रिया में सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिलाभों में अस्थायी सख्ती आई। जैसा कि पूर्व में, राजकोष बिल निलामी के कारण से, बड़े पैमाने पर प्रतिदानों के बावजूद, वैलेंस भीट की तिथि के निकट आने पर बाजार प्रतिभागियों के लिक्विडीटी से अलग न होने की ईच्छा ने सरकारी श्रेणी के प्रतिलाभ को उल्टा कर दिया। इस प्रकरण को छोड़कर तीसरी और चौथी तीमाही में सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार का प्रतिलाभ ग्राफ बाधित सीमा के भीतर नीचे की ओर रहा। सितम्बर 2014 के अंत में 72 अंको की गिरावट के साथ प्रतिलाभ 8.52 से घटकर 31 मार्च, 2015 को 7.80 प्रतिशत हो गया।

मार्च 31, 2015 को सरकारी प्रतिभूतियों में 'विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों' का निवेश रू. 1,529 बिलियन रहा। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (युएस डॉलर 30 बिलियन) सीमा की तनाव के साथ युएस डॉलर 51 बिलियन की सीमा के अंतर्गत स्वीकृत कॉरपोरेट ऋण के लिए एफपीआई ने ऋण म्युचुअल फंड में निवेश कर अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी सेक्टर में अपने निवेश का विस्तार किया।

दूसरी तिमाही की क्रियाकलापों के दौरान कॉरपोरेट बांड से संबंधित बाजार में सरकारी निर्गमों और अधिकारिक इश्यू में बढ़ोतरी के प्रस्ताव के साथ तेजी दर्ज की गई, जो आंशिक रूप से बैंको के ऋण देने के शर्त्तों को सख्त करने को दर्शाता है। जुलाई–अगस्त 2014 के दौरान सरकारी निर्गमों तथा निजी नियोजनों द्वारा ऋण संग्रहण पिछले तिमाही के मुकाबले उल्लेखनीय ढंग से अधिक रहा। 29 सितम्बर, 2014 को एफपीआई द्वारा कॉरपोरेट ऋण में रूपये 1.124 बिलियन का निवेश किया गया जो परिसीमा का कुल 46 प्रतिशत था। तीसरी एवं चौथी तिमाही में निजी नियोजनों से प्रभावित होकर जिसमें वर्ष–दर–वर्ष 112 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, कॉरपोरेट ऋण बाजार के क्रियाकलापों में भी तेजी आई। दूसरी ओर, सरकारी निर्गमों द्वारा एकत्रित राशियों में पूरे अवधि के दौरान (फरवरी तक) गिरावट आई। क्योंकि सख्त ऋण नियमों के साथ संयोजित रूप से ऋण वृद्धि मंद रहा, कॉरपोरेट ऋण द्वारा संसाधन जुटाने में महत्वपूर्ण वृद्धि वैकल्पिक प्रभाव का परावर्त्तक है। मार्च 31, 2015 को एफपीआई का कॉरपोरेट ऋणों में रूपये 1. 890 बिलियन का निवेश रहा जो परिसीमा का 77 प्रतिशत है और परिणामस्वरूप 2014–15 के दूसरे छमाही में गौण बाजार की व्यापार मात्रा में 51 प्रतिशत (वर्ष–दर–वर्ष) का उछाल आया। एएए निर्धारित कॉरपोरेट ऋण का प्रतिलाभ सामान्यतया सरकारी प्रतिभूतियों के साथ बढ़ा लेकिन मार्च में सख्त हुआ।

कुछ नरम स्थितियों को छोड़कर 2014–15 के दूसरी तिमाही में शेयर बाजार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा। बेहतर प्रदर्शन कर रहे सूचकांकों के मध्य भारतीय सूचकांक ने सिद्धांतों और देश–विदेश की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में उल्लेखनीय रूप से आकर्षक मूल्य सृजित किए। दिसम्बर 2014 के दौरान अपेक्षा से पहले व्युतक्रमण के डर से यूएस ब्याज दर चक्र के निराशावाद चक्र, ग्रीस में अनिश्चितता तथा यूक्रेन एवं मध्य–पूर्व देशों में भू–राजनीतिक तनाव के कारण इन लाभों में कमी आई। हालांकि, जनवरी 2015 में पोर्टफोलियो निवेश के पुनर्आरम्भ से शेयर बाजार में सुधार होना शुरू हुआ। 15 जनवरी को रिजर्व बैंक द्वारा पॉलिसी रेपो रेट में कटौती के कारण बाजार में उत्साह वापस आया और 29 जनवरी, 2015 को बीएसई सेनसेक्स 29,682 की ऐतिहासिक ऊंचाई पर बंद हुआ। फरवरी के आरंभिक काल में दिल्ली के चुनाव परिणामों के मद्देनजर, कुछ बड़े कॉरपोरेट द्वारा कमजोर परिणामों, चीनी व्यापार के कम आंकड़े और यूरोपियन शेयर में कमी के कारण कुछ लाभों में कमी आई। माह के दूसरे पखवाड़े में, हालांकि, शेयर बाजारों में सुधार आया और केन्द्रीय बजट 2015–16 की घोषणा तथा इसके बाद कोयला, खनन एवं बीमा जैसे महत्वपूर्ण बिलों के पास होने से शेयर बाजार ने मजबूती हासिल की। मार्च, 2015 के दौरान वैश्विक स्तर पर शेयर बाजार सामान्य रूप से सुस्त रहा।

प्राथमिक बाजार में, योग्यता प्राप्त सांस्थानिक नियोजन (क्यूआईपी) रूपये 41 बिलियन पर सामान्य था जबकि तीसरी तिमाही के दौरान शेयर और ऋण निर्गम घटकर

तालिका 1.2 : मासिक औसत बीएसई सूचकांक और एफआईआई निवल मासिक अंतर्वाह

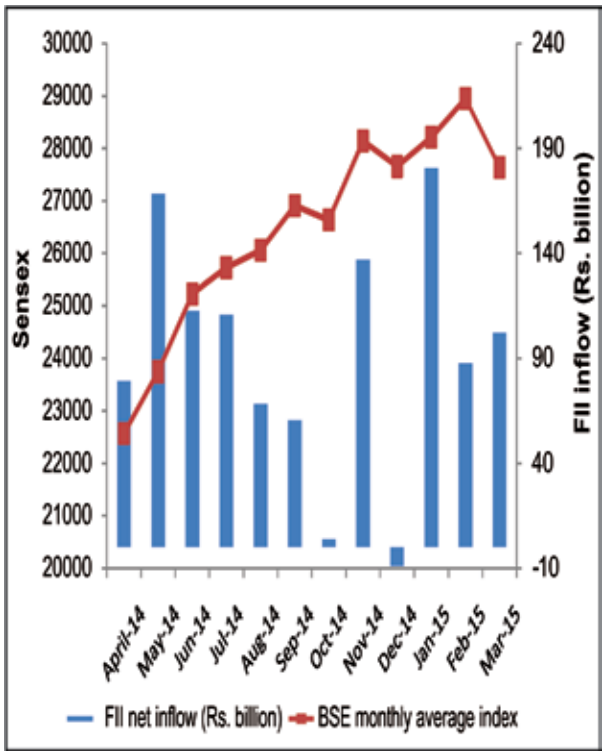

स्रोत : आरबीआई

रूपये 34 बिलियन हो गया। दूसरी ओर, कॉरपोरेट बांड और म्युचुअल फंडों में क्रमशः रूपये 1.240 बिलियन और रूपये 574 बिलियन का उछाल आया। सेबी द्वारा सरकारी कम्पनियों में सार्वजनिक शेयरधारिता से संबंधित विनियम एवं 2015–16 के केन्द्रीय बजट में निवेश अनुकूल उपायों की घोषणा से चौथे तिमाही में संसाधन संग्रहण में थोड़ा सुधार हुआ।

तरलता स्थिति

तरलता गतिविधियां वित्तीय बाजारों को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख तत्व हैं, जो बारी बारी से प्रणाली पर होने वाले जरूरत से अधिक प्रभाव के प्रतिरोधात्मक और संरचनात्मक तत्वों के अन्योन्यक्रिया को दर्शाता है। दोनो तत्वों के प्रभाव को तरलता संपुटित करने के लिए धन आपूर्ति अथवा एम 3 एक व्यापक उपाय है। 2014–15 (सितम्बर 5 तक) के दौरान धन आपूर्ति का विकास (वर्ष–दर–वर्ष) 13.2 प्रतिशत की दर से एक वर्ष पहले की अपेक्षा कुछ अधिक चल रहा था।

प्रमुख घटक यानी, सार्वजनिक मुद्रा एवं जमा धन, इस वर्ष तेज गति से बढ़े। अप्रैल–मई में आम चुनाव के दौरान खर्च के कारण धन की मांग अधिक रही, लेकिन अगले महीनों में यह वापस गिर गया।

तरलता परिस्थितियों के चलते शुरूआत में आरक्षी मुद्रा में हलचल, विभिन्न स्वशासी इकाईयों के प्रति रिजर्व बैंक के रूख से प्रभावित हुई। विदेशी विनिमय बाजार में रिजर्व बैंक परिचालन के विस्तारी कार्यों/प्रभावों जिसमें अब तक 2014–15 में अधिकांश प्रचुरता का भाव रहा जो निवल धरेलु आस्तियों में कमी के बावजूद समायोजन से अधिक था।

तरलता प्रबंधन के लिए साधनों का विकल्प समय–समय पर तरलता स्रोतों के दवावों चाहे प्रतिरोधात्मक या संरचनात्मक; स्थायी या परिवर्तनशील हो, के मूल्यांकन पर आधारित है। जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान मांग दर व्यापार तरलता समायोजन सुविधा रेपो रेट से नीचे नरमी के साथ रहा। इसलिए अधिशेष तरलता को अपनाने के लिए एक चार दिवसीय टर्म रिजर्व रेपो संचालित किया गया किन्तु बाजार प्रतिभागियों के 24 घंटा से अधिक समय के लिए तरलता से अलग होने की अनिच्छा के कारण इसे अनुत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया मिली। केन्द्रीय बजट के पारित होने से सरकारी व्यय में विलम्ब के कारण तरलता स्थितियां पुनः कठोर हुई एवं मांग दरें रेपो दर के उपर रही। तीन से सात दिन की अवधि वाले छः प्रमुख सावधि रेपो, जिनकी संचयी राशि 650 बिलियन थी, संचालित किए गए।

अगस्त के पहले सप्ताह तक, सरकारी खर्चे में जैसे ही तेजी आनी प्रारम्भ हुई, तरलता बढ़ी और मांग दर पुनः निम्न रेपो दर स्तर तक नीचे गिरा। इसके बाद, सरकारी नकदी शेष के बढ़ने से तरलता कठोर हुई। अगस्त के मध्य तक क्रेडिट ऑफ–टेक से संबंधित जमा में इजाफा होने के साथ–साथ बढ़ते सरकारी व्यय से बाकी महीना तथा सितम्बर के पहले पखवाड़े में वृहत प्रणाली तरलता में लगातार महत्वपूर्ण विस्तार हुआ।

तीसरी एवं चौथी तिमाही के दौरान व्यापक मुद्रा (एम3), जिसमें मांग तथा बैंकों के पास सामयिक जमा एवं आरबीआई के पास अन्य जमा शामिल हैं, का विकास दर कम रहा। उधार एवं जमा में एक के बाद एक व्यापक रूप से वृद्धि होती रही, आस्तियों और देयताओं के अस्थायी असंतुलन एवं प्रतिरोधात्मक तत्वों को छोड़कर, प्रबंधन में तरलता स्थिति शुरू से अंत तक पूर्णतया पर्याप्त रही। तरलता बहाव एवं त्योहारों के मौसम के चलते तीसरी तिमाही से मुद्रा मांग जोड़ पकड़ने लगा लेकिन रिजर्व बैंक द्वारा सामयिक तरलता प्रबंधन ने इस अल्पकालिक रूकावट को आसान बना दिया। आधारभूत तरलता प्रावधानों को रिजर्व बैक की निवल विदेशी आस्तियों का वृहत् विस्तार कर सवंर्द्धित किया गया था। हालांकि, सक्रिय स्टेरलाइजेशन ऑपरेशन्स ने सुरक्षित मुद्रा की वृद्धि को रोक दिया।

मध्य दिसम्बर में अग्रिम कर भुगतानों और तिमाही अंत में बाजारों के अच्छे प्रदर्शन के बीच त्योहारों के दिनों में अस्थायी दवावों को छोड़कर संरचनात्मक और प्रतिरोधात्मक तत्वों के कारण 2014–15 के तीसरी तिमाही के दौरान तरलता स्थिति में सुधार हुआ। चौथी तिमाही में, जनवरी 2015 के अंतिम सप्ताह सरकारी खर्चा में कटौती होने, ऋण–मांग और मुद्रा मांग में सामयिक तेजी आने से तरलता स्थिति कठोर हुआ। रिजर्व बैंक की प्रो–एक्टीव तरलता व्यवस्थापन परिचालन ने यह सुनिश्चित किया कि मांग दर पॉलिसी दर की परिसीमा में रहे और रोजमर्रा की अस्थिरता कम रहे।

घरेलु विदेशी विनिमय बाजार में गहनता तथा तरलता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को घरेलु विनिमय मुद्रा व्यापार डेरिवेटिव बाजार में एक सीमा तक अतिरिक्त यूएस डॉलर 10 मिलियन निवेश राशि को अपने अंतर्निहित एक सीमा तक भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया। आगे, घरेलु विनिमय मुद्रा व्यापार डेरिवेटिव बाजार में घरेलु संस्थाओं को उसी प्रकार की अधिगम्यता देने का भी निर्णय लिया गया।

जुलाई 2014 और अगस्त के प्रारम्भ में विदेशी विनिमय बाजार में मांग आयात में जोड़ पकड़ने तथा यूएस डॉलर में अच्छी मजबूती आने से रूपया कमजोर हुआ। उसके बाद एफआईआई के कारण खासकर ऋण बाजार में बड़ी मात्रा में प्रवाह हुआ और पहले तिमाही के लिए चालू खाता में अपेक्षा से कम घाटा होने से साकारात्मक वातावरण की शुरूआत हुई और साथ ही साथ राजकोषीय स्थिति की विश्वसनीयता ने रूपये के भाव बढ़ने में मदद की। यूक्रेन में हालात सामान्य होने और भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि जैसी साकारात्मक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप अमेरिकी ब्याज दरों के आशा के अनुरूप न होने के कारण सितम्बर में रूपया सामान्यतः स्थिर रहा। कच्चे तेल की कीमतों में कमी के कारण रूपये को मदद मिली। दूसरे पखवाड़े में पूर्णरूपेन यूएस डॉलर के मुकाबले रूपये का मूल्य घटने पर भी अगस्त के दूसरे सप्ताह तथा सितम्बर के पहले सप्ताह के दौरान इसमें कुछ सुधार हुआ। सितम्बर 29, 2014 को 1 डॉलर के मुकाबले रूपया 61.43 पर था। मार्च, 2014 से रूपये में मामूली सुधार हो रहा है। दूसरी तिमाही के दौरान यूरो के विरूद्ध रूपये में 5.2 प्रतिशत का सुधार हुआ। जुलाई से आगे स्पॉट बाजार को तय करने के क्रम में प्रेमिया में नरमी आई। प्रति यूएस डॉलर के मुकाबले रूपया 61.04 – 62.14 के संकुचित विनिमय दर लेकिन वृद्धि की प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ा। हालांकि दिसम्बर, 2014 में विभिन्न तथ्यों को मिलाकर – रूसी मुद्रा संकट का प्लवन प्रभाव; तेल विपणन कम्पनियों द्वारा माह के अंत में खरीदारी; एफपीआई द्वारा मुनाफा लेने; औद्योगिक उत्पादनों में कमी तथा यूएस डॉलर में लगातार हो रही मजबूती के कारण रूपये में गिरावट देखी गयी। जनवरी, 2015 के दूसरे सप्ताह तक स्पॉट बाजार में अस्थिरता आने और एफपीआई प्रवाह के शुरू होने के कारण रूपये की मूल्य वृद्धि तथा व्यापार शुरू करने, रूसी मुद्रा संकट के खत्म होने तथा व्यापार घाटे में कमी से रूपये में बढ़ोतरी हुई। जनवरी 22 को ईसीबी द्वारा क्यूई की घोषणा तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के मूल्यों में दीर्घकालीन नरमी ने विनिमय बाजार में साकारात्मक माहौल तैयार किया। फरवरी, 2015 के दूसरे सप्ताह में यूएस की ओर से आते नॉन फॉर्म भुगतान आंकड़ों के कारण समस्त उभरते बाजारों में गिरावट की शुरूआत हुई। वास्तविक रूप से रूपया अपने मार्च, 2014 के स्तर से बढ़ा जो कि लगातार हो रही मूल्य वृद्धि एवं व्यापार प्रतिभागियों से प्रभावित था।

1.3 ओईसीडी देशों में पेंशन प्रणालीः

निजी पेंशन प्रणालियों को दवावपूर्ण तथा बेहद चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक संकट से सार्वजनिक पेंशन देने के लिए सरकारी आय में कमी हुई जिसने सेवानिवृत्त/वृद्धावस्था में पेंशन देने के लिए निजी पेंशन की भूमिका को बढ़ावा दिया। बुढ़ापा, जनसंख्या तथा वर्तमान आर्थिक वातावरण निजी पेंशन दाताओं के लिए सेवानिवृत्ति आय देने की क्षमता पर चुनौतियां पेश करने लगा।

बढ़ती बुढ़ापा जनसंख्या से न केवल कार्यरत जनसंख्या के आकार में वृद्धि की बल्कि सेवानिवृति काल में समय बिताने वाले समयावधि में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, वो भी तब जबकि सेवानिवृति की आयु में पर्याप्त वृद्धि नही हो रही। इससे परिभाषित लाभ (डीबी) पेंशन प्रणाली योजना की ऋण शोधन क्षमता और परिभाषित अंशदान (डीसी) योजना की प्रचुरता प्रभावित हो सकती है।

डीबी पेंशन योजना में भविष्य में होने वाले मृत्यु दर और जीवन संभाव्यता की अनिशिचितताओं के कारण हुए लांगिविटी जोखिम का खतरा है। जीवन–संभाव्यता के आधार पर यदि पेंशन समझौतों का आकलन किया जाय जिसे कम करके आंका गया है, तब वास्तविक पेंशन अपेक्षा से अधिक होगी और डीबी पेंशन योजना पर्याप्त आस्तियों की कमी के कारण अपने भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने में पिछड़ सकती है। डीसी पेंशन निधियों के लिए अधिक जीवन–पर्याप्तता का मतलब यदि लोग अपनी सेवानिवृति आयु का समायोजन नही करते हैं तो संचित आस्तियों को लंबी सेवाअवधि के लिए धन देना होगा जिसके परिणामस्वरूप सेवाकाल के बाद वांछित आदर्श जीवन बिताने के लिए यह अपर्याप्त हो सकती है।

वर्तमान यूरोपीय आर्थिक परिवेश निम्न विकास दर, निवेश से कम प्रतिलाभ तथा कम ब्याज दर आदि विशेषताओं से छाया रहा जो अपेक्षित संसाधनों को कम कर सकते हैं। यह सेवानिवृति के लिए पर्याप्त धन या सेवानिवृति आय को कम कर सकता है। संचित निधियों का आशानुरूप प्रदर्शन न होने से निवेश से कम आय से भविष्य के अपेक्षित लाभ मूल्यों में कमी आ सकती है। कम ब्याज दर से पेंशन आय की राशि कम हो सकती है। प्रदत्त संचित आस्तियां विशेषकर डीसी पेंशन में डेलिवर करने में अक्षम हो सकता है। डीबी पेंशन में कम ब्याज दर भविष्य की देनदारियों को बढ़ा सकता है और ऋण शोधन क्षमता की समस्या पैदा कर सकता है। इसके अलावा, कम आर्थिक विकास दर सेवानिवृति के बाद धन देने के लिए कुल मिलाकर संसाधनों (नियोक्ता एवं कर्मचारी अंशदान) को कम कर सकता है।

योजना बाजार विभिन्न साधनों – कार्यक्षेत्र का विस्तार, उच्च अंशदान खासकर अनुपूरक निधिबद्ध निजी पेंशनो को बढ़ावा देकर, लाभों में सामंजस्य स्थापित तथा अंशदान अवधि का विस्तार कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। प्रौढ़ समुदायों के पेंशन पर्याप्तता सरोकार को दूर करने के लिए देशों ने सार्वजनिक पेंशन व्ययों में स्थिरता लाने के लिए पेंशन सुधार की गति को तेज किया। बहुत सारे देशों ने राजस्व संबंधी संवहनीयता आंशिक समस्या को दूर करने के लिए सुधारों जैसे– वैधानिक सेवानिवृति आयु में योजनाबद्ध बढ़ोतरी, लाभों को जोड़ना, सेवानिवृति आयु और अधिकतम अंशदान अवधि को जीवन संभाव्यता से जोड़ना, को लागू किया।

हालांकि, पेंशन मानदण्डों को जीवन संभाव्यता से जोड़ना प्रतिगामी हो सकता है जबकि सामाजार्थिक समूहों के बीच मतभिन्नताओं को मद्देनजर रखा गया हो। फिरभी, इन अवांछनीय विशेषताओं को ठीक करने के लिए इन लिंको को सही प्रकार से समायोजन करना एक विकट मुद्दा है। निधिबद्ध निजी पेंशनों को सुदृढ़ करने तथा सेवानिवृति आय की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने में उनके अनुपूरक भूमिका को बेहतर करने के लिए देशों ने सुधारों की शुरूआत की।

लोगों के बीच निजी पेंशन की गिरती साख के जवाब में ओईसीडी ने सभी ओईसीडी देशों के मध्य पेंशन विनियामकों के समन्वय से व्यवसायिक पेंशन विनियमों के मूलभूत सिद्धांतों को अद्यतन करना शुरू किया। उद्देश्य दोहरे हैं – पहला, सभी निधिबद्ध पेंशन व्यवस्थाओं को शामिल करने के लिए सैद्धांतिक दायरों का विस्तार, तथा दूसरा, बेहतर एवं विश्वसनीय परिचालन तथा सदस्यों के बचत की सुरक्षा के उद्देश्य से निधिबद्ध पेंशन प्रणाली के विनियामक संरचना को मजबूत करना। अतिरिक्त रूप से ओईसीडी ओईसीडी देशों में पेंशन विनियामकों द्वारा डीसी पेंशन योजनाओं के स्वीकृत और सत्यापित अच्छे रूपरेखा के द्वारा पेंशन योजनाओं का रूपांकन तथा उनके द्वारा उत्पन्न सेवानिवृति आय को बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश देता है और भविष्य की कठिनाइयों से बचने के उपाय देता है।

बुढ़ापा जनसंख्या विशेष रूप से दीर्धजीवन का जोखिम पेंशन निधियों के लिए अतिरिक्त समस्याएं खड़ा कर सकता है। पेंशन निधियों तथा वार्षिकी सेवा प्रदाता को दीर्घजीवन जोखिम व्यवस्था जिसके लिए उनका निर्माण किया गया है, सेवाएं देने के लिए वित्तीय साधनों की आवश्यकता है। नियमित रूप से अद्यतन मृत्यु संख्या सारणी के प्रयोग की आवश्यकता, जिसमें भविष्य में होने वाले सुधार तथा मानकीकृत क्रमबद्ध रूप से दीर्घजीवन सुरक्षा उपायों की शुरूआत एवं सूचकांक आधारित सुरक्षात्मक कवर जो पेंशन निधियों तथा वार्षिकी प्रदाता के लिए दीर्घकालीन जोखिम द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों से निबटने के लिए आवश्क हैं।

निधिबद्ध निजी पेंशन की अनुपूरक भूमिका तथ्यों जैसे– कवरेज दरें, सेवानिवृति का समय और आर्थिक माहौल पर निर्भर करती है। सेवानिवृति को टालने से न केवल वित्तीय धाटा दीर्धकालिक विषय बन जाता है बल्कि निधिबद्ध पेंशन योजनाओं में सेवानिवृति आय को बढ़ावा देता है और इस प्रकार सेवानिवृति आय पर्याप्तता में इजाफा करता है। पेंशन कवरेज बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उपाय, लोगों को सेवानिवृत्ति बचत के लिए बाध्य किया जाना है।

परन्तु यह एक उपयुक्त विकल्प नही है। स्वतः दाखिला कार्यक्रम दूसरा सबसे अच्छा नीति विकल्प है। यद्यपि स्वतः दाखिला कार्यक्रम स्वैच्छिक निधिबद्ध निजी पेंशन कवरेज बढ़ाने में सफल रहे हैं, उनकी सफलता गारंटीयुक्त नही है। उन्हें लागू करने के लिए जनसंख्या के अल्प–समूहों की सावधानीपूर्वक पहचान करना जरूरी है जिन्हें अधिक कवरेज की जरूरत है; स्वतः दाखिला योजना के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करना पेंशन प्रणाली की सम्पूर्ण संरचना की नियमों के अनुसार डिफॉल्ट अंशदान दर को परिभाषित

करना; अन्य विद्यमान इंसेंटिव के साथ इसकी अनुपूरकता का मूल्यांकन करना तथा प्रभावशाली संवाद के साथ उसके साथ रहना है।

पेंशन निधि आस्तिः

ओईसीडी द्वारा प्रकाशित 'पेंशन बाजार फोकस – 2014' के अनुसार संस्थागत निवेशकों ने 2013 में कुल मिलाकर यूएस डॉलर 92.6 ट्रिलियन का निवेश किया जिसमें से यूएस डॉलर 34.9 ट्रिलियन निवेश निधियों, यूएसडी 5.1 ट्रिलियन आरक्षित पब्लिक पेंशन निधियों और 1.8 ट्रिलियन अन्य निवेशकों से हुआ। 2013 में पेंशन निधियों ने संस्थागत निवेशकों द्वारा धारित कुल आस्तियों के रूप में 26.7 प्रतिशत के साथ संस्थागत निवेशकों के बीच अपनी बढ़ती ख्याति की पुष्टि की।

2009 से 2013 की अवधि में पेंशन निधि ने 8.2 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर के साथ औसत प्रदर्शन किया। 2009 और 2013 के बीच इस औसत वार्षिक विकास दर ने बीमा कम्पनियों के आकलनों (उसी अवधि में 4.1 प्रतिशत) को गलत साबित कर दिया तथा निवेश निधियों (6.7 प्रतिशत) जिनकी आस्तियों में 2010–2011 के बीच थोड़ी कमी आई।

पेंशन निधि निजी योजनाओं के लिए प्रबंधन के अधीन आस्तियों यूएस डॉलर 24.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ जो कि कुल निजी पेंशन का 68 प्रतिशत था, प्रमुख वित्तीय साधन रहा। बैंको अथवा निवेश कम्पनियों या अन्य संस्थाएं द्वारा प्रबंधित निधियों का हिस्सा बाजार का 1/5 (यूएस डॉलर 7.1 ट्रिलियन), बीमा कम्पनियों का (यूएस डॉलर 4.2 ट्रिलियन) था।

पेंशन निधि आस्ति के बाजार मूल्य सकल घरेलु उत्पाद की तुलना में एक महत्वपूर्ण संकेतक है। जीडीपी द्वारा आकलन किये गये आर्थिक आकार से संबंधित संचित आस्तियों के बाजार मूल्य पेंशन निधि के क्रियाकलापों को दर्शाने के लिए मुख्य संकेतक हैं। 2013 में जीडीपी आस्ति हासिल करने वाले पांच ओईसीडी देशों का अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक था – नीदरलैंड (166.3 प्रतिशत) , आइसलैंड (148.7), स्वीटजरलैंड (119. 0 प्रतिशत), ऑस्ट्रेलिया (103.3 प्रतिशत) तथा युनाइटेड किंगडम (100.7 प्रतिशत)। अन्य देशों में जीडीपी से संबंधित आस्तियों के अलग–अलग महत्व थे। 34 में से 13 देशों के पास पेंशन आस्ति सकल घरेलु उत्पाद का अनुपात 20 प्रतिशत से अधिक था जो ओईसीडी की परिपक्व पेंशन बाजार परिभाषा को पूरा करने के लिए न्यूनतम माना जाता है।

सम्पूर्ण रूप से 2013 में यूएस डॉलर 13.9 ट्रिलियन के साथ सभी ओईसीडी देशों में प्रबंधन के अधीन आस्तियों में अमेरिका का हिस्सा अभी भी सर्वाधिक रहा। हालांकि सापेक्ष रूप से, यूएस पेंशन निधियों द्वारा ओईसीडी द्वारा धारित आस्ति का बोझ 2003 में 62 प्रतिशत, 2013 में 56 प्रतिशत होकर लगातार घटता जा रहा था। 10.8 प्रतिशत के साथ यूनाइटडे किंगडम दूसरे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया (5.9 प्रतिशत), नीदरलैंड और जापान (ओईसीडी देशों में धारित पेंशन आस्ति 5–6 प्रतिशत के बीच), कनाडा (5.1 प्रतिशत) तथा स्विटजरलैंड (3.3 प्रतिशत) रहे। अन्य देशों में पेंशन निधियों द्वारा धारित आस्तियों के हिस्सों में 2003 में 5.2 प्रतिशत से 2007 में 7 प्रतिशत और 2013 में 7.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई।

यद्यपि, गैर– ओईसीडी देशों में अच्छी खासी पेंशन निधियों का संचय हुआ फिर भी वे ओईसीडी क्षेत्रों से कम रहा। उदाहरण के लिए, पेंशन सकल धरेलु उत्पाद आस्ति अनुपात के संदर्भ में 2013 में ओईसीडी क्षेत्रों 84.2 प्रतिशत की तुलना में गैर–ओईसीडी देशों में भारित अनुपात 38.3 प्रतिशत था। (37 में से) केवल 9 गैर–ओईसीडी देशों का अनुपात 20 प्रतिशत से अधिक था। गैर–ओईसीडी देशों के बीच साउथ अफ्रिका का अनुपात सर्वाधिक था (जीडीपी का 87.1 प्रतिशत), नामीबिया (76.6 प्रतिशत), लिचटेंसटीन (65.8 प्रतिशत), बोत्सवाना (47.3 प्रतिशत), हांगकांग (चीन) (37.5 प्रतिशत), एल सल्वाडोर (28.8 प्रतिशत), बोलिविया (27.7 प्रतिशत) त्रिनिदाद एण्ड टोबैगो (21.8 प्रतिशत) और जमैका (21.3 प्रतिशत)। फिगर में दिखाये गये अन्य गैर–ओईसीडी आर्थिक देशों का पेंशन बाजार उनके आर्थिक आकार के संदर्भ में छोटा था। भारत की पेंशन आस्ति सकल घरेलु उत्पाद का 0.3 प्रतिशत है।

[4] स्रोत : सेबी और आईआरडीए की वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय कामकाज विभाग, लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय

तालिका 1.3 : 2013 में चुनिंदा गैर – ओईसीडी देशों में आर्थिक आकार के संदर्भ में पेंशन निधियों का महत्व

जीडीपी प्रतिशत के रूप में

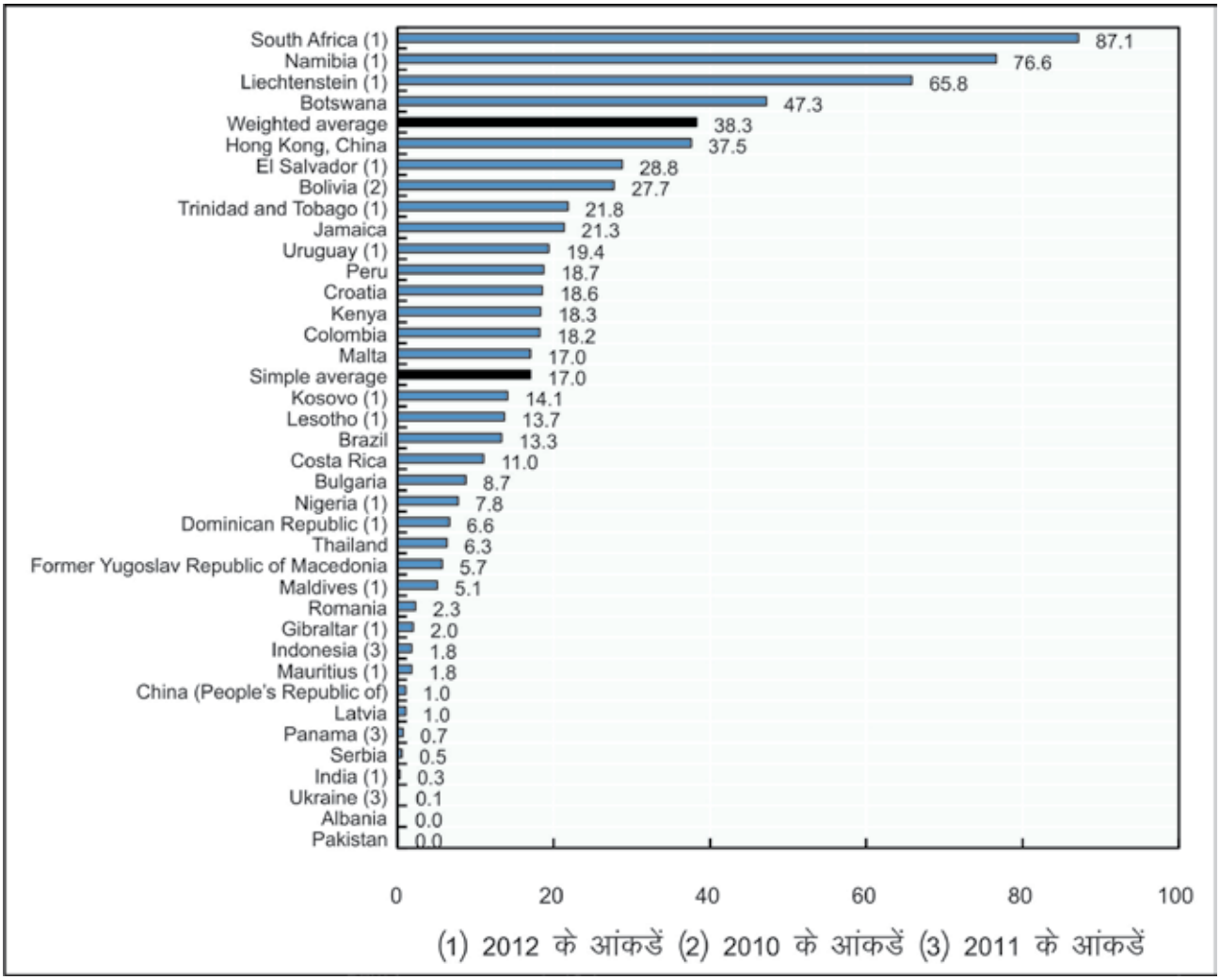

स्रोत : मुख्य पेंशन बाजार, 2014 ओईसीडी

भारत में सेवानिवृत्ति आस्तियों में एनपीएस के अतिरिक्त, आईआरडीए द्वारा विनियमित बीमा कंपनियों की निधि (रूपये 3,38 लाख करोड़), ईपीएफओ/पीएफ के अंतर्गत पोर्टफोलियो प्रबंधकों की आस्तियां (रूपये 5.41 लाख करोड़), केन्द्र सरकार भविष्य निधि (रूपये 1.44 लाख करोड़), राज्य सरकार भविष्य निधि (रूपये 3.05 लाख करोड़), लोक भविष्य निधि (रूपये 2,72 लाख करोड़) की आस्तियां शामिल हैं।

पेंशन निधियों का कार्य–सम्पादनः

2013 में रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिलाभ का निवेश अलग–अलग था। सामान्य अनुपात आधार पर सारे ओईसीडी देशों में, वे देश जिनकी सूचना उपलब्ध है, पेंशन निधियों ने निवेश प्रतिलाभों की 4.7 से 11.7 प्रतिशत, बेहतर (संयुक्त राज्य अमेरिका) तथा कमजोर (डेनमार्क) प्रदर्शन करने वालों में –4.6 प्रतिशत के आस–पास (स्थानीय मुद्रा

में तथा निवेश प्रबंधन खर्चा के बाद) वास्तविक विकास दर का अनुभव किया। 2013 में प्रतिरक्षा साधनों से प्रतिकूल अंशदान के कारण डेनमार्क के पेंशन निधियों का वास्तविक प्रतिलाभ नकारात्मक रहा।

2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद अधिकतम प्रतिलाभ ऑस्ट्रेलिया (10.2 प्रतिशत), कनाडा (9.8 प्रतिशत), न्यूजीलैंड (9.5 प्रतिशत) और जापान (8.9 प्रतिशत) का रहा। वास्तविक निवल निवेश प्रतिलाभ में पेंशन निधियों के सामान्य कार्य–संपादन के अवमूल्यन में कम लाभ, कम आय तथा मुद्रास्फीति का समायोजन के फलस्वरूप कमी देखी जा सकती है।

पिछले पांच वर्षों के आंकलन के आधार पर पेंशन निधियों का कार्य–निष्पादन साकारात्मक रहा। दिसम्बर 2008 से दिसम्बर 2013 की अवधि में वास्तविक वार्षिक प्रतिलाभ दर 24 ओईसीडी देशों में 2 प्रतिशत से अधिक था जबकि 22 ओईसीडी देशों में सांकेतिक औसत वार्षिक प्रतिलाभ दर 4 प्रतिशत से अधिक था। क्रमशः नीदरलैंड और कनाडा ने 9.6 और 9.1 प्रतिशत की मामूली रूप से अच्छे परिणाम का प्रदर्शन किया और यही दो देश थे जिन्होने विगत अवधि में मुद्रास्फीति के बावजूद 7.4 प्रतिशत की वास्तविक प्रतिलाभ के बराबर बेहतर प्रदर्शन किया। 11 देशों की वास्तविक प्रतिलाभ दर 4 प्रतिशत से अधिक रहा। स्लोवाक रिपब्लिक तथा ग्रीस का परस्पर औसत वास्तविक लाभ 5 वर्षों में सबसे कम रहा।

चुनिंदा गैर–ओईसीडी के पेंशन निधियों में 5.6 प्रतिशत का औसत वार्षिक निवेश प्रतिलाभ दर देखा गया, ओईसीडी देशों की औसत से थोड़ा ज्यादा (4.7 प्रतिशत)। पाकिस्तान में 11.2 प्रतिशत से मॉरिशस –3.8 प्रतिशत के बीच रहा। दो देशों में पेंशन निधि पाकिस्तान से उपर रहा और वास्तविक प्रतिलाभ 10 प्रतिशत से अधिक रहा; नामीबिया और मालदीव (दोनो में 10.8 प्रतिशत) रहा। अन्य मामलों में कोलंबिया और मॉरिशस में 2013 में नकारात्मक कार्य–सम्पादन रहा।

पिछले 5 वर्षों से प्राप्त सूचनानुसार सभी गैर–ओईसीडी देशों में सांकेतिक औसत निवेश प्रतिलाभ दर साकारात्मक रहा। 14.0 प्रतिशत के साथ पाकिस्तान का कार्य–सम्पादन वास्तविक रूप से सर्वाधिक रहा; केवल नाइजीरिया का औसत प्रतिलाभ नकारात्मक (–3.5 प्रतिशत) रहा।

पेंशन निधि निवेशः

अधिकांश ओईसीडी देशों में जिनके 2013 के आस्ति आबंटन आंकडे उपलब्ध थे, ऋण तथा शेयर दो मुख्य आस्तियां रहे जिनमें 2013 में पेंशन निधियों में निवेश किया गया। 2013 के अंत में 21 ओईसीडी देशों ने अपने पोर्टफोलियो का 70 प्रतिशत से अधिक निवेश इन आस्ति वर्गों में किया। 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश था जहां पेंशन निधियों ने अपने पार्टफोलियो के सर्वाधिक हिस्से का आबंटन शेयर में किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, चिली और पोलैंड का स्थान रहा। इन चार देशों में पेंशन निधियों का शेयर आबंटन ओईसीडी भारित औसत के कुल निवेश का 40.3 प्रतिशत से अधिक था।

2013 में ओईसीडी देशों में पेंशन निधियों ने अपने आस्तियों का 50 प्रतिशत से अधिक निवेश बिल एवं ऋण में किया। दो देशों अर्थात् चेक रिपब्लिक (86.5 प्रतिशत) तथा हंगरी (83.1 प्रतिशत) में पेंशन निधि पोर्टफोलियो में बिल एवं ऋण का अनुपात 80 प्रतिशत से अधिक था। 2013 में 15 और देशों – चिली, डेनमार्क, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, इजरायल, लग्ज़मवर्ग, मेक्सिको, नॉर्वे, पोलैंड, स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वेडन और तुर्की बिल और ऋण का पोर्टफोलियो 50 प्रतिशत से अधिक था।

जैसा कि ओईसीडी देशों में, बिल, ऋण तथा शेयर प्रमुख आस्ति वर्ग थे जिसमें पेंशन निधियों ने गैर–ओईसीडी अर्थव्यवस्थाओं में निवेश किया। 2013 में 14 गैर–ओईसीडी देशों में बिल एवं ऋण ने पेंशन निधियों के आस्ति आबंटन का 50 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व किया। कोस्टारिका में पेंशन निधियों ने उत्पादों के व्यापकता एवं अच्छे प्रतिलाभ के कारण अपने सभी आस्तियों का निवेश बिल एवं ऋण में किया। तीन देशों में पेंशन निधियों के पोर्टफोलियो में शेयर का वर्चस्व रहा जो नामीबिया, कोसोवो तथा हांगकांग (चीन) के कुल हिस्से का 50 प्रतिशत था।

तालिका 1.4 : चुनिंदा गैर ओईसीडी देशों में चुनिंदा निवेश श्रेणियों के लिए पेंशन निधि आस्ति आबंटन, 2013

कुल निवेश के प्रतिशत के रूप में

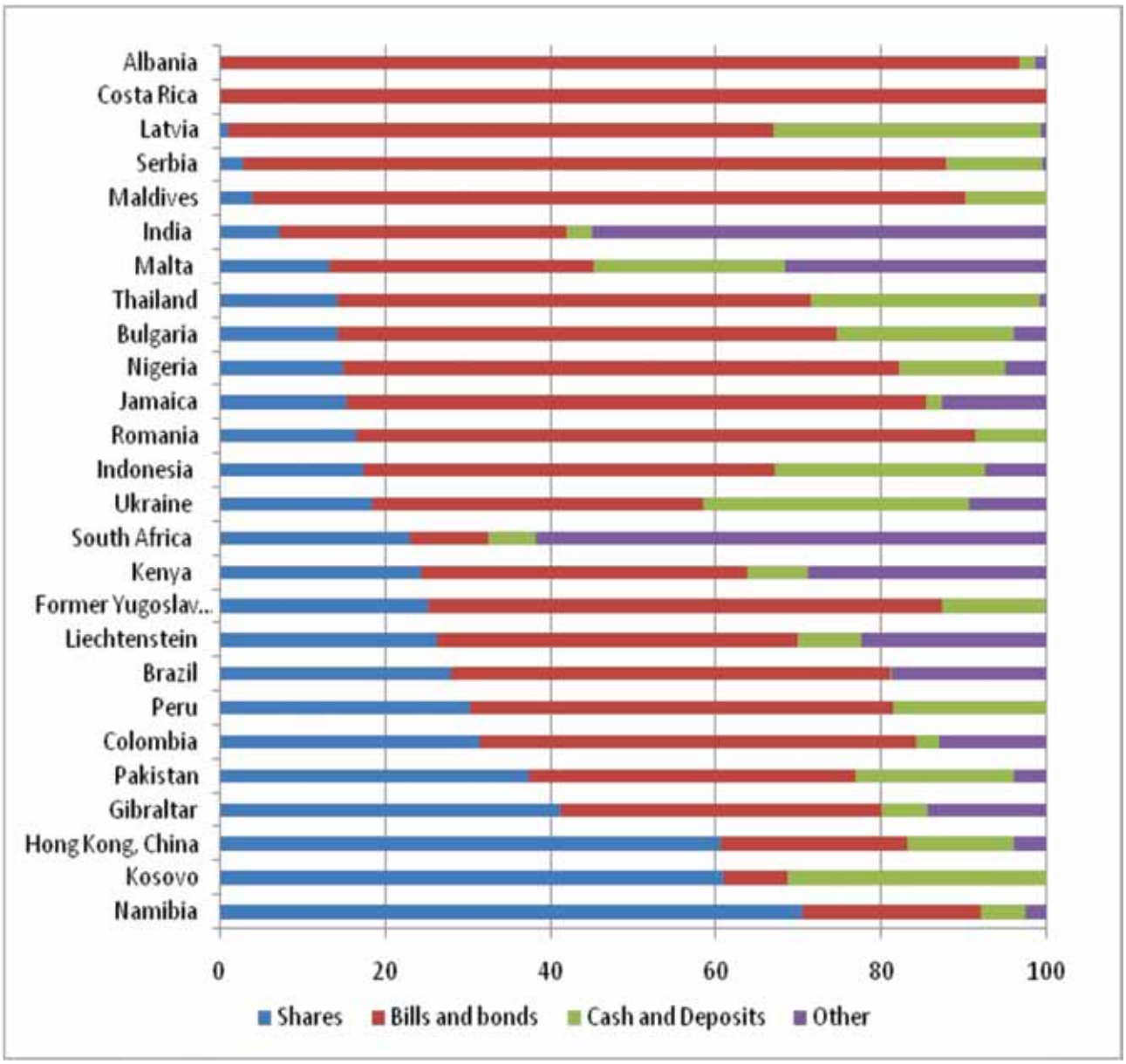

स्रोत : मुख्य पेंशन बाजार, 2014, ओईसीडी

1.4 भारत में पेंशन सेक्टर

वृद्धावस्था जनसंख्या

2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में पूरी जनसंख्या का लगभग 8.6 प्रतिशत भाग वृद्ध आबादी का है। (103.6 मिलियन) प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से बेहतर जीवन स्तर और बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं होने से वृद्ध आबादी के आकार और प्रतिशत में समय के साथ वृद्धि हो रही है। वास्तव में वृद्ध आबादी की वृद्धि दर (60 से अधिक) सामान्य वृद्धि दर से अधिक है। वर्ष 1991 और 2001 के बीच कुल आबादी की वृद्धि दर 21.53 प्रतिशत और वर्ष 2001 से 2011 के बीच 17.64 प्रतिशत की वृद्धि दर के मुकाबले वर्ष 1991 और 2001 के बीच वृद्ध जनसंख्या की वृद्धि दर 35.10 प्रतिशत और वर्ष 2001 से 2011 के बीच यह 35.51 प्रतिशत थी। परिणामस्वरूप कुल जनसंख्या में वृद्ध आबादी का प्रतिशत जो वर्ष 1991 में 6.8 से बढ़कर 7.4 हुआ था वर्ष 2011 में बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गया।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और हैल्प ऐज इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से जारी ऐजिंग इन 21 सेन्चुरी रिपोर्ट 2012 में कहा गया है कि वर्ष 2000 से 2050 तक 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वालों की संख्या 360 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। भारत में 2012 में वृद्ध नागरिकों की जो संख्या 100 मिलियन थी उसके 2050 तक 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 323 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है।

वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात

0 से 14 वर्ष की आयु के लोग, 60 वर्ष आयु समूह के लोग और 15 से 59 वर्ष के आयु समूह के लोगों में से 100 लोगों का अनुपात निर्भरता अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। निर्भरता अनुपात में गिरावट जनसंख्या के अवस्थांतर को दर्शाती है जहां प्रतिव्यक्ति आय के साथ कार्यरत लोगों का प्रतिशत अधिक हो और देश को जनसांख्यिकी लाभांश से लाभ हो। हालांकि निर्भरता अनुपात में दो प्रकार हैं, युवा निर्भरता अनुपात और वृद्ध निर्भरता अनुपात। 60 वर्ष की आयु समूह और 15 से 59 आयु वर्ग समूह में प्रत्येक 100 व्यक्तियों को वृद्ध निर्भरता अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। पेंशन प्रणाली के लिए जनसांख्यिकी दबाव का महत्पूर्ण संकेत है। सेवानिवृत्त आयु के लोगों की तुलना में कितने लोग कार्यरत हैं इसे मापने का यह एक पैमाना है।

निर्भरता अनुपात में वृद्धि के कारण कार्यरत जनसंख्या पर अधिक आर्थिक दवाब पड़ता है। अनुपात बढ़ने से जनसंख्या के उत्पादक समूह पर आर्थिक रूप से निर्भर लोगों की जीविका का प्रबंधन करने का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाता है। जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक सुरक्षा के ऊपर होने वाले वित्तीय खर्च के रूप में प्रत्यक्ष तथा कई अप्रत्यक्ष परिणाम सामने आते हैं। भारत में वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात वर्ष 1991 के 12.2 से बढ़कर वर्ष 2001 में 13.1 प्रतिशत और वर्ष 2011 में 14.2 प्रतिशत तक बढ़ गया। हालांकि अमरीका और युरोप जैसे विकसित देशों की तुलना में भारत में यह अनुपात काफी कम है लेकिन यह तेजी से बढ़ रहा है।

भारत में पेंशन परिदृश्य तथा एकीकृत पेंशन विनियामक भाासन पद्धति की आवश्यकता

भारत में पेंशन प्रणाली का विवरण :

भारतीय पेंशन परिदृश्य में, गैर–अंशदायी सामाजिक पेंशन योजनाए जो कि सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त है न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करती हैं जैसे – राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), अनिवार्य पेंशन योजनाएं जो उपयोगानुसार भुगतान आधार पर हैं जैसे – कर्मचारी भविष्य निधि, नागरिक सेवा पेंशन, कर्मचारी पेंशन योजनाएं (ईपीएस) तथा अन्य वैधानिक पेंशन निधि योजनाएं, सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा निजी क्षेत्रों के कर्मचारी एवं स्व–नियोजित कर्मचारियों तथा असंगठित क्षेत्रों सहित जैसे सभी नागरिकों के लिए एनपीएस, निजी पेंशन, सेवानिवृत्ति और उम्र के आधार पर सेवानिवृत्ति जैसी पेंशन योजनाएं शामिल हैं।

1994 के 'वृद्धावस्था जोखिम को टालने' के अपने रिपोर्ट में विश्व बैंक ने वृद्धावस्था आय सुरक्षा के प्रावधान के लिए तीन स्तम्भों वाली वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रणाली प्रदान की। विश्व बैंक के होल्ज़मान एण्ड हिन्ज़ (2005) ने इसका पांच स्तम्भों वाली वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रणाली में विस्तार किया।

स्तम्भ 0 : सर्वव्यापी सरकारी वित्त की ओर से गैर–अंशदायी बुनियादी पेंशन।

स्तम्भ 1 : उपयोगानुसार भुगतान आधारित अनिवार्य सरकारी वित्त योजनाएं।

स्तम्भ 2 : वित्तीय आस्तियों के साथ अनिवार्य एवं पूर्णतया वित्त प्रदत्त, व्यावसायिक, व्यक्तिगत पेंशन योजनाएं। इसके अंतर्गत हैं – परिभाषित अंशदान योजनाएं जो अंशदान, निवेश निष्पादन तथा लाभ का समायोजन करती हैं।

स्तम्भ 3 : वित्तीय आस्तियों के साथ स्वैच्छिक एवं पूर्णतया वित्त प्रदत्त, व्यावसायिक, व्यक्तिगत पेंशन योजनाएं हैं।

स्तम्भ 4 : पेंशन प्रणाली के बाहर गैर–वित्तीय स्वैच्छिक प्रणाली जिनमें शामिल हैं – वित्तीय एवं गैर– वित्तीय आस्तियां एवं पारिवारिक आश्रय।

उपरोक्त बहु तत्वीय प्रणाली इस बात को ध्यान में रखते हुए बनायी गई है कि विविधताओं वाली प्रणाली प्रभावी तरीके से सेवानिवृत्ति आय सुनिश्चित कर सकती है। बहु स्तम्भीय प्रणाली एकल स्तम्भीय प्रणाली से ज्यादा लचीली है और जनसंख्या की मुख्य एवं विभिन्न लक्षित समूहों की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करती है और पेंशन प्रणाली की आर्थिक, क्षेत्रीय एवं राजनीतिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है।

जैसा कि विश्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है, भारतीय पेंशन प्रणाली को विभिन्न स्तम्भों के तहत् इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

स्तम्भ 0 में साधन परीक्षित सरकारी वित्त आधारित बेसिक पेंशन योजनाएं जो वृद्धावस्था एवं निहसहायों को पेंशन प्रदान करती हैं।

कमजोर हो रहे पारिवारिक एवं सहायता प्रणाली और वृद्ध व्यक्तियों की बढ़ती संख्या के परिणामस्वरूप निःसहाय तथा वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा नेट प्रदान करने में भारत सरकार को बड़ी भूमिका निभानी पड़ी। 1995 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को अपनाया जो तीन घटकों से बना था : राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस), और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एनएमबीएस)।

एनएसएपी में अब निम्नलिखित पांच योजनाएं शामिल हैं :

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) : इस योजना के तहत् 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति 79 वर्ष तक 200/– रूपये और 80 वर्ष तथा उससे अधिक के व्यक्ति 500/– रूपये मासिक पेंशन के हकदार हैं। अधिकांश राज्य 200 से 1000 रूपये की बराबर या अधिक मासिक राशि के द्वारा अंशदान को अतिरिक्त रूप से पूरा कर रहे हैं। वर्ष 2014–15 में 2.62 करोड़ अभिदाता लाभान्वित हुए हैं।
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्लूपीएस) : 40 से 79 वर्षों की विधवा जो गरीबी रेखा से नीचे हैं रूपये 300/– और 80 वर्ष से अधिक की विधवाएं रूपये 500/– मासिक पेंशन की हकदार हैं।
3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीवीएस) : 18 से 79 वर्षों के गरीबी रेखा से नीचे के गंभीर विकलांगता वाले व्यक्ति 79 वर्ष की आयु तक रूपये 300/– और 80 तथा उससे उपर के व्यक्ति रूपये 500/– मासिक पेंशन के हकदार हैं।
4. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस) : इस योजना के तहत् पालनकर्त्ता/अर्जक की मृत्यु होने पर 18 से 64 वर्ष के बीच गरीबी रेखा से नीचे के परिवार एकमुश्त राशि के हकदार हैं। सहायता राशि 10,000/– रूपये है।
5. अण्णपूर्णा : इस योजना के तहत् हर महीने मुफ्त में 10 किलो अनाज उन वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाता है जो योग्य हैं फिर भी एनओएपीएस के तहत् शामिल नही हैं। सन् 2012–13 में 6.39 लाख अभिदाता लाभान्वित हुए हैं।

एनएसएपी के अंतर्गत लगभग 2.62 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं जो 2014–15 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे थे। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाएं खपत व्यय की सहायता के लिए है और ये वित्तीय बचत को बढ़ावा नही देते तथा इनमें मामूली लाभार्थी का चुनाव, निम्न कवरेज एवं बड़े पैमाने पर लीकेज की समस्याएं हैं।

स्तम्भ 1 में अनिवार्य सरकारी पेंशन योजना शामिल हैं जो अंशदान के साथ सार्वजनिक रूप से प्रबंधित है और कुछ मामलों में, सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त प्रदत्त है।

पेंशनधारकों में पुराने परिभाषित लाभ पेंशन योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो 01 जनवरी 2004 से पहले शामिल थे तथा राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित नीति निर्धारण के लिए पेंशन तथा पेंशनधारक कल्याण विभाग नोडल विभाग हैं। रेल एवं रक्षा मंत्रालय के पेंशनधारक अलग से स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा विशेष पेंशन नियमों से शासित होता है। राज्य सरकार से जुड़े पेंशन मामले संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निपटाये जाते हैं।

अधिक अनियमित श्रमिकों की संख्या के कारण भारत की कर एवं सामाजिक सुरक्षा आधार कम है। इसके अतिरिक्त, सकल घरेलु उत्पाद के 70 प्रतिशत से अधिक सार्वजनिक ऋण के साथ भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी नही कि कर प्रदत्त् जीरो पीलर योजनाओं को लागू करे, जो आबादी के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा/वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।

स्तम्भ 2 में वित्तीय आस्तियों के साथ अनिवार्य और पूर्णतया निधिबद्ध व्यावसायिक अथवा निजी पेंशन योजनाएं सम्मिलित है और इसमें एनपीएस के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल हैं जो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित है। (31.03.2015 को अभिदाताओं की संख्या 41.42 लाख थी)।

निजी संगठित क्षेत्र के कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावध ाान अधिनियम, 1952 (ईपीएफ एण्ड एमपी एक्ट) तथा अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे कोयला खदान भविष्य निधि, सीमेंस भविष्य निधि आदि के अंतर्गत कवर हैं।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का एक अंग है जो उम्र के आधार पर सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, पूर्णरूप से स्थायी विकलांगता, विधवा अथवा विध ुर, बाल अथवा अनाथ के लिए पेंशन प्रदान करती है। इसे पूर्णतया निधिबद्ध परिभाषित लाभ (डीबी) के रूप में सभी ईपीएफ सदस्यों को कवर करने के लिए तैयार किया गया है। ईपीएफ के तहत् लगभग 4 करोड़ सदस्यों के होने का अनुमान है। सरकार ने हाल ही में ईपीएस के अंतर्गत सभी पेंशनधारकों को न्यूनतम 1000/– रूपये की पेंशन देने का निर्णय लिया है।

2. नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 को छोड़कर, संगठित मजदूरों के लिए चार अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत भविष्य निधि का प्रावधान है। ये सब निम्नलिखित प्रावधानों के अंतर्गत कवर हैं :

1. कोयला खदान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1948;
2. नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966;
3. असम चाय बागान भविष्य निधि और पेंशन निधि योजना, 1955; एवं
4. जम्मु एवं कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1961

नवीन पेंशन प्रणाली की शुरूआत

सरकार ने 01 जनवरी, 2004 से, 22 दिसम्बर, 2003 की एक अधिसूचना के द्वारा सशस्त्र बलों को छोड़कर, केन्द्र सरकार के नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पर आधारित नवीन पेंशन योजना (एनपीएस) की शुरूआत की जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। सरकार ने अक्तुबर, 2003 में एक सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से वैधानिक नियामकों के लिए एक प्रणेता के रूप में अंतरिम नियामक, अंतरिम पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की स्थापना की है। इस प्रस्ताव को 14 नवम्बर, 2008 को पुनः जारी किया गया था। एनपीएस की रूप रेखा की विशेषता है कि यह स्वयं–संवहनीय, मापक्रमणीयता, अलग–अलग विकल्प, अधिकतम पहुंच, कम लागत फिरभी प्रभावी, और सक्षम विनियम पर आधारित पेंशन प्रणाली है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के बाद पीएफआरडीए एक वैधानिक पेंशन सेक्टर विनियामक बन गया जिसे 01 फरवरी, 2014 से लागू किया गया।

स्तम्भ 3 में वित्तीय आस्तियों के साथ स्वैच्छिक एवं पूर्णतया निधिबद्ध व्यावसायिक अथवा निजी पेंशन योजनाएं शामिल हैं जिसमें एनपीएस के अंतर्गत निजी क्षेत्रों और असंगठित क्षेत्रों (31.03.2015 को अभिदाताओं की संख्या 46.7 लाख थी), जीवन बीमा कम्पनी एवं म्युचुअल फंड द्वारा प्रायोजित सेवानिवृत्ति एवं पेंशन योजनाएं जो सेबी एवं आईआरडीए द्वारा प्रशासित योजनाएं हैं। इनकी पहुंच केवल 3.5 लाख अभिदाताओं तक सीमित रही है।

भारत में देशव्यापी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अभाव में (कार्यरत जनसंख्या की लगभग 12 प्रतिशत का औपचारिक पेंशन कवरेज होने से), उम्रवृद्धि तथा सामाजिक परिवर्तन असंगठित क्षेत्रों में पेंशन सुधार लाने में महत्वपूर्ण रहे हैं, परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली की वित्तीय तंगी संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन सुधारों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कारण रहा है। एनएसएसओ की 68वें राउण्ड सर्वे 2011–12 के अनुसार श्रमिक की संख्यां लगभग 47.29 करोड़ थी जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं ईपीएफओ के अंतर्गत संगठित क्षेत्रों के कर्मचारी, जीवन बीमा कंपनी की निजी पेंशन लाभ के तहत् 5.6 करोड़ कर्मचारी थे। पहले एवं दूसरे स्तम्भ के माध्यम से कवरेज प्रदान करने में व्यवहारिक एवं वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए पेंशन व्यवस्थाओं तथा कम हो रहे पारिवारिक सहारा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत को भारत में पेंशन प्रणाली कवरेज प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण नीति साधन के रूप में देखा गया। औपचारिक पेंशन प्रणाली के अंतर्गत असंगठित क्षेत्रों के कामगारों में अधिक कवरेज हासिल करने के लिए (47.29 करोड़ की कुल श्रमिकों में से लगभग 88 प्रतिशत श्रमिक बिना किसी औपचारिक पेंशन प्रावधान के हैं) एनपीएस का विस्तार किया गया है, जो वित्तीय रूप से स्वयं–संवहनीय, कम लागत और प्रभावी प्रणाली है। सभी नागरिकों को एनपीएस कवर प्रदान करने में योग्य अभिदाताओं के बीच प्रचार अभियान के माध्यम से जागरूकता तथा वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना एवं अन्य दीर्घकालीन बचत साधनों के साथ कर समता को सुनिश्चित करना, एनपीएस के बाजार एवं वितरण नेटवर्क को बढ़ाना बड़ी चुनौतियां हैं।

सरकारी क्षेत्र के लिए पहले शुरू किए गए एनपीएस का विस्तार नये क्षेत्रों जैसे कि – स्वायत्त निकायों, राज्य सरकार और असंगठित क्षेत्र में भी किया गया। राज्य सरकारो द्वारा एनपीएस को जबर्दस्त रूप से अपनाया गया। 27 राज्य सरकारों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों ने अपने नये कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अपनाने के लिए अधिसूचना जारी की। असंगठित क्षेत्रों के लोगों को अपने वृद्धावस्था के लिए स्वैच्छिक बचत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सितम्बर, 2010 में स्वावलम्बन योजना की शुरूआत की जिसके तहत् केन्द्र सरकार न्यूनतम अंशदान 1000/– और अधिकतम अंशदान 12,000/– प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान खोले गये प्रत्येक एनपीएस खातों में कुल 1000/– रूपये का अंशदान देगी। इसके बाद, सरकारी सह–अंशदान का लाभ कुल पांच वर्षों अर्थात् 2016–17 तक दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री द्वारा अटल पेंशन योजना की शुरूआत 9 मई, 2015 को की गई तथा असंगठित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए योजना को 1 जून, 2015 से लागू किया गया ।

स्तम्भ 4 में अनौपचारिक सहायता प्रणाली तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रम यथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत योजनाएं आदि शामिल हैं।

एकीकृत पेंशन योजना विनियामक शासन–पद्धति की आवश्यकता :

पीएफआरडीए अधिनियम को विशिष्ट आदेश के साथ वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 01 फरवरी, 2014 को अधिसूचित किया गया। पीएफआरडीए की अनुच्छेद 12 के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली स्पष्टतया पीएफआरडीए के परिधि के अंदर है, अनुच्छेद 12 (1) में यह भी कहा गया है कि अधिनियम किसी अन्य पेंशन योजनाओं पर भी लागू होंगी जो किसी अन्य अध्यादेश द्वारा विनियमित नही हैं। हालांकि, वित्तीय उत्पादों जैसे पेंशन/सेवानिवृत्ति/उम्र के आधार पर सेवानिवृत्ति योजनाएं अथवा योजना जो पूर्व में थीं तथा जो अभी भी सेबी तथा आईआरडीएआई के साथ पेंशन उत्पाद के रूप में पंजीकृत और पीएफआरडीए अधिनियम की अधिसूचित होने के बाद भी म्युचुअल फंड एवं बीमा कम्पनियों द्वारा चलाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, बहुत सारे सुपरएन्वेसन निधि जिसे

कर्मचारियों एवं नियोजकों के अंशदानों से जो कर्मचारियों को स्वैच्छिक आधार पर सुपरएन्वेसन/पेंशन लाभ देने के लिए बना है। इन सुपरएन्वेसन निधि न्यास का निर्माण दोनो निजी एवं सरकारी क्षेत्रों के विभिन्न कॉरपोरेटों द्वारा किया गया है जो नियोजको और कर्मचारियों के वैसे न्यास निधियों में अंशदानों लिए कर छूट प्राप्त करने के लिए आय कर अधिकारियों की स्वीकृति की मांग करते हैं।

यद्यपि आय कर नियम न्यास निधियों के स्थापित होने के लिए स्वीकृति प्रक्रिया, उनका प्रबंधन एवं उनके निधियों के निवेश के लिए शर्तें निर्धारित करते हैं परन्तु इनके लाभार्थियों की शिकायतों का निवारण एवं हितों की सुरक्षा किसी विनियामक द्वारा नही होती।

पीएफआरडीए अधिनियम के तहत् विनियमों में पंजीकरण, प्रबंधन, रेकॉर्डकीपिंग एवं संचित पेंशनों के वितरण से जुड़ी संस्थाओं का पंजीकरण, योजनाओं की स्वीकृति एवं पेंशन निधि के प्रबंधन के नियम, और अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा निर्धारित है।

पीएफआरडीए अधिनियम के अधिसूचित होने के पश्चात् से पीएफआरडीए का यह प्रयास है कि वह ऐसी गैर विनियमित पेंशन/सुपरएन्वेशन/सेवानिवृत्ति योजनाएं/योजनाएं को पहचाने। इस संबंध में पीएफआरडीए ने सार्वजनिक सूचना भी जारी की तथा सीबीडीटी से सुपरएन्वेशन निधि के कार्यपद्धति के आंकड़ो का आदान–प्रदान करने का भी अनुरोध किया जिसकी स्वीकृति आयकर अधिनियम के तहत् विभिन्न आयकर आयुक्तों द्वारा दी गई। पीएफआरडीए ने यह भी प्रस्ताव रखा कि विभाग में राजस्व आवेदन जमा करने के समय न्यासों/निधियों से हलफनामा देने के लिए कहा जाय सुपरएन्वेसन निधि/न्यास पीएफआरडीए अधिनियम तथा उनके तद्दीन बनाए गए नियमों और विनियमों के द्वारा शासित होंगे और न्यास/सुपरएन्वेसन निधियों को राजस्व विभाग द्वारा जारी स्वीकृति पत्र की एक प्रति पीएफआरडीए द्वारा समर्थित होनी चाहिए तथा वैसे न्यासों/निधियों की विनियमों के तहत् आगे की जांच और निगरानी हो सके।

यह महसूस किया गया कि सभी पेंशन, सेवानिवृत्ति, सुपरएन्वेसन एवं भविष्य निधि योजनाएं/योजनाएं जो आवश्यक रूप से पुराने वृद्धावस्था आय सुरक्षा के नाम हैं। इन्हें पीएफआरडीए के विनियामक दायरे में आना चाहिए जब तक कि विशेष रूप से किसी अध्यादेश के तहत् नियमित नही हैं। वर्तमान खण्डित तथा विविध पेंशन क्षेत्र विनियमों और निरीक्षण के लिए कुछ समस्याएं खड़ी कर सकती हैं परिणामस्वरूप आर्बीट्रेज तथा विनियामकीय अंतर होगा जिसका दुष्परिणाम निवेशकों के हितों को होगा। इसीलिए वृद्धों एवं पेंशन उद्योग की स्थिरता के लिए एकीकृत पेंशन शासन पद्धति तथा एकीकृत विनियमों की गंभीर आवश्यकता है। पीएफआरडीए अधिनियम के पास होने के बाद बाजारों को यह स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने वाली सभी स्कीम पीएफआरडीए द्वारा पंजीकृत तथा विनियमित होनी चाहिए। यह सब संसदीय इच्छाओं एवं पीएफआरडीए अधिनियम के अंतर्गत इरादों के बीच सामंजस्य स्थापित करेगा।

1.4.1 एनपीएस– अब तक की यात्रा

वर्ष 2004 में, भारत सरकार ने लोक सेवा पेंशन योजना में एक बड़ा परिवर्तन करते हुए नई, परिभाषित अंशदान पेंशन योजना जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है, की शुरूआत की। नई प्रणाली के अंतर्गत केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण (सीआरए) और पंजीकृत पेंशन निधियों और व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खातों, जिनका प्रबंधन पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है, का इस्तेमाल किया जाता है। प्रारंभ में, यह 01.01.2004 से केवल केन्द्र सरकार लोक सेवा में नये भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए थी, लेकिर धीरे–धीरे इसका विस्तार राज्य कर्मचारियों के लिए भी कर दिया गया।

एनपीएस की शुरूआत निजी सेक्टर और अनऔपचारिक सेक्टर के कर्मचारियों सहित सभी भारतीय नागरिकों के लिए मई 2009 में स्वैच्छिक आधार पर की गई। सरकार द्वारा एनपीएस का विस्तार की रूपरेखा मुख्य रूप से भारत के अनऔपचारिक क्षेत्र के लोगों को कम लागत सेवा निवृत्ति प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए थी। स्वैच्छिक एनपीएस कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य व्यवसायी, छोटे करोबारी और उनके कर्मचारी, कृषि श्रमिक और दिहाड़ी पर काम करने वाले कर्मचारी हैं।

एनपीएस की स्वीकार्यता इस बात को सुनिश्चत करती है कि एनपीएस योजना, मापनीय, कम लागत, सरल, सवंहनीय, लचीली है। डाक घरों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य संस्थाओं ने अपने कर्मचारियों को एनपीएस खाते खुलवाने के लिए अपने आप को सूचीबद्ध करवाया है। पीएफआरडीए, एक पेंशन नियामक के रूप में निरीक्षक की भूमिका अदा करता है और संभावित अभिदाताओं के मध्य जागरूकता फैलाने और शिक्षित करने का काम करता है।

असंगठित क्षेत्र को एनपीएस में शामिल करने के लिए सरकारी अंशदान के साथ एक अन्य योजना – एनपीएस स्वावलम्बन (एनपीएस –एस) की शुरूआत 2010 में की गई। 2010 में, सरकार ने व्यक्तिगत एनपीएस खातों में, जिन्होंने स्वालम्बन योजना में 1000 से 12000 रूपये का वार्शिक अंशदान किया को, उनमें प्रतिवर्ष रूपये 1000/– का समान अंशदान करने की घोषणा की। इन खातों को कम शुल्क और आशावादी विशेषताओं से युक्त' एनपीएस–लाईट खातों' के नाम से जाना जाता है।

एनपीएस लाइट/स्वावलम्बन के अंतर्गत लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से अगस्त अंत 2010 में अधिकांश गैर सरकारी संगठनों, लघु वित्तीय और स्वयं सहायताप्राप्त समूहों को कम लागत पर शिकायत निवारण और आकंडों के प्रदर्शन के साथ–साथ समूह आधार पर नामंकन (पेंशन शिक्षा और प्रशिक्षण सहित) और विपणन के लिए पीएफआरडीए द्वारा एग्रीगेटरों के रूप में पंजीकृत किया। एग्रीगेटरों को प्रति नामांकन पर अधिलाभ मात्रा के साथ निश्चित दरका भुगतान किया गया।

अपने परिचालन के साढ़े चार वर्ष पूरे करने के बाद मार्च 2015 तक एनपीएस–लाइट/स्वालम्बन योजना के स्वैच्छिक सदस्यता लगभग 41.46 लाख तक पहुंच गई। प्रति सदस्य औसत बचत अतिशेष रूपये 3,872 था।

इस योजना को कम अपनाये जाने का कुछ हद तक कारण इसके प्रतिलाभ का पूर्णतः बाजार आधारित होना रहा। कम आय वाले अभिदाता, जिनके लिये यह योजना शुरू की गई थी, सदैव निश्चित न्यूनतम प्रतिलाभ का आश्वासन चाहते थे।

वर्ष 2015–16 के बजट भाषण में, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ध्यान में रखते हुए भारतीय वित्त मंत्री ने 'अटल पेंशन योजना ' के नाम से एक नई पेंशन योजना की घोषणा की। 18 से 40 वर्ष के आयु समूह के मौजूदा एनपीएस स्वालम्बन अभिदाता एपीवाई में स्थानांतरित किये जायेंगे। एपीवाई के अंतर्गत अभिदाताओं द्वारा चुनी गई अंशदान राशि के आधार पर उन्हें रूपये 1000 से 5000 तक निश्चित पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है, जो कि उनकी योजना में शामिल होने की आयु पर निर्भर करता है। यह योजना, अभिदाताओं को तिगुना लाभ प्रदान करती है जैसे – अभिदाता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर आजीवन पेंशन दी जाएगी और उसके बाद उसके पति/पत्नी को आजीवन समान पेंशन दी जाएगी। अभिदाता और उसके पति/पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद नामिति को निधि वापस लौट दी जाएगी। 31 दिसम्बर 2015 से पहले इस योजना में शामिल होने वाले अभिदाताओं के खाते में सरकार द्वारा पांच वर्षो तक रूपये 1000 अथवा अंशदान का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, का सह अंशदान किया जाएगा, जो बैंक द्वारा अभिदाताओं के एपीवाई खाते की निधि में जोड़ दिया जाएगा।

निश्चित आंकड़ों के रूप में कुछ सफलाताओं के बावजूद एनपीएस अपने लक्षित समूह के केवल कुछ प्रतिशत तक ही पहुंच बनाने में कामयाब हो पाया है। आकड़े दर्शाते हैं कि मौजूदा योजनाओं को अपनाने और निर्माण के कई लाभ हो सकते हैं साथ ही साथ योजना को जिस रूप में शुरू किया गया उसे विकसित करने, समायोजित करने और लचीलेपन की महत्वता को भी दर्शाते हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या एजेंटों के लिए नई लाभ संरचना और पारितोषिक प्रक्रिया जैसे नये परिवर्तन योजना को उल्लेखनीय ढंग बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं या नहीं।

1.5 एनपीएस से संबंधित मध्यवर्तियां और संस्थाएं

तालिका 1.5 : एनपीएस संरचना और मध्यवर्ती

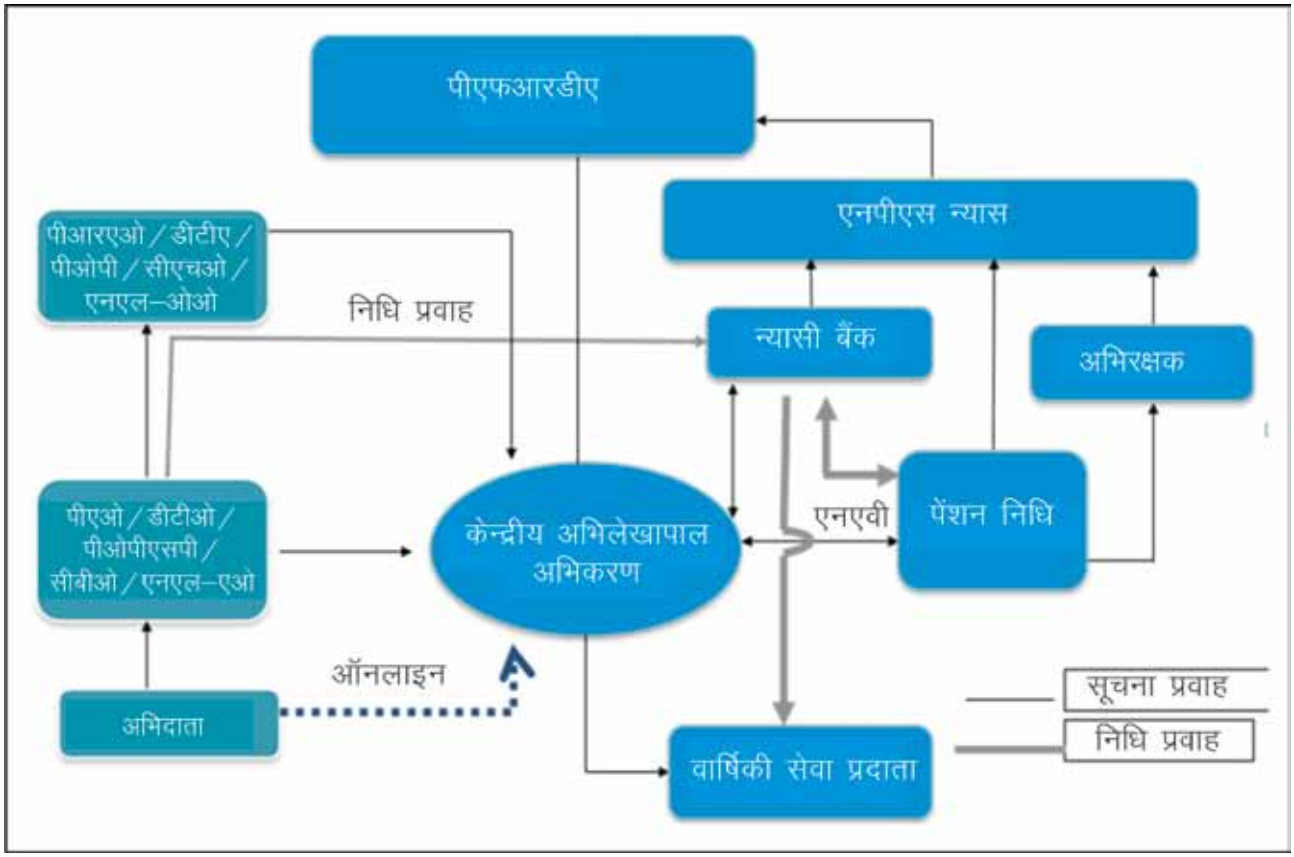

एनपीएस संरचना में निम्न मध्यवर्तियां शामिल हैं:

उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) और संकलनकर्ता : एनपीएस खातों को खुलवाने, निधियों और निर्देशों की प्राप्ति और प्रेषण और उत्पाद संबंधी सेवाओं को उपलब्ध कराने के साथ–साथ निधियों का निपटान के उद्देश्य के लिए केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के साथ इलैक्ट्रोनिक संयोजकता के सामर्थ से युक्त यह अभिदाताओं के लिए पारस्परिक क्रियाकलाप के प्रथम केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं।

पेंशन निधि

पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत और केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण के साथ इलैक्ट्रोनिक संयोजकता से पूर्ण इन्हें अभिदाताओं की पेंशन राशि को प्राप्त करने और प्रबंधित करने तथा निर्दिष्ट रीति में अभिदाताओं को भुगतान करने के लिए अधिकृत किया गया है।

न्यासी बैंक (टी बी)

निर्दिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार प्रारम्भिक भाग में नोडल कार्यालयों, पीओपी और एग्रीगेटरों से निधि प्राप्त करने और पार्श्वसिरे से उन्हे पेंशन निधियों और वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को स्थानांतरित करने का कार्य न्यासी बैंक द्वारा किया जाता है। यह दैनिक आधार पर निधि प्राप्ति पुष्टिकरण, निधियों के समायोजन को अपलोड करता है, निधियों के मिलान और दर्ज करने में सीआरए को सहयोग देता है जिन्हें बाद में पीएफएम द्वारा निवेशित किया जाता है।

केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण (सीआरए)

एनपीएस के सभी अभिदाताओं के अभिलेखपालन, प्रशासन और ग्राहक सेवाओं के सभी कार्य सीआरए द्वारा किये जाते हैं। यह एनपीएस प्रणाली की विभिन्न मध्यवर्तियों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यह सभी अंशदानों और एक कार्यदिवस में प्राप्त मोचन अनुरोधों को समेकित करने के लिए समयबद्ध निपटान प्रक्रिया को अंजाम देता है तदनुसार प्रत्येक निधि प्रबंधक को नेट स्थानांतरण के लिए निर्देश देता है और उसी दिन अभिदाताओं को आबंटित इकांइयों को दर्ज करता है। यह अभिदाताओं के अंशदानों की निगरानी करता है और संबंधित पीएफम और योजना को दैनिक आधार पर निर्देशो और सूचनाओं का प्रेक्षण करता है। यह निधियों के प्रत्याहरण की सुविधा उपलब्ध कराता है और पीएफआरडीए को एमआइएस उपलब्ध कराता है। यह नोडल कार्यालयों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम और अभिदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करता है और नई कार्यप्रणालियों और उपादेयताओं के विकास में योगदान देता है।

वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत और पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध ये जीवन बीमा कंपनियां वे मध्यवर्ती हैं जो अभिदाताओं को निकासी पर नियमित मासिक पेंशन उपलब्ध कराती हैं।

एनपीएस न्यासः

न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक न्यास का गठन किया गया है जो निधियों का पंजीकृत अधिठाष्ता है और अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में निधियों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।

अभिरक्षक

प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं के लिए अभिरक्षक और निक्षेपागार प्रतिभागी सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य अभिरक्षक द्वारा किया जाता है।

एनपीएस का प्रबंधन उच्च सघन तकनीक है और तदनुसार तकनीक सामर्थ युक्त है। तीव्रता, शुचिता और कुशलता सुनिश्चित करने के लिए निधियों और सूचनाओं का संप्रेक्षण इलैक्ट्रोनिक रूप में किया जाता है। पेंशन निधियों का निवेश जो कि गुणवत्ता की पुडेंशियल सीमाओं (साख रेटिंग) और निवेश की मात्रा (सेक्टर/समूह प्रकटीकरण सीमाओं) के साथ विभिन्न निवेश लेखपत्रों को निर्दिष्ट करते हुए निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। अंत में, अभिदाता को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद मोचन चरण में वार्षिकी का भुगतान किया जाता है।

1.6 वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का प्रदर्शन

सारणी 1.2 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली–वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान प्रदर्शन

सेक्टर	अभिदाताओं की संख्या			अंशदान राशि (रूपये करोड़)			प्रबंधन के अधीन आस्तियां (रूपये करोड़)		
	मार्च 14	मार्च 15	% वृद्धि	मार्च 14	मार्च 15	% वृद्धि	मार्च 14	मार्च 15	% वृद्धि
केन्द्र सरकार	1,357,589	1,511,528	11.34	20,029	27,458.07	37.09	24,188	36,737	51.88
राज्य सरकार	1,991,455	2,630,194	32.07	18,364	29,702.31	61.74	20,211	36,244	79.33
निजी सेक्टर	341,109	460,047	34.87	2,802	5,194	85.39	2,892	6,269	116.76
एनपीएस लाइट	2,816,027	4,146,880	47.26	793	1,380.00	73.93	844	1,606	90.25
योग	**6,506,180**	**8,748,649**	**34.47**	**41,988**	**63,734**	**51.79**	**48,135**	**80,855**	**67.98**

1) एनपीएस के अंतर्गत अभिदाताओं की संख्या

एनपीएस के अंतर्गत अभिदाताओं की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई जहां मार्च 2009 में यह संख्या 4.30 लाख थी वहीं मार्च अंत 2015 मे यह 87.48 लाख हो गई। अभिदाताओं की संख्या में यह वृद्धि शुरूआत के वर्षों (2009–10) में अधिक हुई क्योंकि केन्द्र और राज्य सरकार के वे कर्मचारी जिनका नामांकन 01.01.2004 के बाद लम्बित था उन्होंने एनपीएस के अंतर्गत पंजीकरण करवाना शुरू कर दिया। हालांकि, इसके बाद सी जी और एस जी के अंतर्गत अभिदाताओं के पंजीकरण की संख्या रूक जाने के बाद यह वृद्धि धीमी रही। कुल अभिदाता आधार में सरकारी सेक्टर के अभिदाताओं की संख्या का भाग जहां मार्च 2009 में 99 प्रतिशत था वहीं वह मार्च 2015 में गिरकर 47 प्रतिशत रह गया। सर्व नागरिक और स्वालम्बन अभिदाताओं की संख्या के अंश प्रतिशत मार्च 2011 के 26.30 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2015 में 52.87 प्रतिशत हो गया।

तालिका 1.6 : एनपीएस के अंतर्गत अभिदाताओं की वर्षवार संख्या

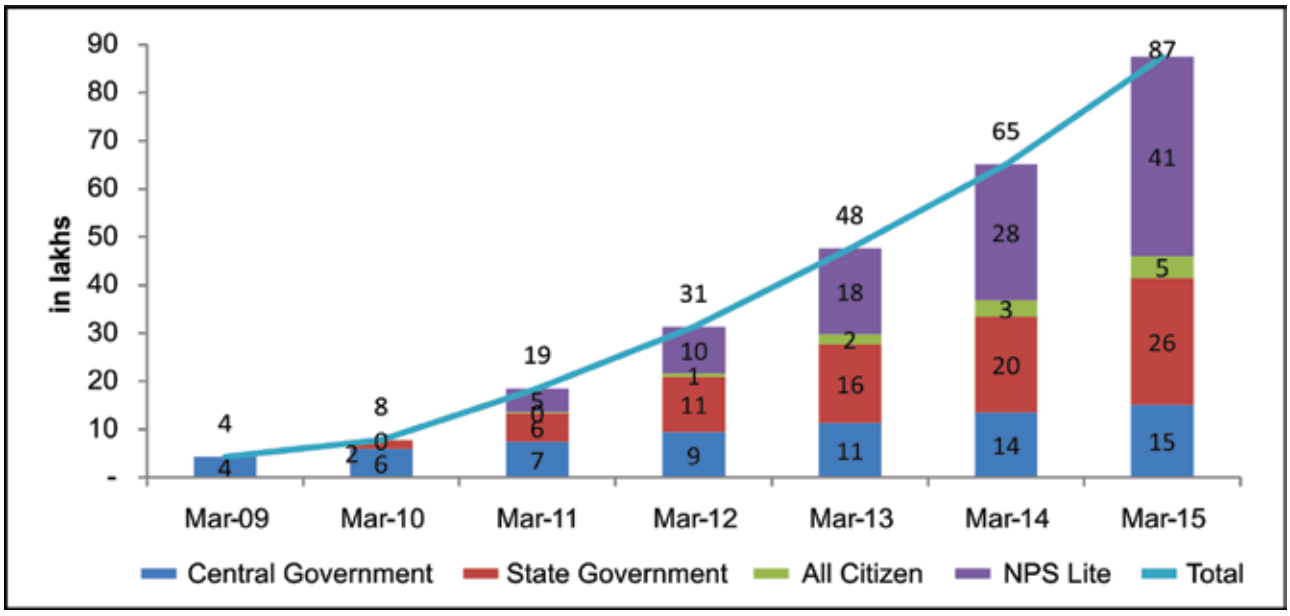

2) एनपीएस के अंतर्गत प्रबंधन के अंतर्गत आस्तियां

प्रबंधन के अधीन आस्तियां मार्च अंत 2009 के रूपये 2,277 करोड़ से बढ़कर मार्च अंत 2015 में रूपये 80,855 करोड़ हो गयी। एयूएम में यह वृद्धि कुछ सीमा तक अभिदाताओं द्वारा किये गये अंशदान के कारण और कुछ सीमा तक पोर्टफोलियो की मात्रा में वृद्धि के कारण हुई। अभिदाताओं द्वारा किये गये अंशदान में 52 प्रतिशत की वृद्धि के चलते वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान एयूएम में 68 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तालिका 1.7 : एनपीएस के अंतर्गत वर्षवार एयूएम

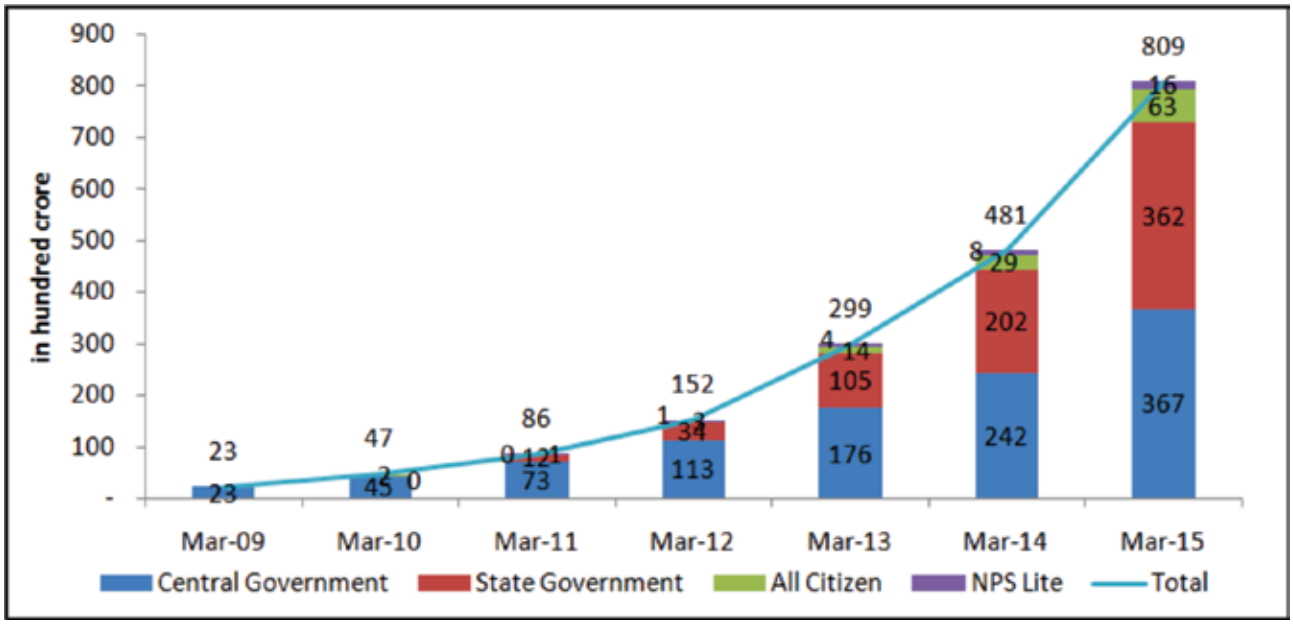

3) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में मासिकवार अभिदाताओं की संख्या

तालिका 1.8 वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान एनपीएस में मासिकवार अभिदाताओं की संख्या

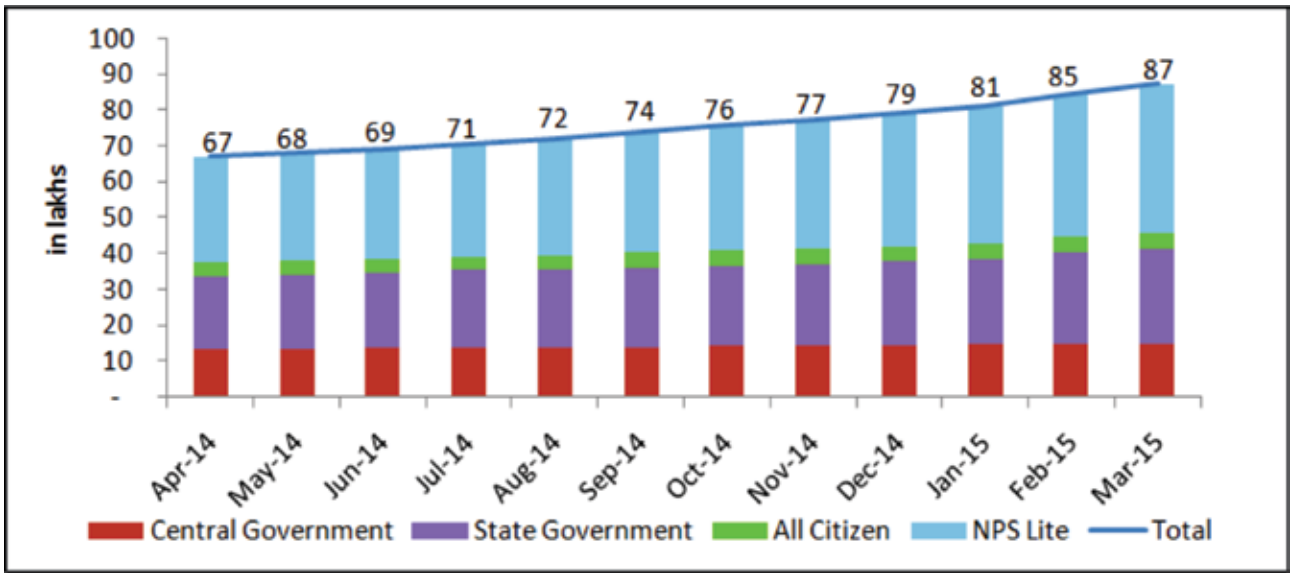

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान के 34.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए अभिदाताओं की संख्या 67 लाख से बढ़कर 87 लाख तक जा पहुंची। निजी सेक्टर और राज्य सरकार सेक्टर में वृद्धि के साथ अधिकांश वृद्धि एनपीएस लाइट/स्वावलम्बन में देखने को मिली। कुल अभिदाता आधार संख्या में सरकारी सेक्टर के अभिदाओं की संख्या मे वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान 51.5 प्रतिशत से घटकर 47.3 प्रतिशत रह गई। हालांकि, निजी सेक्टर के अंशभाग में 5.2 से 5.3 की मामूली वृद्धि हुई और वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान एनपीएस लाइटमें 43.3 प्रतिशत से 47.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

4) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत प्रबंधन के अधीन आस्तियां (एयूएम) और मासिकवार अंशदान

तालिका 1.9 : वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान एनपीएस में मासिकवार एयूएम और अंशदान

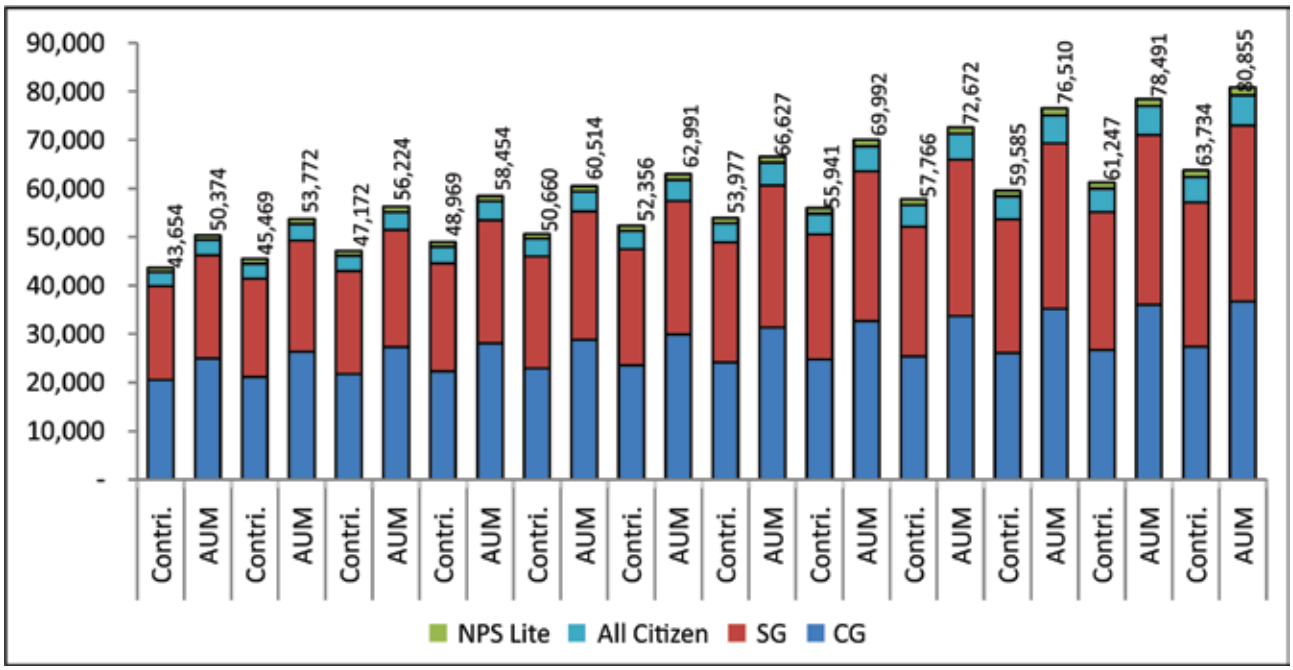

अभिदाताओं द्वारा एनपीएस में कुल अंशदान जहां मार्च अंत 2014 में 41,988 करोड़ रूपये था वहीं मार्च 2015 में यह 51.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता हुआ 63,734 करोड़ रूपये हो गया।

प्रबंधन के अधीन आस्तियां 68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2014 के 48,135 करोड़ रूपये से बढ़कर मार्च अंत 2015 में 80,855 करोड़ रूपये हो गई।

प्रति अभिदाता अंशदान जो कि मार्च 2014 में रूपये 0.65 लाख था वह मार्च 2015 मं 0.73 लाख रूपये हो गया। मुख्य रूप से सी जी सेक्टर के 1.82 लाख प्रतिवर्ष प्रति अभिदाता अंशदान के साथ सभी चार सेक्टरों में प्रति अभिदाता अंशदान में वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, एनपीएस लाईट में प्रति अभिदाता अंशदान रूपये 3300 प्रतिवर्ष दर्ज किया गया जो कि उनके अभिदाताओं के संपोषण के लिए समापक वर्षों में काफी कम है।

5) अंशदान में मासिकवार वृद्धि

तालिका 1.10 : वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान अंशदान में मासिकवार वृद्धि

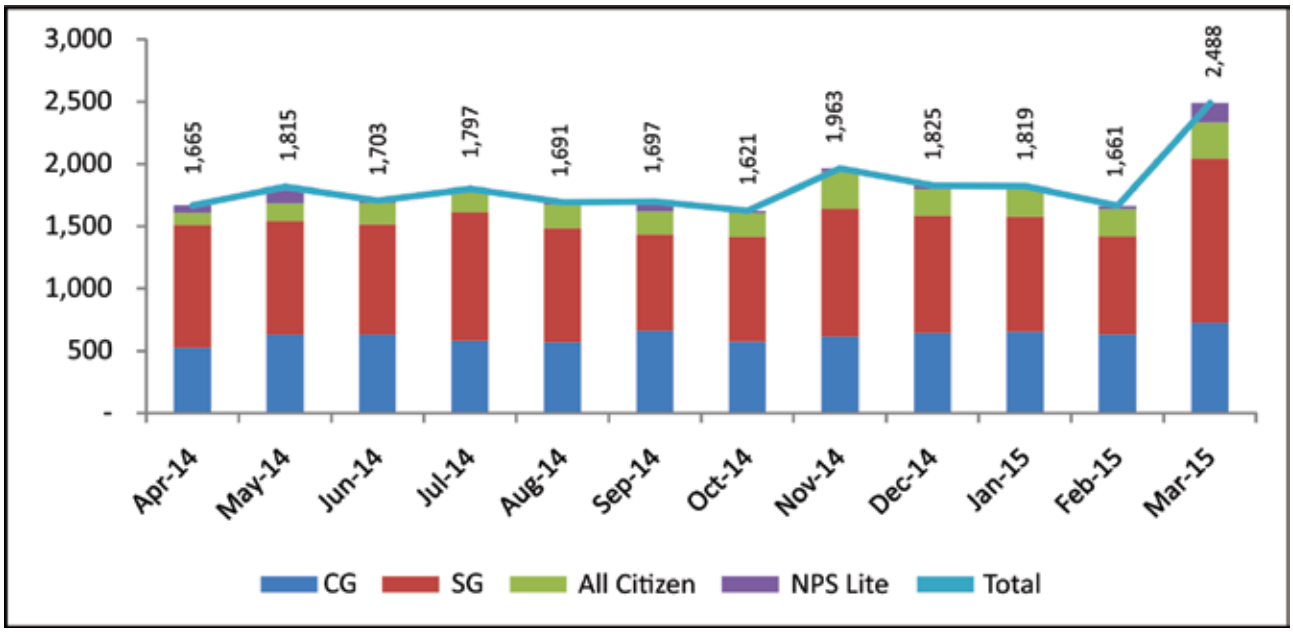

नवीन पंजीकरण के चलते अंशदान में अधिकांश वृद्धि एनपीएस लाइट में देखी गई।

एनपीएस के लिंगवार अभिदाता वर्णन

सारणी 1.3 विभिन्न सेक्टरों में एनपीएस अभिदाताओं की लिंगवार संख्या

(प्रतिशत में)

लिंग	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	निजी सेक्टर	एनपीएस लाइट	योग
महिला	**10**	**25**	**26**	**77**	**47**
पुरूष	90	75	74	23	53
योग	100	100	100	100	100

47 प्रतिशत एनपीएस अभिदाता महिलाएं है। एनपीएस लाइट में सबसे अधिक महिला अभिदाताओं संख्या के 77 प्रतिशत महिला अभिदाता हैं। निजी सेक्टर की कुल अभिदाता संख्या में 26 प्रतिशत हिस्सा महिला अभिदाताओं का है।

आयु–समूह वार एनपीएस अभिदाता

सारणी 1.4 विभिन्न सेक्टर में आयु–समूह वार एनपीएस अभिदाता

(प्रतिशत में)

आयु समूह	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	निजी सेक्टर	एनपीएस–लाइट	योग
18–30 वर्ष	57	36	55	16	31
30–40 वर्ष	33	42	27	34	36
40–50 वर्ष	8	18	13	34	23
50 वर्ष से अधिक	3	4	5	16	10
कुल योग	100	100	100	100	100

एनपीएस अभिदाताओं में अधिकांश अभिदाता 30 से 40 वर्ष की आयु समूह हैं। इसके बाद 18 से 30 वर्ष के आयु समूह के अभिदाताओं की संख्या है। हालांकि संगठित क्षेत्र जैसे– केन्द्र सरकार, राज्स सरकार और कॉरपोरेट सेक्टर के अभिदाता 18 से 30 वर्ष के आयु समूह के हैं। यह दर्शाता है कि 10 प्रतिशत मौजूदा एनपीएस अभिदाता वर्ष 2025 तक एनपीएस से निकास कर लेंगे, 23 प्रतिशत 2025 से 2035 तक और बाकि 2035 से वर्ष 2057 तक एनपीएस से निकास प्राप्त करेंगे।

1.7 अटल पेंशन योजना

भारत सरकार, गरीब कामगारों की वृद्धावस्था आय सुरक्षा को लेकर काफी संवेदशील हैं और उन्हें एनपीएस में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने और सामर्थवान बनाने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों, जो कि एनएसएसओ के 2011–12 के सर्वेक्षण के 66 वे चरण के अनुसार 47.29 करोड़ की संख्या के साथ कुल श्रमिक बल का 88 प्रतिशत है, उनके दीर्घकालिक जोखिम को हल करने और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 2010–11 में स्वावलम्बन योजना की शुरूआत की। 60 वर्ष की आयु मिलने वाले पेंशन लाभों की अस्पष्टता के कारणा उक्त योजना में पर्याप्त संख्या में लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। इसीलिए, असंगठित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय बजट 2015–16 में एक नई पेंशन योजना – अटल पेंशन योजना की घोषणा की गई। इसका प्रशासन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। एपीवाई के अंतर्गत अभिदाताओं को, उनके द्वारा किये गये अंशदान, कि योजना में उनके शामिल होने पर उनकी आयु पर निर्भर होगा, 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह रूपये 1000 से 5000 रूपये तक की निश्चित पेंशन प्राप्त होगी। एपीवाई में भाामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। इसलिए, एपीवाई के अंतर्गत अभिदाताओं द्वारा किये गये अंशदान की अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक होगी। नामिति को पेंशन निधि की वापसी के साथ अभिदाताओं तथा उसके बाद उसकी पत्नी/पति को मिलने वाले निश्चित पेंशन लाभ की गारंटी सरकार की है। 31 दिसम्बर 2015 से पहले योजना में शामिल होने वाले अभिदाताओं और जो आयकर प्रदाता नहीं है अथवा किसी संवैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभांवित नहीं है केन्द्र सरकार ऐसे योग्य अभिदाताओं के खाते में रूपये 1000 वार्षिक अथवा कुल अंशदान का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, का सह–अंशदान पांच वर्षों अर्थात 2015–16 से 2019–20 तक करेगी। इसे बैंक द्वारा अभिदाताओं के एपीवाई खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। अभिदाता के पास अभिदाता के बचत बैंक खाते से एपीवाई में ऑटो डेबिट के जरिये मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक अंशदान के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए। 18 से 40 वर्ष की आयुवर्ग के मौजूदा स्वावलम्बन अभिदाता एपीवाई में स्थानांतरित किये जायेंगे। सार्वजनिक सेक्टर और निजी सेक्टर के सभी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और शहरी ग्रामीण कॉपरेटिव बैंक अभिदाताओं के पंजीकरण के लिए सीबीएस प्लेटफार्म पर एपीवाई सेवा प्रदाताओं के रूप में पंजीकृत होने के योग्य हैं।

एपीवाई के निधिकरण : सरकार (1) अंतराल निधिकरण के प्रावधान के साथ अभिदाताओं के लिए न्यूनतम पेंशन गारंटी (2) योग्य अभिदाताओं को पांच वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2019–20 तक कुल अंशदान का पचास प्रतिशत अथवा 1000 रूपये वार्षिक जो भी कम हो, का सह–अंशदान (3) एपीवाई में शामिल होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अंशदान संकलन एजेंसियों जैसे बैंकों /बैंकिंग समतुल्य को प्रोत्साहन राशि सहित प्रचार और विकासात्मक गतिविधियों पर किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति करेगी।

1.8 अधिनियम के अंतर्गत शामिल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य पेंशन योजना के कामकाज से संबंधित नीतियां और कार्यक्रम

क) पीएफआरडीए द्वारा उठाये गये कदम

पीएफआरडीए द्वारा परिपत्र संख्या पीएफआरडीए/2015/16/पीएफएम/7 दिनांक 3.06.2015 को जारी परिपत्र के माध्यम से एनपीएस योजनाओं (सी जी योजनाओं, एस जी योजना, कॉरपोरेट सी जी और एनपीएस की एनपीएस लाइट योजनाओं और अटल पेंशन योजना पर लागू) के लिए संशोधित निवेश संबंधी दिशा निर्देशा जारी किये हैं जो 10 जून 2015 से प्रभावी हैं।

सारणी 1.5 योजना सी जी, योजना एस जी, कॉरपोरेट सी जी , एनपीएस की एनपीएस लाइट योजना और अटल पेंशन योजना के लिए निवेश संबंधी संशोधित दिशा निर्देश

श्रेणी	निवेश पद्धति	निवेश की जाने वाली प्रतिशत राशि
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	50% तक
(ii)	ऋण लेख पत्र और संबंधित निवेश	45% तक
(iii)	लघु अवधि ऋण लेख पत्र और संबंधित निवेश	5% तक
(iv)	शेयर और संबंधित निवेश	15% तक
(v)	आस्ति आधारित, न्यास संरचना और विविध निवेश	5% तक

1. बाजपेयी समिति की सिफारिशों के अनुसार आरईआईटीएस, आईएनवीआईटी जैसे नये आस्ति वर्गों को शामिल किया गया है।

2. अभिदाताओं के एनपीएस निवेश में संकेन्द्रण जोखिम को कम करने के लिए सरकारी एनपीएस योजनाओं (सरकारी सेक्टर, कॉरपोरेट सीजी और एनपीस की एनपीएस लाइट योजना और अटल पेंशन योजना पर लागू) प्रायोजक समूह को प्रकटीकरण, शेयर प्रकटीकरण, ऋण प्रकटीकरण, के रूप में प्रतिबंधों/निस्यंदकों को लागू किया गया है।

केन्द्रीय बजट 2015 – 16 – पेंशन सेक्टर के लिए घोषणाएं

1) केन्द्रीय बजट 2015–16 में कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में यह घोषणा की गई है कि कर्मचारियों को दो विकल्प उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, पहला, कर्मचारी ईपीएफ अथवा नई पेंशन प्रणाली में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, दूसरा यह, कि वे कर्मचारी जिनकी मासिक आय एक निश्चित सीमा से कम है उनके लिए ईपीएफ में अंशदान, कर्मचारी के अंशदान को कम किये बगैर और उसे प्रभावित किये बगैर, वैकल्पिक होना चाहिए। यह कर्मचारियों को ईपीएफ और एनपीएस का चुनाव करने की सुविधा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इसके क्रियान्वयन में अभी कुछ निश्चित मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है। ईपीएफ के अंतर्गत, नियोक्ता जिसके पास 20 या उसके अधिक कर्मचारी हैं , वे कर्मचारी जिनकी मासिक आय 15,000 से अधिक है को उनके कर्मचारी पीएफ का अंशदान करना अनिवार्य है।

2) आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीडी (1) और अनुच्छेद 80 सीसीई के अंतर्गत 1,50,000 की उपरी सीमा तहत अभिदाता के वेतन का 10 प्रतिशत भाग कर छूट योग्य है। वित्तीय बिल 2015 के पास होने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 80 सीसीडी (1 ख) के अंतर्गत एनपीएस में निवेश करने पर 50,000रूपये की अतिरिक्त कटौती की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जो अनुच्छेद 80 सीसीई की 1,50,000 रूपये की उपरि सीमा के अतिरिक्त है।

संसद द्वारा पारित बीमा कानून (संसोधन) विधयेक, 2015

बीमा कानून (संशोधन) बिल, 2015 में संसोधन के परिणामस्वरूप भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियों निवेश सीमा के सभी रूपों सहित संयुक्त विदेशी शेयर निवेश को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, अनुच्छेद 24 के अनुसार पेंशन निधि में विदेशी निवेश सीमा, बीमा सेक्टर में निवेश की सीमा के समान ही रहेगी, और इस प्रकार पेंशन निधियों में भी 49 प्रतिशत तक विदेशी निवेश किया जा सकता है।

अध्याय–2

एनपीएस के अंतर्गत निधियों का निवेश

2.1 योजनाएं

वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निम्न योजनाएं सक्रिय हैं :

क. सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू योजनाएं

1. केन्द्र सरकार योजना
2. राज्य सरकार योजना

ख. सभी नागरिकों के लिए लागू योजनाएं

1. योजना – ई (टीयर । और टीयर ।।)
2. योजना – सी (टीयर । और टीयर ।।)
3. योजना – जी (टीयर । और टीयर ।।)
4. एनपीएस लाईट योजना *

2.2 निवेश संबंधी दिशा–निर्देश

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और एनपीएस–लाइट योजनाओं के लिए वित्तीय प्रतिभूतियों के विभिन्न श्रेणियों में निवेश के लिए प्रकटीकरण सीमाएं निम्न है:–

सारणी – 2.1 : विभिन्न वित्तीय साधनों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और एनपीएस लाईट योजनाओं के लिए निवेश संबंधी प्रकटीकरण सीमाएं

क्रम संख्या	श्रेणी	निवेश की जाने वाली एयूएम का प्रतिशत	
		10.06.2015 से पूर्व	10.06.2015 से प्रभावी
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां	55 % तक	50% तक
(ii)	ऋण प्रतिभूतियां	40% तक	45% तक
(iii)	मुद्रा बाजार लेखपत्र/लघु अवधि ऋण और सम्बंधित लेखपत्र	5% तक	5% तक
(iv)	शेयर और संबंधित निवेश	15 % तक	15% तक
(v)	आस्ति बैक्ड, न्यास संरचना और विविधा निवेश	-	5% तक

पीएफआरडीए द्वारा विभिन्न एनपीएस योजनाओं के लिए समय–समय पर जारी विस्तृत दिशा निर्देश पीएफआरडीए की वेबसाइट www.pfrda.org.in पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त किसी समूह/सेक्टर/स्वामित्व संस्थान के लिए प्रकटीकरण/संकेन्द्रण को प्रतिबंधित करने को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक योजना में प्रायोजक समूह कंपनियों को सभी समूह कंपनियों के प्रदत्त भोयर पूंजी का 5 प्रतिशत अथवा शेयर प्रकटीकरण के अंतर्गत कुल एयूएम का 5 प्रतिशत जो भी कम हो, सभी गैर प्रयोजित समूह कंपनियों का प्रदत्त शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत अथवा शेयर प्रकटीकरण के अंतर्गत कुल एयूएम का 10 प्रतिशत जो भी कम हो, का प्रावधान किया गया है।

यदि कॉरपोरेट सेक्टर अथववा सर्वनागरिक क्षेणी का कोई निवेशक किसी निश्चित निवेश पद्धति को नहीं अपनाता है और अपने एनपीएस पोर्टफोलियो का जीवन चक्र अथवा डिफॉल्ट विकल्प में विभिन्न वर्गों में निवेश किया है इस प्रकार होगा :

* इस योजना में एनपीएस स्वावलम्बन योजना और अटल पेंशन योजना शामिल है और निवेश पद्धति केन्द्र सरकार योजना के अनुरूप है।

(i) जीवनचक्र निधि की निवेश पद्धति* (डिफॉल्ट विकल्प)

सारणी 2.2 : जीवनचक्र निधि की निवेश पद्धति (डिफॉल्ट विकल्प)

आयु	आस्ति वर्ग ई (%)	आस्ति वर्ग सी (%)	आस्ति वर्ग जी (%)
35 वर्ष तक	50	30	20
36 वर्ष	48	29	23
37 वर्ष	46	28	26
38 वर्ष	44	27	29
39 वर्ष	42	26	32
40 वर्ष	40	25	35
41 वर्ष	38	24	38
42 वर्ष	36	23	41
43 वर्ष	34	22	44
44 वर्ष	32	21	47
45 वर्ष	30	20	50
46 वर्ष	28	19	53
47 वर्ष	26	18	56
48 वर्ष	24	17	59
49 वर्ष	22	16	62
50 वर्ष	20	15	65
51 वर्ष	18	14	68
52 वर्ष	16	13	71
53 वर्ष	14	12	74
54 वर्ष	12	11	77
55 वर्ष	10	10	80

* डिफॉल्ट विकल्प के मामले में, आस्ति वर्गों के मध्य पुर्नआबंटन अभिदाता की जन्म तिथि पर होगा। निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) को नियमित आधार पर जारी किया जाएगा ताकि निवेशक सही निर्णय लेने में समर्थ हो सकें।

योजना ई के अंतर्गत अधिकतम एयूएम के 50 प्रतिशत इक्विटी भाग के निवेश की अनुमति है। योजना सी और जी के अंतर्गत संबंधित श्रेणियों जैसे कॉरपोरेट ऋण अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में योजना के एयूएम का 100 प्रतिशत तक अधिकतम निवेश किया जा सकता है।

2.3 निवेश की विभिन्न श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य योजनाओ का प्रकटीकरण

उपरोक्त वर्णित निवेश संबंधी दिशा निर्देशों के मददेनजर 31 मार्च 2015 को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय लेखपत्रों का वास्तविक प्रकटीकरण निम्न है :–

सारणी 2.3 : विभिन्न साधनों में एनपीएस का प्रकटीकरण

प्रतिभूति का प्रकार	राशि करोड़ में	निवेश का प्रतिशत
जी – सेक्टर प्रकटीकरण	39651	49.04
एसडीएल प्रकटीकरण	2876	3.56
कॉरपोरेट बॉन्ड	27092	33.51
शेयर प्रकटीकरण	8247	10.20
मुद्रा बाजार	433	0.54
एफडी	597	0.74
निवल चालू आस्ति	1959	2.42
कुल एयूएम	80855	100.00

तालिका 2.1 : 31 मार्च 2015 को एनपीएस आस्तियों का वर्गीकरण

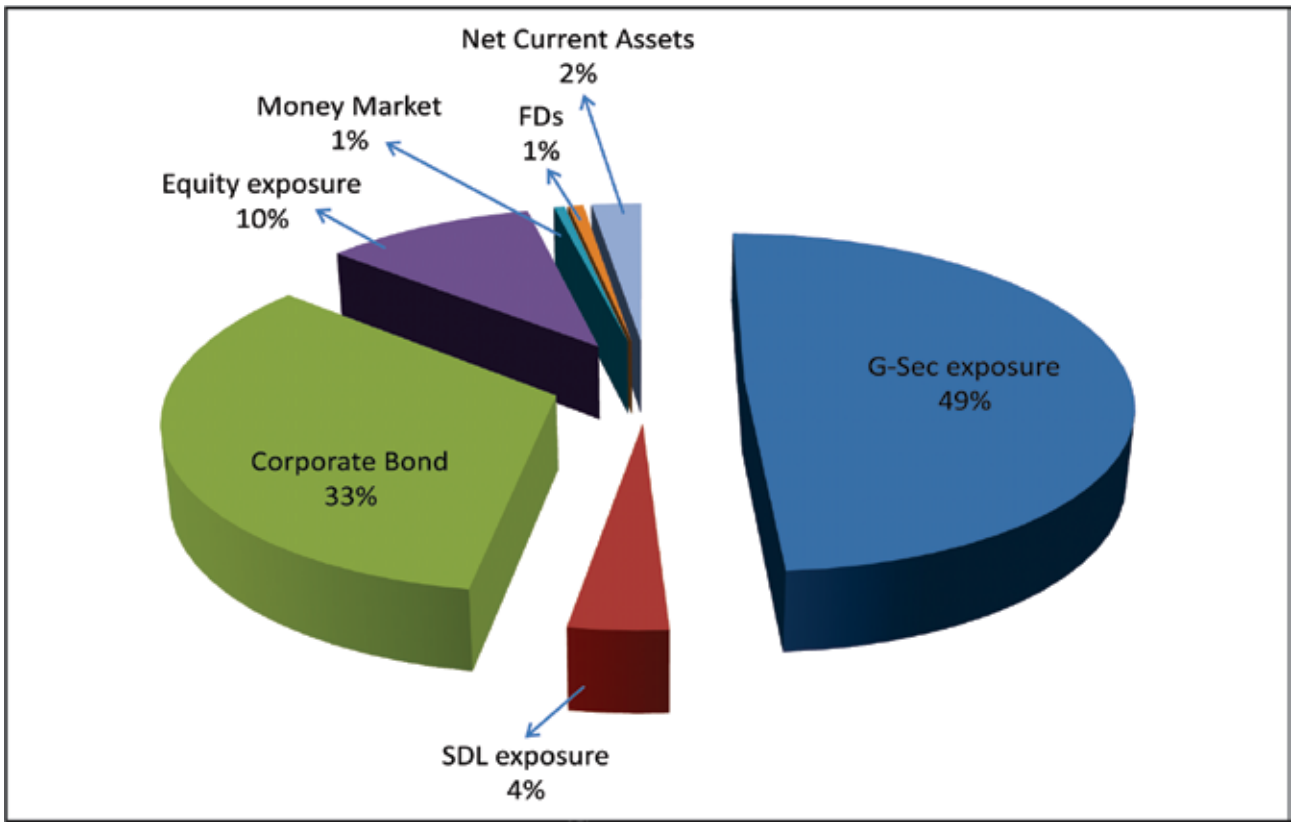

सारणी 2.4 : 31 मार्च 2015 को विभिन्न पेंशन निधियों का योजनाओं का राष्ट्रीय प्रतिलाभ

योजना	अवधि	एसबी आईपी एफ	एलआईसी पीएफ	यूटी आई आर एलएल	कोटक पीएफ	आईसी आईसी आई पीएफ	रिलायंस पीएफ	एचडी एफसी पीएफ
सी जी	1 वर्ष अर्थात 2014–15	19.34	18.85	18.58	-	-	-	-
	प्रारंभ से	10.59	10.24	10.06	-	-	-	-
एस जी	2014–15	19.76	19.32	18.82	-	-	-	-
	प्रारंभ से	10.08	10.42	10.17	-	-	-	-
एनपीएस–लाईट	2014–15	19.55	19.35	19.20	19.23	.	.	.
	प्रारंभ से	11.56	11.38	11.54	8.06	.	.	.
आस्ति वर्ग ई	2014–15	28.24	27.22	29.74	28.41	28.65	28.30	28.63
	प्रारंभ से	10.55	23.64	13.17	11.90	13.71	12.46	29.36
आस्ति वर्ग सी	2014–15	15.71	15.35	15.09	15.22	15.72	15.04	15.20
	प्रारंभ से	11.50	13.35	9.69	11.12	11.22	9.34	13.21
आस्ति वर्ग जी	2014–15	20.68	20.87	20.18	19.63	20.75	20.24	19.88
	प्रारंभ से	10.24	15.32	8.65	8.63	8.95	8.29	13.50
आस्ति वर्ग ई-**II**	2014–15	28.48	21.30	31.04	28.12	28.66	28.25	22.77
	प्रारंभ से	10.11	11.23	10.41	10.77	10.47	10.60	18.17
आस्ति वर्ग सी-**II**	2014–15	15.78	12.29	15.30	15.19	15.91	14.97	9.51
	प्रारंभ से	11.07	9.67	9.95	9.50	11.30	9.02	9.32
आस्ति वर्ग ईजी-**II**	2014–15	20.49	19.88	20.27	19.90	20.70	20.44	19.45
	प्रारंभ से	10.49	15.72	10.03	8.39	9.39	8.63	14.97

वर्ष 2014–15 के दौरान एनपीएस योजनाओं के प्रबंधन के दौरान पेंशन निधियों ने केन्द्र सरकार की योजनाओं के लिए 18.99 प्रतिशत, राज्य सरकार की योजना के लिए 19.35 प्रतिशत और एनपीएस लाइट योजना के लिए 19.43 प्रतिशत, कॉरपोरेट सी जी योजनाओं के लिए 19.94 प्रतिशत, योजना ई के लिए 28.28 प्रतिशत, योजना सी के लिए 15.44 प्रतिशत और योजना जी के लिए 20.35 प्रतिशत भारित औसत प्रतिलाभ सृजित किया। इसकी गणना पेंशन निधियों द्वारा घोषित योजना निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर की गई।

प्रारंभ से भारित मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर योजना के निवल आस्ति मूल्य से प्राप्त योजना प्रतिलाभ केन्द्र सरकार योजना के लिए 10.46 प्रतिशत, राज्य सरकार योजना के लिए 10.37 प्रतिशत, एनपीएस लाइट योजना के लिए 11.78 प्रतिशत, कॉरपोरेट सी जी योजना के लिए 11.58 प्रतिशत, योजना ई के लिए 13.04 प्रतिशत, योजना सी के लिए 11.53 प्रतिशत और योजना जी के लिए 10.18 प्रतिशत रहा।

अध्याय–3

प्राधिकरण के संवैधानिक कार्य

3.1 मध्यवर्तियों का विनियमन

पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 14 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा पेंशन योजनाओं के विनियमन, प्रसार तथा क्रमबद्ध विकास के लिए प्राधिकरण की शक्तियों एवं कार्यों को निर्धारित किया गया है जिससे इस प्रकार की योजनाओं तथा प्रणाली के अभिदाताओं के हितों की रक्षा की जा सके।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य पेंशन योजनाओं का परिचालन पीएफआरडीए द्वारा विभिन्न संस्थाओं जैसे केन्द्र और राज्य सरकार के वेतन एवं लेखा कार्यालय/कोष कार्यालय जो सरकारी कर्मचारियों के पंजीकरण और उनके अंशदान को एनपीएससीएएन पर अपलोड करने के लिए उत्तरदायी है, उपस्थिति अस्तित्व के रूप में बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई इत्यादि जो कि कॉरपोरेट, निजी सेक्टर और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के पंजीकरण और उनके अंशदान एनपीएस में अपलोड करने के लिए उत्तरदायी है, संकलनकर्ता, जो समाज के सबसे निचले तबके के अभिदाता विशेषकर अनौपचारिक सेक्टर के अधिभावी अभिदाताओं तक एनपीएस के प्रसार में सहायता करते हैं, सीआरए जो कि व्यक्तिगत पेंशन खातों जिन्हें प्रान कहा जाता है, के अभिलेखपालन के लिए जिम्मेदार हैं और एनपीएस संरचना में संयोजक की भूमिका निर्वाह करता है, न्यासी बैंक दिन प्रति दिन होने वाले निधि प्रवाह और बैंककारी सुविधाओं के लिए उत्तरदायी है, पीएफएम जिन्हें एनपीएस में शामिल अभिदाताओं की पेंशन आस्तियों को प्रबंधित करने और निवेश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और अभिदाताओं को मासिक पेंशन उपलब्ध कराने हेतु पीएफआरडीए के साथ सूचीबद्ध एएसपी द्वारा किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान पीओपी, न्यासी बैंक, सकंलकर्ता और एनपीएस न्यास से संबंधित अधिसूचनाओं को अधिसूचित किया गया।

1. पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम 2015
2. पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम 2015
3. पीएफआरडीए (न्यासी बैंक) विनियम 2015
4. पीएफआरडीए (संकलनकर्ता) विनियम 2015

अन्य मध्यवर्तियों से संबंधित विनियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया का कार्य जारी है। पंजीकृत मध्यवर्तियों का विवरण अनुसूचियों से प्राप्त किया जा सकता है।

ये विनियम संस्थाओं – पीओपी, सीआरए, टी बी, पीएफएम इत्यादि के पंजीकरण और चयन के पात्रता मानदंडों, उनके कार्यों, भूमिका और उत्तरदायित्वों, परिचालन के प्रावधानों, विनियमों के अनुपालन और व्यतिक्रम की दशा में शास्ति को निर्धारित करते हैं। इन विनियमों के निर्माण के दौरान अभिदातओं के हितों के उद्देश्यों, पारदर्शिता और निष्पक्षता को ध्यान में रखा गया है।

पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 27 के अनुसार कोई भी मध्यवर्ती, इस अधिनियम के अधीन विनियमित होने के विस्तार तक, इस अधिनियम के उपबंधों और विनियमों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्रों की शर्तों के अधीन या उनके अनुसार पेंशन निधि संबंधी कोई कियाकलाप प्रारंभ नहीं करेगा। प्राधिकरण की स्थापना से पूर्व अंतरिम पीएफआरडीए द्वारा पंजीकृत सभी मध्यवर्तियां, जिसके लिए स्थापना से पूर्व कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं था, ऐसी स्थापना के छः माह की अवधि तक या यदि उसने छः माह की उक्त अवधि के भीतर ऐसे रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आवेदन किया है तो आवेदन का निपटान होने तक, ऐसा करना जारी रख सकेगा। स्पैनको लि0 और सहज ए विपेज नामक दो संकलनकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण, नवीकरण के लिए वित्तीय संवहनीयता के पात्रता मानदंडों को पूरा न करने के कारण निरस्त कर दिया गया था।

3.2 पेंशन योजनाओं का पंजीकरण और विनियमन

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकरण को अधिनियम के अनुच्छेद 12 की उप धारा (1) के उप खंड (ख) के अंतर्गत उल्लेखित अन्य पेंशन योजनाओं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को ऐसी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने, उनके नियमों व शर्तों, पेंशन निधियों के निधि के प्रबंधन के लिए नियमों को निर्धारित करने, ऐसी योजना के अंतर्गत मार्गदर्शक सिद्धांतो और पेंशन निधियों की विभिन्न योजनाओं में अभिदाताओं के अंशदान की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अभिदाताओं के हितो की रक्षा करने के लिए उन्हें विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है।

तदनुसार भारतीय सीमा में परिचालित वार्षिकी और सेवानिवृत्त निधियों सहित सभी पेंशन निधि और योजना को अपने परिचालन और गठन, उनकी योजना के अंतर्गत शामिल अभिदाताओं की संख्या, नियमों और नामांकन की शर्तों से संबंधित दस्तावेजों को प्राधिकरण के पास जमा कराने से संबंधित एक नोटिस जारी किया गया है।

3.3 अभिदाताओं के निकास संबंधी रिपोर्ट

3.3.1 आंशिक प्रत्याहरण

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 20 (2 ख) के अनुसार व्यक्ति पेंशन लेखा से प्रत्याहरण को, जो अभिदाता द्वारा किये गये अंशदान के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का नहीं होगा, ऐसी शर्तों, जैसे कि प्रयोजन, अंतराल और परिसीमाएं, रहते हुए जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, अनुज्ञात होगा। पीएफआडीए ने आंशिक आहरण की शर्तों के साथ निकास और प्रत्याहरण के लिए विनियम को अधिसूचित किया है। पीएफआरडीए (निकास और प्रत्याहरण) विनियम के अनुसार एनपीएस में शामिल होने के 10 वर्ष पूरे करने पर ऐसा आंशिक प्रत्याहरण बच्चों की उच्च शिक्षा और उनकी शादी, मकान के निर्माण व खरीद और निर्दिष्ट बीमारियों के ईलाज जैसे प्रयोजनों के लिए, किये गये अंशदान के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक अनुज्ञात होगा। बीमारी के अतिरिक्त, किन्ही दो आहरणों में पांच वर्षों के अंतराल की शर्त के अधीन अधिकतम ऐसे तीन प्रत्यारण अनुज्ञात होंगे।

3.3.2 स्वीकृत, निपटान और बकाया प्रत्याहरण दावों की संख्या

अभिदाता निम्न शर्तों के अध्यधीन एनपीएस से निकास कर सकता है : हालांकि प्रत्येक परिस्थिति में निकास भिन्न होगा, जैसा निर्धारित किया गया है:–

1. 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर (अधिवार्षिता) : अभिदाता के संचित पेंशन धन में से कम से कम चालीस प्रतिशत भाग का उपयोग, मासिक पेंशन का उपबंध करने के लिए वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के पश्चात संचित पेंशन धन के अतिशेष का एकमुश्त रूप से अभिदाता को भुगतान कर दिया जाता है। हालांकि अभिदाता के पास एकमुश्त आहरण को 70 वर्ष की आयु तक आस्थगित करने का विकल्प मौजूद है।
2. 60 वर्ष की आयु से पूर्व किसी भी समय (अपरिपक्व): संचित पेंशन राशि के लगभग 80 प्रतिशत भाग का इस्तेमाल अभिदाता को मासिक पेंशन उपलब्ध कराने के लिए वार्षिकी की खरीद के लिए किया जाएगा और अभिदाता को बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान कर दिया जाता है।
3. अभिदाता की मृत्यु होने पर : समग्र पेंशन राशि (100 प्रतिशत) को अभिदाता के नामिति/कानूनी हकदार को कर दिया जाएगा और किसी प्रकार की वार्षिकी की खरीद नहीं की जाएगी।

स्वालम्बन योजना में शामिल अभिदाता उक्त 1 और 2 के अंतर्गत इस अधिभावी शर्त के साथ कि यदि 40 प्रतिशत/80 प्रतिशत पेंशन राशि का इस्तेमाल करने पर भी मासिक पेंशन रूपये 1000 से कम होती है तो देय एकमुश्त पेंशन राशि का समग्र रूप से वार्षिकीकरण कर दिया जाए, प्रत्याहरण करते हैं।

सारणी 3.1 31 मार्च 2015 को एनपीएस से सेक्टरवार प्रत्याहरण

सेक्टर	प्रत्याह रण का प्रकार	वर्ष (मार्च 2014) के अंत में लम्बित	2014–15 के दौरान प्राप्त	2014–15 के दौरान निपटान	वर्ष (मार्च 2015) के अंत में लम्बित
केन्द्र सरकार	मृत्यु	280	377	107	550
	अपरिपक्वता	578	1513	995	1096
	अधिवार्षिता	297	682	632	347
राज्य सरकार	मृत्यु	397	813	405	805
	अपरिपक्वता	69	152	91	130
	अधिवार्षिता	1023	1958	2012	969
सर्व नागरिक	मृत्यु	24	44	27	41
	अपरिपक्वता	53	53	49	57
	अधिवार्षिता	129	244	138	235
कॉरपोरेट	मृत्यु	12	104	71	45
	अपरिपक्वता	15	184	125	74
	अधिवार्षिता	10	417	339	88
एनपीएस लाईट	मृत्यु	280	778	460	598
	अपरिपक्वता	20	89	7	102
	अधिवार्षिता	43	512	182	373
	योग	3230	7920	5640	5510

अपूर्ण दस्तावेजों, सीआरए प्रणाली के अनुसार अभिदाताओं के नाम में भिन्नता और अभिदाताओं द्वारा केवाईसी दस्तावेज, बैंक साक्ष्य न जमा कराना इत्यादि कारणो से आवेदन लम्बित हैं।

3.3.3 वार्षिकी सेवा प्रदाताओं का विवरण और वार्षिकी योजनाएं

वार्षिकी एक वित्तीय साधन है जो जमा एकमुश्त राशि के एवज में अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करती है। एनपीएस से निकासी के समय, अभिदाता को मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं से वार्षिकी खरीदना अनिवार्य है।

वार्षिकी सेवा प्रदाता वे बीमा कंपिनियां हैं जिन्हें आईआरडीए द्वारा लाईसेंन्स प्रदान करने और विनियमित करने का कार्य किया जाता है और जिन्हें एनपीएस अभिदाताओं की वार्षिकी–सेवाओं की आवश्कताओं की पूर्ति के पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध किया गया है और जो भारत में, वार्षिकी व्यवसाय संव्यवहार का निष्पादन करती हैं। 31 मार्च 2015 तक एनपीएस अभिदाताओं को निम्न 7 एएसपी वार्षिकी सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं :–

- भारतीय जीवन बीमा निगम
- एसबीआई लाइफ इंश्योरेन्स कम्पनी लि0
- आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल लाइफ इंश्योरेन्स कम्पनी लि0
- एचडीएफसी स्टैन्डर्ड लाइफ इंश्योरेन्स कम्पनी लि0
- बजाज आलियान्ज लाइफ कम्पनी लि0
- रिलायंस लाइफ इंश्योरेन्स कम्पनी लि0
- स्टार यूनियन डाई–इची लाइफ इंश्योरेन्स कम्पनी लि0

इन वार्षिकी सेवा प्रदाताओं पर विवेकपूर्ण विनियमन और निगरानी का कार्य बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अभिदाताओं के पास वार्षिकियों के प्रकार और वार्षिकी सेवा प्रदाता को चुनने का विकल्प मौजूद है। अभिदाता संबंधित वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई योजनाओं में से अपनी आवश्यकतानुसार वार्षिकी के प्रकार–योजना का चुनाव कर सकता है। वर्तमान में वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा सामान्यतः निम्न प्रकार की वार्षिकियां (पेंशन) प्रदान की जाती हैं:–

i) आजीवन देय वार्षिकी/पेंशन।
ii) निश्चित वार्षिकी 5, 10, 15, और 20 वर्षो तक तथा उसके बाद वार्षिकीकर्ता की मृत्यु तक देय वार्षिकी।
iii) आजीवन वार्षिकी और वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर खरीद मूल्य के वापस होने वाली वार्षिकी ।
iv) प्रत्येक वर्ष 3 प्रतिशत की सामान्य दर से वृद्धि के साथ जीवन भर के लिए वार्षिकी।
v) आजीवन वार्षिकी एवं वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर उसके नामिति पति/पत्नी को 50 प्रतिशत वार्षिकी का आजीवन भुगतान।
vi) आजीवन वार्षिकी एवं वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर उसके नामिति पति/पत्नी को 100 प्रतिशत वार्षिकी का आजीवन भुगतान।
vii) आजीवन वार्षिकी एवं वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर उसके नामिति पति/पत्नी को 100 प्रतिशत वार्षिकी का आजीवन भुगतान और आखिरी वार्षिकीकर्ता की मृत्यु होने पर खरीद मूल्य की वापसी।

3.4 अभिदाताओं की सुरक्षा संबंधी गतिविधियां

पीएफआरडीए ने सभी अभिदाताओं के लिए विनियमों के माध्यम से निम्न अधिकारों और सुरक्षाओं को सुनिश्चित किया है:

i) व्यवसायिक तत्परता की आवश्यकता
ii) वित्तीय संविदाओं में अनैतिक भार्तों से सुरक्षा
iii) भ्रामक और अनुचित व्यवहार सहित अनैतिक व्यवहार से सुरक्षा
iv) व्यक्तिगत सूचना और गोपनीयता की सुरक्षा
v) निरंतरता आधार और प्रारम्भिक स्तर दोनों पर उचित प्रकटीकरण की अपेक्षा और
vi) प्रत्येक वित्तीय सेवा प्रदाता के पास अपने सभी ग्राहकों के लिए आसानी से अभिगम्य प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की अपेक्षा

प्राधिकरण ने पेंशन निधि, राष्ट्रीय पेंशन न्यास, न्यासी बैंक, केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग संस्था, प्रतिभूतियों के अभिरक्षक, एग्रीगेटर, प्वाइंट ऑफ प्रेजेंन्स और अभिदाताओं की शिकायत निवारण के संदर्भ में विनियमों का निर्माण किया है। इन विनियमों के निर्माण के दौरान अभिदाताओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अभिदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए एनपीएस प्रणाली को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए विनिमार्ण के निर्माण के दौरान अत्यन्त सावधानी बरती गयी है। प्रत्येक प्रकार के पोर्टफोलियों के लिए निर्धारित निकासी सीमाओं के साथ निधियों के निवेश का विवेकपूर्ण तरीके से विनियमन किया जाता है। एकल समूह और संबंधित समूह, उद्योग, संसाधन आदि में निवेश सीमाओं के अंतर्गत निधियों का विविधतापूर्ण निवेश किया जाता है।

अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए, पीएफआरडीए अधिनियम के अनुच्छेद 41 (1) के अनुसार किसी अनुदान, दान जुर्माना आदि के साथ पीएफआरडीए अभिदाता शिक्षा और सुरक्षा कोष स्थापित किया गया है। जिसका प्रयोग अभिदाताओं के हितों को सुरक्षा प्रदान करने और उनके मध्य शिक्षा और जागरूकता के प्रसार के लिए किया जाता है।

3.5 अभिदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र

पीएफआरडीए (अभिदाताओं की शिकायतों का निवारण) विनियम 2015 को 29 जनवरी 2015 को अधिसूचित किया गया है। अभिदाता शिकायत निवारण विनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य पेंशन योजनाओं की मध्यवर्ती संस्थाओं द्वारा अन्य विषयों के साथ – साथ अभिदाता शिकायत निवारण के लिए दिशा निर्देशों के द्वारा सुपरिभाषित शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से निर्धारित समयसीमा में अभिदाताओं के हितों में शिकायतों के निवारण के लिए रूपरेखा तैयार करना है जिसमें प्रशासनिक जांच अधिकारी की नियुक्ति, अभिदाताओं द्वारा अपील एवं दण्ड का प्रावधान शामिल है। पीएफआरडीए सुगम और प्रभावी

कियान्वयन के लिए तकनीक युक्त मंच और सभी सेवा कर्मियों के मन में स्थापित गुणवत्ता बोध तथा एनपीएस संरचना से जुड़ी मध्यवर्ती संस्थाओं के माध्यम से गुणवत्ता–सुधार के लिए प्रयासरत है।

केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग संस्था के अधीन एनपीएस में एक बहु–स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है जो कि बेहद सरल, तीव्र, निश्पक्ष, प्रतिक्रियात्मक और प्रभावी है। अभिदाता कॉल सेंटर, अंतर आवाज प्रतिक्रिया प्रणाली (आईवीआर) और निर्धारित प्रपत्रों के जरिये अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अभिदाता सीआरए द्वारा संचालित केन्द्रीय शिकायत निगरानी प्रणाली के माध्यम से अपनी दर्ज कराई गई शिकायत की स्थिति की जांच सीआरए की वेबसाइट www.cransdl.co.in पर कर सकते हैं साथ ही टोकन नं0 का इस्तेमाल करके कॉल सेंटर के माध्यम से शिकायत की स्थिति की जांच की जा सकती है। अभिदाता जारी किये गये मूल टोकन नम्बर का इस्तेमाल करके उपरोक्त किसी भी माध्यम से अनुस्मारक भेज सकते हैं। यदि अभिदाता को 30 दिनों के भीतर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती और वह मध्यवर्तियों द्वारा किये गये निपटान से संतुष्ट नहीं है तो वह शिकायत को एनपीएस न्यास के पास भी भेज सकता है। इसी प्रकार, यदि अभिदाता दो 30 दिन के भीतर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती अथवा वह दी गई प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो अपनी शिकायत प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी के पास भेज सकता है।

यदि अभिदाता, प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो पीएफआरडीए के अधिकृत सदस्य के पास भी अपील कर सकता है।

31.03.2015 तक वर्ष के दौरान निम्न संख्या में शिकायतें प्राप्त हुईं और उनकी स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सारणी 3.2 : वर्ष 2014–15 के दौरान शिकायतों की स्थिति

प्राप्त शिकायतों की संख्या	शिकायतों के निवारण की संख्या	लम्बित शिकायतों की संख्या
25,612	21,756	3,856

3,856 लम्बित शिकायतों में से 2,987 शिकायतें एनपीएस रेगुलर और 869 शिकायतें एनपीएस लाइट से संबंधित हैं। 2987 शिकायतों में से 2,793 शिकायते एनपीएस रेगुलर के अंतर्गत सरकारी नोडल कार्यालयों के विरूद्ध हैं और अभिदाताओं के अनुरोध पर अनुचित कारवाई करने से संबंधित हैं।

3.6 पेंशन प्रणाली से जुड़ें व्यवसायिक संगठनों को बढ़ावा

पीएफआरडीए, ऐसे उपयुक्त संगठनों की पहचान कर रहा है जो पेंशन शिक्षा से जुड़े हों, और जनसांख्यिकी, व्यवसायिक संरचना, वित्तीय मुद्दों, सेवानिवृत्ति बचत की कर स्थापना, पेंशन, वार्षिकी और सेवानिवृत्ति उपायों पर शोध और अध्ययन कार्य करने में समर्थ हो, साथ ही विभिन्न पणधारकों को पेंशन पर एक पाठ्यक्रम उपलब्ध करा सकें। पीएफआरडीए न केवल देश अपितु विदेशों में भी विश्वसनीय और विख्यात शोध और शैक्षिक संस्थानों के साथ साझेदारी का विस्तार कर रहा है।

3.7 आंकड़ो का संकलन, अध्ययन, शोध और परियोजनाओं की शुरूआत

वर्तमान में, केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) और पेंशन निधियों से आंकडें एकत्रित किये जाते हैं और आकंड़ो का अध्ययन गृह शोध टीम द्वारा किया जाता है और उचित उपाय किये जाते हैं। वर्तमान में पीएफआरडीए, विश्व बैंक के साथ मिलकर सहयोगपूर्ण व्यवस्था के जरिये देश में पेंशन परिदृश्य का आंकलन करने की दिशा में काम कर रहा है।

3.8 अभिदाताओं और आम जनता को शिक्षित करना

एनपीएस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पीएफआरडीए पेंशन, सेवानिवृत्ति और उससे संबंधित विषयों तथा मध्यवर्तियों के प्रशिक्षण पर सीआरए के सहयोग से वर्ष के दौरान नियमित आधार पर मौजूदा और भावी अभिदाताओं के लिए पूरे भारतवर्ष में आवधिक अभिदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है। ऐसे सेमिनारों की अवधि दो से ढाई घंटे की होती है और इसमें सभी के लिए निशुल्क प्रवेश है।

सीआरए ने केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के नोडल कार्यालयों, पीओपी, इत्यादि जैसे एनपीएस के विभिन्न पणधारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में भी सहयोग दिया। सीआरए द्वारा अप्रैल 2014 से मार्च 2015 के दौरान आयोजित किये गये प्रशिक्षणों की झलकी इस प्रकार है:–

सारणी 3.3 वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं

सेक्टर	प्रशिक्षण की संख्या	उपस्थितियों की संख्या
केन्द्र सरकार एवं केन्द्रीय स्वशासी निकाय	70	859
राज्य सरकार एवं राज्य स्वशासी निकाय	12	2885
कॉरपोरेट	4	242
एनपीएस लाइट	14	968
यू ओ एस	14	655
योग	114	5609

गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना राज्यों में एनपीएस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जनवरी और फरवरी 2015 में किया गया। इन राज्यों में एनपीएस स्वालम्बन के प्रचार के लिए राज्य सरकार के विभागों, बैंकों और लघु वित्त संस्थानों/एनजीओ (संकलनकर्ता) के साथ परस्पर विचार विमर्श किया गया।

अभिदाताओं को अभिदाता सूचना पुस्तिका और सूचना पत्र तैयार एवं प्रसारित किया गया। जमा अंशदानों और निवेश के मूल्य के बारे में एनपीएस अभिदाताओं को आवधिक एसएमएस अलर्ट भेजे जा रहे हैं।

3.9 सूचना के प्रसार का मानकीकरण

सभी शेयरधारकों के हित में सूचना प्रसारण में एकरूपता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए पेंशन निधियां, अपने प्रदर्शन, नवीनतम एनएवी, एनएवी इतिहास, अपनी योजनाओं के अंतर्गत पोर्टफोलियो संरचना, वित्तीय योजना और वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि से संबंधित जानकारी आवधिक आधार पर, जैसा पीएफआरडीए द्वारा समय –समय पर निर्धारित किया गया हो, अभिदाताओं को उपलब्ध कराते हैं। साथ ही इन सूचनाओं को अपनी संबंधित वेबसाइट पर इलैक्ट्रोनिक रूप में 'पब्लिक डिस्क्लोजर' शीर्षक के अंतर्गत अपलोड भी करते हैं।

पीएफआरडीए दिशा निर्देशों–2012 (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत योजना की संपरीक्षक रिर्पोट तथा वित्तीय विविरणिका निमार्ण) के अंतर्गत पेंशन निधि, एनपीएस योजना पोर्टफोलियों की जानकारी का प्रकटीकरण करते हैं। सभी अंशदाताओं के हितों के लिए प्रकटीकरण में एकरूपता और समयबद्धता लाने के लिए पेंशन निधि की वेबसाईट पर प्रकटीकरण का प्रारूप, आवृत्ति, समय–सीमा और स्थान का निर्धारण भी पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है।

एनपीएस न्यास द्वारा योजनावार विशिष्ट प्रदर्शन सूचकांक को निर्धारित किया गया है जिसमें आवधिक आधार पर पेंशन निधियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। योजना–ई टीयर–। और टीयर–।। का सूचकांक सीएनएक्स 100, योजना सी टीयर–। और टीयर–।। का एनपीएस–कॉरपोरेट बोन्ड सूचकांक और योजना जी टीयर–। और टीयर–।। का सूचकांक एनपीएस – सरकारी प्रतिभूतियां सूचकांक है। अन्य योजनाओं जैसे एनपीएस लाइट, योजना सी जी, योजना एस जी और योजना कॉरपोरेट – सी जी का बेंचमार्क एनपीएस सरकारी पद्धति सूचकांक है। हालांकि विभिन्न योजनाओं के प्रदर्शन मूल्याकन और सूचकांकों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए बेंचमार्क सूचकांक का सरलीकरण किया जा रहा है।

3.10 विनियमित आस्तियों का विनियमन

'विनियमित आस्तियों' से अभिप्राय मूर्त और अमूर्त आस्तियों से है जिनका निर्माण विशेष रूप से सीआरए के बेसपोक सॉफ्टवेयर ऐपलिकेशन को चलाने के लिए किया गया है। प्रणाली को चलाने के लिए अनिवार्य अन्य घटकों, किसी अन्य तीसरे पक्ष सॉफ्टवेयर, सभी संबंधित सीआरए परियोजना आंकड़े, डाटा और आपदा सुधार केन्द्र के समर्पित विशिष्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अवयव, भौतिक ढांचे (भवन, वातानुकुलन संयंत्र, बिजली आपूर्ति, फर्नीचर) को छोड़कर नेटवर्क और अन्य सुविधाएं।

पंजीकरण की सीमा समाप्त होने और सीआरए के निरस्त होने पर, सीआरए के अधीन सूचनाओं और विनियमित आस्तियों को पीएफआरडीए अधिनियम, नियमों और विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि और प्रकिया द्वारा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी अन्य सीआरए को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

3.11 अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाए जाने वाले शुल्क एवं अन्य प्रभारः

एनपीएस अभिदाताओं पर विभिन्न स्तरों पर अभिदाताओं को सेवाएं प्रदान करने वाली मध्यवर्तियों द्वारा शुल्क एवं प्रभार लगाये जाते हैं। एनपीएस प्रणाली में प्रवेश के समय, एनपीएस में अभिदाताओं के पंजीकरण के उत्तरदायी मध्यवर्तियां जैसे–पीओपी, एग्रीगेटर द्वारा शुल्क एकत्रित किया जाता है जो कि सीधे अभिदाताओं से लिया जाता है। एग्रीगेटर के मामले में, एनपीएस लाईट / स्वावलम्बन और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के लिए पंजीकरण शुल्क को सरकार द्वारा वहन किया जाता है। दूसरे चरण में, सीआरए – अभिलेखपाल अभिकरण, यूनिटों के संकलन के द्वारा खातों के रख–रखाव, खातों को खोलने और प्रान कार्ड सृजित करने के लिए शुल्क लगाती है। इसके पश्चात, अभिदाताओं के अंशदान सहित प्रत्येक संव्यवहार के लिए सीआरए और पीओपी दोनों द्वारा प्रभार लगाये जाते हैं। अभिदाताओं के निवेश पोर्टफोलियों को प्रबंधित करने के लिए पेंशन निधियों द्वारा प्रबंधन शुल्क लगाया जाता है। और अंत में, प्रतिभूतियों के अभिरक्षक द्वारा अपनी अभिरक्षा के अंतर्गत आस्तियों के लिए शुल्क लगाया जाता है।

सारणी : 3.4 : एनपीएस मध्यवर्तियों द्वारा लगाये जाने वाले शुल्क एवं प्रभार

मध्यवर्ती	शुल्क प्रभार		सेवा शुल्क		कटौती का तरीका
			एनपीएस रेगुलर	एनपीएस लाइट	
पीओपी (प्रत्येक अभिदाता के लिए शुल्क)	अभिदाता पंजीकरण		रू. 100/–		सीधे अभिदाताओं से लिया जाएगा।
	अंशदान सहित कारबार पर		न्यूनतम 20 रूपये और अधिकतम 25 हजार रूपये की अंशदान राशि पर 0.25 प्रतिशत	* एग्रीगेटर द्वारा शुल्क लिया जाए रूपये 120–150 प्रति खाता	
	शुल्क प्रभार	एनपीएस लाइट*			
एग्रीगेटर		1 लाख से कम स्वावलम्बन योग्य खाते	1 लाख से तीन लाख स्वावलम्बन योग्य खाते	3 लाख से 5 लाख स्वावलम्बन योग्य खाते	5 लाख से अधिक स्ववावलम्बन योग्य खाते
	निश्चित	प्रति खाता 100/– रूपये	प्रति खाता 100/– रूपये	प्रति खाता 100/– रूपये	प्रति खाता 100/– रूपये
	परिवर्तनशील	प्रति खाता 20/– रूपये	प्रति खाता 30/– रूपय	प्रति खाता 40/– रूपय	प्रति खाता 50/– रूपय
	शुल्क प्रभार		एनपीएस रेगुलर	एनपीएस – लाइट	कटौती का तरीका
सीआरए	पीआरए खुलवाने का शुल्क		रू. 50/–	रू. 35/–	ईकाइयों के निरस्तीकरण द्वारा
	प्रति खाता वार्षिक रखरखाव शुल्क		रू. 190/–	रू. 50/–	
	प्रति संव्यवहार शुल्क		रू. 4/–	रू. 4/–	
न्यासी बैंक	शून्य		शून्य		शून्य
पेंशन निधि शुल्क	निवेश प्रबंधन फीस		सरकारी सेक्टर/एनपीएस लाइट/ स्वाबलम्बन के लिए प्रतिवर्ष 0.0102 प्रतिशत		एनवीए कटौती द्वारा
			निजी सेक्टर के लिए प्रतिवर्ष 0.01 प्रतिशत		
अभिरक्षक (अभिरक्षा के अधीन आस्तियों के मूल्य पर)	आस्ति सेवा शुल्क		इलैक्ट्रोनिक सेगमेंट के लिए 0.0075 प्रतिशत प्रतिवर्ष एवं फिजीकल सेगमेंट के लिए 0.05 प्रतिशत वार्षिक		एनवीए कटौती द्वारा

* सरकार द्वारा भुगतान

** 12 निशुल्क संव्यवहारों के बाद लागू/वार्षिक

पीएफआरडीए को उपस्थित अस्तित्व से संसाधन शुल्क और पंजीकृत पेंशन निधि और सीआरए से वार्षिक शुल्क प्राप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न मध्यवर्तियों से प्राप्त शुल्क लगभग रूपये 1.16 करोड़ होने का अनुमान है।

3.12 निरीक्षण, पूछताछ और जाचं

मध्यवर्तियों से सूचनाएं प्राप्त करने संपरीक्षा सहित निरीक्षण, पूछताछ और जांच के प्रावधानों के साथ विनियमों को अधिसूचित किया जा चुका है और विनियमों के अनुसार ही इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है।

3.13 अन्य कार्य

3.13.1 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत विस्तार

i) केन्द्र सरकार और सीएबी कर्मचारी

केन्द्रीय प्रशासनिक सेवाओं (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में नियुक्त सभी नये कर्मचारी, जिनकी नियुक्त 1 जनवरी को अथवा उसके बाद हुई हो, के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1 (13)/ईवी/2001 दिनांक 13, नवम्बर 2003 के माध्यम से एनपीएस को अनिवार्य बना दिया गया है। बाद में एनपीएस को केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत निकायों के अंतर्गत 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त नये कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अनिवार्य कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय स्वशासी निकायों के कर्मचारियों, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के पूर्व हुई थी, उन्हें व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन 1 (2) /ईवी/2007 दिनांक 30 जून 2009 के माध्यम से एनपीएस में स्थानांतरित करने क अनुमति दे दी गई।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की फाइल संख्या 25014/14/2001–एआईएस ।। दिनांक 8 सितम्बर, 2009 में जैसा निर्दिष्ट है, केन्द्रीय प्रशासनिक सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं में 1 जनवरी 2004 को अथवा उसके बाद नियुक्त होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अनिवार्य कर दिया गया है।

यद्यपि केन्द्र सरकार में एनपीएस की शुरूआत 1 जनवरी 2004 से प्रभावी हो चुकी थी, लेकिन मार्च 2008 के अंत तक केन्द्रीय कर्मचारियों की एनपीएस निधि केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के पास थी तथा इस अवधि के दौरान इन निधियों पर प्रतिलाभ केन्द्रीय कर्मचारियों के जीपीएफ पर लागू प्रतिलाभ दर के अनुसार ही दिया गया। मार्च 2008 के बाद एनपीएस निधियों को न्यासी बैंक तथा पेंशन निधियों को भेज दिया गया ।

31 मार्च 2015 को केन्द्र सरकार के अंतर्गत 15.12 लाख अभिदाताओं का पंजीकरण किया जा चुका है। यह अभिदाता संख्या एनपीएस के अतंर्गत कुल अभिदाता संख्या की 17.27 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, सीएबी अभिदाताओं का अंशदान सी जी अभिदाताओं के अंशदान का 8 प्रतिशत है।

सी जी सेक्टर के अभिदाता आधार वित्तीय वर्ष 2008–09 के 4.30 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014–15 के अंत में 28.59 प्रतिशत चक्रवृद्धि औसत वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ 15.12 लाख हो गया। यह उच्च वृद्धि दर आंशिक रूप से कम आधार के कारण रही। आने वाले वर्षों में यह विकास दर, सरकार, सगठनों/स्वशासी निकायों में नये नियुक्त होनेवाले कर्मचारियों की वृद्धि दर पर निर्भर करेगी जो एनपीएस के अंतर्गत योग्य हैं लेकिन अभी शामिल होना बाकी है।

सीजी सेक्टर के अंतर्गत मार्च 2009 से निधि में 74 प्रतिशत सीएजीआर के साथ बढ़ोतरी हुई और एयूएम में 59 प्रतिशत सीएजीआर के साथ बढ़ोतरी हुई।

केन्द्रीय स्वशासी निकाय (सीएबी)

विभिन्न केन्द्रीय स्वशासी निकायों ने राज्य सरकार के कर्मचारियों, साथ ही साथ स्वशासी निकायों, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो, निगमों, बोर्डों, निगमों इत्यादि के कर्मचारियों के लिए विभिन्न तिथियों से प्रभावी, एनपीएस संरचना को अपनाया है और क्रियान्वित किया है।

सारणी : 3.5 : एनपीएस के अंतर्गत सीएबी का विवरण

31 मार्च तक	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
सीएबी की संख्या	1	88	203	307	400	456	488
अभिदाताओं की संख्या (सीएबी)	–	7,150	25,200	63,961	89,063	106,387	121,465
सीएबी द्वारा एनपीएस अंशदान (रू. करोड़)	–	23.38	220.63	737.99	1,601.11	2,566.55	3722.17

ii) राज्य सरकार और एसएबी कर्मचारी

एस जी सेक्टर में, अभिदाता आधार में वित्तीय वर्ष 2009–10 के 1.79 लाख के मुकाबले लगभग 71 प्रतिशत सीएजीआर के साथ वित्तीय वर्ष 2014–15 के अंत तक 26.30 लाख हो गया।

राज्य सरकार सेक्टर में प्रबंधन के अधीन आस्तियों के साथ ही साथ निधि में वर्ष 2010 से लगातार वृद्धि देखी गयी। इस दौरान राज्य सरकार सेक्टर की निधि में 179 प्रतिशत सीएजीआर और प्रबंधन के अधीन आस्तियों में 187 प्रतिशत सीएजीआर के साथ वृद्धि हुई।

राज्य स्वशासी निकाय (एसएबी)

विभिन्न राज्य स्वशासी निकायों ने राज्य सरकार के कर्मचारियों, साथ ही साथ स्वशासी निकायों, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो, निगमों, बोर्डों, निगमों इत्यादि के कर्मचारियों के लिए विभिन्न तिथियों से प्रभावी, एनपीएस संरचना को अपनाया है और क्रियान्वित किया है। मार्च 2011 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान एसएबी, अभिदाताओं की संख्या और एनपीएस अंशदान (निधियों) का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:–

सारणी 3.6 एनपीएस के अंतर्गत एसएबी का विवरण

31 मार्च तक	2011	2012	2013	2014	2015
एसएबी की संख्या	29	69	162	266	438
अभिदाताओं की संख्या (एसएबी)	5,359	139,879	191,862	292,908	391,126
एसएबी द्वारा एनपीएस अंशदान (करोड़)	11.11	109.04	563.53	976.50	2085.87

एस जी अभिदाताओं में एसएबी अभिदाताओं का प्रतिशत 15 प्रतिशत है और सीजी अभिदाताओं में एसएबी अभिदाताओं का अंशदान 7 प्रतिशत है।

वर्ष के दौरान असम और गुजरात राज्य की सरकारों ने एनपीएस स्वालम्बन को अधिसूचित और क्रियान्वित किया। पीएफआरडीए अन्य राज्य सरकारों, विशेषकर स्वास्थ/परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, श्रम और ग्रामीण विकास विभागों से जुड़े व्यवसायिक समूहों को स्वावलम्बन योजना उपलब्ध कराने के लिए, उनके साथ सम्पर्क में है।

iii) निजी सेक्टर अभिदाताओं

निजी सेक्टर के अभिदाताओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है:

(क) कॉरपोरेट सेक्टर

(ख) सर्व नागरिक

(क) कॉरपोरेट सेक्टर

शुरूआत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था जिनकी नियुक्ति 01 जनवरी 2004 को अथवा

उसके बाद हुई। 01 मई, 2009 को भारत के सभी नागरिकों के लिए एनपीएस को लागू किया गया। बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों सहित व्यवस्थित संस्थाओं को सुगम/सरल बनाने के उद्देश्य से दिसम्बर 2011 को एनपीएस का विशिष्ट संस्करण जिसे कॉरपोरेट मॉडल के नाम से जाना जाता है, को शुरू किया गया।

एनपीएस कॉरपोरेट मॉडल नियोजकों को अपने कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा लाभ तथा नियोजकों/कर्मचारियों से अंशदान की राशि में लचीलेपन के साथ उनके पेंशन में सह–योगदान के लिए मंच प्रदान करता है। एनपीएस विशिष्ट संस्थाओं की एक मूल्य प्रभावी योजना है जहां स्व–अधिशासी पेंशन प्रणालियों की तरह रेकॉर्ड कीपिंग, निवेश, वार्षिकी इत्यादि के लिए नियोजकों के सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता नहीं है।

एनपीएस कॉरपोरेट मॉडल को दूसरे सेवानिवृत्ति लाभ योजना जैसे–कर्मचारी भविष्यनिधि (ईपीएफ) और सेवानिवृत्ति कोष (एसएएफ) के साथ भी शुरू किया जा सकता है। निश्चित रूप से सभी कर्मचारियों के लिए कॉरपोरेट/नियोजकों को प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी), पेंशन निधियों (पीएफएस) तथा निवेश विकल्प को चुनने की छुट है अथवा पेंशन निधियों (पीएफएस) और निवेश पसंद को चुनने का विकल्प व्यक्तिगत कर्मचारियों पर भी छोड़ सकते हैं। एनपीएस खातों (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्यां) की संवहनीय विशेषता कॉरपोरेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बहुत ही अनुकूल है जो रोजगार बदलते रहते हैं। रोजगार एवं स्थान में परिवर्तन होने पर भी यह संवहनीय है।

नियोजक एवं कर्मचारी दोनों कर लाभ का फायदा उठा सकते हैं, अभिदाताओं (कर्मचारियों) धारा 80सीसीडी (1) और 80 सीसीडी (1बी) के अनुसार अपने अंशदान पर कर लाभ उठा सकते हैं और उसके अतिरिक्त आईटी अधिनियम की धारा 80सीसीडी (2) के अनुसार नियोजकों के अंशदान पर भी। आईटी अधिनियम की धारा 36 (1) के तहत कॉरपोरेट व्यवसाय खर्च का दावा कर सकते हैं।

जो कॉरपोरेट अपने कर्मचारियों में एनपीएस का विस्तार करने की इच्छा रखते हैं उन्हें एनपीएस के तहत किसी अधिकृत पीओपी से समझौता करना होगा।

सेवा प्रदाता के रूप में पीओपी एवं पीओपी–एसपी कॉरपोरेट/अभिदाताओं एवं एनपीएस संरचना के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। पीओपी/पीओपी–एसपी कॉरपोरेट एवं अभिदाताओं के पंजीकरण, केवाईसी की जांच, कॉरपोरेट से अंशदान एवं सूचनाएं प्राप्त करके उसे एनपीएस के अधिकृत मध्यवर्त्ती संस्थओं को भेजने के कार्यों को करती हैं। पीओपी कॉरपोरेट/अभिदाताओं को निम्न सेवाएं प्रदान करता है जैसे – मूल विवरण में परिवर्तन, योजना परिवर्तन, पीओपी एवं पेंशन निधियों मे परिवर्तन, रोजगार परिवर्तन, आहरण एवं निकास इत्यादि।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, एनपीएस की संरचना में 342 कॉरपोरेट शमिल हुए जिससे वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान एनपीएस के लिए पंजीकृत कॉरपोरेट की संख्या 1600 को पार गई। 31 मार्च 2015 को कुल पंजीकृत कॉरपोरेट की संख्या 1608 थी (तालिका 3.1) 31 मार्च 2015 को पंजीकृत कॉरपोरेट की सूची अनुसूची के रूप में संलग्न है।

तालिका 3.1 : एनपीएस के अंतर्गत कॉरपोरेट की संख्या

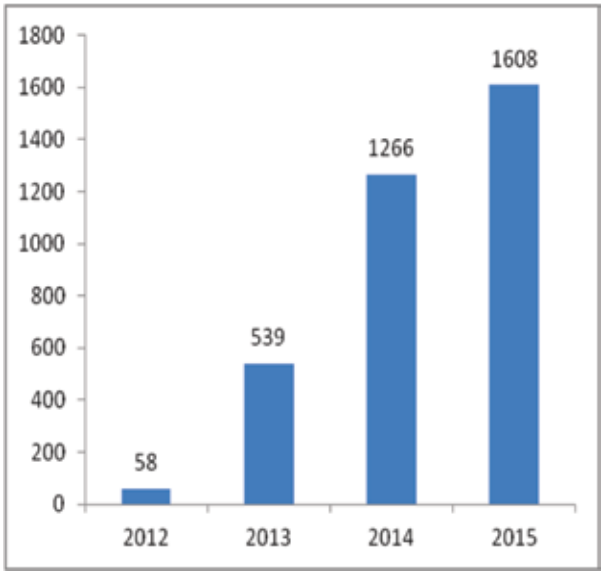

कॉरपोरेट सेक्टर के अंतर्गत अभिदाताओं की संख्या और एयूएम में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

तालिका 3.2 : कॉरपोरेट सेक्टर के अंतर्गत एयूएम

(रूपये करोड़)

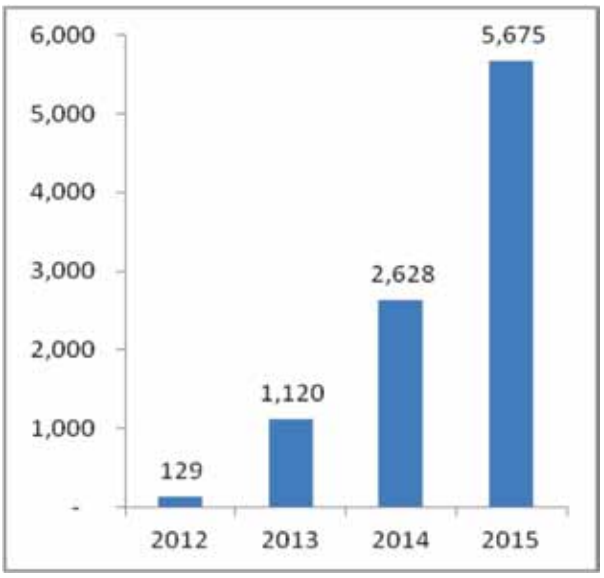

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान 1,11,938 ने अभिदाता नामांकनों के साथ एनपीएस के अंतर्गत कॉरपोरेट अभिदाताओं (कॉरपोरेट के कर्मचारी) की कुल संख्या 3.70 लाख है। अभिदाता नामांकन मे 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तालिका 3.3 : कॉरपोरेट सेक्टर के अंतर्गत अभिदाताओं की संख्या

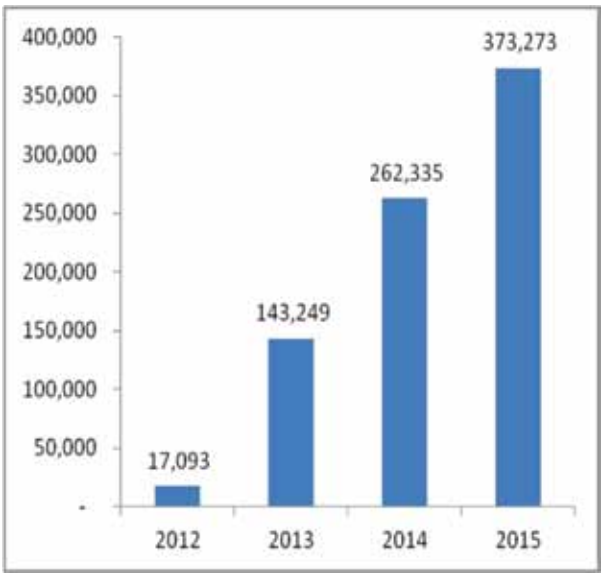

(ख) एनपीएस सर्व नागरिक मॉडल

इस सेक्टर का निर्माण असंगठित क्षेत्र जैसे स्व रोजगार, व्यापारियों, उद्यम मालिकों और जो किसी अन्य सेक्टर में शामिल न हों, को मिलाकर किया गया है। कोई भी निवासी अथवा अनिवासी भारतीय पीओपी, जिसके जरिये वह एनपीएस के साथ संव्यवहार करना चाहता हो, के माध्यम से इस मॉडल के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवा सकता है।

एनपीएस के अंतर्गत अपने निवेश के प्रबंधन हेतु वह पेंशन निधियों और निवेश योजना (सक्रिय विकल्प) का चुनाव कर सकता है।

उन अभिदाताओं की सुविधा के लिए जो किसी विशेष निवेश योजना/विकल्प को चुनने की स्थिति में नहीं हैं, एनपीएस अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए आस्ति आवंटन का 'ऑटो विकल्प' उपलब्ध कराता है। ऑटो विकल्प में अभिदाताओं की आयु के अनुसार उनके अंशदान को जीवन चक्र निधि में निवेशित किया जाता है। अभिदाता वित्तीय वर्ष में एकबार मौजूदा पेंशन निधियों (पीएफ), निवेश विकल्पों (सक्रिय अथवा ऑटो पसंद) और आस्ति आवंटन अनुपात (आस्ति श्रेणियों के बीच आवंटन – शेयर/कॉरपोरेट साधन/सरकारी शेयर) में परिवर्तन सकते हैं। यह योजना वरीयता मौजूदा अभिदाताओं के साथ–साथ भावी अभिदाताओं पर भी लागू होगी।

एनपीएस से निकास के समय अभिदाता जिस वार्षिक सेवा प्रदाता (एएसपी) से वार्षिकी खरीदना चाहते हैं उस वार्षिकी सेवा प्रदाता औरं वार्षिकी के प्रकार का चुनाव कर सकते हैं।

सर्व नागरिक मॉडल के अंतर्गत अभिदाताओं की संख्या, अंशदान और एयूएम में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। 8000 नये अभिदाताओं के साथ वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, एनपीएस के अंतर्गत सर्व नागरिक मॉडल अभिदाताओं की कुल संख्या 0.85 लाख को पार कर गई है। अभिदाता पंजीकरण में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (तालिका 3.4)

तालिका 3.4 : सर्वनागरिक मॉडल के अंतर्गत अभिदाताओं की संख्या

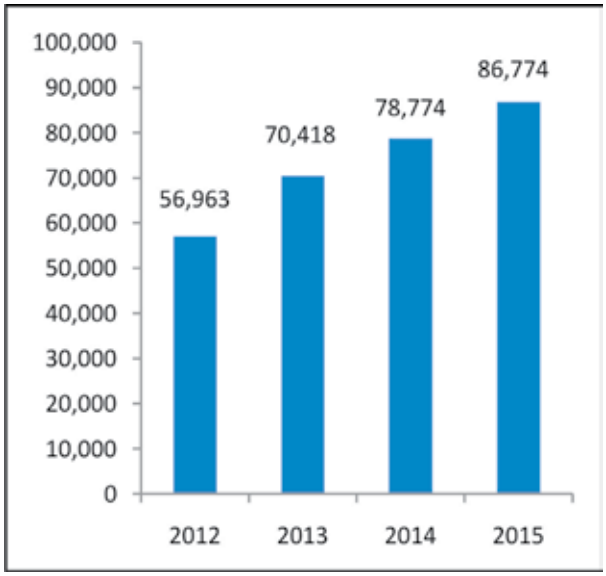

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान कॉरपोरेट अभिदाताओं की एयूएम में 116 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मार्च अंत 2015 को रूपये 5,675 तक पहुंच गई जो कि 2014 मार्च अंत कें 2,628 है।

तालिका 3.5 : सर्वनागरिक मॉडल के अंतर्गत एयूएम

(रू. करोड़)

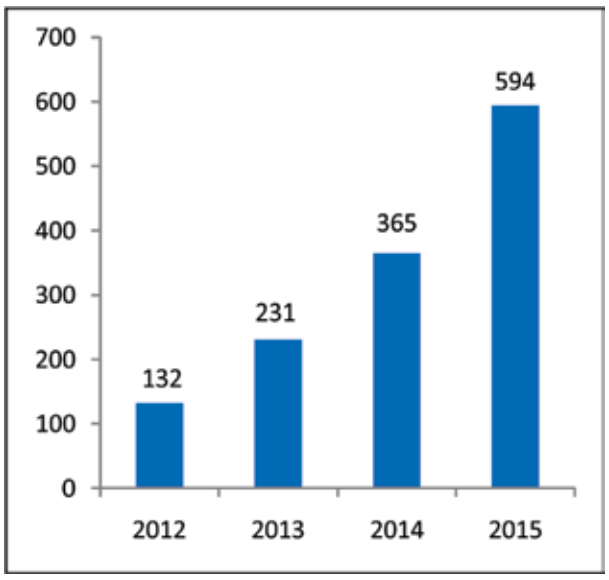

एनपीएस–लाईट / स्वावलम्बन

- समाज के सभी वर्गों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए पीएफआरडीए ने एनपीएस का एक किफायती और आशावादी मॉडल विकसित किया है जो समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 'समूहो' जैसे एग्रीगेटरों के माध्यम से एनपीएस में शामिल होने की सुविधा प्रदान करता है। यह समूह जमीनी स्तर पर मध्यवर्ती संस्थाओं का समूह है जिसे पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस संरचना के अंतर्गत अभिदाताओं के मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया जाता है।
- असंगठित क्षेत्र के लोगों को स्वैच्छिक रूप से अपने सेवानिवृत्ति के लिए बचत के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वावलम्बन योजना की घोषणा 2010–11 के बजट में की गई थी। स्वैच्छिक भागीदारी को बढ़ावा देने और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बचत मूल्यों को कम करने के लिए भारत सरकार प्रतिवर्ष सभी योग्य एनपीएस–स्वावलम्बन खातों में 1000 / – रूपये का अंशदान करती है जबकि अभिदाताओं का स्वयं का अंशदान 1000 / रूपये – से 12000 / – रूपये प्रतिवर्ष है।
- विभिन्न राज्य सरकारों जैसे आन्ध्रप्रदेश, झारखण्ड, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार और कर्नाटक की सरकारें भवन और निमार्ण कामगारों, आंगनवाड़ी कर्मचारियों और सहायकों और चिन्हित व्यवसायिक समूहों में लगे असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एनपीएस स्वालम्बन योजना को अपना चुकी हैं।
- स्वालम्बन योजना का परिचालन संकलनकर्ताओं के माध्यम से किया जाता है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अभिदाताओं के बीच एक मध्यस्थ मध्यवर्ती की भूमिका का निर्वाह करते हैं। वर्ष 2014–15 तक राज्य सरकार संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एमएफआई, एनबीएफसी, और निजी सेक्टर संस्थाओं सहित 76 संकलकर्ता योजना के प्रभावी क्रिन्यावयन के लिए समाज के अंतिम छोर के अभिदाता तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करते हैं 31 मार्च 2015 तक पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत संकलनकर्ताओं की सूची संलग्नक IV में हैं।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान एनपीएस लाईट के अंतर्गत 15.28 लाख अभिदाताओं के पंजीकरण के साथ एनपीएस लाईट अभिदाताओं की कुल संख्या 41.47 लाख हो गई है। इनमें से 20.64 लाख अभिदाता वर्ष 2014–15 में स्वावलम्बन के अंतर्गत सरकारी सह–अंशदान प्राप्त करने के योग्य बन गये हैं।
- एनपीएस स्वावलम्बन के अंतर्गत पंजीकृत अभिदाताओं का वर्षवार ब्यौरा निम्न है:

सारणी : 3.7 : स्वावलम्बन के अंतर्गत योग्य अभिदाताओं की वर्षवार संख्या

वर्ष	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15*
योग्य स्वावलम्बन अभिदाता	301,922	643,979	1,101,079	1,590,610	2,063,610

टिप्पणी :
स्वावलम्बन योग्य संख्याएं पीओपी सहित हैं।
वित्तीय वर्ष 2010–11 में 1,780 अभिदाताओं, वित्तीय वर्ष 2011–12 में 4,500 अभिदाताओं, वित्तीय वर्ष 2012–13 में 6,401 अभिदाताओं, वित्तीय वर्ष 2013–14 में 5,990 अभिदाता, एनपीएस स्वावलम्बन के अंतर्गत सरकारी सह अंशदान के योग्य बने जो कि पीओपी के माध्यम उदभव हुए।
वित्तीय वर्ष 2014–15 में 5,017 (अस्थायी) अभिदाता पीओपी के माध्यम से स्वावलम्बन के लिए योग्य हुए।
पंजीकृत अभिदाताओं की संख्या में डाक विभाग, ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) शामिल नहीं है।

तालिका 3.6 : वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वावलम्बन योग्य अभिदाताओं का लिंगवार विश्लेषण

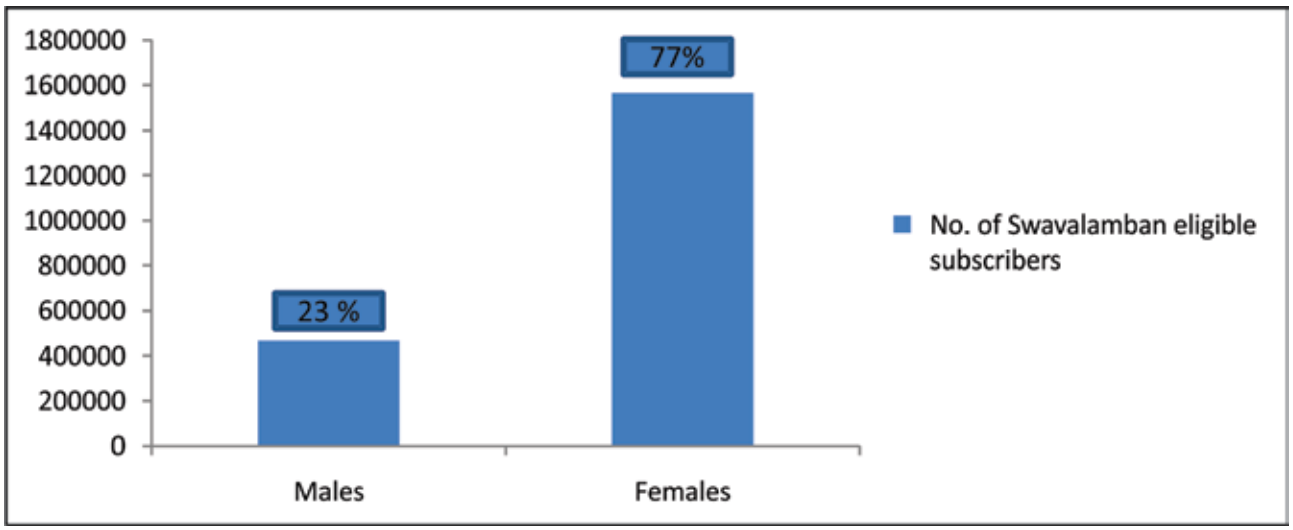

कुल स्वावलम्बन अभिदाताओं में 77 प्रतिशत महिलाए हैं।

तालिका 3.7 : वित्तीय वर्ष 2014–15 का स्वावलम्बन अभिदाताओं का आयुवार विश्लेषण निम्न है:

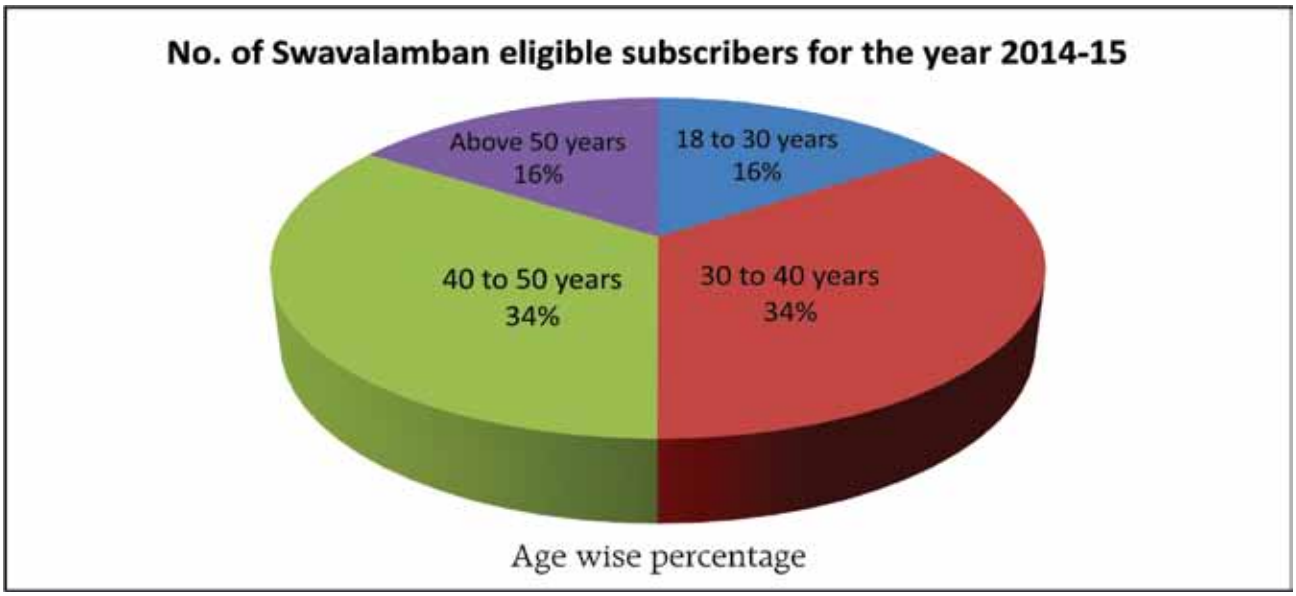

3.13.2 उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी)

उपस्थिति अस्तित्व, एनपीएस संरचना और अभिदाताओं के मध्य पारस्परिक क्रियाकलाप के प्रथम केन्द्र के रूप में कार्य करता है। अभिदाताओं के पंजीकरण, अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) प्रमाणीकरण, अभिदाताओं से अंशदान और निर्देश प्राप्त करने और उन्हें अधिकृत एनपीएस मध्यवर्तियों तक प्रेषित करने का कार्य उपस्थिति अस्तित्व द्वारा किया जाता है। पीओपी और उनकी अधिकृत शाखाओं को धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों जैसा कि समय–समय पर लागू हो, का अनुपालन अपेक्षित है। 31 मार्च 2015 को 64 पीओपी और 38,411 पीओपी एसपी पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत हैं। पीओपी–एसपी की सूची अनुलग्नक–III में दी गई है।

3.13.3 प्रबंधन के अधीन आस्तियां – योजना वार

सारणी : 3.8 : 31 मार्च 2015 को पेंशन निधियों की योजनावार प्रबंधन के अधीन आस्तियां (एयूएम)

(रूपये करोड़ में)

पेंशन निधि	एनपीएस योजनाएं										
	केन्द्र सरकार (CG)	राज्य सरकार (SG)	कॉरपोरेट CG*	एनपीएस लाइट	E-I	C-I	G-I	E-II	C-II	G-II	योग
एसबीआई, पीएफ	13488	12324	3701	661	372	271	540	18	16	16	31407
यूटीआई आरएसएल	12201	12073	-	453	35	23	34	5	3	4	24831
एलआईसी पीएफ	11047	11999	404	466	44	28	22	0	0	0	24010
आईसीआईसीआई पीएफ	-	-	-		132	93	106	14	14	10	369
कोटक पीएफ	-	-	-	26	27	21	27	2	2	2	107
रिलायंस पीएफ	-	-	-		26	18	25	3	2	3	77
एचडीएफसी पीएफ	-	-	-		20	15	17	1	1	0	54
योग	**36736**	**36396**	**4105**	**1606**	**655**	**470**	**771**	**44**	**38**	**35**	**80855**

* कॉरपोरेट सी जी योजना को 12 फरवरी 2013 से बंद कर दिया गया है।

एनपीएस के अंतर्गत कुल एयूएम में एसजी के 45.01 प्रतिशत एयूएम और कॉरपोरेट सीजी के 5.07 प्रतिशत के साथ सी जी योजना का का कुल एयूएम 45.43 प्रतिशत रहा।

3.13.4 केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण

एनएसडीएल ई–गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जिसे पहले एनएसडीएल के नाम से जाना जाता था, 26 नवम्बर, 2007 को आगामी दस वर्षों के लिए पीएफआरडीए के साथ केन्द्रीय रेकॉर्ड कीपिंग ऐजेंसी के रूप में पंजीकृत किया गया है ।

अभिदाताओं के व्यक्तिगत अभिलेखों के रख–रखाव के अलावा यह सभी मध्यवर्तियों के मध्य परिचालक मध्यस्थ की भूमिका अदा करता है। इसके कार्यों में सभी बाहरी एजेंसियों के साथ ताल–मेल स्थापित करना और एनपीएस के सभी अभिदाताओं के लिए अभिलेखपालन, प्रशासन और ग्राहक सेवा के कार्य शामिल हैं।

सीआरए की भूमिका और दायित्व

सीआरए की मुख्य भूमिका और दायित्व निम्न हैः–

i) सभी सेक्टरों के अभिदाताओं को दी जाने सेवाएं
एनपीएस के सभी अभिदाताओं को ग्राहक सेवाओं से संबंधित उपलब्ध कराई जाने वाली सीआरए की मुख्य भूमिकाओं अभिलेखपालन, प्रशासन एवं सभी अभिदाताओं को अद्वितीय स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या और आई पिन/टी पिन जारी करना शामिल है। अभिदाताओं को

दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं में पंजीकरण के समय एसएमएस अलर्ट और ई मेल भेजना, ईकाईयों का जमा/मोचन, प्रत्याहरण, प्रान में अतिशेष, अभिदाता जाकरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और सभी एनपीएस पणधारियों को बेव आधारित अभिगम्यता उपलब्ध कराना शामिल है। सीआरए, अभिदाताओं और नोडल कार्यालयों को केन्द्रीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली और कॉल सेंटर सुविधा भी उपलब्ध कराता है। इन सेवाओं के अतिरिक्त, सभी अभिदाता प्रबंधन सेवाओं जैसे–योजना का परिवर्तन, जनसांख्यिक विवरणों में परिवर्तन, शिकायत प्रबंधन इत्यादि भी सीआरए द्वारा निष्पादित की जाती है।

ii) मध्यवर्तियों को दी जाने वाली सेवाएं

क) पीएफएम

अभिदाताओं/कर्मचारियों (सीजी/एसजी सेक्टर) द्वारा निर्धारित पीएफएम को समय पर निधियों का आबंटन करना, संघटित निवेश वरीयता योजना सूचना का तैयार करना और प्रेक्षित करना, न्यासी बैंक से निधि हस्तातरण रिपोर्ट प्राप्त होने की पुष्टि के आधार पर निवल निधि स्थानांतरण रिपोर्ट तैयार करना और उसे पीएफएम को भेजना और पीएफएम द्वारा सीआरए को भेजे गये एन ए वी का इस्तेमाल करते हुए योजना वरीयता रिपोर्ट तैयार करना सीआए के मुख्य कार्यों में से एक है।

ख) टी बी

सीआरए न्यासी बैंक से प्राप्त पेंशन निधि रिपोर्टों का पेंशन निधि अंशदान रिपोर्टों के साथ मिलान करता है। सीआरए वित्तीय पुर्नमिलान पर त्रुटि/विंगति रिपोर्ट, पेंशन निधि अंशदान/संकलन रिपोर्ट, निधि हस्तांतरण रिपोर्ट और सेवानिवृत्ति निधि हस्तातंरण रिपोर्ट तैयार करता है। इसके अतिरिक्त यह प्रत्यारण निधि को अभिदाता के खाते में जमा करने और शेष राशि को वार्षिकी सेवा प्रदाता के खाते में जमा करने के लिए न्यासी बैंक को निर्देश देता है।

ग) वार्षिकी सेवा प्रदाता

अधिवार्षिता/अभिदाता के निकास पर, सीआरए अभिदाताओं से आवेदन प्रपत्र संकलित करता है और उन्हें तथा अभिदाता के वार्षिकी के लिए निधि विवरण को वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को प्रेक्षित करता है। अभिदाता विवरण से संबंधित इलैक्ट्रोनिक आकंडों और वार्षिकी योजना पर निर्देशों को वार्षिकी सेवा प्रदाता को भेजता है।

iii) निरंतर विकास और नई कार्यात्मकता का विकास

जब भी और जब कभी भी नियामक द्वारा आवश्यक हो, सीआरए विभिन्न नई कार्यात्मकताओं/उपयोगिताओं को विकसित करता है और विभिन्न पणधारियों की अपेक्षाओं की चुनौतियों का समाना करने के लिए निरंतर वृद्धि और विकास के मॉडल विकसित करता है।

iv) अन्य

पीफआरडीए, एनपीएस न्यास, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और वित्त मंत्रालय को आवधिक और अनौपचारिक रूप से एमआईएस (शिकायत निवारण सहित) उपलब्ध कराना, सीआरए प्रणाली सहित, पीएफएम, टीबी और एनपीएस में अन्य संस्थाओं को सरल और बाधामुक्त परिचालन प्रणाली उपलब्ध कराना, नोडल कार्यालयों के लिए एनपीएस प्रक्रिया/सरंचना पर आवधिक अभिविन्यास कार्यक्रमों का अयोजन करना।

सीआरए निरीक्षण

(1) पीएफआरडीए ने नियमित अंतराल पर सीआरए की परिचालन की आवृत्तियों और रख–रखाव गतिविधियों को परिभाषित किया है। नीचे गतिविधियों की सूची और जिन अंतरालों पर इन्हें मॉनीटर जाता है वह निम्न है:

(क) तिमाही : परिचालन और तकनीकी सेवा स्तरीय समझौते (एसएलए) की निगरानी करना, अचेत कालावधि गतिविधियों की रिकार्डिंग करना, आपदा सुधार परिचालन, कॉल सेंटर प्रदर्शन और सीआरए बिल प्रमाणीकरण की मॉनीटरिंग करना

(ख) वार्षिक : विभिन्न पणधारियों को सीआरए द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं का प्रमाणीकरण, निकास प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा, आईटी/ प्रणाली संरपरीक्षा, सीआरए का आंतरिक निरीक्षण और वित्तीय संपरीक्षा

(ग) आवश्यकता के आधार पर : सीआरए से संबंधित विभिन्न आंकडे समूहों के डाटा संग्रहण, नई जारी कार्यात्मकता पर अभिदाता स्वीकार्यता की जांच, सीआरए द्वारा परिवर्तन नियंत्रणप्रयासों और सीआरए की सेवा प्रदान करने में शामिल अन्य मुद्दों की मॉनीटरिंग करना।

(2) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए सीआरए द्वारा पीएफआरडीए के साथ विचार विमर्श के बाद निम्न कदम उठाएं गये हैं:–

क. अभिदाता अंशदान फाइल की तैयारियों के दौरान नोडल कार्यालयों द्वारा की गई त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से सीआरए ने एक त्रुटि निवारण मॉडयुल विकसित किया है जो कि एक ऑनलाइन परिशोधन कार्यात्मक्ता है और नोडल कार्यालयों, न्यासी बैंक (एनपीएस में मध्यवर्तियों) को इस प्रकार की त्रुटियों को दूर करने में सहायता करता है।

ख. एनपीएस के अंतर्गत अभिदाताओं और अन्य पणधारियों द्वारा उठाई गयी सभी प्रकार की शिकायतों का समाधान करने के लिए केन्द्रीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) नामक एक विशेष शिकायत निवारण मॉडयुल विकसित किया गया है।

ग. आंकड़ों की सुरक्षा और शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु सीआरए के पास सीएमएमआई स्तर 3 और आई टी सुरक्षा आई एस पी 27001 सर्टिफिकेशन है।

(3) जब और जैसा पीएफआरडीए द्वारा अपेक्षित हो, अभिदाताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने और अभिदाताओं के लाभ के लिए सीआरए नई कार्यात्मकताओं को विकसित करता है।

विनियम

पीएफआरडीए (केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) विनियम, 2015 को 27 अप्रैल 2015 को अधिसूचित किया जा चुका है।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) विनियम, 2015 का उद्देश्य केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण के रूप में कार्य करने की वांछा रखने वाली संस्था की पात्रता, शासन, संगठन और परिचालन के मानक नियत करना है। पीएफआरडीए अधिनियम की भावना के अनुरूप यह विनियम निरीक्षण, संपरीक्षा, जांच, निगरानी और प्रवर्तन भाक्तियों और एक प्रभावी अनुपालन कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

एनपीएस अभिदाताओं के हितों और उनकी आस्तियों की रक्षा के उद्देश्य के साथ, इस विनियम के माध्यम से केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के रूप में पंजीकृत संस्था को आंतरिक संगठन और परिचालन मानकों के अनुपालन करते हुए आंतरिक प्रणाली और प्रक्रिया को स्थापित करना अपेक्षित है।

नई कार्यात्मकताओं का विकास

विभिन्न पणधारियों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नई कार्यात्मकता/मॉडयुल्स का विकास और निरंतर विकास सीआरए के मुख्य उद्देश्यों में एक है। एनपीएस प्रणाली की निर्बाध कार्यपद्धति सुनिश्चित करने हेतु सीआए द्वारा वर्ष के दौरान निम्न मुख्य कार्यात्मकताओं का विकास किया गया।

प्रशिक्षण माडयुल्स

सरकारी सेक्टर के नोडल कार्यालयों को सीआरए की कॉरपारेट वेबसाइट के माध्यम से प्रशिक्षण अनुरोध जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। नोडल कार्यालयों द्वारा एनपीएस से संबंधित प्रशिक्षण के अनुरोध के लिए सीआरए संव्यवहार वेबसाइट (www.cra-nsdl.com) का इस्तेमाल किया जा सकता है।

आई पिन का पुनः निर्धारण

वन टाइम पासवर्ड का इस्तेमाल करके आई पिन का पुनः निर्धारण करने की कार्यात्मकता अभिदाता के मोबाइल पर भेजने को एनपीएस के नियमित प्लेटफार्म पर जारी किया। इस प्रक्रिया के इस्तेमाल के दौरान अभिदाता को कुछ व्यक्तिगत विवरण (प्रान कार्ड पर मुद्रित) और नया पासवर्ड उपलब्ध कराना अपेक्षित है। प्रणाली सृजित ओटीपी को सीआरए के पास अभिदाता के पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर भेजा जाता है। जैसे ही अभिदाता वांछित स्थान पर ओटीपी को डालता है, नया पासवर्ड सक्रिय हो जाता है और अभिदाता अपने खाते को उपागमन कर सकता है।

अभिदाता विवरण परिवर्तन

सीआरए प्रणाली में अपने व्यक्तिगत विवरणों जैसे मोबाईल नम्बर, टेलिफोन नम्बर और ई–मेल को सीधे अद्यतन करने हेतु सुविधा अभिदाताओं के लिए उपलब्ध कराई गई है। अभिदाता के सम्पर्क विवरण के किये परिवर्तन की सूचना संबंधी ई मेल साथ ही साथ एस एम एस अलर्ट उनके अद्यतन एवं मौजूदा मोबाईल/ईमेल पते पर भेजे जाते हैं।

संव्यवहार विवरणिका

i) नोडल कार्यालय और अभिदाता अब एनपीएस संव्यवहार विवरणिका को सीआरए प्रणाली में देख सकते हैं एवं हिन्दी में उसका मुद्रण भी कर सकते हैं। संव्यवहार विवरणिका को हिन्दी में देखने अथवा मुद्रण करने के लिए नोडल कार्यालय/अभिदाता को वेबसाइट पर उपलब्ध हिन्दी विकल्प का चयन करना होगा।
ii) एसओटी में प्रतिलाभ प्रदर्शित करने का प्रावधान भी उपलब्ध कराया गया है।

प्रान किट प्रेक्षण

पहले सीआरए, संकलनकर्ताओं द्वारा आगामी वितरण अधीनस्थ एनपीएस लाइट संकलन केन्द्रों (एनएलसीसी) को करने के लिए चुने गये एनएलओओ (एनपीएस लाइट निगरानी कार्यालय) अथवा एनएलएओ (एनपीएस लाइट खाता कार्यालय) को प्रान कार्ड प्रेक्षित किये जाते थे, जो इसे संबंधित अभिदाताओं को वितरित करते थे। पीएफआरडीए के परामर्श के बाद, अब सीआरए ने प्रान कार्ड का अभिदाताओं को उनके अभिदाता पंजीकरण प्रपत्र में दिये गये डाक पते पर सीधे प्रेक्षण प्रारंभ कर दिया है।

अभिदाता पंजीकरण प्रपत्र परिवर्तन

i) पहले एस–1 प्रपत्र में अभिदाता के पिता का पूरा नाम देना अनिवार्य था, अब एस–1 प्रपत्र में पिता के पूरे नाम के स्थान पर पिता/माता का पूरा नाम के रूप में कर दिया गया है। जहां अभिदाता पिता/माता का पूरा नाम के अंतर्गत ऐसी वांछा करे, प्रान कार्ड पर माता का नाम भी प्रदर्शित होगा।
ii) वार्षिक संव्यवहार विवरणिका को प्राप्त करने की भाषा के चयन का प्रावधान को अभिदाता पंजीकरण फाइल प्रारूप में उपलब्ध कराया गया है। इस फलैग का इस्तेमाल पंजीकरण के समय अभिदाता द्वारा चयनित भाषा मे संव्यवहार विवरणिका की मुद्रण के लिए किया जाएगा।
iii) अब, अभिदाता आधार कार्ड विवरण भी जमा करा सकते हैं जिसका सीआरए प्रणाली में अभिग्रहण कर लिया जाएगा।

3.13.5 पेंशन निधियां

i) पेंशन निधि के बारे में
पेंशन निधि से तात्पर्य ऐसी मध्यवर्ती से है जिसे अभिदाताओं से अंशदान एकत्रित करने, उसका संचयन करने और उसे ऐसी रीति में जैसा प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट हो, अभिदाताओं को भुगतान करने लिए पीएफआरडीए द्वारा पेंशन निधि के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त किया गया हो। पेंशन निधियां वे कंपनियां हैं जिन्हें कम्पनी अधिनियम, 1956/2013 के अंतर्गत और पेंशन निधि आस्तियों के प्रबंधन के उद्देश्य के लिए पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत किया गया है।

कार्य

पेंशन निधि के कार्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों और प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों के अनुरूप होते हैं। पेंशन निधि को एनपीएस के अंतर्गत शामिल अभिदाताओं की पेंशन आस्तियों का प्रबंधन और निवेश करने अथवा अन्य पेंशन योजना जिसका विनियमम पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है जिनमें निम्न शामिल है किन्तु निम्न तक सीमित नहीं है:

1. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अंशदानों का निवेश
2. योजना पोर्टफोलियों निर्माण
3. अपने परिचालन की बहियो और अभिलेखों का रख–रखाव
4. आवधिक अंतराल पर प्राधिकरण को संसूचित करना
5. सार्वजनिक प्रकटीकरण

पेंशन निधियों की सूची

31 मार्च 2015 को निम्न पेंशन निधि कार्यरत हैं:

क. सरकारी सेक्टर के लिए पेंशन निधि
- I. एलआईसी पेंशन फंड लि0
- II. एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लि0
- III. यूटीआई रिटायर्मेंट सोल्यूशन लि0

(*पेंशन निधि परिवर्तनशील है)

पेंशन निधि द्वारा प्रतिवर्ष 0.0102 प्रतिशत निवेश प्रबंधन शुल्क लिया जाता है।

ख. निजी सेक्टर के लिए पेंशन निधि
- i. एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कम्पनी लि0
- ii आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कम्पनी लि0
- iii कोटक महिन्द्रा पेंशन फंड लि0
- iv. एलआईसी पेंशन फंड लि0
- v. रिलायंस कैपिटल पेशन फंड लि0
- vi. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लि0
- vii. यूटीआई रिटायमेंट सोल्यूशन प्राइवेट लि0
- viii. डीएसपी ब्लैक रॉक पेंशन फंड मैनेजर प्राइवेट लि0*
- ix. बिरला सनलाईफ पेंशन मैनेजमेंट**

(* पेंशन निधि ने 1 अगस्त 2014 से स्वयं को पेंशन निधि के रूप में कार्य करने से हटा लिया है)

(** अभी व्यवसाय आरंभ करना बाकि है)

पेंशन निधि द्वारा लिया जाने वाला निवेश प्रबंधन शुल्क 31.07.2014 तक 0.25 प्रतिशत वार्षिक की उपरी सीमा के साथ था और 01.08.2014 से पेंशन निधि द्वारा लिया जाने वाला निवेश प्रबंधन शुल्क प्रति वर्ष 0.01 प्रतिशत है।

3.13.6 न्यासी बैंक

एक्सिस बैंक लि. को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के द्वारा 1 जुलाई, 2013 को दो वर्षों के लिए न्यासी बैंक रूप में नियुक्त किया गया है।

i) न्यासी बैंक की भूमिका और कार्य

क) न्यासी बैंक की नियुक्ति पीएफआरडीए द्वारा सीआरए की प्रणाली की विभिन्न संस्थाओं जैसे–पेंशन निधि, वार्षिकी सेवा प्रदाताओं, नोडल कार्यालयों (अपलोडिंग अधिकारी) जैसे कोष और लेखा निदेशालय/जिला कोष अधिकारी/वेतन और लेखा अधिकारी/उपस्थिति अस्तित्व/कॉरपोरेट शीर्ष कार्यालय/एनपीएस लाइट निगरानी कार्यालय/एनपीएस लाईट लेखा कार्यालय के मध्य निधि स्थानांतरण करने लिए की जाती है।
न्यासी बैंक, अभिदाताओं के अंशदान को नोडल कार्यालय से अपने अधिकृत शाखाओं के द्वारा आरटीजीएस/एनईएफटी ट्रांस्फर, चेक, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त करता है।

ख) न्यासी बैंक विभिन्न नोडल कार्यालयों से प्राप्त निधि के विवरण की फाइल को सीआरए प्रणाली में अपलोड करता है जिसका नोडल कार्यालय द्वारा सीआरए प्रणाली में उपलब्ध कराये गए अंशदान विवरण के साथ मिलान किया जाता है।

ग) न्यासी बैंक पे–इन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में विभिन्न संस्थाओं जैसे पेंशन निधि, वार्षिकी प्रदाताओं, आहरण खातों और पेंशन निधि से प्राप्त निधि के स्थानान्तरण के संबंध में सीआरए से निधि स्थानांतरण निर्देश भी प्राप्त करता है।

घ) अज्ञात प्रेषित राशि के संदर्भ में क्लियर फंड्स प्राप्ति के अगले दिन उसे वापस लौट दिया जाता है। वापस की गई प्रेषित राशि के विवरण सहित संभाव्य पी ए ओ फाइल को अपलोड करना।

ड) प्रत्येक समाधान दिवस के अंत में न्यासी बैंक की बकाया निधि और सीआरए प्रणाली के रिकॉर्डस को समायोजित किया जाता है।

ii) न्यासी बैंक के लिए समयसीमा

न्यासी बैंक की व्यवसायिक गतिविधियां सीआरए की अन्य प्रक्रियाओं से जुड़ी हैं। इसलिए, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि गतिविधियां निर्दिष्ट समयसीमा से पहले पूरी हो जाये। निम्न तालिका में बैंक की मुख्य गतिविधियों के बारे में और बैंक द्वारा उसे जिस समय सीमा में किया जाना है, के बारे में जानकारी मिलती है:

सारणी 3.9 न्यासी बैंक की मुख्य गतिविधियां

गतिविधियों की प्रकृति	समय सीमा
अज्ञात निधियों को लौटाना	टी +1
निधि प्राप्ति पुष्टिकरण फाइल (एफआरसी) को अपलोड करना	टी +1 (किसी भी समय)
सीआरए से पे–इन फाइलों को डाउनलोड करना	रोजाना
पेंशन निधि प्रबंधकों और प्रत्याहरण खातों को निधि का हस्तांतरण	टी + 2
विभिन्न खातों की विवरणिकाओं और अंतिम शेष को अपलोड करना	रोजाना (17:00 बजे)

अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रणाली में सुधार

iii) अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रणाली में सुधार

न्यासी बैंक की नियुक्ति नोडल कार्यालयों से निधि का स्थानांतरण पेंशन निधि को करने के लिए किया जाता है। अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रणाली में सुधार हेतु निम्न उपाय किये गये हैं:

क) एनपीएस में निधि विप्रेषण प्रक्रिया का मानकीकरण अभिदाताओं के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए एनपीएस के लिए नकद प्रबंधन सेवा (सीएमएस) को अपनाया गया है ताकि स्वाचालित मशीन, बुकिंग, आधुनिक तकनीक सुविधा, केन्द्रीकृत संकलन और भुगतान तथा सरल समायोजन का लाभ उठाया जा सके।

ख) टी + 1 दिवस पर अज्ञात विप्रेषण की वापसी (टी से तात्पर्य क्लीयर फंड की प्राप्ति दिवस से है)

निम्न परिपेक्ष्य मे न्यासी बैंक विप्रेक्षणों (टी + 1 दिवस) को वापस करता है :

i) जहां इलैक्ट्रोनिक निधि हस्तांतरण संदेश की अधिकृत स्थान में संबंधित संव्यवहार आई डी उपलब्ध न हो, विप्रेक्षित राशि एससीएफ राशि से भिन्न हो।

ii) समाप्त हो चुकी संव्यवहार आई डी के लिए राशि भेजी गई हो

iii) गलत खाता संख्या और गलत आईएफएससी के साथ जमा राशि

iv) सीआरए प्रणाली में अपलोड फाइल और जमा कराई गई राशि में भिन्नता होने पर

v) सरकारी क्षेत्र के लिए भुगतान का इलैक्ट्रॉनिक माध्यम

1 अप्रैल 2014 से सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए इलैक्ट्रोनिक माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे, चेक के निर्माण और प्रेक्षण में लगने वाले संसाधन समय और लागत को कम करने में सहायता मिली है और आगम की प्राप्ति में विलम्ब न होने के कारण निधियों के संकलन में तीव्रता और दक्षता आई है।

iv) चुनौतियों का सामाना

क) लम्बित एससीएफ–कई मामलों में ऐसा देखने में आया है कि नोडल कार्यालय ने या तो एससीएफ को दो बार अपलोड कर दिया है अथवा एससीएफ को निधियों का प्रेषण किया ही नहीं है। एनपीएस न्यास के पर्यवेक्षण और पीएफआरडीए की नियामक परिधि में टी बी एवं सीआरए इन एससीएफ का निर्धारित समयसीमा में मिलान और निर्धारण करते हैं।

ख) अप्राप्त जमा – कई बार नोडल कार्यालय नियमित रूप से समय पर निधियों का प्रेषण नहीं करते हैं। पीफआरडीए, अभिदाताओं के प्रान में गायब जमाओं के मुद्दे को संबंधित संगठनों–पीएओ के साथ लगातार इसे उठाते रहता है ताकि अभिदाता विलम्ब के कारण निवेश विकल्प का नुकसान न उठाना पड़े।

ग) अधूरे विवरण के साथ निधियों का प्रेषण – कई नोडल कार्यालय न्यासी बैंक को निधियों का प्रेषण पूर्ण विवरण जैसे पीएओ आडी, संव्यवहार आई डी इत्यादि के बिना ही कर देते हैं। न्यासी बैंक को मई 2012 से पूर्व ऐसे निधियां प्राप्त हुई, जो कि अज्ञात निधियां के रूप है जिससे नोडल कार्यालय न निधि हस्तांरण विवरण उपलब्ध करा

पाया है और न ही एससीएफ अपलोड कर पाया है। इसके निपटान हेतु पीएफआरडीए लगातार नोडल कार्यालय के सम्पर्क में है।

v) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम, 2015
पीएफआरडीए (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 को 23 मार्च 2015 को अधिसूचित किया गया है।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम का उद्देश्य न्यासी बैंक के रूप में कार्य करने की ईप्सा रखने वाली संस्थाओं की योग्यता, शासन, संगठन और परिचालन के मानकों को निर्धारित करना है। विनियम, पीएफआरडीए अधिनियम की भावना के अनुरूप यह विनियम निरीक्षण, संपरीक्षा, जांच, निगरानी और प्रवर्तन शक्तियों और एक प्रभावी अनुपालन कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

3.13.7 एनपीएस अभिरक्षकः

स्टॉक होल्डींग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को वर्ष 2008 में एनपीएस के अंतर्गत डिपॉजिटरी प्रतिभागी और अभिरक्षकीय सेवाएं देने के लिए 10 वर्षों के लिए अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। एससीएचआईएल द्वारा अभिरक्षक के रूप में प्रतिवर्ष 0.0075 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है।

3.13.8 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली – न्यास

1. एनपीएस संरचना में एनपीएस न्यास सभी आस्तियों का पंजीकृत अधिष्ठाता होता है। एनपीएस न्यास का गठन एक न्यास समझौते के माध्यम से 27 फरवरी 2008 को किया गया। न्यास, अभिदाताओं के लाभकारी हित के लिए तीन आस्तियों का प्रबंधन करता है। पीफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015 को प्राधिकरण द्वारा 12 मार्च 2015 को अधिसूचित किया गया।
2. एनपीएस न्यास समझौते के प्रावधानों के अनुसार न्यासियों के जिसमें कम से कम पांच और अधिकतम 11 के द्वारा किया जाता है। इनकी नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा की जाती है नियुक्त न्यासियों में से एक न्यासी को पीएफआरडीए द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
3. पीएफआरडीए उपयुक्त योग्यता और अनुभव से परिपूर्ण व्यक्ति को न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है जो न्यास के दिन–प्रतिदिन होने वाले प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रत्येक तीन कैलेण्डर महीनों में बोर्ड की एक बैठक होती है।

सारणी 3.10 31 मार्च 2014 को एनपीएस न्यास के वर्तमान न्यासी बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:–

क्र. सं.	नाम	पद
1	श्री जी. एन. बाजपेयी	अध्यक्ष
2	श्री शैलेश हरिभक्ति	न्यासी
3	श्रीमती एस. पल्लवी श्रोफ	न्यासी
4	श्री प्रमोद कुमार रस्तोगी	न्यासी
5	श्री एन. डी. गुप्ता	न्यासी
6	श्री अश्विन पारेख	न्यासी

एनपीएस न्यास द्वारा एनपीएस निधियों का प्रबंधन

न्यासी बोर्ड, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत परिचालन और सेवा स्तरीय कार्यों के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी होता है।

अभिदाताओं के विशिष्ट हितों को पूरा करने के एनपीएस न्यास के उद्देश्यों के मद्देनजर एनपीएस निधि के प्रबंधन पीएफआरडीए द्वारा निर्दिष्ट निवेश संबंधी दिशा–निर्देशों और न्यासी बोर्ड के पर्यवेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। एनपीएस न्यास द्वारा तिमाही आधार पर पेंशन निधियों के कार्यप्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। जब कभी भी आवश्यक हो अभिदाता के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा उन्हें उपयुक्त निर्देश/दिशा निर्देश दिए जाते हैं।

नये घटनाक्रम और उपलब्धियां

एनपीएस के योजना खाते – एनपीएस के योजना खातों की जांच और मंजूरी का कार्य एनपीएस न्यास बोर्ड द्वारा सम्यक तत्परता से किया गया। (वित्तीय वर्ष 2013–14)

सूचना का प्रसार

- अभिदाताओं को सूचना प्रसार की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस वर्ष एनपीएस न्यास की वेबसाइट शुरूआत की गई
- अभिदाताओं के लिए एनपीएस से संबंधित उपयोगी जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध है।
- अभिदाताओं की जानकारी और तुल्नात्मकता हेतु एनएवी विवरण, योजना के प्रतिलाभ, योजना का पोर्टफोलियो विवरण का प्रकटीकरण किया गया है।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु अभिदाताओं के लिए पोर्टफोलियो विवरण का प्रकटीकरण किया गया है।

वित्तीय साक्षरता

सेवानिवृत्ति के लिए बचत हेतु योजना निमार्ण के लिए अभिदाताओं को एनपीएस न्यास वेबसाइट पर 'पेंशन गणक' की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।

सुविधाओं का अंतराफलक

एफएक्यू, अभिदाता पंजीकरण प्रपत्र, सर्विस प्रपत्र और शिकायत दर्ज कराने और देखने जैसी सुविधाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया गया है।

एसओटी का सरलीकरण

अभिदाताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली संव्यवहार विवरणिका में प्रतिलाभ, नामिति, और शुल्क का विवरण जैसी नई विशेषताओं को समाविष्ट किया गया है।

अभिदाता प्रपत्र

सभी सेक्टरों के अभिदाताओं के लिए सामान्य अभिदाता पंजीकरण प्रपत्र का निर्माण किया गया है।

निकास और प्रत्याहरण

विचाराधीनता को कम करने और प्रत्याहरण दावा प्रक्रिया के प्रतिवर्तन काल को घटाने के लिए सभी नोडल कार्यालयों के मध्य ऑन लाइन प्रत्याहरण प्रक्रिया को 1 अप्रैल 2015 से अनिवार्य बना दिया गया है।

3.13.9 एग्रीगेटर सहित अन्य मध्यवर्तियां

एग्रीगेटर एक मध्यवर्ती संस्था है जिन्हें अपने स्थापित समूहों के संदर्भ में एनपीएस–स्वावलम्बन के अंतर्गत अभिदाताओं के क्रिया–कलापों हेतु इंटरफेस का कार्य करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा स्वीकृति और चिन्हित किया जाता है। पहले से विद्यमान ग्राहक आधारित सामाजिक–आर्थिक वस्तुओं/सेवाओं के कार्यकलापों से संबंधित कार्यों के लिए प्रसिद्ध संस्थाएं संकलनकर्ता होंगे। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार (रों), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीणा बैंकों, एमएफआई, एनबीएफसी और निजी सेक्टर की संस्थाओं सहित वर्ष 2014–15 तक 76 एग्रीगेटर नियुक्त किये जा चुके हैं।

एनपीएस लाईट खाते एग्रीगेटर के माध्यम से खोले जाते हैं और अभिदाता को इसके लिए संबंधित एग्रीगेटर से सम्पर्क करने की आवश्यकता होती है। मौजूदा एग्रीगेटरों की अद्यतन सूची पीएफआरडीए की वेबसाइट www.pfrda.org.in पर उपलब्ध है अथवा अभिदाता अपने निकटतम एग्रीगेटर की जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे कॉल सेन्टर नं. 18001100708 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

एग्रीगेटर के कार्य:

i) अपने संघटित समूहों के सदस्यों के मध्य एनपीएस और वृद्धावस्था आय सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में प्रचार करना ।

ii) संभावित एनपीएस अभिदाताओं के संदर्भ में एएमएल/सीएफटी अपेक्षाओं के अंतर्गत निर्धारित 'अपने ग्राहक को जाने' अपेक्षाओं की पूर्ति करना

iii) निर्धारित समय सीमा में निधि और आंकडों को अपलोड करने संबंधी दायित्व का निर्वाह करना।

iv) अभिदातों से अंशदान का संकलन और इसे न्यासी बैंक को भेजना सुनिश्चित करना।

v) अपने अधीनस्थ अभिदाताओं को एनपीएस लाइट के अंतर्गत निर्धारित सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

vi) अभिदाताओं से प्राप्त शिकायतों का प्रबंधन करना और उनका निपटान करनाा।

vii) अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पीएफआरडीए द्वारा उन्हें प्रदत्त कोई अन्य दायित्व का निर्वाह करना।

अध्याय–4

पीएफआरडीए द्वारा की जाने वाली अन्य गतिविधियां

4.1 पेंशन सलाहकार समिति

पीएफआरडीए अधिनियम के अनुच्छेद 45 में प्राधिकरण को विनियमों के निमार्ण अथवा उससे संबधित मुद्दों हेतु परामर्श देने के लिए कर्मचारियों, संगठनों, अभिदाताओं, वाणिज्य एवं उद्योग, पेंशन शोध से जुड़े संगठनों और मध्यवर्तियों के प्रतिनिधित्व वाली एक पेंशन सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। प्राधिकरण ने अनुलग्नक–। यथा शामिल लोगों के साथ 19 सितम्बर 2014 से प्रभावी एक पेंशन सलाहकार समिति का गठन किया। इस वर्ष के दौरान पेंशन सलाहकार समिति की नई दिल्ली में 7 नवम्बर, 2014, 17 नवम्बर 2014 और 9 दिसम्बर 2014 को बैठकें हुई।

4.2 विनियम निमार्ण और संशोधन

पीएफआरडीए अधिनियम के अनुच्छेद 52 प्राधिकरण को पीएफआरडीए अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु विनियम और नियमों का निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तदनुसार, पीएफआरडीए ने पीएफआडीए को प्रदत्त संवैधानिक कार्यों और विभिन्न मध्यवर्तियों के संबंध में 14 विनियमों का निर्माण किया है। उनमें से 9 को वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान अधिसूचित किया गया।

i) पीएफआरडीए (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया) विनियम 2015
ii) पीएफआरडीए (प्राधिकरण के अधिवेशनों की प्रक्रिया) विनियम 2015
iii) पीएफआरडीए (पेंशन सलाहकार समिति की बैंठकें) विनियम 2015
iv) पीएफआरडीए (अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि) विनियम 2015
v) पीएफआरडीए (अभिदाताओं की शिकायत का निवारण) विनियम 2015
vi) पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम 2015
vii) पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम 2015
viii) पीएफआरडीए (न्यासी बैंक) विनियम 2015
ix) पीएफआरडीए (संकलनकर्ता) विनियम 2015

विनियमों अनुसार मध्यवर्तियों के रजिस्ट्रीकरण की शुरूआत की जा चुकी है।

4.3 एनपीएस और अन्य पेंशन योजनाओं से संबंधित अन्य गतिविधियां

न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन प्रदान करने वाली और एनपीएस स्वाबलम्बन योजना के संशोधित संस्करण के रूप में अटल पेंशन योजना के शुरूआत के परिणामस्वरूप एनपीएस–लाईट/स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत नये नामांकन/पंजीकरण पर 1 अप्रैल, 2015 से रोक लगा दी गई है।

47.29 करोड़ देश की श्रमिक आबादी के लगभग 88 प्रतिशत भाग के रूप में असंगठित कामगारों की वृद्धावस्था आय सुरक्षा को ध्यान रखते हुए और उनकी सेवानिवृत्ति के लिए उन्हें स्वैच्छिक बचत के लिए प्रोत्साहित करने तथा देश को पेंशन रहित समाज से पेंशनयुक्त समाज की ओर अग्रसर करने के लिए अटल पेंशन योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना की घोषणा 2015 के बजट में की गई और 9 मई 2015 को इस योजना का शुभांरभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया।

एपीवाई की मुख्य विशेषताएं

i. 18 से 40 वर्ष की आयु समूह का कोई भी भारतीय नागरिक अपने बचत बैंक खाते के जरिये एपीवाई में शामिल हो सकता है।

ii. अभिदातों के लिए रूपये 1000 से रूपये 5000 तक की न्यूनतम गारंटीयुक्त मासिक पेंशन

iii. 1 जून 2015 से 31 दिसम्बर 2015 के बीच इस योजना में शामिल होने वाले योग्य अभिदाताओं के खाते में भारत सरकार भी पांच वर्षों के लिए कुल अंशदान का कम से कम 50 प्रतिशत और अधिकतम रूपये 1000 प्रति वर्ष का सह–अंशदान करेगी।

iii. सरकारी सह–अंशदान उन अभिदाताओं के लिए उपलब्ध है जो आयकर प्रदाता नहीं है और किसी अन्य संवैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभांवित नहीं है।

iv. अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रूपये 1000 से रूपये 5000 तक की न्यूनतम गारंटीयुक्त मासिक पेंशन

v. अभिदाता की मृत्यु होने पर पति/पत्नी को समान पेंशन राशि मिलेगी

vii. अभिदाता और पति/पत्नी दोनों की मृत्यु होने पर किये अंशदान के आधार पर रूपये 1,70,000 से रूपये 8,50,000 की संचित पेंशन राशि का भुगतान नामिति को किया जाएगा।

अध्याय–5

संगठनात्मक विषय

5.1 पीएफआरडीए बोर्ड का गठन

पीएफआरडीए अधिनियम का अनुच्छेद 4, एक अध्यक्ष और तीनपूर्ण–कालिक सदस्यों और तीन अंश–कालिक सदस्यों, जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी, के संयोजन से प्राधिकरण के गठन की व्यवस्था करता है। 31.03.2015 को प्राधिकरण की संरचना इस प्रकार है:

(i) अध्यक्ष

2014 में पीएफआरडीए अधिनियम के अधिसूचित होने के पश्चात श्री हेमंत जी. कान्ट्रेक्टर, संवैधानिक संस्था पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के प्रथम अध्यक्ष हैं। 7 अक्टूबर 2014 को उनकी नियुक्ति हुई। पीएफआरडीए में नियुक्ति से पूर्व वे बैकिंक क्षेत्र में कार्यरत थे, 1974 में वे भारतीय स्टेट बैंक में परीवीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए।

7 अक्टूबर 2014 से पूर्व श्री आर. वी. वर्मा, पूर्ण कालिक सदस्य (वित्त) ने 23 मई 2014 से पीएफआरडीए के कार्यवाहक अध्यक्ष का पदभार संभाला।

(ii) पूर्ण–कालिक सदस्य

1. श्री आर. वी. वर्मा, पूर्ण कालिक सदस्य (वित्त), 13.05.2014 से निवर्तमान
2. डॉ. बी. एस. भण्डारी, पूर्ण कालिक सदस्य (अर्थशास्त्र), 16.05.2014 से निवर्तमान

(iii) अंश–कालिक सदस्य

1. सुश्री सुधा कृष्णन, संयुक्त सचिव, व्यय विभाग , 3 दिसम्बर 2012 से 12 सिम्बर 2014 तक
2. डॉ. अनूप वधावन, संयुक्त सचिव (पी एण्ड आई) वित्तीय सेवाएं विभाग और अंशकालिक सदस्य, पीएफआरडीए (25 जुलाई 2013 से 30 जनवरी 2015 तक) और 13 नवम्बर 2013 से 16 मई 2014 तक पीफआरडीए के अध्यक्ष (समवर्ती प्रभार) के रूप में भी कार्यरत रहे।
3. सुश्री वंदना शर्मा, संयुक्त सचिव, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग 12 दिसम्बर से निवर्तमान
4. श्री एन्नी जार्ज मैथ्यू, संयुक्त सचिव, व्यय विभाग 12 दिसम्बर से निवर्तमान
5. डॉ. शशांक सक्सेना, अर्थशास्त्र सलाहकार, वित्तीय सेवाएं विभाग, 30 जनवरी 2015 से निवर्तमान

5.2 प्राधिकरण की बैठकें

प्राधिकरण के परिचालन के माध्यम से निर्धारित मुद्दों सहित वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान प्राधिकरण की ग्यारह बैठके हुईं।

23 अप्रैल, 2014 को प्राधिकरण की 33 वीं बैठक हुई
16 मई 2014 को प्राधिकरण की 34 वीं बैठक हुई
23 मई, 2014 को प्राधिकरण की 35 वीं बैठक हुई
6 जून, 2014 को प्राधिकरण की 36 वीं बैठक हुई
21 जुलाई, 2014 को प्राधिकरण की 37 वीं बैठक हुई
परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण की 38 वीं बैठक
परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण की 39 वीं बैठक
8 दिसम्बर, 2014 को प्राधिकरण की 40वीं बैठक हुई
27 जनवरी , 2015 को प्राधिकरण की 41वीं बैठक हुई
20 फरवरी , 2015 को प्राधिकरण की 42 वीं बैठक हुई
परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण की 43 वीं बैठक हुई

पीएफआरडीए अधिनियम के अनुसार विनियमों कों अंतिम रूप देने का निर्णय बोर्ड की बैठकों के दौरान लिया गया।

5.3 सूचना तकनीक

वर्तमान में प्रत्येक संगठन में व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सूचना तकनीक आज एक मुख्य साधन बन गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, पीएफआरडीए

ने विगत कुछ वर्षों के दौरान इन कार्यों को निष्पादित करने के लिए आई टी से संबंधित विभिन्न कदम उठाये हैं। पीएफआरडीए द्वारा हाल ही में किये गये प्रयासों की जानकारी नीचे दी गई है:–

पीएफआरडीए वेबसाइट

एक वेबसाइट, व्यक्तियों / ग्राहकों / उपभोगताओं / अंश धारकों तक किसी संगठन और उससे संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी प्रसारित करने का सबसे प्रभावशाली मंच है। पीएफआरडीए, एनपीएस, उसकी मध्यवर्तियों, नियामक रूपरेखा, प्रशिक्षण, शिकायत निवारण इत्यादि से संबंधित जानकारी सरलता से अभिदाताओं के लिए अभिगम्य बनाने हेतु पीएफआरडीए वेबसाइट को पुर्ननिर्मित किया गया है। यह वेबसाइट विभिन्न उपकरणों जैसे–डेस्कटॉप, लैपटॉप और स्मार्ट फोन पर आसानी से परिचालन योग्य है।

भारत सरकार के वेबसाइट के लिए दिशा निर्देश (जीआईजीडब्यू) जो कि किसी वेबसाइट के अभिदाता / ग्राहक केन्द्रित एवं सुगम उपयोगी होने तथा विशेष प्रकार से सक्षम व्यक्तियों सहित सभी के लिए समान रूप से संसाधित होने के महत्व पर जोर देते हैं, के अनुसार इसे सवंर्धित किया गया है।

आम लोग विशेषकर वृहद हिन्दी भाषी लोगों तक सूचनाओं के प्रसार के लिए वेबसाइट को द्वि–भाषी बनाया गया है।

प्रचार के साथ–साथ दर्शनीयता और सरल अभिगम्यता का साधन होने के कारण पीएफआरडीए द्वारा, एनपीएस कार्यक्रमों को प्रचारित करने हेतु इस वेबसाइट का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जा रहा है।

5.4 कार्यालयी भाषा का प्रचार–प्रसार

पीएफआरडीए में हिन्दी भाषा को प्रसारित करने और भारत सरकार की राजभाषा नीति का क्रियान्वयन करने हेतु राजभाषा अधिनियम के अनुच्छेद 3 (3) की तर्ज पर पीएफआरडीए में एक राजभाषा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। प्राधिकरण के दैनिक कार्यों में हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया गया। राजभाषा में प्राप्त पत्रों का जवाब का राजभाषा में दिया जाता है। हिन्दी में प्राप्त आरटीआई पत्रों का जवाब हिन्दी में दिया जाता है। वार्षिक गुप्त रिपोर्ट, एसेट लाइबिलिटी प्रपत्र द्विभाषिक रूप में कर्मचारियों को उपलब्ध कराये जाते हैं।

हिन्दी भाषी क्षेत्रों के अभिदाताओं के बड़े वर्ग को पीएफआरडीए की संरचना के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं की भूमिका, कार्यों और उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूक बनाने हेतु पीएफआरडीए द्वारा निर्मित सभी विनियमों को द्वि–भाषिक बनाया गया है।

समाज के विभिन्न वर्गों के संबंधित एनपीएस उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए पीएफआरडीए की मौजूदा वेबसाइट की पुनः संरचना करके इसे द्विभाषिक बनाया जा रहा है। आम लोगों के हित के लिए वेबसाइट के विषय–वस्तुओं का हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है। संव्यवहार विवरणिका (एसओटी) को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अभिदाताओं को प्रेषित किया जा रहा है।

हिन्दी में अभिदाता पंजीकरण प्रपत्र

भारतीय जनसंख्या के एक बड़े भाग की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, अधिभावी अभिदाताओं को अभिदाता पंजीकरण प्रपत्र (प्रपत्र एस 1) हिन्दी में उपलब्ध कराया गया है। चूँकि एस1 प्रपत्र केवल अंग्रेजी में ही भरा जाता है इसलिए सीआरए में अभिदाताओं के अभिलेख को अंग्रेजी में ही संधृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सभी सेक्टरों के लिए प्रान किट के आवरण पत्रों के हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में मुद्रण का कार्य प्रगति पर है।

5.5 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पीएफआरडीए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का पालन कर रहा है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के नेतृत्व में अलग प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान एनपीएस और स्वालम्बन योजना में खाता खुलवाने, स्थानांतरण, प्रत्याहरण एवं निकास, पीओपी इत्यादि से संबंधित 347 आवेदन और 5 अपील प्राप्त हुई। सभी आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में उत्तर दिया गया। कोई भी नागरिक आरटीआई के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा में लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्धारित

शुल्क के साथ निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:–केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, प्रथम तल, आईसीएडीआर भवन, प्लॉट संख्यां 6, संस्थागत क्षेत्र, फेज – 2, वसंत कुंज, नई दिल्ली

5.6 आपदा प्रबंधन योजना

किसी भी प्रकार की प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाओं जैसे आग, डाटा सुरक्षा, चोरी इत्यादि से निबटने के लिए पीएफआरडीए ने आपदा प्रबंधन योजना तैयार की है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अन्य मध्यवर्ती संस्थाएं जैसे – सीआरए, न्यासी बैंक आदि भी प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाओं से निबटने के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें।

5.7 पीएफआरडीए में कर्मचारियों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2014–15 में कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद, 31 मार्च 2015 को पीएफआरडीए में कर्मचारियों की संख्या 49 है जिसमें 47 अधिकारी वर्ग के हैं।

5.8 विभागों का पुर्नसंगठन

पेंशन सेक्टर का प्रसार और विकास, प्रणाली का निष्पादन/क्रियान्यवयन/परिचालन और प्रणाली का पर्यवेक्षण और निरीक्षण जैसी पीएफआरडीए को प्रदत्त भूमिका और उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान पीएफआरडीए विभाग को तीन लम्बवत ढांचों में पुर्नसंगठित किया गया। पीएफआरडीए का संगठनात्मक ढ़ांचा इस प्रकार है :–

तालिका : 4.1 : संगठन तालिका

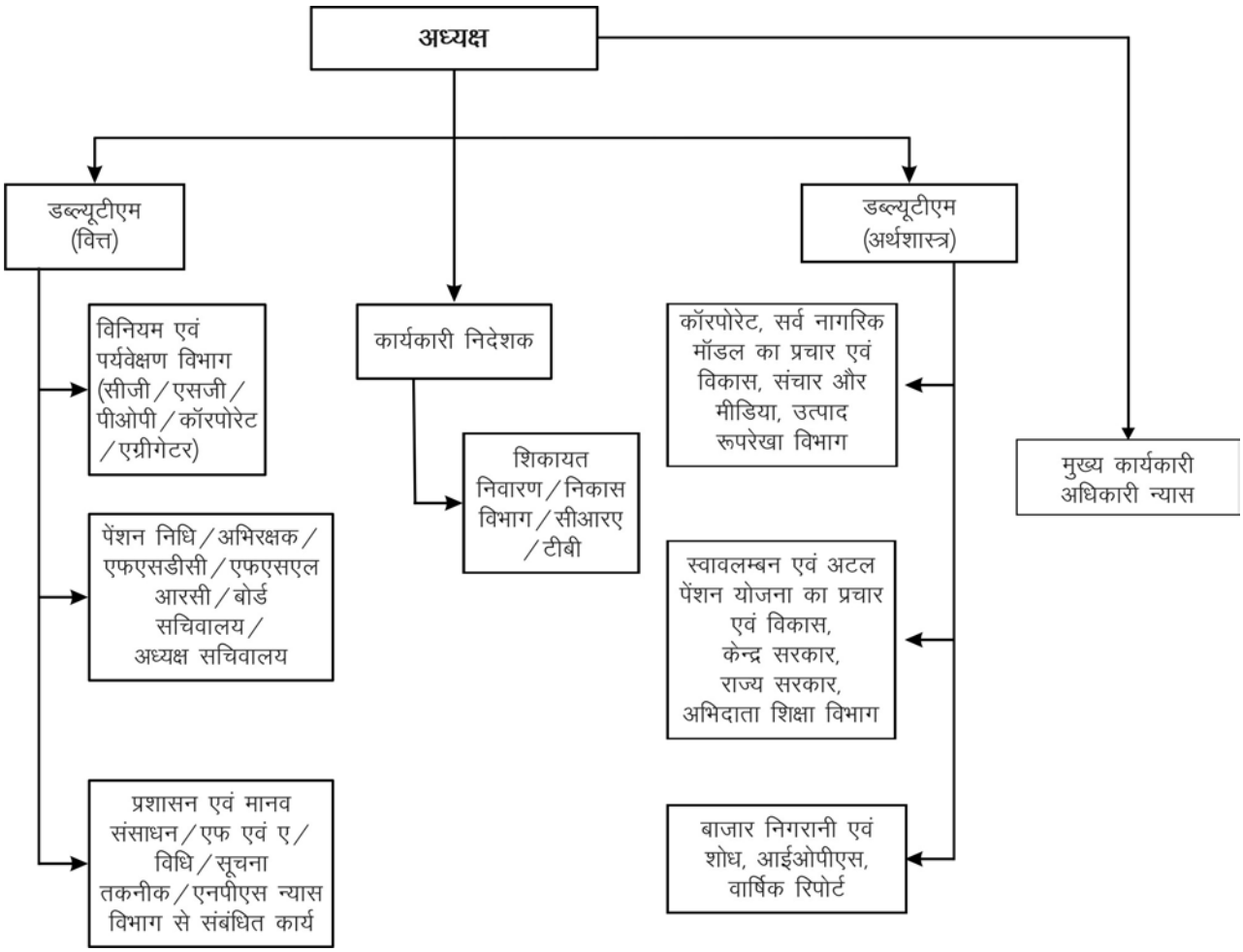

5.9 पीएफआरडीए में ओबीसी/एससी/एसटी प्रकोष्ठ का गठन

ओबीसी/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकार के दिशा–निर्देशों को क्रियान्वित करते हुए एक पृथक ओबीसी/एससी/एसटी/ प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और कल्याणकारी समिति की बैठकें तिमाही आधार पर होती है।

5.10 कार्यस्थल पर यौन शोषण के विरूद्व समितिः

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन भाोशण (रोकथाम,निशेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अनुरूप कार्यस्थल पर यौन भाोशण से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने, जांच कराने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

5.11 पीएफआरडीए के खाते

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान पीएफआरडीए को भारत सरकार की ओर से 31.00 करोड़ रूपये का अनुदान प्राप्त हुआ।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय बजट 2010–11 में सह–अंशदान पेंशन योजना' स्वावलम्बन' की घोषणा की। देश भर में स्वालम्बन योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पीएफआरडीए को दी गई। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान पीफआरडीए को योजना के अंतर्गत, केन्द्र सरकार के सह–अंशदान, एग्रीगेटरों के लिए प्रोत्साहन राशि और अन्य गतिविधियों के लिए रूपये 195.00 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। वित्त मंत्री ने 2015–16 के लिए अपने बजट अभिभाषण में असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए अटल पेंशन योजना की घोषणा की। 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के सभी एनपीएस लाइट/स्वालम्बन अभिदाता अटल पेंशन योजना में स्थानांतरित होने के योग्य है।

(करोड़ रू.)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान प्राप्त अनुदान (करोड़/रूपये)	वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान जारी संदाय (करोड़/रूपये)
1.	सहायता अनुदान सामान्य	23.00	24.99
2.	सहायता अनुदान वेतन	8.00	8.01
3.	सहायता अनुदान – स्वावलम्बन योजना (सह – अंशदान)*	175.00	275.96
4.	सहायता अनुदान – स्वावलम्बन योजना (प्रचार और विकास)*	20.00	24.96

* अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान और प्रारंभिक जमा और फीस के द्वारा संदाय जारी किया गया।

सरकार द्वारा स्वशासी संगठनों के लिए निर्धारित मानक लेखा नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2014–15 का लेखा तैयार किया गया। इस वित्तीय लेखा को 1 अगस्त, 2015 को हुई बोर्ड की 47वीं बैठक में स्वीकृति दी गई। पीएफआरडीए की बैलेंस शीट, आय एवं व्यय खाते के साथ वित्तीय विवरणिका के शेष भाग के रूप में शेड्यूल्स की जानकारी अनुलग्नक दस में दी गई है।

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के प्रावधानों और बोर्ड की अनुमति के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए पीएफआरडीए के खातों को लेखा जांच के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास भेजा गया है।

अध्याय–6

पेंशनधारकों के हितों को बुरी तरह प्रभावित करने वाले अन्य संवेदनशील क्षेत्र

6.1 एनपीएस की ई ई टी स्थिति

एनपीएस की शुरूआत केन्द्र सरकार द्वारा 01.01.2004 को और उसके बाद नियुक्त केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वशासी निकाय के कर्मचारियों, सशस्त्रबलों को छोड़कर, के लिए की गई थी। इसके बाद, अधिकांश राज्य सरकार/राज्य स्वशासी निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एनपीएस में शामिल हो गये। इन संस्थाओं के कर्मचारी अब टीयर। खाते के माध्यम से एनपीएस के अंतर्गत अनिवार्य रूप से शामिल हैं। वास्तव में, एनपीएस टीयर । कर्मचारियों का पेंशन खाता है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन पाने के लिए कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा अंशदान किया जाता है।

एनपीएस एक वृद्धावस्था आय सुरक्षा है जिसमें सामाजिक सुरक्षा का तत्व विद्यमान है और इस प्रकार इसे एक सामान्य निवेश उत्पाद के स्थान पर अधिमान्य आधार पर देखा जाना चाहिए।

अंशदायी भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि, अधिवार्षिता निधि और लोक भविष्य निधि जैसी अन्य समान योजनाएं बाजार प्रतिस्पर्धी योजनाए हैं और यह योजनाएं ईईई स्थिति के साथ हैं। एनपीएस टीयर । के लिए वर्तमान कर व्यवस्था छूट/छूट/कर (ई ई टी) है। हालांकि, इस प्रकार के समान पेंशन उत्पादों के लाभार्थी जैसे कि परिभाषित लाभ पेंशन योजना के अंतर्गत विनिमय, ईपीएफ/ईपीएस और स्वीकृत अधिवार्षिता निधियों (एसएएफ) ईईई कर व्यवस्था का लाभ उठाते हैं।

अभिदाताओं के हित में यह अनुशंसा की गई है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराने के लिए पीएफआरडीए द्वारा स्वीकृत और विनियमित एनपीएस और अन्य पेंशन योजना निधियों से प्रत्याहरण के समय वार्षिकियों की खरीद को कर से मुक्त कर देना चाहिए और परिभाषित लाभ पेंशन योजना/जीपीएफ/ईपीएफ और एसएएफ के समान ही एनपीएस के संदर्भ में ईई ई कर व्यवस्था को मंजूरी दी जानी चाहिए।

6.2 निधि प्रबंधकों और निवेश वर्गों का विकल्प

सरकारी कर्मचारियों के साथ पीएफआरडीए अधिकारियों के परस्पर विचार–विमर्श के दौरान इस बात पर विवेचन किया गया कि पीएफआरडीए अधिनियम अभिदाताओं द्वारा पीएफएम और आस्ति वर्गों के चुनाव की व्यवस्था उपलब्ध कराता है। हालांकि, अभी तक सरकारी कर्मचारियों तक इसका विस्तार नहीं किया गया है।

6.3 एनपीएस के अंतर्गत वार्षिकी की खरीद पर सेवा कर

एक एनपीएस अभिदाता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा अधिवार्षिता की आयु पर अपने संचित पेंशन निधि में से 40 प्रतिशत का उपयोग वार्षिकी में करना पड़ता है। सेवा कर नियमों के नियम 6 (7 क) (ii) के अंतर्गत राजस्व विभाग अधिसूचना संख्या 3/2012 – सेवाकर दिनांक 17.03.2012 के अनुसार वार्षिकी के प्रावधान के लिए प्रिमीयम शुल्क (एकबारगी अंशदान) पर सेवा कर 3 प्रतिशत होगा जिस पर अन्य शिक्षा कर 3 प्रतिशत होगा, इस प्रकार कुल 3.09 प्रतिशत होगा। यह निवल वार्षिकीकृत राशि में कमी लाएगा और मासिक पेंशन में भी। अभिदाताओं के हित में यह अनुशंसा की गई है कि पीएफआरडीए द्वारा स्वीकृत और विनियमित एनपीएस से वार्षिकी की खरीद और अन्य पेंशन योजना निधि को सेवा कर से मुक्त किया जाए।

अध्याय–7

पीएफआरडीए द्वारा किये गये प्रयास

1) सीआरए में अपने नवीनतम सम्पर्क विवरण जैसे ई मेल पते और मोबाईल नम्बर को संशोधित/अद्यतन कराने मे अभिदाताओं को समर्थ बनाने हेतु, सभी एनपीएस अभिदाताओं के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसके अंतर्गत सीआरए प्रणाली के परिचय पत्र द्वारा सीधे लॉग–इन का इस्तेमाल करके सम्पर्क विवरण को संशोधित/अद्यतन किया जा सकता है।

2) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं के निकास और प्रत्याहरण के दावों को अधिक सरल और कारगर बनाने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है कि सभी नोडल कार्यालय (पीएओ/डीडीओ/पीओपी/एग्रीगेटर इत्यादि) अपने अधीनस्थ अभिदाताओं के प्रत्याहरण दावों को सीआरए प्रणाली में उपलब्ध ऑन लाइन प्लेटफार्म पर संसाधित करेंगे। 1 अप्रैल 2015 से सभी प्रत्याहरण दावों को ऑन लाइन रूप में संसाधित करने को अनिवार्य बना दिया गया है। सीआरए एम/एस एनएसडीएल ई–गर्वनेंस सर्विसिस लि0 नोडल कार्यालयों को दिशा निर्देश और प्रशिक्षण के माध्यम से अपेक्षित सहयोग उपलब्ध करा रहा है ताकि वेबआधारित प्रत्याहरण/निकास कार्यात्मकता का भलि भांति उपयोग किया जा सके।

   यह कार्यात्मकता सीआरए की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है और किसी भी स्तर के अधिकारी द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है।

3) संव्यवहार विवरणिका (एसओटी) को वित्तीय वर्ष वार एनएलसीसी द्वारा देखा और डाउनलोड किया जा सकता है।

   ई–प्रान कार्ड को एनएलसीसी द्वारा सृजित/डाउनलोड किया जा सकता है। एनएलसीसी ई–प्रान कार्ड को मुद्रित भी कर सकत है। ई प्रान कार्ड मूल प्रान कार्ड के समान ही है और इस पर भी अभिदाता के हस्ताक्षर और फोटोग्राफ के साथ अभिदाता का विवरण प्रदर्शित होगा। हालांकि ई प्रान कार्ड, मूल प्रान कार्ड का स्थान नहीं ले सकता। जब कभी भी आवश्यक हो अभिदाता को मूल प्रान कार्ड प्रस्तुत करना होगा। सीआरए स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार मूल प्रान कार्ड को भेजना जारी रखेगा।

4) अटल पेंशन योजना के संदर्भ में परिचालन लागत को कम करने के उद्देश्य से मूल प्रान कार्ड की आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। रजिस्ट्रीकरण के समय दी जाने वाली पावती रसीद, जिसमें अभिदाता से अपेक्षित सभी आवश्यक विवरण मौजूद होने के कारण, इसे ही मूल प्रान कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

5) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के पणधारियों को समुचित और प्रभावी सूचना प्रसार उपलब्ध कराने हेतु एनपीएस न्यास की एक वेबसाइट की शुरूआत की गई है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा लाभार्थियों (अभिदाताओं) के हित में एनपीएस के अंतर्गत आस्तियों और निधियों की देखरेख के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का गठन व स्थापना की गई है।

6) एनपीएस को अपने अभिदाताओं के लिए और अधिक ग्राह्य बनाने हेतु निजी सेक्टर के लिए निवेश प्रबंधन शुल्क (आईएमएफ) में संशोधन कर प्रबंधन के अधीन आस्तियों को 1 अगस्त, 2014 को 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.01 प्रतिशत कर दिया गया है।

7) निजी सेक्टर में एनपीएस योजनाओं के लिए निवेश संबंधी दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए श्री जी. एन. बाजपेयी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है और पीफआरडीए रिपोर्ट की अनुशंसाओं की समीक्षा कर रहा है।

8) वर्ष के दौरान एनपीएस लाइट/स्वावलम्बन के अंतर्गत निम्न गतिविधियां निष्पादित की गई :

   i) एनपीएस लाईट/स्वावलम्बन के अंतर्गत पंजीकृत अभिदाताओं को, उनके द्वारा संबंधित एग्रीगेटर को दिये अभिदाता पंजीकरण प्रपत्र में उल्लेखित डाक पते पर प्रान कार्ड को सीआरए द्वारा सीधे अभिदाता को प्रेक्षित किया जाना ।

   ii) अभिदाताओं के पास अपनी शिकायत सीधे सीजीएमएस प्रणाली के अंतर्गत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। प्रणाली की विश्वसनीयता को बढ़ाने और अभिदाताओं को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार को ध्यान में रखते हुए पीएफआरडीए ने सीआरए के साथ परामर्श के बाद, सीआरए प्रणाली में शिकायत दर्ज कराने की सुविधा का विस्तार एनपीएस लाईट/स्वावलम्बन के अंतर्गत पंजीकृत सभी अभिदाताओं तक करने का निर्णय लिया। एनपीएस

लाईट/स्वावलम्बन अभिदाता अब सीधे अपनी शिकायत सीआरए वेबसाइट (www.npscra.nsdl.co.in) पर दर्ज करा सकेंगे।

iii) एनपीएस लाइट संकलन केन्द्र को (एनएलसीसी) वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का इस्तेमाल करके एनपीएस लाइट स्वावलम्बन अभिदाताओं की संव्यवहार विवरणिका को देखने और डाउनलोड करने के लिए सीआरए प्रणाली का इस्तेमाल करने और साथ ही एनपीएस लाइट/स्वावलम्बन के अंतर्गत पंजीकृत अभिदाताओं के लिए ई प्रान कार्ड सृजित और डाउन लोड करने की सुविधा दी गई।

9) पीओपी की बड़ी सहभागिता के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की बेहतर प्रसार को सुनिश्चित करने हेतु निजी सेक्टर के अंतर्गत सभी अभिदाताओ के लिए एनपीएस के अंतर्गत पीओपी के लिए प्रारंभिक अभिदाता पंजीकरण शुल्क को 100/–रूपये से बढ़ाकर 125/– रूपये कर दिया गया है।

7.1 विज्ञापन और प्रचार

एनपीएस के समग्र विकास के लिए कॉरपोरेट और उनके कर्मचारियों के मध्य एनपीएस के बारे में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। इस संबंध में, पीएफआरडीए अपने मध्यवर्तियों जैसे– पीओपी और पेंशन निधियों को उनके विपणन/प्रचारप्रयासों में सहयोग करता है।

कॉरपोरेट को एनपीएस के बारे में जानकारी/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने और जागरूकता पैदा करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा सम्मेलनों/सेमिनार, संगोष्ठी के माध्यम से सभी प्रयास किये जा रहे हैं और मध्यवर्तियों जैसे सीआरए, पीओपी, पीएफ इत्यादि और सीआईआई, एफआईसीसीआई, एएसएसओसीएचएएम, पीएचडी, चैम्बर्स ऑफ कामर्स इत्यादि जैसी औद्योगिक संस्थाओं द्वारा भी प्रचारात्मक कार्य किये जा रहे हैं।

7.1.1 एनपीएस जागरूकता अभियान

सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए और सेवानिवृत्ति के लिए बचत की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के पीएफआरडीए के आदेश की पूर्ति करते हुए पीएफआरडीए ने एनपीएस सेव राइट, रिटार्यर ब्राइट के शीर्षक के अंतर्गत एक मीडिया अभियान शुरू किया है। यह शीर्षक न केवल उत्पाद (एनपीएस) सार को समेटे हुए है बल्कि आम लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद के सुखी और आरामदायक जीवन के लिए, उनके द्वारा नियमित बचत करने और सुदृढ निधि के निर्माण के लिए उचित उत्पाद में निवेश करने के बारे में भी याद दिलाता है।

एनपीएस – सेव राईट, रिटायर ब्राइट – एनपीएस जागरूकता अभियान' की शुरूआत की गई है। यह अभियान प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से चलाया गया और दिसम्बर 2015 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान हिन्दी, अंग्रेजी सहित 11 अन्य क्षेत्रीय शाषाओं में 130 से अधिक समाचार पत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर चलाया गया।

बेहतर वांछित परिणाम के लिए प्रत्येक अभियान श्रृंखला को लगातार दो दिन तक चलाया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न मीडिया साधनों में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए श्रव्य/दृश्य (एवी), रेडियो (एफ एम चैनलों), रेल पूछताछ (139) और आउट डोर मीडिया (मैट्रो रेल के भीतर) भी अभियान चलाया गया।

विभिन्न प्रचार अभियानों का विवरण निम्न है:–

क. प्रिन्ट मीडिया के अंतर्गत, सेवानिवृत्ति योजना क्यो आवश्यक है, एनपीएस क्या है, सेवानिवृत्ति योजना, कर बचत और सेवानिवृत्ति योजना और निवेश जैसे तीन मुद्दों को समाहित करता हुए विज्ञापन 5/6 दिसम्बर 2014, 18/19 दिसम्बर 2014 और 26/27 फरवरी 2015 को क्रमशः प्रकाशित किया गया।

ख. श्रव्य/दृश्य मीडिया के अंतर्गत, एनपीएस डोनेशन एंड एनपीएस स्वावलम्बन नाम से टीवी विज्ञापन 7 जून 2014 से 17 जून 2014, 26 अप्रैल 2014 से 4 मई 2014 तक प्रसारित किया गया।

एनपीएस स्वावलम्बन के नाम से रेडियो विज्ञापन का प्रसारण 18 मई 2014 से 27 मई 2014 तक किया गया।

ग. रेल पूछताछ नं0 139 पर एनपीएस स्वावलम्बन नाम से रेडियो विज्ञापन का प्रसारण एक फरवरी माह से मार्च 2015 तक किया गया।

घ. आउटडोर मीडिया अभियान के अंतर्गत फरवरी 2015 से मार्च 2015, एक महीने तक एनपीएस पोस्टर प्रदर्शित किये गये।

7.1.2 एनपीएस त्रैमासिक सूचना पत्र

व्यक्तिगत स्तर पर अभिदाताओं के साथ सम्पर्क स्थापित करने और इसके द्वारा उत्पाद में अभिदाताओं के विश्वास को बढ़ाने और एनपीएस से संबधित विभिन्न विषयों जैसे कर बचत, प्रतिलाभ, आस्ति वर्ग, निवेश विकल्प इत्यादि से संबंधित अभिदाता की रूचि को भांपते हुए पीएफआरडीए द्वारा नवम्बर 2014 से त्रैमासिक सूचना पत्र जारी किया जा रहा है।

नेशनल पेंशन सिस्टम – एन इंट्रोडक्शन और टैक्स सेविंग थ्रू एनपीएस जैसे विषयों पर सूचना पत्र को क्रमशः नवम्बर 2014 और मार्च 2015 में जारी किया गया और सीजी, एसजी और कॉरपोरेट सेक्टर के एनपीएस अभिदाताओं की पंजीकृत ई मेल आई डी पर अग्रप्रेषित किया गया।

अनुलग्नक : I पेंशन सलाहकार समिति (पीएसी) का गठन और पीएसी बैठकों के दौरान विचारित मुद्दे

1. डॉ. अजय शाह, प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पॉलिसी
2. श्री अनिल कुमार खाची, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
3. सुश्री आशु सुयश, निदेशक, द एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया
4. श्री चंद्रजीत बनर्जी, महानिदेशक, भारतीय उद्योग परिसंघ
5. श्री डी. वी. एस. एस. वी. प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फिक्सड इनकम मनी मार्केट एण्ड डिरावेटिवस् एसोसिएशन ऑफ इंडिया
6. श्री जी. एन. बाजपेयी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास
7. श्री गगन राय, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनएसडीएल ई–गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि0
8. डॉ0 एल. एच. मंजूनाथ, कार्यकारी निदेशक, श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना
9. सुश्री मेघना बाजी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कम्पनी लि0
10. श्री एम. वी. टंकसाले, मुख्य कार्यकारी, भारतीय बैंक संघ
11. डॉ0 मुकुल अशर , प्रोफेशनल फेलो, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर
12. श्री पी. के. चौधरी, अध्यक्ष एवं समूह कार्यकारी अधिकारी, आईसीआरए लि0
13. श्री आर. सुन्दरारमन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रमुख, बिजनेस एक्सेलेंस और न्यू प्रोडक्टस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि0
14. श्री आर. श्रीधरन, प्रबंध निदेशक, द क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंण्डिया लि0
15. श्री राघवेन्द्र लाल दास, मुख्य महाप्रबंधक–प्रभार, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक
16. श्री सोमा संकरा प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस.बी.आई. पेंशन फंड प्राइवेट लि0
17. सुश्री त्रिशलजीत सेठी, उप–मुख्य निदेशक (स्थापना), डाक निदेशालय
18. मुख्य सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार

प्राधिकरण का अध्यक्ष, पेंशन सलाहकार समिति का पदेन अध्यक्ष और प्राधिकरण के सदस्य समिति के पदेन सदस्य होंगे।

प्रथम पीएसी बैठक में निम्नलिखित विनियमों पर चर्चा की गई।

- पीएफआरडीए (पेंशन सलाहकार समिति की बैंठकें) विनियम 2015
- पीएफआरडीए (प्राधिकरण के अधिवेशनों की प्रक्रिया) विनियम 2015
- पीएफआरडीए (अभिदाता शिक्षा और संरक्षण कोष) विनियम 2015
- पीएफआरडीए (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया) विनियम 2015
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम 2015

द्वितीय पीएसी बैठक में निम्नलिखित विनियमों पर चर्चा की गई।

- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति असस्तिव) विनियम, 2015
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (एग्रीगेटर) विनियम, 2015
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015

तीसरी पीएसी बैठक में निम्नलिखित विनियमों पर चर्चा की गई।

- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी) विनियम, 2015
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूति का अभिरक्षक) विनियम, 2015
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम, 2015
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और आहरण) विनियम, 2015

अनुलग्नक : II एनपीएस के अंतर्गत मध्यवर्तियां

क्रम संख्या	मध्यवर्तियां
1	एनपीएस न्यास
2	केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण
3	पेंशन निधि
4	न्यासी बैंक
5	अभिरक्षक
6	सरकारी नोडल कार्यालय (केन्द्रीय स्वशासी निकाय और राज्य स्वशासी निकाय)
7	उपस्थिति अस्तित्व
8	संकलनकर्ता

अनुलग्नक : III पीओपी की सूची

पीओपी सेवा प्रदाताओं के साथ पीओपी की संख्या

क्रम संख्या	पीओपी पंजीकरण संख्या	पीओपी का नाम	पीओपी–एसपी की संख्या
1	5000284	अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड	41
2	5000251	अलंकित असांइमेंट लिमिटेड	1041
3	5000015	इलाहाबाद बैंक	286
4	5000472	आंध्रा बैंक	317
5	5000111	एक्सिस बैंक लिमिटेड	2318
6	5000365	बजाज कैपिटल लिमिटेड	50
7	5000413	बैंक ऑफ बड़ौदा	2
8	5000424	बैंक ऑफ इंडिया	5
9	5000520	बैंक आफ महाराष्ट्र	1851
10	5000402	केनरा बैंक	3568
11	5000122	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1006
12	5000225	सिटी बैंक एन ए	42
13	5000030	कम्प्युटर एज मैनेजमेट सर्विस प्रा0लि0	194
14	5000446	कोरपोरेशन बैंक	1996
15	5000531	देना बैंक	1449
16	5000612	इलाइट वैल्थ एडवाइजर लिमिटेड	1
17	5000660	युरेका स्टॉक एंड शेयर ब्रोकिंग सर्विसिस लिमिटेड	4
18	5000542	एचडीएफसी सिक्यूरिटीज लि0	1
19	5000155	आईसीआईसीआई बैंक	175
20	5000343	आईसीआईसीआई सिक्योरिटी लि0	27
21	5000133	आईडीबीआई बैंक लि0	1566
22	5000026	आई एल एवं एफ एस सिक्योरिटी सर्विस लि0	90
23	5000586	इंडिया इंफो लाइन फाइनेंस लि0	1
24	5000240	इंडिया पोस्ट एनपीएस नोडल कार्यालय	833
25	5000435	इंडियन बैंक	1834
26	5000516	इंडियन ओवरसीज बैंक	1
27	5000656	आईएनजी वाइसा बैंक लिमिटेड	1
28	5000310	इंटीग्रेटिड इंटरप्राइसिस (इंडिया) लि0	99
29	5000671	कर्नाटका बैंक लि0	1
30	5000494	कार्वी फांइनेंशियल सर्विस लि0	12
31	5000041	कोटक महिन्द्रा बैंक लि0	348
32	5000623	एलआईसी एचएफएल फाइनेन्शियल लि0	1
33	5000295	मारवाडी शेयर एण्ड फाइनेंस लि0	87

क्रम संख्या	पीओपी पंजीकरण संख्या	पीओपी का नाम	पीओपी–एसपी की संख्या
34	5000564	माइक्रो सेक कैपिटल लि0	1
35	5000262	मुथुट फाइनेंस लि0	35
36	5000645	नारनोलिया सिक्यूरिटिज लि0	1
37	5000063	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	509
38	5000553	पंजाब एवं सिंध बैंक	0
39	5000505	पंजाब नैशनल बैंक	1776
40	5000004	रिलायंस कैपिटल लि0	140
41	5000100	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	912
42	5000203	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1312
43	5000214	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	3889
44	5000166	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	25
45	5000144	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	25
46	5000052	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	75
47	5000170	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	674
48	5000332	स्टील सिटी सिक्सूरिटिज लि0	45
49	5000376	स्टोक होल्डिंग कोरपोरशन ऑफ इंडिया लि0	198
50	5000354	सिंडिकेट बैंक	2052
51	5000590	तमिलनाडु मर्किन्टाइज बैंक लि0	425
52	5000601	द फैडरेल बैंक लि0	149
53	5000461	द करूर वैश्य बैंक	0
54	5000391	द लक्ष्मी विलास बैंक लि0	361
55	5000192	द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	804
56	5000575	यूको बैंक	1
57	5000181	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3138
58	5000450	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	1093
59	5000085	यूटीआई असेस्ट मैनेजमेंट कम्पनी लि0	152
60	5000273	यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एण्ड सर्विस लि0	70
61	5000483	यूको बैंक	1247
62	5000634	वे टू वेल्थ ब्रोकर्स प्राइवेट लि0	2
63	5000306	येस बैंक लिमिटेड	25
64	5000321	जेन सिक्यूरिटीज लिमिटेड	27
	कुल योग		38411

अनुलग्नक : IV संकलनकर्ताओं की सूची

क्रम संख्या	एग्रीगेटर का नाम	31 मार्च, 2015 को एनएलओओ	31 मार्च, 2015 को एनएलएओ	31 मार्च, 2015 को एनएलसीसी	31 मार्च, 2015 को सक्रिय एनएलसीसी की संख्या
1	ए . पी. बिल्डिंग एण्ड अन्य कंस्ट्रक्शन वकर्स (ए. पी बी एंड ओसीडब्ल्यू डब्ल्यू बी)	1	4	27	4
2	अभिप्रा कैपिटल	1	1	36	34
3	अधिकार माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लि0	1	1	1	1
4	अलंकृत असाइंनमेंट	1	13	122	81
5	इलाहाबाद बैंक	1	1	2895	293
6	इलाहाबाद यू पी ग्रामीण बैंक	1	10	176	112
7	आंध्रा बैंक	1	1	2304	78
8	असम ग्रामीण विकास बैंक	1	7	430	333
9	एक्सिस बैंक	1	.	.	.
10	बनास डेयरी	1	1	1954	708
11	बंधन फाइनेंशियल सर्विस लि0	1	10	11	10
12	बैंक ऑफ बड़ौदा	1	2	86	2
13	बैंक ऑफ इंडिया	1	19	2812	19
14	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1	1	1885	716
15	बरोदा गुजरात ग्रामीण बैंक	1	1	184	24
16	बरोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	1	9	693	67
17	बी डब्ल्यू डी ए फाइनेंस	1	1	39	38
18	सी डॉट	1	1	52	12
19	केनरा बैंक	1	42	5654	3,011
20	कैशपोर माइक्रो क्रेडिट	1	19	343	343
21	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1	.	469	.
22	कॉरपोरेशन बैंक	1	1	1671	4
23	सीएससी ई गर्वनेंस सर्विसेज इंडिया लि0	1	20	32211	1,713
24	डी/ओ वुमन एंड चाइल्ड डेव	1	30	212	191
25	देना बैंक	1	3	1451	7
26	ईएसएएफ माइक्रोफाइनेंस प्रा0 लि0	1	2	246	233
27	ग्रामीण कोटा फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लि0	1	1	83	57
28	गुजरात इंफोटेक लि0	1	2	2	2
29	आईडीबीआई बैंक	1	1	1563	32

क्रम संख्या	एग्रीगेटर का नाम	31 मार्च, 2015 को एनएलओओ	31 मार्च, 2015 को एनएलएओ	31 मार्च, 2015 को एनएलसीसी	31 मार्च, 2015 को सक्रिय एनएलसीसी की संख्या
30	आईएफएमआर होल्डिंगस	1	11	4510	3,440
31	आइएल एंड एफएस सिक्योरिटीज सर्विसेज लि0	1	1	19	12
32	इंडिया इंफोलाइन लि0	1	1	1551	990
33	इंडियन बैंक	1	1	2288	413
34	इंडियन ओवरसीज बैंक	1	1	1102	58
35	इंदुरलनटिमिडीपम	1	1	15	15
36	जागरणमाइक्रोफिन प्राइवेट लि0	1	1	12	1
37	जनकलक्ष्मी फाइनेंसियल सर्विसेस	1	1	237	188
38	झाबुआधार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1	.	.	.
39	झारखंड बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कसर्स वेलफेयर बोर्ड	1	1	36	32
40	कर्नाटका स्टेट अन आर्गेनाइज्ड वर्कसर्स सोशल सिक्योरिटी बोर्ड (केएसडब्ल्यूएसएसबी)	1	5	1040	525
41	कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक	1	.	.	.
42	केरला ग्रामीण बैंक – (नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक अब केरल ग्रामीण बैंक)	1	.	.	.
43	कृष्णा ग्रामीण बैंक	1	.	.	.
44	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस	1	1	79	50
45	एलआईसी ऑफ इंडिया	1	1	65	22
46	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	1	1	581	86
47	मार्गदर्शक फाइनेंशियल सर्विसेज	1	1	31	26
48	नैनीताल–अल्मौड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1	.	.	.
49	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	1	35	1164	214
50	पल्लावन ग्रामीण बैंक	1	1	190	.
51	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	1	.	.	.
52	पदुवाई भारतीय ग्रामीण बैंक	1	.	.	.
53	पंजाब एंड सिंध बैंक	1	.	27	.
54	पंजाब नेशनल बैंक	1	1	5254	440
55	राजस्थान स्टेट बिल्डिंग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्क्सर्स वेलफेयर बोर्ड	1	1	33	33
56	समहिता कम्युनिटी डेवलेपमेंट सर्विसेज	1	1	1	1
57	सप्तगिरी ग्रामीण बैंक	1	.	3	.

क्रम संख्या	एग्रीगेटर का नाम	31 मार्च, 2015 को एनएलओओ	31 मार्च, 2015 को एनएलएओ	31 मार्च, 2015 को एनएलसीसी	31 मार्च, 2015 को सक्रिय एनएलसीसी की संख्या
58	सप्तऋषि कंसलटेंसी सर्विसेस	1	1	7	7
59	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	1	1	553	435
60	श्री क्षेत्रधर्मास्थला रूरल डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट	1	1	123	117
61	श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लि.	1	1	10	10
62	सोसायटी फोर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवरटी	1	22	22	22
63	साउथ इंडियन बैंक	1	1	813	624
64	स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एंड जयपुर	1	.	1	.
65	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1	1	1189	92
66	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1	8	17965	14
67	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1	.	730	.
68	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1	1	980	33
69	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर	1	.	997	.
70	स्वयंश्री माइक्रो क्रेडिट सर्विसेज	1	1	45	16
71	सिंडिकेट बैंक	1	18	3394	101
72	यूको बैंक	1	1	349	22
73	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1	1	3319	10
74	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1	6	1460	213
75	यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लि0	1	4	175	156
76	विजया बैंक	1	1	1487	555
	योग	76	340	109469	17,098
77	डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट	1	20	443	437
	कुल योग	77	360	109912	17,535

अनुलग्नक : V 31.03.2015 को पेंशन निधि की सूची

सरकारी सेक्टर के लिए पेंशन निधि की सूची

क्रम संख्या	पेंशन निधि का नाम
1	एलआईसी पेंशन फंड लि0
2	एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लि0
3	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन लि0

निजी सेक्टर के लिए पेंशन निधि की सूची

क्रम संख्या	पेंशन निधि का नाम
1	एसडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कम्पनी लि0
2	आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कम्पनी लि0
3	कोटक महिन्द्रा पेंशन फंड लि0
4	एलआईसी पेंशन निधि लि0
5	रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड लि0
6	एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लि0
7	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन लि0

अनुलग्नक : **VI**

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2015 का तुलन पत्र

(रूपये)

आधारभूत निधि/पूंजी निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आधारभूत/पूंजीगत निधि	1	157,827,280	30,757,879
आरक्षित और अधिशेष	2	–	–
उद्दिष्ट/धर्मादा निधि	3	39,118,331	–
रक्षित ऋण ओर उधार	4	–	–
अरक्षित ऋण और उधार	5	–	–
आस्थगित ऋण देयताएं	6	–	–
वर्तमान देयताएं और उपबंध	7	142,256,576	1,196,355,938
जोड़		**339,202,187**	**1,227,113,817**
आस्तियां			
अचल आस्तियां	8	4,391,977	5,025,072
उद्दिष्ट/धर्मादा निधि से – निवेश	9	–	–
अन्य – निवेश	10	–	–
वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम राशि आदि	11	334,810,210	1,222,088,745
विविध व्यय (लिखित नहीं और समायोजित)			
जोड़		**339,202,187**	**1,227,113,817**

टिप्पणी:–

क. वित्तीय विवरणिकाओं को उपचय लेखा पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है।

ख. स्वालंबन कोष को भुगतान के आधार पर तैयार किया जा रहा है।

ग. बही में मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 1961 में निर्दिष्ट दर के अनुसार उपलब्ध कराया गया है।

घ. सीएजी लेखाकार की अनुशंसाओं के अनुसार 31.03.2014 को अप्रयुक्त निधि को वर्तमान देयताएं और उपबंध शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया गया है।

च. गत वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुर्नसंगठित और पुनः एकत्रित किया गया।

निर्माण
सनदी लेखाकार संतोष कुमार

आरएमए एण्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड अकाउंटेन्टस
एफआरएन कमांक 000978 एन
सदस्यता कमांक– 533944
दिनांक :– 30.06.2015
स्थान : नई दिल्ली

मंजू भल्ला
उप महाप्रबंधक

वेंकटेश्वरर्लु पेरी
महाप्रबंधक

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय लेखा

(रूपये)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ब्रिकी और सेवाओं से आय	12	–	–
अनुदान और आर्थिक सहायता	13	2,260,300,000	1,711,500,000
शुल्क/अभिदान	14	–	–
निवेश से आय (निवेश पर आय, उद्दिष्ट/धर्मादा, निधियों का निधियों में स्थानातंतरण)	15	–	–
रायल्टी, प्रकाशन आदि से प्राप्त आय	16	–	–
अर्जित ब्याज	17	11,672,286	6,529,229
अन्य आय	18	11,691,279	14,633673
तैयार माल और चालू कार्य के भण्डार में वृद्धि/गिरावट	19	–	–
जोड़		**2,283,663,565**	**1,732,662,902**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	90,125,415	87,024,642
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	3,115,148,818	1,345,042,919
अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	22	5,500,000	9,500,000
बैंक शुल्क	23	5,297	9,370
मूल्य ह्रास (वर्ष के अंत में कुल योग – अनुसूची ब के तदनुरूप)	8	1,160,392	2,211,075
जोड़ बी		**3,211,939,922**	**1,443,788,006**
व्यय से अधिक आय के कारण शेष बकाया (ए – बी)		(928,276,358)	288,874,896
विशेष आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट)			
में अंतरण/सामान्य आरक्षित से			
अधिशेष/(घाटा) आधारभूत निधि के कारण/ पूंजी निधि का बकाया		**(928,276,358)**	**(288,874,896)**

निर्माण
सनदी लेखाकार संतोष कुमार

आरएमए एण्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड अकाउंटेन्टस
एफआरएन कमांक 000978 एन
सदस्यता कमांक– 533944
दिनांक :– 30.06.2015
स्थान : नई दिल्ली

मंजू भल्ला
उप महाप्रबंधक

वेंकटेश्वरर्लु पेरी
महाप्रबंधक

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

(रूपये)

प्राप्ति	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रारम्भिक शेष			**1.व्यय**		
क) नकदी	20,000	20,000	क.स्थापत्य व्यय	90,115,453	8,71,85,138
ख) बैंक शेष			ख.प्रशासनिक व्यय	103,881,589	9,01,31,580
1. चालू खाता में	1,184,021,445	904,540,704	**2.प्रयुक्त अनुदान**		
2. अनुसूचित बैंको के चालू बचत खाता शेष			क.स्वावलम्बन अंशदान	2,759,468,000	1,10,39,40,000
2.प्राप्त अनुदान		1,350,000,000	ख.स्वावलम्बन प्रचार	249,585,820	14,85,35,828
केन्द्र सरकार (अनुदान–स्वावलम्बन अंशदान)	1,750,000,000	179,000,000	ग.पेंशन न्यास को अनुदान	5,500,000	95,00,000
केन्द्र सरकार(अनुदान–स्वावलम्बन प्रचार)	200,000,000	70,000,000	**3.किए गए जमा और निवेश**		
सरकारी अनुदान (वेतन सहायतार्थ अनुदान)	80,000,000	112,500,000	क.उदिष्ट/धर्मादा निधियों से	735,097	10,28,385
सरकारी अनुदान (सामान्य सहायतार्थ अनुदान)	230,000,000		ख.स्वाधिकृत निधियों से		
एसआईडीबीआई से अनुदान	300,000		(अन्य निवेशों)		
3. निवेश प्रपत्रों से प्राप्त आय			**4.अचल आस्तियों में निवेश**		
क) उदिष्ट/धर्मादा निधि (अभिदाता शिक्षा और सुरक्षा निधि में एक्सिस बैंक से प्राप्त ब्याज)	29,986		क.अचल आस्तियों की खरीद		
			ख.कार्यों की प्रगति में पूंजीगत व्यय		
ख) स्वाधिकृत निधियां (अन्य)			**5.आवश्यकता से अधिक धन/ऋण की वापसी**		
4. प्राप्त प्रतिलाभ		43,42,666	क.पुनःप्राप्त करने योग्य पेंशन न्यास		
बीओआई से प्राप्त प्रतिलाभ	1,417,164	1,144,441	ख.राज्य सरकार को		
आईओबी से प्राप्त प्रतिलाभ	10,244,140	1,018,236	ग.अन्य निधि दाताओं को		
एक्सिस बैंक से प्राप्त प्रतिलाभ			**6.वित्तीय भुल्क (प्रतिलाभ)**		
5. अन्य प्रतिलाभ (निर्दिश्ट)	11,593,630	14,600,000	अन्य बैंक भुल्क	5,297	9,370
विविध सेवाओं के लिए शुल्क	97,649	33,673	**7.अन्य भुगतान(वर्णन करें)**		
विविध प्रतिलाभ			पूर्व भुगतान	538,682	7,85,317
			कर्मचारियों को ऋण/अग्रिम राशि	520,000	6,70,000
			प्रतिभूति डिपॉजिट/ईएमडी भुगतान		8,00,500
			व्यय के एवज में अग्रिम राशि	129,438,331	1,34,97,441
6.कोई अन्य प्राप्तियां (विवरण दें)			**8.अंतिम शेष**		
सेक्युरिटी ईएमडी प्राप्तियां	20,000	2,006,500	क.हाथ में नगदी	20,000	20,000
अग्रिम वसूली	740,780	868,780	ख.बैंक अधिशेष		
आस्तियों का हस्तांतरण	29,147	50,003	1.चालू खाता में		
अभिदाता शिक्षा और संरक्षा निधि	39,088,345	–	2.जमा खाता में		
			3.बचत खाता में	167,794,017	1,18,40,21,445
योग	**3,507,602,286**	**2,640,125,003**	**योग**	**3,507,602,286**	**2,64,01,25,003**

निर्माण
सनदी लेखाकार संतोष कुमार

आरएमए एण्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड अकाउंटेन्टस
एफआरएन क्रमांक 000978 एन
सदस्यता क्रमांक– 533944
दिनांक :– 30.06.2015
स्थान : नई दिल्ली

मंजू भल्ला
उप महाप्रबंधक

वेंकटेश्वरर्लु पेरी
महाप्रबंधक

31 मार्च 2015 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां (रूपये)		
अनुसूची – 1 आधारभूत /पूंजी निधि	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया		
जोड़ : अप्रयुक्त आधारभूत निधि का प्रारम्भिक शेष	**30,757,879**	**21,363,724**
कमी : अप्रयुक्त आधारभूत निधि का अन्तिम शेष	**1,184,041,445**	**904,560,704**
जोड़/(कटौती) : निवल आय का शेष/(व्यय)	**(128,695,686)**	**(1,184,041,445)**
जोड़ : सरकार से प्राप्त होने वाला सरकारी अनुदान	**(928,276,358)**	**288,874,896**
आय और व्यय खाता से अंतरण	–	–
वर्ष के अंत में तुलन पत्र	**157,827,280**	**30,757,879**

निर्माण
सनदी लेखाकार संतोष कुमार

आरएमए एण्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड अकाउंटेन्टस
एफआरएन कमांक 000978 एन
सदस्यता कमांक– 533944
दिनांक :– 30.06.2015
स्थान : नई दिल्ली

मंजू भल्ला
उप महाप्रबंधक

वेंकटेश्वरर्लु पेरी
महाप्रबंधक

31 मार्च 2015 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि – रूपये)

अनुसूची 3: आधारभूत/ पूंजीगत नीधि

विवरण	अभिदाता शिक्षा एवं सुरक्षा निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 निधियों का प्रारम्भिक जमा	–	
2 निधियों का जोड़	–	
(क) दान/अनुदान	–	
(ख) निधियों के खाता पर निवेश से आय (एक्सिस बैंक से प्राप्त ब्याज)	–	
(ग) एनपीएस न्यास शास्ति खातों तथा एनपीएस न्यास निवेशक जागरूकता खातों से अंतरण	29986.00	
(घ) अन्य जोड़ (निर्दिष्ट प्रकृति)	39088344.90	
कुल (1+2)	**39118330.90**	**0.00**
निधियों के उद्देश्य के लिए व्यय/उपयोग		
(क) पूंजीगत व्यय		
(1) अमूर्त आस्ति	–	–
(2) अन्य	–	–
कुल	**0.00**	**0.00**
(ख) राजस्व व्यय		
(1) वेतन, मजदूरी एवं भत्ते इत्यादि		
(2) किराया	–	–
(3)अन्य प्रशासनिक व्यय	–	–
	–	–
कुल	**0.00**	**0.00**
कुल (3)	**0.00**	**0.00**
वर्ष के अंत में निवल शेष (1+2–3)	**39118330.90**	**0.00**

निर्माण
सनदी लेखाकार संतोष कुमार

मंजू भल्ला
उप महाप्रबंधक

वेंकटेश्वरर्लु पेरी
महाप्रबंधक

आरएमए एण्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड अकाउंटेन्टस
एफआरएन कमांक 000978 एन
सदस्यता कमांक– 533944
दिनांक :– 30.06.2015
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च 2015 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रूपये)

अनुसूची 6 आस्थगित ऋण देयताएं	चालू वर्ष		पिछला वर्ष
क. पूंजीगत उपस्कर के दृष्टिबंधक द्वारा स्वीकृति सुरक्षा और अन्य आस्तियां			
ख. अन्य			
योग			

अनुसूची – 7 वर्तमान देयताएं और उपबंध	चालू वर्ष		पिछला वर्ष
क. वर्तमान देयताएं			
1. स्वीकृत बिल	**5,319,078**		**4,050,250**
2. विविध लेनदार	**7,125,000**		**7,105,000**
3. प्राप्त अग्रिम (प्रतिभूति जमा के अनुसार)			
4. उपचय ब्याज लेकिन को देय नहीं			
क. सुरक्षित ऋण/उधार			
ख. असुरक्षित ऋण/उधार			
5. वैधानिक देयताएं			
क) अधिशेष			
ख) अन्य (शुल्क एवं कर)			
6. अन्य वर्तमान देयताएं	**180,557**		**171,909**
क. आई. आर. डी. ए.			
ख. 31 मार्च 2014 को भारत सरकार को देय अप्रयुक्त अनुदान	**31,988**		**31,988**
7. वेतन एवं लेखा कार्यालय	**128,695,686**		**1,184,041,445**
जोड़ क	**141,352,308**	#	**1,195,400,592**
ख. उपबंध			
1. कराधान के लिए			
2. उपदान			
3. व्यापार वारंटी/दावा			
4. देय अवकाश	373,357		462,762
5. देय पेंशन अंशदान	530,911		492,584
जोड़ ख	**904,267**		**955,346**
जोड़ (क + ख)	**142,256,576**		**1,196,355,938**

निर्माण
सनदी लेखाकार संतोष कुमार

आरएमए एण्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड अकाउंटेन्टस
एफआरएन कमांक 000978 एन
सदस्यता कमांक– 533944
दिनांक :– 30.06.2015
स्थान : नई दिल्ली

मंजू भल्ला
उप महाप्रबंधक

वेंकटेश्वरर्लु पेरी
महाप्रबंधक

31 मार्च 2015 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रूपये)

अनुसूची 8– अचल आस्तियां		सकल ब्लॉक				अवमूल्यन			निवल ब्लॉक		
विवरण	मात्रा	वर्ष के प्रारम्भ मे मूल्य/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में मूल्य/ मूल्यांकन	वर्ष के प्रारम्भ में	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक जोड़	चालू वर्ष में	पिछले वर्ष में
क. अचल आस्तियां		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1 भूमि		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
क. पूर्ण स्वामित्व		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख. पट्टे पर		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. भवन		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पूर्ण स्वामित्व भूमि पर		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पट्टे की भूमि पर		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
स्वामित्व अधिकार फ्लैट/परिसर		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
गैर संस्थागत भूमि पर भवन		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. संयत्र मशीनरी		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
और उपकरण		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4 वाहन		1,037,399	–	–	1,037,399	613,446	63,593	–	677,039	360,360	423,953
5 फर्नीचर और जुडनार		4,641,870	84,363	–	4,726,233	2,365,373	235,692	–	2,601,066	2,125,166	2,276,496
6 कार्यालय उपकरण		2,695,290	436,267	58,465	3,073,092	1,428,749	245,025	16,761	1,657,013	1,416,079	1,266,540
7 कम्प्युटर और सहायक उपकरण		8,985,089	153,388	416,892	8,721,585	7,967,626	580,910	282,796	8,265,740	455,846	1,017,464
8 विद्युतीय प्रतिश्ठापन		157,822	358,392	356,892	159,322	117,203	7,593	–	124,796	34,526	40,619
9.पुस्तकालय पुस्तकें		96,533	27,579	–	124,112	96,533	27,579	–	124,112	–	–
10 ट्युबैल्स और जल आपूर्ति		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. अन्य अचल आस्तियां		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
चालू वर्ष का योग		17,614.003	1,059,989	832,249	17,841,743	12,588,931	1,160,392	299,557	13,449,766	4,391,977	5,025,072
पिछला वर्ष		17,046,649	850,857	283,502	17,614,003	10,513,439	2,211,075	135,583	12,588,931	5,025,072	6,533,210
बी. कैपिटल वर्क्स इन प्राग्रेस											
कुल											

निर्माण
सनदी लेखाकार संतोष कुमार

आरएमए एण्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड अकाउंटेन्टस
एफआरएन कमांक 000978 एन
सदस्यता कमांक– 533944
दिनांक :– 30.06.2015
स्थान : नई दिल्ली

मंजू भल्ला
उप महाप्रबंधक

वेंकटेश्वरर्लु पेरी
महाप्रबंधक

31 मार्च 2015 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रूपये)

अनुसूची – 11 वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. वर्तमान आस्तियां		
1. सूची		
क. संचित और अतिरिक्त		
ख. विक्रम माल		
तैयार माल		
चालू कार्य		
कच्चा माल		
2. विविध देनदार		
क. छः माह से अधिक अवधि के लिए ऋण बकाया		
ख. अन्य (आईएफएफसीओ टोक्यो से वसूल होने योग्य)	58,418	58,418
3. नकद बकाया (चैक/ड्राफ्ट और अग्रिम)	20,000	20,000
4. बैंक बकाया		
क. अनुसूचित बैंकों में	167,794,017	1,184,021,445
बचत खातों में		
ख. गैर अनुसूचित खातों में		
चालू खातों में		
जमा खातो में		
बचत खातों में		
5. डाक खाना बचत खाते		
जोड़ (क)	**167,872,435**	**1,184,099,863**
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां		
1. ऋण	756,486	9,66,285
क. कर्मचारी (कर्मचारियों के लिए ऋण)		
ख. समान गतिविधियों में संलग्न अन्य संस्थाएं		
ग. अन्य		
2. अग्रिम राशि और नकद या किसी और प्रकार वसूली गई राशि		
क. पूंजीगत लेखा पर	539,805	788,684
ख. पूर्व भुगतान	318,000	318,000
ग. जमा प्रतिभूतियां	165,323,484	35,915,913
घ. ऋण, अग्रिमों और अन्य		
3. उपचयी आय		
क. उद्दिष्ट और धर्मादा निधियों से निवेश पर		
ख. अन्य निवेश पर		
ग. अग्रिमों और ऋणों पर		
घ. अन्य		
4. प्राप्त होने वाले दावे		
जोड़ ख	**166,937,775**	**37,988,882**
जोड़ (क + ख)	**334,810,210**	**1,222,088,745**

निर्माण
सनदी लेखाकार संतोष कुमार

आरएमए एण्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड अकाउंटेन्टस
एफआरएन कमांक 000978 एन
सदस्यता कमांक– 533944
दिनांक :– 30.06.2015
स्थान : नई दिल्ली

मंजू भल्ला
उप महाप्रबंधक

वेंकटेश्वरर्लु पेरी
महाप्रबंधक

31 मार्च 2015 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रूपये)

अनुसूची 13 अनुदान/आर्थिक सहायता	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(अविकल्पी अनुदान एवं प्राप्त आर्थिक सहायता)		
सरकारी अनुदान	2,260,000,000	1,711,500,000
एसआईडीबीआई से अनुदान	300,000	....
जोड़	**2,260,300,000**	**1,711,500,000**

अनुसूची 14 भुल्क/अभिदान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रवेश शुल्क		
वार्षिक शुल्क/अभिदान/सदस्यता		
संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क		
परामर्श शुल्क		
लाईसेंस शुल्क		
जोड़		
टिप्पणी – प्रत्येक विषय से संबंधित लेखा नीतियों को प्रकट किया जाएगा।		

अनुसूची – 15 निवेश से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(निवेश से आय। उद्दिष्ट और धर्मादा निधियों से निधियों में अंतरण)		
1) ब्याज		
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर		
ख. अन्य ऋणपत्र /डिबेंन्चर		
2) लाभांश		
क. शेयर पर		
ख. पारस्परिक निधि प्रतिभूति		
3) किराया		
4) अन्य (निर्दिष्ट)		
कुल		

निर्माण
सनदी लेखाकार संतोष कुमार

आरएमए एण्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड अकाउंटेन्टस
एफआरएन कमांक 000978 एन
सदस्यता कमांक– 533944
दिनांक :– 30.06.2015
स्थान : नई दिल्ली

मंजू भल्ला
उप महाप्रबंधक

वेंकटेश्वरर्लु पेरी
महाप्रबंधक

31 मार्च 2015 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रूपये)

अनुसूची – 17 अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) सावधि जमा पर		
क. अनुसूचित बैंक में		
ख. गैर अनुसूचित बैंक में		
ग. संस्थानों में		
घ. अन्य		
2) बचत खातों पर		
क. अनुसूचित खातों में	**11,661,304**	**6,505, 343**
ख. गैर अनुसूचित खातों में		
ग. डाक खाना बचत खाते		
घ. अन्य		
3) ऋण पर		
क. कर्मचारी / विभाग	**10,982**	**23,886**
ख. अन्य		
4) देनदार और अन्य प्राप्त ब्याज		
जोड	**11,672,286**	**6,529,229**

निर्माण
सनदी लेखाकार संतोष कुमार

आरएमए एण्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड अकाउंटेन्टस
एफआरएन कमांक 000978 एन
सदस्यता कमांक– 533944
दिनांक :– 30.06.2015
स्थान : नई दिल्ली

मंजू भल्ला
उप महाप्रबंधक

वेंकटेश्वरर्लु पेरी
महाप्रबंधक

31 मार्च 2015 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रूपये)

अनुसूची 18 अन्य आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. आस्तियों के विक्रय/निपटान पर लाभ		
क. स्वाधिकृत आस्तियां		
ख. अनुदान और कीमत के प्राप्त शुल्क से उपार्जित आस्तियां		
2. निर्यात प्रतिलाभ		
3. विविध सेवाएं शुल्क	11,593,630	14,600,000
4. विविध आय	97,649	33,673
जोड़	**11,691,279**	**14,633,673**
अनुसूची 20 स्थापना व्यय	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
क. वेतन और भत्ते	83,635,227	81,492,880
ख. भत्ता और बोनस	—	—
ग. पेंशन के लिए अंशदान	5,244,273	4,386,625
घ. अवकाश वेतन	555,895	248,985
ड. प्रशिक्षण शुल्क – प्रतिपूर्ति	—	11,250
च. स्वास्थ्य प्रतिपूर्ति	690,020	855,001
छ. उपदान भुगतान	—	29,901
जोड़	**90,125,415**	**87,024,642**

निर्माण
सनदी लेखाकार संतोष कुमार

आरएमए एण्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड अकाउंटेन्टस
एफआरएन कमांक 000978 एन
सदस्यता कमांक– 533944
दिनांक :– 30.06.2015
स्थान : नई दिल्ली

मंजू भल्ला
उप महाप्रबंधक

वेंकटेश्वरर्लु पेरी
महाप्रबंधक

31 मार्च 2015 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(रूपये)

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	35,203,527	21,545,960
2) बिजली और उर्जा	4,018,375	3,339,723
3) पानी शुल्क	34,510	19,870
4) मरम्मत एवं रख–रखाव	4,672,831	5,691,081
5) किराया, मूल्य एवं कर	27,197,816	26,966,411
6) वाहन और मरम्मत	10,185,767	11,429,066
7) डाक–व्यय, दुरभाष एवं संचार शुल्क	3,322,435	3,056,699
8) मुद्रण और लेखन सामग्री	1,097,278	684,896
9) यात्रा एवं किराया	5,850,259	10,262,538
10)सदस्यता शुल्क	1,531,010	–
11)कर्मचारी कल्याण व्यय	449,744	375,184
12)व्यवसायिक प्रभार	9,039,339	7,390,834
13)परामर्श शुल्क	1,226,593	66,980
14)बैठक और सम्मेलन व्यय	1,391,128	568,711
15)किताबें और आवधिक	90,052	99,104
16)नियुक्ति व्यय	–	90,383
17)बीमा	784,335	958,803
18)स्वावलम्बन सरकारी अंशदान	2,759,468,000	1,103,940,000
19)स्वावलम्बन प्रचार	–	26,999,477
20)एग्रीगेटरों को प्रतिलाभ	249,585,820	121,557,200
योग	**3,115,148,818**	**1,345,042,920**

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2015 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 22 अनुदान और आर्थिक सहायता पर व्यय इत्यादि।	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्थानों/पेंशन न्यास को दिया गया अनुदान	5,500,000	9,500,000
ख) संस्थानों/संगठनों को दी गई आर्थिक सहायता		
जोड़	**5,500,000**	**9,500,000**

अनुसूची 23 ब्याज	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क) सावधि ऋणों पर		
ख) अन्य ऋणों पर		
ग) अन्य बैंक शुल्क	5,297	9,370
जोड़	5,297	**9,370**

निर्माण
सनदी लेखाकार संतोष कुमार

आरएमए एण्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड अकाउंटेन्टस
एफआरएन क्रमांक 000978 एन
सदस्यता क्रमांक– 533944
दिनांक :– 30.06.2015
स्थान : नई दिल्ली

मंजू भल्ला
उप महाप्रबंधक

वेंकटेश्वरर्लु पेरी
महाप्रबंधक

सत्यमेव जयते

हेमंत जी. कांट्रेक्टर
अध्यक्ष
Hemant G. Contractor
CHAIRMAN

पेंशन निधि विनियामक और
विकास प्राधिकरण
प्रथम तल आईसीएडीआर भवन, प्लॉट न. 6,
वसंत कुंज इन्स्टिट्यूशनल एरिया,
फेज -II, नई दिल्ली - 110070
दूरभाष : 91-11-26897937
फैक्स : 91-11-26897938
ई-मेल : chairman@pfrda.org.in
www.pfrda.org.in

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
1st Floor, ICADR Building, Plot No. 6,
Vasant Kunj Institutional Area,
Phase - II, New Delhi - 110070
Tel : 91-11-26897937
Fax : 91-11-26897938
E-mail : chairman@pfrda.org.in
www.pfrda.org.in

Letter of Transmittal

Ref: F.No. PFRDA/11/87/3

December 03, 2015

The Secretary (FS)
Department of Financial Services
Ministry of Finance
Government of India
New Delhi – 110 001

Madam,

In accordance with the provision of Section 46 (2) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013, I have pleasure in transmitting a copy of the Annual Report of the Pension Fund Regulatory and Development Authority for the year ended March 31, 2015.

Yours faithfully,

(Hemant G Contractor)

Contents

		Page No.
Vision & Mission		i
Chairman's Message		iii
Acronyms		v
1	**Policies and programmes**	1
1.1	Review of General Economic Environment	1
1.2	Performance of Financial Markets	3
1.3	Pension systems in OECD countries	7
1.4	Pension Sector in India	13
1.5	Intermediaries and entities associated with NPS	19
1.6	Performance of National Pension System during FY 2014-15	21
1.7	Atal Pension Yojana	25
1.8	Policies and programmes having a bearing on the working of the National Pension System and other pension schemes covered under the Act	25
2	**Investment of funds under NPS**	27
2.1	Schemes	27
2.2	Investment Guidelines	27
2.3	Exposure of National Pension System and other pension schemes portfolios to different categories of investments	28
3	**Statutory functions of the authority**	31
3.1	Regulation of intermediaries	31
3.2	Registration and regulation of pension schemes	32
3.3	Report on exit of subscribers	32
3.4	Activities for protection of subscribers	34
3.5	Mechanism for redressal of grievances of subscribers	34
3.6	Promotion of professional organisations connected with the pension system	35
3.7	Collection of data, commissioning of studies, research and projects	35
3.8	Educating subscribers and the general public	35
3.9	Dissemination of information about performance of Pension Funds and performance benchmarks	36
3.10	Regulating the Regulated Assets	37
3.11	Fees and other charges levied for carrying out the purposes of the Act	37
3.12	Inspections, inquiries and investigations conducted	39
3.13	Other functions	39

Contents

		Page No.
3.13.1	Coverage under National Pension System	39
3.13.2	Point of Presence (POP)	45
3.13.3	Assets under Management – Scheme wise	45
3.13.4	Central Recordkeeping Agency	45
3.13.5	Pension Funds	48
3.13.6	Trustee Bank	49
3.13.7	NPS Custodian	51
3.13.8	The National Pension System Trust (NPS Trust)	51
3.13.9	Other intermediaries including the Aggregators	52
4	**Other activities undertaken by PFRDA**	53
4.1	Pension Advisory Committee	53
4.2	Regulations made and amended	53
4.3	Other activities having a bearing on the NPS and other pension schemes	53
5	**Organisational Matters**	55
5.1	Constitution of PFRDA Board	55
5.2	Meetings of the Authority	55
5.3	Information Technology	56
5.4	Promotion of Official Language	56
5.5	Right to Information Act, 2005	56
5.6	Disaster Management Plan	57
5.7	Employees Strength in PFRDA	57
5.8	Re-structuring of Departments	57
5.9	Setting up of OBC/SC/ST Cell in PFRDA	58
5.10	Committee for Prevention of Sexual Harassment at Workplace	58
5.11	Accounts of PFRDA	58
6	**Any critical area adversely affecting the interest of pensioners**	59
6.1	EET status of NPS	59
6.2	Choice of Fund Managers and Investment classes	59
6.3	Service tax on purchase of annuities under NPS	59

Page No.

7 **Initiatives by PFRDA** 60

7.1 Advertisement and Publicity 61

List of Tables

Table 1.1 : Real GDP Growth (Y-o-Y, Per cent) 1

Table 1.2 : National Pension System – performance during the Financial Year 2014-15 21

Table 1.3 : Gender wise break up of NPS subscribers in various sectors 24

Table 1.4 : Age group wise NPS subscribers in various sectors 24

Table 1.5 : Revised investment guidelines for NPS Schemes 26

Table 2.1 : Exposure limits for investments in different financial instruments 27

Table 2.2 : Investment pattern of Lifecycle fund (Default choice) 28

Table 2.3 : Exposure of NPS to various instruments 28

Table 2.4 : Notional Returns of Schemes of different Pension Funds as on March 31, 2015 29

Table 3.1 : Sector wise withdrawal from NPS as on March 31, 2015 33

Table 3.2 : Status of grievances during 2014-15 35

Table 3.3 : Training programs and workshops conducted during FY 2014-15 36

Table 3.4 : Fees and charges by the NPS intermediaries 38

Table 3.5 : Details of CABs under NPS 40

Table 3.6 : Details of SABs under NPS 40

Table 3.7 : Year wise number of subscribers registered under Swavalamban 44

Table 3.8 : Scheme wise AUM of PFs as on March 31, 2015 45

Table 3.9 : Core activities of the Trustee Bank 50

Table 3.10 : The constitution of the Board of NPS Trust as on March 31, 2015 51

List of Charts

Chart 1.1: 10 year G Sec yields (per cent) 4

Chart 1.2: Monthly average BSE index and FII net monthly inflow 5

Chart 1.3: Importance of pension funds relative to the size of the economy in selected non-OECD countries, 2013 10

Chart 1.4: Pension fund asset allocation for selected investment categories in selected non-OECD countries, 2013 12

Chart 1.5: NPS architecture and intermediaries 19

Chart 1.6: Year wise number of subscribers under NPS 21

Chart 1.7: Year wise AUM under NPS 22

Contents

		Page No.
Chart 1.8:	Month wise number of subsbcribers in NPS during FY 2014-15	22
Chart 1.9:	Month wise AUM and contribution in NPS during FY 2014-15	23
Chart 1.10:	Month wise addition in contribution during 2014-15	24
Chart 2.1:	Classification of NPS assets as on March 31, 2015	29
Chart 3.1:	Number of corporates under NPS	41
Chart 3.2:	AUM under Corporate Sector	42
Chart 3.3:	Number of subscribers under Corporate Sector	42
Chart 3.4:	Number of subscribers under All Citizen Model	43
Chart 3.5:	AUM under All Citizen Model	43
Chart 3.6:	The gender wise break up of Swavalamban eligible subscribers	44
Chart 3.7:	Age group wise per cent of Swavalamban eligible subscribers for the year 2014-15	44
Chart 4.1:	Organization chart	

Annexures

Annexure I	:	Composition of Pension Advisory Committee (PAC) and issues discussed during PAC meetings	63
Annexure II	:	Intermediaries under NPS	65
Annexure III	:	List of PoPs	66
Annexure IV	:	List of Aggregators	68
Annexure V	:	List of PFs	71
AnnexureVI	:	Balance Sheet of PFRDA as on March 31, 2015	72

Vision

"To be a model Regulator for promotion and development of an organized pension system to serve the old age income needs of people on a sustainable basis."

Mission

"To establish and promote pension system for all citizens through guided development and prudent regulation of the pension industry, with focus on institution-building, capacity development and enabling framework for innovations in products, schemes and programmes across all stakeholders and market participants, in the best interest of the subscribers and the pension system."

Chairman's Message

It is my pleasure to present the second annual report of PFRDA for the financial year 2014-15.

Pension Fund Regulatory and Development Authority Act (PFRDA), 2013 provides PFRDA the mandate to promote and develop an organized and orderly pension system in India to serve the old age income needs of all citizens on sustainable basis. PFRDA has completed one year post notification of the Act on 1st February, 2014.

The launch of NPS in 2004 marked a paradigm shift from defined benefit to defined contribution pension system, a systemic reform in the direction of fiscal prudence and development of sustainable pension system, through which not only the fiscal stress of the defined benefit pension could be reduced but also the great mass of India's uncovered sector could be brought within a defined contribution pension system. Under NPS a Permanent Retirement Account Number (PRAN) based on modern IT, with an aim at achieving voluntary participation from the private and unorganized sector and mandatory coverage for the government employees is envisaged. The contributions accumulated and invested are expected to provide adequate returns to ensure the delivery of pension promises to the ageing populations. These pension funds reduce burden on government finances and lead to development of financial markets by increasing the availability of long-term funds, enhancing competition, inducing financial innovation and improving corporate governance.

PFRDA through the unbundled NPS architecture provides a platform for a technologically competent, low cost pension product, portable across geographies and employment, with choice of point of contact, flexibility of frequency and amount of contribution, choice of PFMs and investment mix and finally the choice of Annuity Service Providers and various annuities.

At the end of March 2015, the total number of NPS subscribers reached 8.7 million, registering a growth of 34.47%. The maximum increase of subscribers was observed in the unorganised sector. The contribution touched Rs 637 billion across all sectors and the asset under management reached to Rs 808 billion, depicting a growth of 68%. The resultant scheme returns since inception based on the weighted Compounded Annual Growth Rate (CAGR) calculated from scheme NAVs were; 10.46% for Central Government Scheme, 10.37% for State Government Scheme, 11.78% for NPS Lite Scheme, 11.58% for Corporate CG Scheme, 13.04% for Scheme–E, 11.53% for Scheme-C and 10.18% for Scheme-G.

PFRDA as a statutory body has notified regulations for governing the registration, inspection, audit, fees and grievance handling for all the intermediaries under NPS involved in collection and remittance of subscribers' contribution, record keeping, fund management and other related functions keeping in view the subscribers' interest. New initiatives like e-PRAN library for faster registration, on-line facilities for joining, exit/ withdrawal, change in subscribers' details have been introduced, to quote a few.

On the awareness creation front, PFRDA organized training programmes and workshops for the stakeholders and undertook awareness campaigns to increase the NPS and APY outreach among the potential subscribers. The announcement of additional income tax deduction of Rs. 50,000 for contribution to the New Pension Scheme (NPS) under Section 80CCD (1b) is a welcome step for the citizens.

The Atal Pension Yojana (APY) announced by the Finance Minister in his budget speech for 2015-16 and formally launched on 1st June, 2015, focussed on all citizens in the unorganised sector, has been well received by the people. The scheme provides for minimum guaranteed pension benefits for the beneficiary and his spouse with the return of corpus to the nominee. The benefit of government's co-contribution is also available for 5 years for subscribers who are not beneficiaries of any other statutory pension scheme and are not income tax payers.

Aging affects virtually all societies today and concerns about the challenges posed by aging populations have moved to the forefront. Rise in number of older persons without a corresponding provision for contribution pension causes increase in government expenditure on non-contributory old age social pension often at the cost of expenditure on other important public goods and services such as health, education, infrastructure development etc.A failure to address the resulting fiscal stress could inflict serious macroeconomic and structural damage.

NPS has the potential to change the pension landscape of the country. With the growing corpus and prudent investment norms it is expected to provide old age income security to a large number of populations besides providing capital for driving the economy and accelerating financial market developments.

The challenges of magnitude of hitherto uncovered segments of Indian population and fragmented and heterogeneous pension sector need to be countered to achieve our aim and I wish to reiterate that PFRDA is firm on its commitment to establish and promote pension system for all citizens through guided development and prudent regulation with focus on institution building, capacity development and enabling framework for innovations in products, schemes and programmes across all stakeholders and market participants, in the best interest of the subscribers and the pension system. We are confident that PFRDA in its pursuit of the mandate as laid down in the Act, will receive whole hearted co-operation and support from all its stakeholders in this important and novel venture of providing universal old age income security to all citizens of India.

Date

Hemant G Contractor

Acronyms

AUM	Assets Under Management
CAB	Central Autonomous Bodies
CAD	Current Account Deficit
CAGR	Compounded Annual Growth Rate
CG	Central Government
CGMS	Central Grievance Monitoring System
CPI	Consumer Price Index
CRR	Cash Reserve Ratio
CSP	Civil Servants Pension
EMDE	Emerging Market and Developing Economies
EPF	Employee Provident Fund
FII	Financial Institutional Investor
FY	Financial Year
GDP	Gross Domestic Product
GRC	Grievance Redressal Cell
KYC	Know Your Customer
LAF	Liquidity Adjustment Facility
MSF	Marginal Standing Facility
NAV	Net Asset Value
NPS	National Pension System
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
OMO	Open Market Operations
PAO	Pay and Accounts Office
PrAO	Principal Accounting offices
SAB	State Autonomous Bodies
SEPF	Subscriber Education and Protection Fund
SG	State Government
PAO	Pay and Accounts Office
UNFPA	United Nations Population Fund
WPI	Wholesale Price Index

Chapter - I

Policies and programmes

1.1 Review of General Economic Environment

According to the World Economic Outlook, global growth in 2014 was a modest 3.4 percent, reflecting a pickup in growth in advanced economies relative to the previous year and a slowdown in emerging market and developing economies. Despite the slowdown, emerging market and developing economies still accounted for three-fourths of global growth in 2014.

In the United States, growth has been firming up, aided by improving labour and housing market conditions. In the Euro area, economic conditions remain weak, supported by lower crude prices and the depreciation in the euro as well as increased bank lending. The contraction of activity in Japan moderated in the final quarter of 2014, with mixed signals from higher frequency data in the beginning of 2015 - consumer confidence and exports show improvement, but retail sales and industrial production have contracted.

Most emerging market economies (EMEs) continue to decelerate due to subdued external demand, political uncertainties and domestic supply-side constraints. In China, activity has slowed over the second half of 2014 and first quarter, Q1 of 2015 as investment demand lost pace and the real estate sector weakened on deleveraging and financial repair among households and corporations. The Russian economy slowed sharply due to falling oil prices and Western sanctions. Contraction continues in Brazil as high inflation squeezes domestic demand. Falling oil and commodity prices also weighed on growth prospects of countries in the Middle East, Eastern Europe and Latin America.

Table 1.1: Real GDP Growth (Y-o-Y, Per cent)

Period	Q1-2014	Q2-2014	Q3-2014	Q4-2014	2015P
Advanced Economies					
United States	1.9	2.6	2.7	2.4	3.6
Euro area	1.1	0.8	0.8	0.9	1.2
Japan	2.1	-0.4	-1.4	-0.7	0.6
United Kingdom	2.7	2.9	2.8	3.0	2.7
Canada	2.1	2.6	2.7	2.6	2.3
Emerging Market Economies (EMEs)					
China	7.4	7.5	7.3	7.3	6.8
Russia*	0.6	0.7	0.9	0.4	-3.0
Brazil*	2.7	-1.2	-0.6	-0.2	0.3
India	5.3	7.4	8.4	6.8	6.1
Mexico	0.9	2.8	2.2	2.6	3.2
South Africa	2.1	1.3	1.5	1.3	2.1
Memo Items:	2014				2015P
World Output	3.3				3.5
World Trade Volume	3.1				3.8

P:Projection,
*not seasonally adjusted
Sources: OECD, IMF and Bloomberg, WEO.

Overall, although the near-term outlook is improving slowly, advanced economies are yet to fully recover from the after effects of the global financial crisis. EMEs face the challenge of addressing persistent negative output gaps and falling growth potential, which yields a more subdued near-term outlook for them. In fact, the sluggish global recovery over the course of 2014 and 2015 so far has warranted successive downward adjustments to forecasts the world over, raising concerns of 'secular stagnation'.

Headline inflation has declined in advanced economies, reflecting the decline in oil prices, softer prices for other commodities, and a weakening of demand in a number of countries already experiencing below-target inflation, such as the euro area and Japan. With regard to emerging markets, lower prices for oil and other commodities (including food, which has a larger weight in the consumer price index of emerging market and developing economies) have generally contributed to reductions in inflation, with the notable exception of countries suffering sizable exchange rate depreciations, such as Russia.

Long-term government bond yields have declined further in major advanced economies. This decline reflects in part lower inflation expectations, resulting from continuing weakness in inflation outcomes, the sharp decline in oil prices, and (in the euro area and especially in Japan) weak domestic demand. But the decline in long-term nominal interest rates appears to reflect primarily a decline in real interest rates, including a compression of term premiums and reductions in the expected short-term neutral rate. Very accommodative monetary conditions have clearly played a role in the reduction in term premiums-in October 2014 the Bank of Japan expanded its quantitative and qualitative monetary easing framework, the ECB announced a larger than- expected program of asset purchases, including government bonds.

And although in the United States the Federal Reserve wound down its asset purchases in late 2014 and the country's economic recovery has been stronger than expected, increased demand for U.S. assets, as reflected in a sharp appreciation of the dollar, as well as subdued inflation pressure, has exerted downward pressure on long-term Treasury yields.

With declining bond yields and easier financial conditions in advanced economies, monetary policy conditions have also eased in several emerging market oil importers, which have reduced policy rates as lower oil prices and slowing demand pressures have reduced inflation rates. In contrast, policy rates have been raised sharply in Russia, which is facing pressure on the Ruble, and monetary policy has been tightened in Brazil as well. More generally, risk spreads have risen and currencies have depreciated in a number of commodity exporters, and risk spreads on high-yield bonds and other products exposed to energy prices have also widened.

Global Outlook for 2015-16[1]

According to World Economic Outlook, global growth is projected to increase slightly from 3.3 percent in 2014 to 3.5 percent in 2015 and then to pick up further in 2016 to an annual rate of 3.8 percent. The increase in growth in 2015 will be driven by a rebound in advanced economies, supported by the decline in oil prices. In emerging markets, in contrast, growth is projected to decline in 2015-for the fifth year in a row. A variety of factors explain this decline: sharp downward revisions to growth for oil exporters, especially countries facing difficult initial conditions in addition to the oil price shock (for example, Russia and Venezuela); a slowdown in China that reflects a move towards a more sustainable pattern of growth that is less reliant on investment; and a continued weakening of the outlook for Latin America resulting from a softening of other commodity prices.

[1] World Economic Outlook, April 2015

Global Financial Market

Financial markets have been volatile since mid-2014, triggered by data releases in the US and the Fed's statements on the normalisation of monetary policy. Political tensions in Europe relating to Greece, lower oil prices and country-specific events have also impacted investor sentiment. Unprecedented low interest rates and compressed risk premia have led to a precipitous fall in long-term government bond yields while raising most asset prices to near record highs as the search for yield pushed investors to riskier assets.

Further easing of monetary policy propped up global equity markets in Q1 of 2015, particularly in advanced economies, albeit preceded by bouts of volatility in the second half of 2014 . Capital flows to EMEs subsided in the second half of 2014, as growth remained lackluster. Falling commodity prices and the shifting trajectory of US monetary policy heightened risk aversion. However, portfolio flows to a few EMEs rebounded in Q1 of 2015 following the announcement of the ECB's quantitative easing programme. With markets reading Fed's forward guidance in its March statement as dovish, volatility returned in portfolio flows to EMEs and investors tended to discriminate against countries with relatively weaker domestic macroeconomic fundamentals.

The US dollar has gained against major currencies and most EME currencies. Since end-June 2014, the dollar index has gained about 20 per cent both in nominal and real terms against major currencies.

Global Inflation Outlook

Inflation is projected to decline in 2015 in both advanced economies and most emerging market and developing economies, reflecting primarily the impact of the decline in oil prices. The pass-through of lower oil prices into core inflation is expected to remain moderate, in line with recent episodes of large changes in commodity prices. In emerging market economies , the decline in oil prices and a slowdown in activity are expected to contribute to lower inflation in 2015, even though not all the decline in the price of oil will be passed on to end user prices.

The Indian Economy[2]

Domestic economic activity firmed up in 2014-15, spurred by a pick-up in manufacturing and services. Real GDP or GDP at constant (2011-12) prices in the year 2014-15 is estimated at Rs. 106.44 lakh crore, showing a growth rate of 7.3 percent as against 6.9 per cent in 2013-14 and 5.1 per cent in 2012-13. In the agriculture sector, the advance estimates of crop production released by the Ministry of Agriculture for the year 2014-15 is 251.12 million tonnes, showing a growth rate of 0.2 percent. The industrial sector witnessed a growth of 6.1 per cent during the year 2014-15, backed by 7.9 per cent growth of electricity, gas, water supply & other utility services, 7.1 per cent growth in manufacturing and 4.8 per cent growth in construction sector.The services sector witnessed a growth of 10.2 percent in the year 2014-15 against the growth of 9.1 per cent in the year 2013-14.

1.2 Performance of Financial Markets[3]

Overnight money market rates hardened during July 2014 as liquidity condition was tight. From mid-August 2014, however, money market rates moderated, while in September 2014, barring a brief spike on account of advance tax payments, rates eased below the liquidity adjustment facility (LAF) repo rate. A distinct feature of this period has been the drop in call money volumes, reflecting shifts by banks to the collateralised overnight segments. The interest rates eased during Q3, barring intermittent

[2] Source: CSO

[3] Source: Various Macroeconomic & Monetary Developments and Monetary Policy Reports

spikes. The shift in the monetary policy stance steered by two cuts in the policy repo rate enabled interest rates to ease further during Q4.

Other money market segments moved in consonance with the call money market. With the steady migration of activity to collateralised segments, viz., collateralised borrowing and lending obligation (CBLO) and market repo, call money volumes have thinned.

In the government securities market, yields inched up in the first half of July, trading with a bearish note as geo-political tensions in the Middle East pushed up crude oil prices. Subsequently,bullish sentiment returned on the back of announcement of a new 10 year benchmark security and re-adjustment of limits for investment by foreign institutional investors (FIIs) in government securities. Positive sentiment spilled over into August, boosted by the reduction in notified amounts under the remaining primary auctions for the first half of the year as well as the easing of crude oil prices as tensions in the Middle East and Ukraine abated. In September, yields moved in a tight range in the absence of any triggers. The 10-year yield declined through Q2 from 8.7 per cent at the end of June to 8.5 per cent on September 29 . Trading volumes have declined sizeably throughout the quarter. The yields softened through Q3, barring some spikes during the second half of December 2014 due to the Ukrainian crisis followed by the Russian currency crisis. Buoyant investor sentiment conditioned by the ongoing disinflation in India and expectations of monetary policy easing helped the market to shrug off the impact of the Federal Reserve completely exiting quantitative easing (QE) in October. The OPEC's decision in November 2014 not to cut production strengthened market sentiment and reinforced the decline in G-sec yields. During the global sell-off triggered by the depreciation of the Ruble, however, the 10-year generic yield jumped by 15 basis points on December 16 - the largest increase on any single day during the second half of 2014-15.

Chart 1.1: 10 year G Sec yields (per cent)

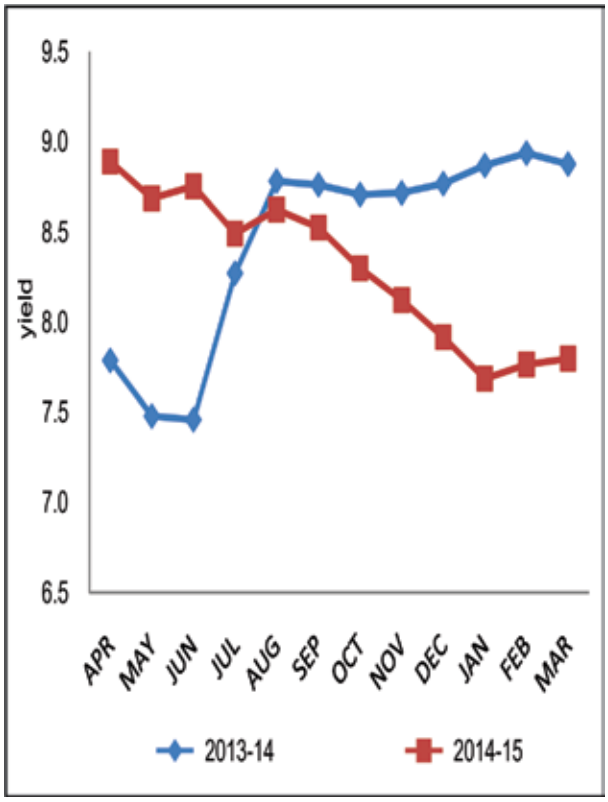

Source: RBI

As the Russian currency crisis abated, G-sec yields declined in Q4, aided by the softness in international crude oil prices, fall in US treasury yields and resumption of flows into the domestic foreign exchange market. G-sec yields hardened transiently in response to the reduction in the SLR in February and the broadly unchanged size of the market borrowing programme announced in the Union Budget. As in the past, recourse to Treasury Bill auctions in February and March, notwithstanding large redemptions, inverted the G-sec yield curve, reflecting the reluctance of market participants to part with liquidity as the balance sheet date approached. Barring these episodes, the G-sec market was rangebound during Q3 and Q4 with a downward shift in the yield curve. The 10- year yield declined by 72 basis points from 8.52 per cent at the end of September 2014 to 7.80 per cent on March 31, 2015.

Foreign portfolio investors' (FPIs) investment in G-secs stood at Rs.1,529 billion as on March 31, 2015. With the exhaustion of the limit for investment in G-secs (US$ 30 billion), FPIs invested in debt mutual funds allowed under the limit of US$ 51 billion for investment in corporate debt, indirectly expanding their investment in G-secs.

The corporate bond market recorded a pick-up in activity during Q2 with an increase in offerings of public issues and rights issues, partly reflecting tightening bank credit conditions. Debt mobilisation through public issues and private placements has been significantly higher during July-August 2014 than that in the preceding quarter. Foreign portfolio investors (FPIs) invested Rs.1,124 billion in the corporate bonds as on September 29, 2014 which amounted to about 46 per cent of the limit. Activity in the corporate bond market also gathered pace in Q3 and Q4, driven by private placements which recorded a y-o-y growth of 112 per cent. On the other hand, amounts mobilised through public issues declined through this period (up to February). The significant increase in resource mobilisation through corporate bonds could be reflecting substitution effects since bank credit growth has remained subdued in conjunction with tight credit conditions. FPIs' investment in corporate bonds stood at Rs.1,890 billion as on March 31, 2015, accounting for 77 per cent of the limit, and as a consequence, secondary market trading volumes surged by 51 per cent (y-o-y) in the second half of 2014-15. Yields of AAA rated corporate bonds generally moved in tandem with G-sec yields, but hardened somewhat in March.

Barring soft patches, equity markets rallied through the second half of 2014-15, scaling all-time highs. Indian indices were among the better performing in the world, with significantly attractive valuations relative to fundamentals and the cross-country EME experience. Some of these gains were pared during December 2014 by pessimism triggered by fears of earlier than expected reversal in the US interest rate cycle, uncertainty relating to Greece and geo-political tensions in the Ukraine and the Middle East. Equity markets, however, started gaining again from the beginning of January 2015 on resumption of portfolio investment flows. Buoyant sentiment bounced back with the Reserve Bank's announcement of a cut in the policy repo rate on January 15, and the BSE Sensex reached a historic high closing at 29,682 on January 29, 2015. In the early part of February, equity markets gave up some gains on concerns following the results of Delhi elections, weak results reported by some big corporates, poor Chinese trade data and decline in European stocks. In the second half of the month, however, equity markets recovered and gained strength with the announcement of the Union Budget 2015-16 as also passing of key legislations relating to coal, mining and insurance subsequently. During March 2015, the stock market eased moderately on global cues.

In the primary market, Qualified Institutional Placement (QIP) was moderate at Rs.41 billion while

Chart 1.2: Monthly average BSE index and FII net monthly inflow

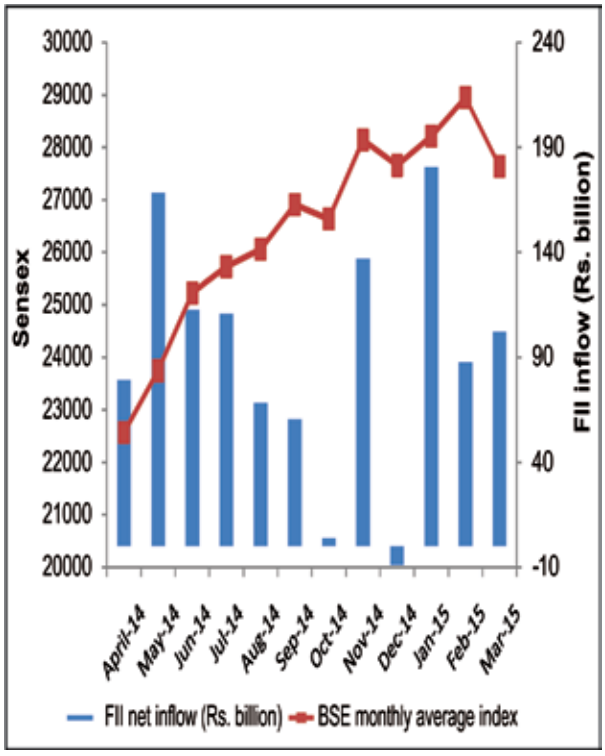

equity and debt issues declined to Rs. 34 billion during Q3. On the other hand, private placements of corporate bonds and mutual funds spurted to Rs. 1,240 billion and Rs.574 billion, respectively. There has already been some improvement in resource mobilisation in Q4 in response to investment-friendly measures announced in the Union Budget 2015-16 and steps taken by the SEBI to streamline existing regulations relating to public shareholding of state-owned companies.

Liquidity Conditions

A key factor influencing financial market behavior is the movement of liquidity which, in turn, reflects the interplay of structural and frictional factors impinging on the system. A broad measure of liquidity encapsulating the impact of both factors is money supply.

The major components, i.e., currency with the public and deposits, rose at a faster pace this year. Currency demand was higher on account of the spending during the general elections in April-May, but it has fallen back to usual levels in subsequent months.

Movements in reserve money essentially capture the Reserve Bank's response to various autonomous forces impacting liquidity conditions. The expansionary effects of the Reserve Bank's operations in the foreign exchange market - which experienced sizable surplus conditions through most of 2014-15 so far were more than offset by a decline in net domestic assets.

The choice of instrument for liquidity management is based on an assessment of the sources of liquidity pressures from time to time - whether frictional or structural; transient or lasting. With call rates trading with a softening bias below the Liquidity Adjustment Facility repo rate during the first week of July, a 4-day term reverse repo was conducted to absorb excess liquidity, but it met with a tepid response as market participants showed reluctance to part with liquidity over periods beyond 24 hours. With spending by the government delayed by the passing of the Union Budget, liquidity conditions tightened again, and the call rates tended to hover above the repo rate, occasionally rising towards the Marginal Standing Facility rate. Six special term repos of tenors varying between 3-day to 7-day for a cumulative amount of Rs. 650 billion were conducted.

By the first week of August, liquidity eased as Government spending began to gather momentum and the call rate moved down again to sub-repo rate levels. Thereafter, it reversed and as liquidity tightened on account of the build-up in cash balances of the Government. By mid-August, increasing expenditure by the Government along with a pick-up in deposits relative to credit off-take significantly expanded system-wide liquidity through the rest of the month and the first half of September.

Broad money (M3), which includes demand and time deposits with the banking system and other deposits with the RBI, growth remained low during Q3 and Q4. With credit and deposit growth moving broadly in tandem, liquidity conditions in the system remained comfortable throughout, barring transient liquidity mismatches due to frictional factors alluded to earlier. Currency demand started picking up since Q3 with the festival season and drained some liquidity, but timely liquidity provision by the Reserve Bank smoothened these short-lived spikes. The provision of primary liquidity was augmented by the large expansion in net foreign assets of the Reserve Bank. Active sterilisation operations, however, contained the growth of reserve money.

Liquidity conditions improved during Q3 of 2014-15, reflecting a confluence of structural and frictional factors, barring temporary pressures around festival days, mid-December advance tax payments and quarter end window dressing. In Q4, liquidity conditions tightened since the second

week of January 2015 with cutbacks in government spending, pick-up in credit demand and seasonal increase in currency demand. The Reserve Bank's pro-active liquidity management operations ensured that the call rates stayed range bound around the policy rate, reducing day-to-day volatility.

With a view to improving the depth and liquidity in the domestic foreign exchange market, it has been decided to allow foreign portfolio investors to participate in the domestic exchange traded currency derivatives market to the extent of their underlying exposures plus an additional US$ 10 million. Furthermore, it has also been decided to allow domestic entities similar access to the exchange traded currency derivatives market.

In the foreign exchange market, pick up in import demand and strengthening of the US dollar modestly weakened the rupee in July 2014 and early August 2014. Thereafter, bunched inflows on account of FIIs, particularly into the debt market, and positive sentiment sparked by a narrower than expected current account deficit for Q1 as well as the credibility of fiscal consolidation helped the rupee to appreciate. In September, the rupee generally remained range-bound with pessimism on US interest rate expectations offset by positive sentiment triggered by the upturn in India's GDP growth in Q1 and easing of tensions in Ukraine. The softening of crude oil prices also supported the rupee. For the second quarter as a whole, the rupee depreciated against the US dollar albeit with some appreciating bias during the second week of August to first week of September. The rupee was at Rs. 61.43 against the US dollar on September 29, 2014. The rupee has been appreciating in nominal effective terms since March 2014. Against the euro, the rupee appreciated by 5.2 per cent during Q2. Since July, forward premia have softened, tracking the spot market. The exchange rate of the rupee moved in a narrow range of Rs. 61.04 - 62.14 per US$ but with an upward bias through most of Q3. However, the rupee experienced downward pressures in December 2014, on a combination of factors - spillovers from the Russian currency crisis; month-end purchases by oil marketing companies; profit booking by FPIs; weak readings on industrial output, and the relentless strengthening of the US dollar. By the second week of January 2015, volatility in the spot market ebbed and the rupee resumed trading with an appreciating bias on the resumption of FPI flows, abating of the Russian currency crisis and a sharp fall in the trade deficit. The ECB's announcement of QE on January 22 and sustained softening of international crude oil prices added to the positive sentiment in the exchange market. In the second week of February 2015, incoming strong US non-farm payroll data set off a slide across emerging markets' currency and equity markets. Range-bound trading with modest gains followed the dovish comments from the Federal Reserve in March regarding the timeframe for raising its policy rate. In real effective terms, the rupee appreciated over its level at the end of March 2014 on account of persisting inflation differentials vis-à-vis trading partners.

1.3 Pension systems in OECD countries

Private pension systems are facing pressing and broad challenges. The economic crisis led to a reduction in government revenues to finance pay-as-you-go public pensions, leaving space for a growing role for private pensions in providing for old-age. However, population ageing and the current economic environment are introducing challenges to the ability of private pensions to deliver adequate retirement income.

Population ageing is leading not only to an increase in the number of people in retirement relative to the size of the working-age population, but also most importantly to an increase in the number of years that people spend in retirement, at least when the retirement age is not increased adequately. This may affect the solvency of defined benefit (DB) pension plans and the adequacy of income derived from defined contribution (DC) pension plans. DB pension funds are exposed to the longevity risk

owing to uncertainty about future improvements in mortality and life expectancy. If pension promises are calculated based on a life expectancy which is underestimated, the actual pension payments will be larger than expected and DB pension funds may lack sufficient assets to cover their future liabilities. For DC pension funds, higher life expectancy means that accumulated assets must fund longer retirement periods if people do not adjust their retirement age, potentially rendering the resulting pension amount inadequate to maintain the desired standard of living in retirement.

The current economic environment in Europe characterised by low rate of growth, low returns on investments and low interest rates may lead to lower resources than expected to finance retirement promises or simply to lower retirement income. Low returns on investments reduce the expected future value of benefits, as assets accumulated will grow at a lower rate than expected. Low interest rates may reduce the amount of pension income that a given amount of accumulated assets may be able to deliver, especially in DC pensions. In DB pensions, low interest rates may increase future liabilities and lead to solvency problems. Additionally, low economic growth may reduce the overall resources (employer and employee contributions) available to finance retirement.

Policy makers are responding, through a combination of measures, increasing coverage; encouraging higher contributions - especially in complementary funded private pensions; adjusting benefits; and extending contribution periods, especially by postponing retirement.

Countries have accelerated the pace of pension reforms to stabilise public pension expenditure while addressing concerns about whether pensions will be adequate in ageing societies. A majority of countries have implemented reforms that have partially addressed the problems of fiscal sustainability, such as planned increases in the statutory age of retirement, and linking benefits, retirement age and/or maximum contribution periods to future improvements in life expectancy.

However, linking pension parameters to life expectancy might be regressive when the potential impact of differences across socio-economic groups is accounted for. Yet, adjusting those links to correct for these undesirable features is a very complex issue. Countries have also introduced reforms to strengthen funded private pensions and improve their complementary role in ensuring that retirement income is adequate. In response to the diminished trust of the public in private pensions, the OECD, in coordination with pension regulators across OECD countries, is updating the OECD Core Principles of Occupational Pension Regulation. The objective is twofold: first, to expand the Principles' scope to include all funded pension arrangements; and second to strengthen the regulatory framework of funded pension systems in order to promote sound and reliable operation of private pension plans and thereby protect members' savings. Additionally, the OECD Roadmap for the Good Design of DC Pension Plans, approved and endorsed by pension regulators in OECD countries, provides guidelines on designing these types of pension plans to strengthen the retirement income stemming from them and avoid future pitfalls.

Population ageing and in particular longevity risk pose additional problems for funded private pensions. Pension funds and annuity providers need financial instruments to facilitate the management of the longevity risk to which they are exposed. Requiring the use of regularly updated mortality tables that include future improvements, and introducing measures to encourage standardised, index-based longevity hedges are essential to address the problem posed by longevity risk on pension funds and annuity providers.

The complementary role of funded private pensions depends on factors such as coverage rates, time

of retirement and the economic environment. Postponing retirement not only fiscal sustainability issue but also increases retirement income in funded pension plans and thus improves retirement income adequacy. The best approach to reaching high coverage rates is to compel individuals to save for retirement.

However, when this is not a viable option, automatic enrolment programs are a good second best policy alternative. Although automatic enrolment programs have been successful in increasing coverage in voluntary funded private pensions, their success is not guaranteed. Their implementation requires carefully identifying the population subgroups which are more in need of higher coverage; reducing entry barriers to automatic enrolment schemes; defining default contribution rates in line with the overall structure of the pension system; carefully assessing its complementarity with other existing incentives, and accompanying their launch with effective communication campaigns.

Pension Fund Assets

According to "Pension Makets in focus - 2014" published by OECD, Institutional investors totalled USD 92.6 trillion in 2013, with USD 34.9 trillion coming from investment funds, USD 26.1 trillion from insurance companies, USD 24.7 trillion from pension funds, USD 5.1 trillion from public pension reserve funds and USD 1.8 trillion from other investors. In 2013, pension funds confirmed their growing prominence among institutional investors, with a share of 26.7% in terms of total assets held by institutional investors.

Pension fund assets exhibited an average annual growth rate of 8.2% over the period 2009-13. This average annual growth rate between 2009 and 2013 outperformed those observed for insurance companies (4.1% over the same period) and investment funds (6.7%) for which assets slightly declined between 2010 and 2011.

Pension funds remained the main financing vehicle for private pension plans, with USD 24.7 trillion of assets under management representing 68% of the total private pension assets. Bank or investment companies managed funds or other entities accounted for one fifth of the market with USD 7.1 trillion, followed by insurance companies having USD 4.2 trillion (12% of private pension assets) in the form of pension insurance contracts.

The market value of assets accumulated relative to the size of the economy as measured by the GDP is a key indicator of the scale of pension funds' activity. In 2013, five OECD countries reached asset-to-GDP ratios higher than 100% - the Netherlands (166.3%), Iceland (148.7%), Switzerland (119.0%), Australia (103.3%) and the United Kingdom (100.7%). Pension fund assets were of varying importance relative to GDP in the other countries. Thirteen out of thirty-four countries had assets-to-GDP ratios above 20%, which is considered the minimum for meeting the OECD's definition of a "mature" pension fund market.

In absolute terms, the United States still owned the majority of assets under management of all the OECD countries, with assets worth USD 13.9 trillion in 2013. In relative terms however, the weight of assets held by pension funds in the United States has been gradually shrinking, from nearly 62% of total pension assets in the OECD in 2003 to 56% in 2013. The United Kingdom takes the second place in 2013 with 10.8% of OECD assets, followed by Australia (5.9%), the Netherlands and Japan (between 5% and 6% of the pension assets in the OECD each), Canada (5.1%) and Switzerland (3.3%). The share of assets held by pension funds in the other OECD countries increased progressively, from 5.2% in 2003 to 7.0% in 2007 and 7.6% in 2013.

Although substantial pension fund asset pools have been accumulated in non-OECD countries, they remain smaller than in the OECD area. For instance, in terms of asset-to-GDP ratio, the weighted average

in non-OECD countries was 38.3% in 2013, as compared to 84.2% for the OECD area. Only nine non-OECD countries (out of thirty-seven) had ratios above 20%: South Africa with the highest ratio among selected non-OECD countries (87.1% of GDP), Namibia (76.6%), Liechtenstein (65.8%), Botswana (47.3%), Hong Kong (China) (37.5%), El Salvador (28.8%), Bolivia (27.7%), Trinidad and Tobago (21.8%) and Jamaica (21.3%). Pension markets in the other non-OECD economies shown in chart 1.3 were smaller relative to the size of their economies. For India, the pension asset to GDP ratio is 0.3 per cent (includes assets under NPS only).

Besides NPS, retirement assets in India also include IRDA regulated insurance companies fund (Rs. 3.38 lakh crore), portfolio managers assets under EPFO/PFs (Rs. 5.41 lakh crore), central government provident fund (Rs. 1.44 lakh crore), state government provident fund (Rs. 3.05 lakh crore), public provident fund (Rs. 2.72 lakh crore).4

Chart 1.3: Importance of pension funds relative to the size of the economy in selected non-OECD countries, 2013

As a percentage of GDP

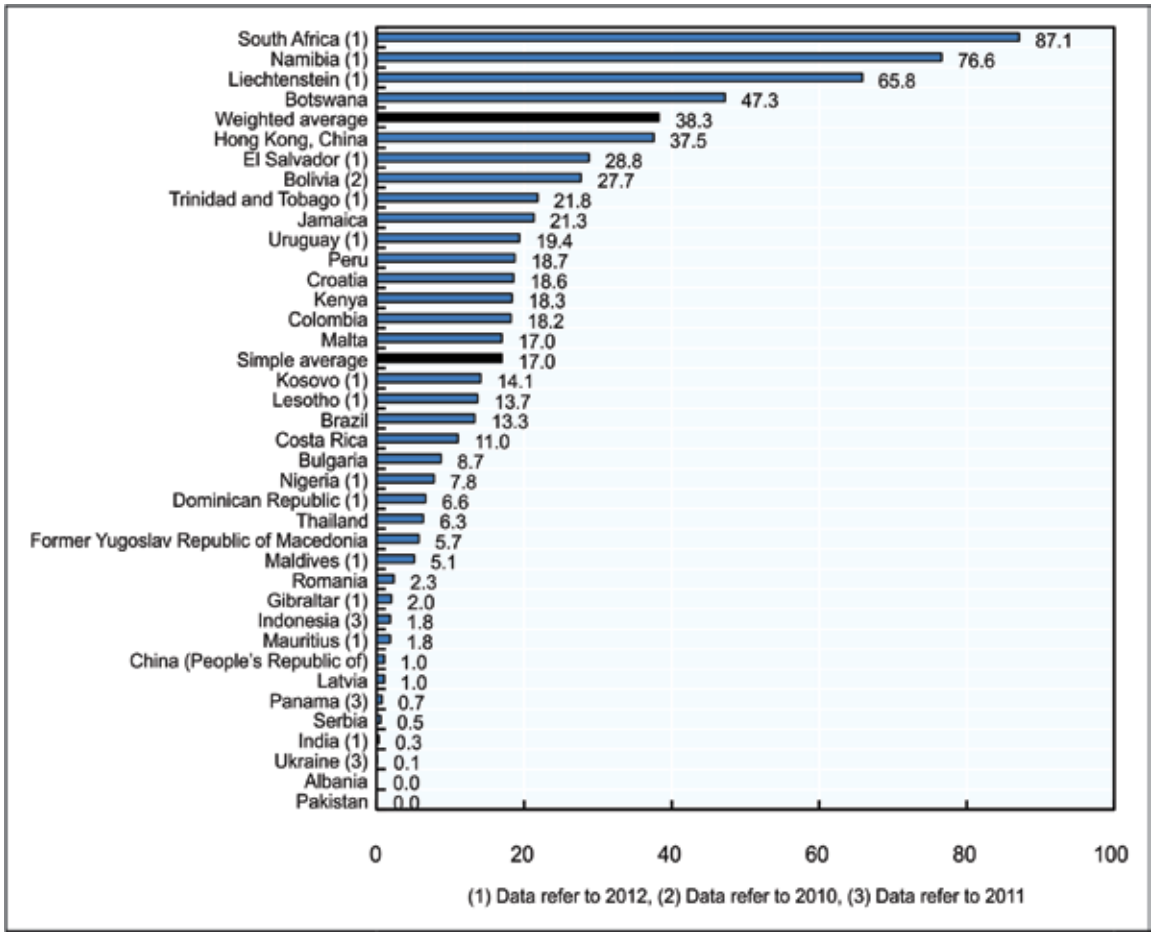

Source: Pension Markets in Focus, 2014, OECD

[4] Source: Annual reports of SEBI and IRDA, Dept. of Economic Affairs, Controller General of Accounts, Ministry of Finance

Performance of Pension Funds

As per the report, in 2013, the net investment rate of return varies considerably across national markets. On the basis of the simple average across OECD countries, for the countries for which information is available, pension funds experienced on average an annual, real rate of investment returns (in local currency and after investment management expenses) of 4.7%, ranging from 11.7% for the highest performer (the United States) to -4.6% for the lowest performer (Denmark). The strong performance across most equity markets in 2013 bolstered average investment returns in most countries.

After the United States, the highest returns in 2013 were in Australia (10.2%), Canada (9.8%), New Zealand (9.5%) and Japan (8.9%). As the real net investment return deducts inflation from the nominal performance of pension funds, a low figure can be accounted for by either low gains and income or high inflation. Pension funds in Denmark had a negative real return in 2013, due to negative contributions from hedging instruments.

The performance of pension funds measured over the last five years remains positive. Over the period December 2008 to December 2013, twenty-four OECD countries had a real annual rate of return higher than 2%, while twenty-two OECD countries had a nominal average annual rate of return higher than 4%. The Netherlands and Canada exhibited the best results in nominal terms, with a return equal to 9.6% and 9.1% respectively and remained the two countries which performed the best over the period after taking into account inflation, with a real return equal to 7.4%. Eleven countries had a real annual rate of return above 4%. By contrast, the Slovak Republic and Greece had the lowest 5-year average real returns.

Pension funds in selected non-OECD countries experienced on average an annual, real rate of investment returns of 5.6%, slightly above the OECD average (4.7%). It ranges from 11.2% for Pakistan to -3.8% for Mauritius. On top of Pakistan, pension funds in two other countries reached real returns above 10%: Namibia and Maldives (both 10.8%). At the other extreme, pension funds in Colombia and Mauritius had a negative performance in 2013.

Over the last five years, all non-OECD countries with available information had a positive nominal average investment rate of return, with Pakistan experiencing the higher performance at 14.0%. In real terms, only Nigeria experienced negative average returns (-3.5%).

Pension Fund Investments

In most OECD countries for which 2013 asset allocation figures were available, bonds and equities remained the two most important asset classes in which pension funds were investing in 2013.Twenty-one OECD countries invested more than 70% of their portfolio into these two asset classes at the end of 2013. The United States was the country where pension funds allocated the biggest share of their portfolios in shares in 2013, followed by Australia, Chile and Poland. In these four countries, pension funds' equity allocations were above the OECD weighted average of 40.3% of total investments.

In half of the OECD countries, pension funds invested more than 50% of their assets in bills and bonds in 2013. The proportion of bills and bonds in pension fund portfolios was over 80% in two countries, namely the Czech Republic (86.5%) and Hungary (83.1%). Bills and bonds were more than 50% of the portfolio in 2013 in a further fifteen OECD countries: Chile, Denmark, Germany, Greece, Iceland, Israel, Luxembourg, Mexico, Norway, Poland, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden and Turkey.

As in OECD countries, bills, bonds and equities were also the main asset classes in which pension funds in non-OECD economies invested. Bills and

bonds represented more than 50% of the asset allocation of pension funds in 2013 in fourteen non-OECD countries . Pension funds in Costa Rica invested all their assets in bills and bonds, due to a broad range of products and good yields. Equities were predominant in pension funds' portfolios in three countries, accounting for more than 50% of total investments: Namibia, Kosovo and Hong Kong (China).

Chart 1.4: Pension fund asset allocation for selected investment categories in selected non-OECD countries, 2013

As a percentage of total investment

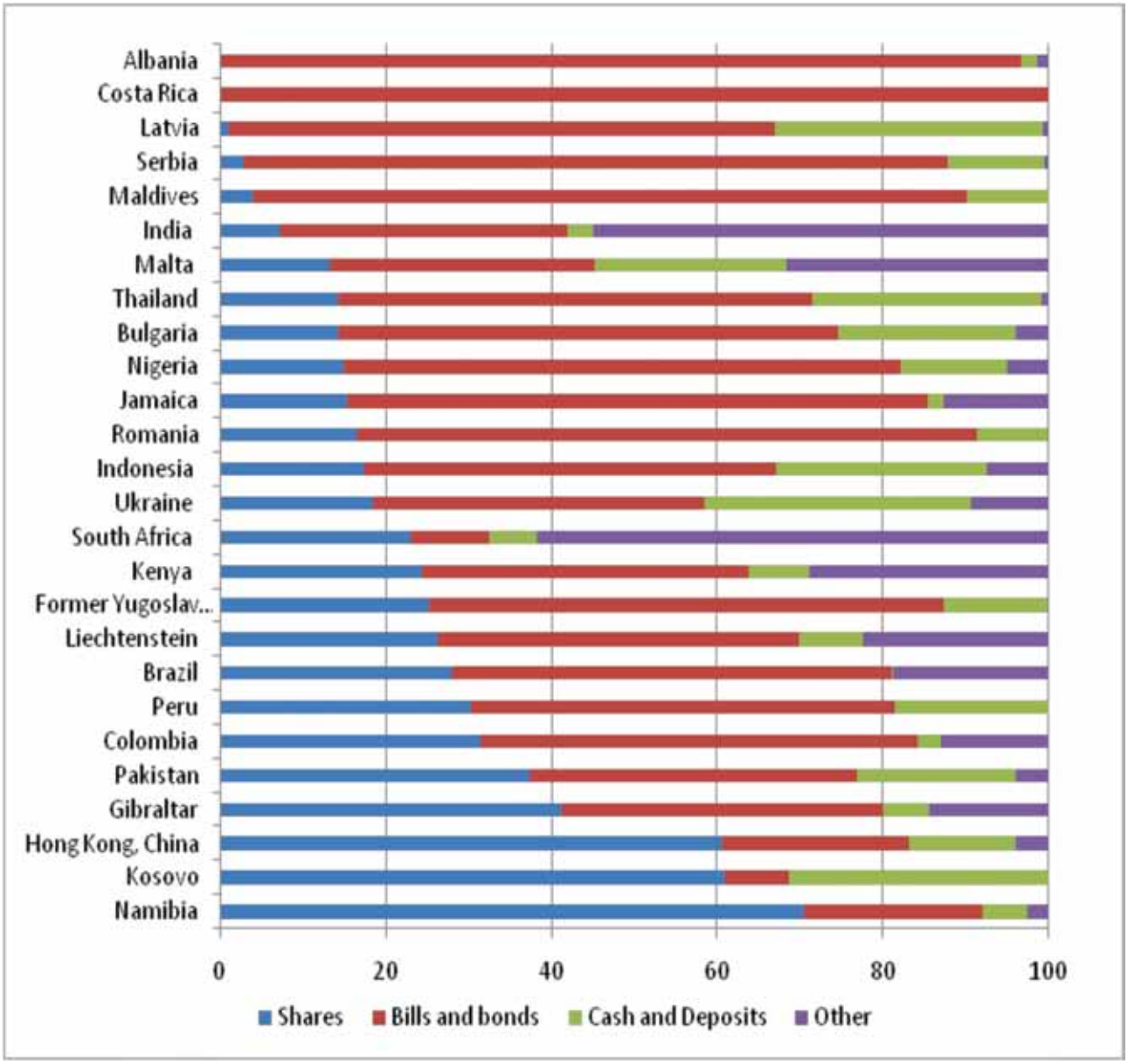

Source: Pension Markets in Focus, 2014, OECD

1.4 Pension Sector in India

Elderly Population

As per the Population Census 2011, the elderly population (aged 60+) was 103.6 million, accounting for around 8.6 per cent of total population in 2011. With increase in per capita income better quality of life and better medical services, life expectancy is gradually increasing and consequently both the share and size of elderly population is increasing over time. In fact the rate of increase of elderly population (60+ years of age) is higher than the general rate of increase of population. The elderly population (60+ years of age) has increased at the rate of 35.10 percent between 1991 and 2001 and at the rate of 35.51 percent between 2001 and 2011 against the increase of total population of 21.53 percent between 1991 and 2001 and 17.64 percent between 2001 and 2011. Consequently, the share of elderly population in total population has increased from 6.8 percent in 1991 to 7.4 percent in 2001 and subsequently to 8.6 percent in 2011.

As per the report on Ageing in 21st Century jointly brought out by United Nations Population Fund (UNFPA) and Help Age International in 2012, the number of elders, who have attained 60 years of age, will shoot up by 360 per cent between 2000 and 2050. India had around 100 million elderly population upto 2012 and the number is expected to increase to 323 million, constituting 20 per cent of the total population, by 2050.

The Old age dependency ratio

Dependency ratio is defined as the number of persons in age group 0-14 years plus number of persons in age group 60 years or more as a proportion of the number of persons in age group of 15-59 years per hundred. A reduction in dependency ratio indicates a phase of population transition where a higher percentage of persons in the working age group translate into higher per capita income and the country benefits from Demographic Dividend. However, dependency ratio has two components, the young dependency ratio and the old dependency ratio. The old dependency ratio is defined as the number of persons in the age-group 60 or more per 100 persons in the age-group 15-59 years. It is an important indicator of the pressures that demographics pose for pension systems. It measures how many people there are of working age relative to the number of retirement age.

The increasing dependency ratio brings more economic pressure on working population. As the ratio increases there may be an increased burden on the productive part of the population to maintain the means of livelihood of the economically dependent. This results in direct impacts on financial expenditures on things like social security, as well as many indirect consequences. The old age dependency ratio in India has increased from 12.2 percent in 1991 to 13.1 percent in 2001 and further to 14.2 percent in 2011.Even though the dependency ratio in India is much less than in the developed countries in America and Europe, but it is growing at an alarming rate.

Pension landscape in India and need for unified pension regulatory regime

Components of pension system in India:

The landscape of Indian pension system includes non-contributory social pension schemes financed by the Government to provide minimum level of protection like National Social Assistance Programme(NSAP), mandatory defined benefit pension scheme on pay-as-you-go basis like Civil Service Pension for employees who joined service before 2004, Employees' Provident Fund (EPF) and Employees' Pension Scheme(EPS) under the EPFO, other Statutory Provident Funds like Coal Mines, Seamen'sAssam Tea Plantations etc. schemes, the National Pension System (NPS) for the government

employees joining on or after 1st January 2004 on mandatory basis, NPS for all citizens on voluntary basis covering persons in the private sector both employees and self-employed including those in the unorganised sector,other pension, retirement and superannuation plans offered by insurance companies and mutual funds.

The World Bank in its report "Averting the Old Age Crisis", (1994) had conceptualized a three-pillar system which was subsequently modified to five-pillar by Holzmann and Hinz (2005) for the provision of old-age income security as under:

Pillar 0: Non-contributory social pension from public finances that may be universal or means-tested.

Pillar 1: Mandated public pension plans, typically unfunded publicly managed schemes on pay-as-you-go basis.

Pillar 2: Mandated and fully funded occupational or personal pension plans with financial assets. It includes defined contribution plans establishing a clear linkage between contributions, investment performance and benefits.

Pillar 3: Voluntary and fully funded occupational or personal pension plans with financial assets. These are flexible and discretionary in nature.

Pillar 4: Non-financial voluntary system outside the pension system with access to a range of financial and non-financial assets and support such as informal (family), market-based, and public support (e.g., health care) to the elderly which impacts the scope and design of the other pension pillars

Multiple elements of the model in design are based on the view that a diversified system can deliver retirement income more effectively and efficiently. Multi-pillar designs provide more flexibility than mono-pillars and are therefore typically better able to address the needs of the main and diversified target groups in the population and provide more security against the economic and demographic risks faced by pension systems.

The Indian Pension system may be classified under different pillars as specified by the World Bank, as under:

Pillar 0 includes the means tested basic pension plans from public finances, geared to provide pension to old and destitute.

The weakening familial and social support system and the growing numbers of older people resulted in the Government of India playing a bigger role in providing a social safety net for destitute older people. In 1995, the Government adopted the National Social Assistance Programme (NSAP), which was made up of three components: the National Old Age Pension Scheme (NOAPS), the National Family Benefit Scheme (NFBS), and the National Maternity Benefit Scheme (NMBS).

NSAP now comprises of the following five schemes:-

i) Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS): Under the scheme, BPL persons aged 60 years or above are entitled to a monthly pension of Rs. 200/- up to 79 years of age and Rs.500/- for the age of 80 years and above.Most of the States are supplementing the contribution by equal or higher amount ranging from Rs 200 to Rs 1000 pm.2.62 Cr beneficiaries were reported for 2014-15.

ii) Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS): Widows aged 40-79 years who are BPL are entitled to a monthly pension of Rs. 300/- and Rs. 500/- over the age of 80 years.

iii) Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS): BPL persons aged 18-79 years with severe and multiple disabilities are entitled to a monthly pension of Rs. 300/- upto 79 years and a monthly pension of Rs. 500 for persons aged 80 years or above.

iv) National Family Benefit Scheme (NFBS): Under the scheme a BPL household is entitled to lump sum amount of money on the death of primary

breadwinner aged between 18 and 64 years. The amount of assistance is Rs. 10.000/-.

v) Annapurna: Under the scheme, 10 kg of food grains per month are provided free of cost to those senior citizens who, though eligible, have remained uncovered under NOAPS. 6.39 lakh beneficiaries were reported in 2012-13.

The coverage under NSAP was around 2.62 crore beneficiaries, who were Below Poverty Line during 2014-15. Pension Schemes under National Social Assistance Programme are schemes to support pure consumption expenditure and these do not promote financial saving, and are reported to have problems of poor beneficiary selection, low coverage and wide-spread leakages.

Pillar 1 comprises of mandated public pension plan that is publicly managed without contributions from the beneficiaries, it is fully financed by the Government on pay-as-you-go basis.

The pensioners include the Central Government employees who joined the services prior to January 1, 2004and State Government employees covered under the old defined benefit pension scheme. The Department of Pension and Pensioner's Welfare is the nodal department for formulation of policies relating to pension of Central Government employees. The pensioners of Ministry of Railways and Defense are governed by their respective pension rules having independent administrative set up. Pension matters relating to State Government are dealt with the respective State Governments.

Pillar 2 comprises of mandated and fully funded occupational or personal pension plans with financial assets and includes Central and State Government employees under NPS, administered by Pension Fund Regulatory and Development Authority (41.42 lakh subscribers as on 31.03.2015).

The private organised sector is covered under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (EPF & MP Act) and otherStatutory social security schemes such as Coal Mine Provident Fund, Seamen's Provident Fund etc.

Employees' Pension Scheme, 1995is a component of Employee Provident Fund (EPF) which provides for superannuation pension, retiring pension, permanent total disablement pension, widow or widower pension, children pension or orphan pension. It is designed as a defined benefit (DB) fully funded plan to cover all EPF members. The members under EPF are estimated to be around 4 crores.

There are 4 other statutory social security schemes for the organised labour in specified sectors, with a component of pension schemes, except under The Seamen's Provident Fund Act, 1966. These are covered under the following Acts:

(i) The Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948;

(ii) The Seamen's Provident Fund Act, 1966;

(iii) The Assam Tea Plantations Provident Fund and Pension Fund Scheme Act, 1955; and

(iv) The Jammu and Kashmir Employees' Provident Funds Act, 1961

Introduction of the New Pension System

India's tax and social security base is low due to the large informal workforce. With a public debt of over 70% of GDP, India does not have the fiscal space to implement a generous tax financed zero pillar pension scheme that could serve as a universal social security/ old age income security for the population.Further, the fiscal stress of the defined benefit pension scheme on the one hand and the need for extending pension coverage in a fiscally sustainable manner to the large unorganized sector on the other hand, were the driving forces behind the introduction of the NPS.

The Government had introduced the defined contribution based New Pension System (NPS), now known as National Pension System from 1st January, 2004 through a notification dated 22nd December, 2003 for new entrants to Central Government service, except to Armed Forces. The Government had constituted an interim regulator, the Interim Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) through a Government Resolution in October, 2003 as a precursor to a statutory regulator. This Resolution was re-issued on 14th November 2008. The design features of the NPS are self-sustainability, scalability, individual choice, maximizing outreach, low-cost yet efficient, and pension system based on sound regulation. PFRDA became a statutory pension sector Regulator after the enactment of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 and bringing this in force with effect from 1st February, 2014.

Pillar 3 includes voluntary and fully funded occupational or personal pension plans with financial assets and includes Private sector and unorganised sector under NPS (number of subscribers 46.07 lakh as on 31.03.2015), administered by PFRDA, life insurance companies and mutual funds sponsored pension,retirement and superannuation schemes administered by IRDA and SEBI.The coverage of population through such insurance companies and mutual funds plans is quite limited, estimated to be around 3.5 lakh.

In India, in the absence of a country-wide social security system (formal pension coverage being about 12% of the working population), while ageing and social change are important considerations for introducing pension reform in the unorganised sector, fiscal stress of the defined benefit pension system was the major factor driving pension reforms for Government employees. Total workforce as per 2011-12 68th Round NSSO Survey is about 47.29 crore and the workers covered under the Civil Service Pension for both Central Government and the State Governments, the organised sector workers under EPFO and the private pension plans of the insurance companies would be around 5.6 crores.

Owing to the financial and practical difficulties of extending coverage through the first and second pillar pension arrangements and dwindling family support, voluntary retirement savings are seen as an important policy tool to extend the coverage of pension provision in India. The important policy measure to achieve a higher coverage of the unorganised sector workers under the formal pension system (about 88% of the total labour force of 47.29 crore workers is without any formal pension provision) is the extension of the NPS, which is a financially self-sufficient, low cost and efficient system. The major challenges in extending the NPS for all citizens are increasing the awareness and financial literacy among potential subscribers through publicity campaigns, increasing the distribution and marketing network of NPS and ensuring tax equivalence with other long-term savings instruments.

NPS introduced earlier for the government sectorhas also been extended to new segments, such as, autonomous bodies, State Governments and un-organised sector. NPS has been adopted resoundingly by the State Governments. Twenty seven State Governments and Union Territories have notified adoption of NPS for their new employees. To encourage people from the un-organised sector to voluntarily save for their old age, Government had launched the Swavalamban Scheme in September, 2010, under which the Central Government would contribute a sum of Rs. 1,000 in each NPS account opened with a minimum contribution of Rs. 1,000 and a maximum contribution of Rs. 12,000 per annum during the financial year 2010-11 and 2011-12. Subsequently, the benefit of Government co-contribution was extended for a total period of 5 years i.e. up to 2016-17.

Atal Pension Yojana was launched on 9th May, 2015 by the Prime Minister and the Scheme is being implemented with effect from 1st June, 2015 with the focus on unorganized sector.

Pillar 4 may include access to informal support systems and other formal social programs such as Mahatma Gandhi National Rural Employment Programme and Indira AwasYojana, schemes under National Food Security Act etc.

Need for unified pension regulatory regime

The PFRDA Act has been notified on 1st February, 2014 with the specific mandate to promote old age income security. As per Section 12 of the PFRDA, while National Pension System is explicitly within the regulatory ambit of PFRDA, it is also laid down in Section 12(1) (b) that the Act shall also apply to any other pension scheme not regulated by any other enactments. However, financial products such as pension/retirement/ superannuation schemes or plans have been in the past and are still being floated by mutual funds and insurance companies registered with SEBI and IRDAI as pension products, and continue to be regulated by SEBI and IRDAI, even post the notification of the PFRDA Act. Besides, there are many superannuation funds that have been formed with contribution of employer and employees, to provide superannuation/pension benefits to the employees on a voluntary basis. These Superannuation Fund Trusts have been formed by various corporates both in the private and the public sector which seek approval of the Income Tax Authorities so as to get tax deduction for the employer's and employees' contribution to such Trust funds and tax exemption for income of such Trust funds.

Whilst the Income Tax rules prescribe the conditions therefor for provision of such approval by Income Tax authorities for establishment of such funds, the management of the affairs of such Trust, aspects relating to investment of the funds by such trust, redressal of grievances of the beneficiaries of such Trusts and protection of their interest is neither monitored by the Dept. of Revenue, CBDT nor by any other regulator.

Under the PFRDA Act, the regulation involves registration of such persons or entities connected with collection, management, recordkeeping and distribution of pension accumulations; approving such schemes, and laying down norms for the management of the corpus of the pension funds, including investment guidelines for such schemes and protecting the interest of the subscribers.

Since the notification of the Act, PFRDA has been taking earnest efforts to identify such hitherto unregulated pension/ superannuation/ retirement schemes/ plans and has issued a public notice and also requested CBDT to share the data base of functioning of such superannuation funds which have been approved by various Commissioners of Income Tax under the Income Tax Rules. PFRDA has also proposed that while submitting application to the Dept. of Revenue, the Trusts/Funds be asked to furnish an undertaking that the Superannuation Fund/Trust shall be governed by the provisions of PFRDA Act and the Rules and Regulations framed thereunder and a copy of the approval letter issued to such Trust/Superannuation Funds by the Department of Revenue should be endorsed to PFRDA for further monitoring of such Trusts/ Funds under the regulations.

It is felt that all pension, retirement, superannuation and provident fund schemes/plans which are essentially the different names for old age income security should come within the regulatory ambit of PFRDA unless specifically covered under any other enactment. The current fragmented and heterogeneous pensions sector could pose some challenges on regulation and supervision resulting in regulatory arbitrage and regulatory gaps with serious consequences for investors interest. The need for a unified pension regime and unified

regulations therefore is critical for the orderly growth and stability of the pension industry. Pursuant to the passage of the PFRDA Act, a clear signal to the market shall have to be made that any scheme aimed at providing old age income security shall be registered and regulated by PFRDA. This would be in harmony with the Parliamentary intent and the spirit of the PFRDA Act.

1.4.1 NPS - The journey so far

In 2004, the Government of India undertook a major reform of the civil service pension scheme, launching a new, defined contribution pension scheme now known as the National Pension System (NPS). The new system utilized a Central Recordkeeping Agency (CRA), and individual retirement accounts managed by PFRDA registered pension fund managers. This was initially, w.e.f 01.01.2004 for new entrants to the central government civil service, but was gradually extended to state level employees as well.

The NPS was opened to all Indian citizens - including the private sector and informal sector workers - on a voluntary basis, from May 2009. The government's extension of the NPS was designed to provide a low-cost retirement savings system, deliberately targeted at India's informal sector. The primary targets of the voluntary NPS program are entrepreneurs, small business owners and their employees, agricultural workers, and daily wage labourers among others.

Adaptations have been made to ensure that the scheme is scalable, low cost, simple, portable and flexible. Post offices, public sector banks and other entities have been enlisted to allow workers to open NPS accounts. PFRDA, the pension regulator, has been given the oversight role and mandate for imparting education and creating awareness among the potential subscribers.

A separate scheme with government contributions- the NPS Swavalamaban (NPS-S) was launched to incentivize unorganised sector to join NPS. In 2010, the Government announced matching contribution of Rs 1,000 per year into NPS accounts of individuals who made contributions of Rs 1000-12000 during the year into the **Swavalamaban** scheme. The accounts were known as 'NPS-lite accounts' with optimised features and low fees.

With a view to reach out to the targeted benificaries under the NPS Lite/ Swavalamban, in late 2010 'Aggregators' were introduced -mostly NGOs, micro-finance and self-help groups which are registered by the PFRDA according to minimum eligibility criteria - to undertake marketing and enrolment (including pension literacy and training) on a group basis, as well as provide performance data and handle complaints, thereby lowering costs. Aggregators were paid a flat rate per enrolee with a volume bonus.

Voluntary membership of the NPS-Lite/ Swavalamban scheme had reached around 41.46 lakh by March 2015, after about four and a half year of its operation. The average savings balance per member was Rs 3,872.

The low take up of the scheme is attributed partly to its returns being completely market dependent. Subscribers from lower starta of income to whom the scheme was targeted always wanted some assurance about certain minimum returns.

In the 2015-2016 budget speech, the Indian Finance Minister announced a new pension scheme with focus on unorganised sector workers - Atal Pension Yojana (APY). The existing subscribers of the NPS-Swavalamban in the age group 18 - 40 years are to be migrated to APY. The APY provides subscribers with minimum monthly pension ranging between Rs. 1000 to Rs. 5000 based on their amount of contribution chosen, which in-turn would depend on the age of joining. The scheme provides triple benefits i.e. the subscriber would get pension on attaining age of 60 throughout his/ her life term and thereafter his/her spouse will receive the same

pension throughout her life term. The corpus would be returned to the nominee post the demise of both the subscriber and the spouse. The Government would also co-contribute 50% of the contributions or Rs 1000 whichever is lower, per year (for a 5 year period) to APY subscribers account who join the scheme on or before December 31, 2015 which would be added to the corpus of APY account of the subscribers by the banks.

Whilst demonstrating some success in terms of absolute numbers, NPS has only managed to reach a small percentage of its target group. The program demonstrates that there may be advantages of building on and adapting existing schemes, as well as the importance of flexibility and adjusting and developing the scheme as it was rolled out. It will be important to follow the new developments of the scheme to ascertain whether the new benefit structure and incentivization for agents will be able to scale up the program significantly.

1.5 Intermediaries and entities associated with NPS

Chart 1.5: NPS architecture and intermediaries

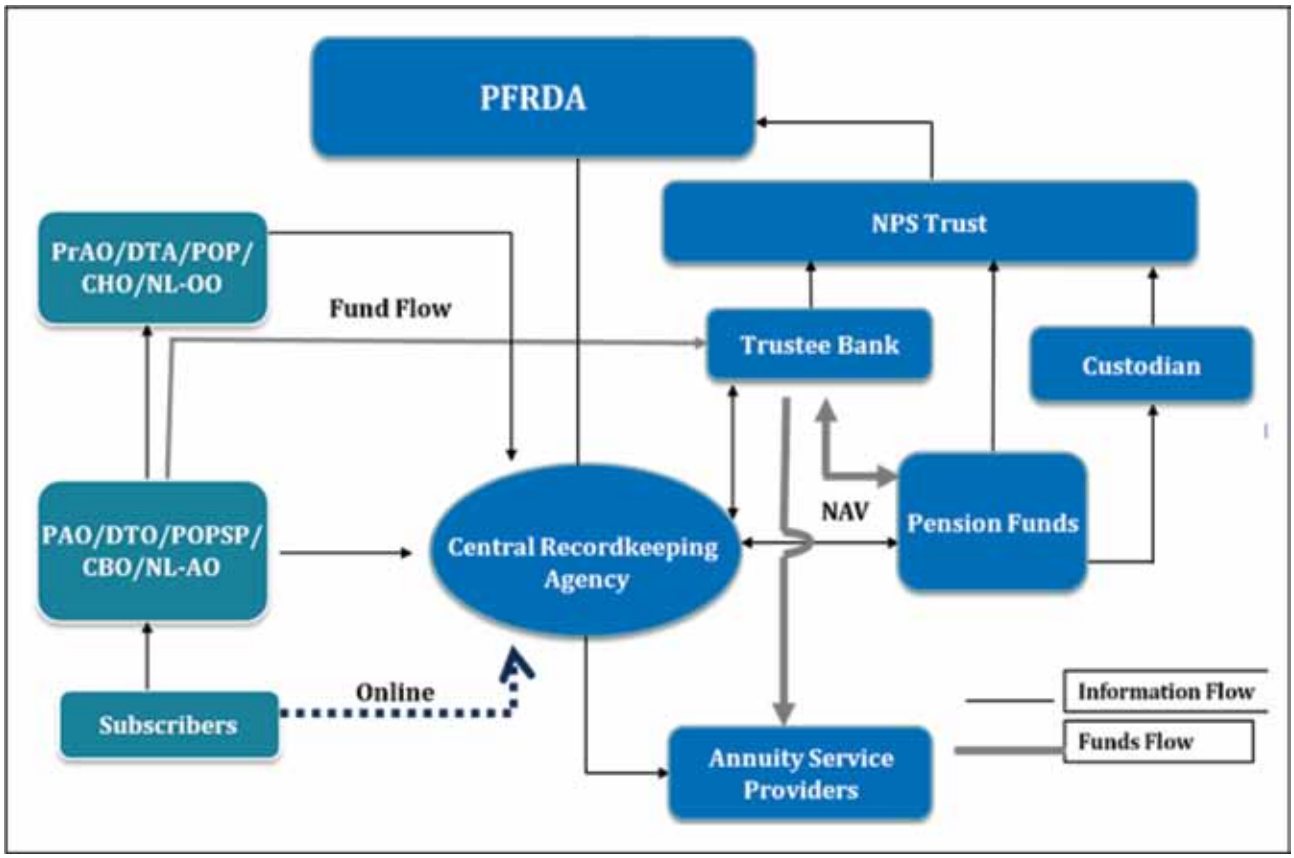

The NPS architecture includes the following intermediaries:

Points of Presence (PoP) and Aggregators:
These are the first point of interaction for the subscribers, capable of electronic connectivity with central record keeping agency for the purposes of opening NPS accounts, receiving and transmitting funds and instructions and payout of funds besides providing a number of product related services.

Pension Funds (PF):

Registered with PFRDA and electronically connected with central record keeping agency, these are authorized to receive and manage the pension corpus of the subscribers and making payments to the subscriber in the manner as may be specified.

Trustee Bank (TB):

Receives funds from the POPs and Aggregators and nodal offices at the front end and transfers them to Pension Funds and Annuity Service Providers at the back end as per the specified guidelines.It daily uploads the funds receipt confirmation, reconciles funds, assists CRA in matching and booking of funds which are then invested by PFs.

Central Recordkeeping Agency (CRA):

The record keeping, administration and customer service functions for all subscribers of NPS are centralized and performed by CRA. It acts as an interface between the different intermediaries in the NPS system. It undertakes time-critical settlement process to consolidate all contributions & redemption requests received for a day, accordingly instruct Trustee Bank for net transfers to be made to each fund manager and post the units allotted to the subscribers on the same day. It also monitors subscribers' contributions and instructions and transmits the information to the relevant PF and scheme on daily basis. It facilitates withdrawal of funds and also provides MIS support to PFRDA. It conducts orientation programmes for nodal offices and subscriber awareness programme and assists in development of new functionalities/utilities.

Annuity Service Providers (ASP):

These Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) registered life insurance companies and PFRDA empaneled intermediaries are responsible for delivering a regular monthly pension to subscribers on exit.

NPS Trust:

A trust appointed under the Indian Trust Act, 1882 are the registered owners of the funds and are responsible for management of funds in the best interest of subscribers.

Custodian:

Custodian provides custodial and depository participant services for the pension schemes regulated by the Authority.

The management of NPS is highly technology intensive and is accordingly technology-enabled. The transmission of information and funds is done in an electronic environment ensuring speed, accuracy and efficiency. The investment of the pension funds is done in accordance with prescribed norms which specify different categories of investment instruments along with prudential limits on the quality (credit ratings) and quantity of investments (sectoral/group exposure limits). Finally, the annuity is paid to the subscribers in pay out phase after attaining retirement age.

1.6 Performance of National Pension System during FY 2014-15

Table 1.2: National Pension System - performance during the Financial Year 2014-15

Sectors	No. of Subscribers			Contribution Amount (Rs. crore)			Asset under Management (Rs. crore)		
	Mar-14	Mar-15	% Growth	Mar-14	Mar-15	% Growth	Mar-14	Mar-15	% Growth
Central Gov.	1,357,589	1,511,528	11.34	20,029	27,458	37.09	24,188	36,737	51.88
State Gov.	1,991,455	2,630,194	32.07	18,364	29,702	61.74	20,211	36,244	79.33
Pvt. Sector	341,109	460,047	34.87	2,802	5,194	85.39	2,892	6,269	116.76
NPS Lite	2,816,027	4,146,880	47.26	793	1,380	73.93	844	1,606	90.25
Total	**6,506,180**	**8,748,649**	**34.47**	**41,988**	**63,734**	**51.79**	**48,135**	**80,855**	**67.98**

i) Number of subscribers under NPS

The number of subscribers under NPS has shown phenomenal increase from 4.30 lakh subscriber as end of March 2009 to 87.48 lakh as end of March 2015. The growth in number of subscribers was high in initial years (2009-2010) as the Central and State Government employees whose enrollment was due post 01.01.2004 started registering into the NPS system. However, the growth moderated thereafter as the number of registration of subscribers under CG and SG stagnated. The share of number of government sector subscribers in total suscribers base has declined from 99 per cent in March 2010 to 47 per cent in March 2015.The share of subscribers in All Citizen and Swavalamban sectors has increased from 26.30 per cent in March, 2011 to 52.87 per cent in March, 2015.

Chart 1.6: Year wise number of subscribers under NPS

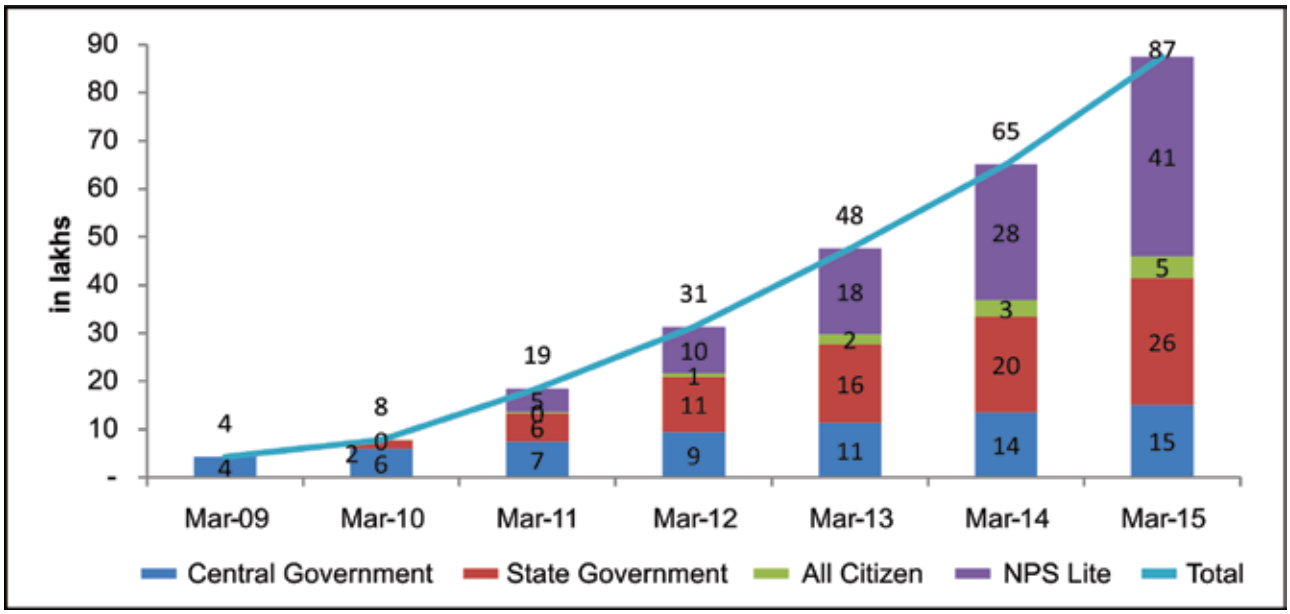

ii) Assets under Management under NPS

Assets under Management have increased from Rs. 2,277 crore as end of March 2009 to Rs. 80,855 crore as end of March 2015. Increase in AUM is partially due to increase in contribution by the subscribers and partially due to increase in value of the portfolio. During FY 2014-15, the growth in AUM has been 68 per cent against the growth of 52 per cent in the contribution by the subscribers.

Chart 1.7: Year wise AUM under NPS

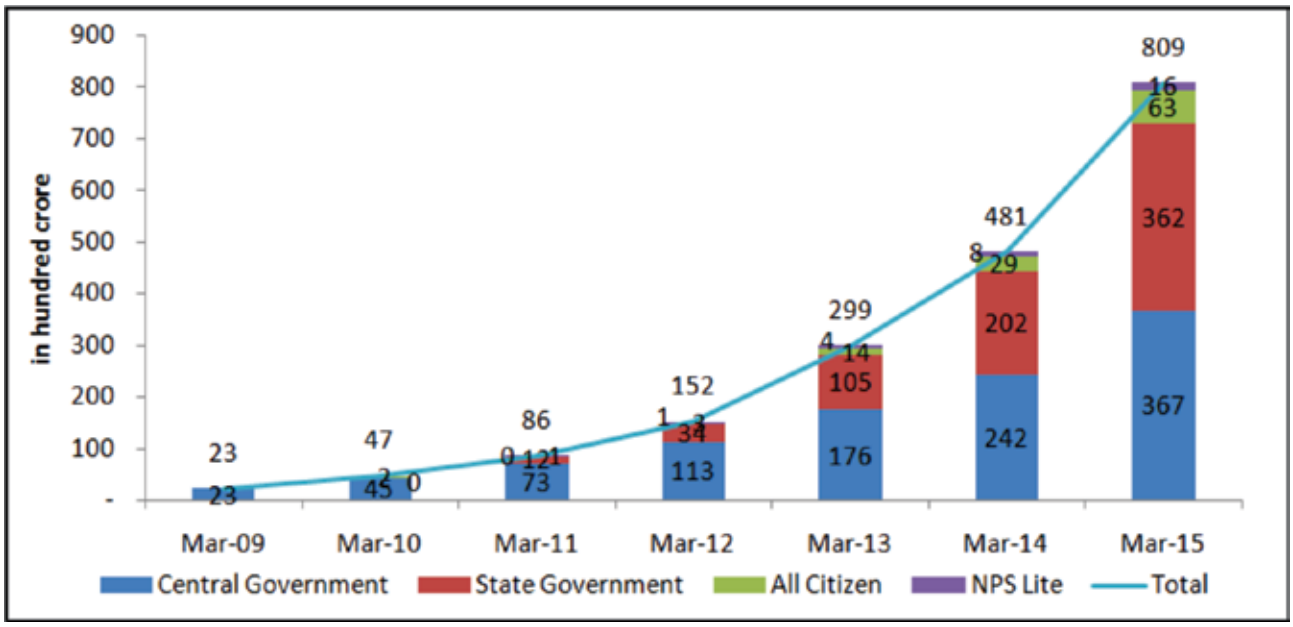

iii) Month wise number of subscribers in National Pension System

Chart 1.8: Month wise no. of subscribers in NPS during FY 2014-15

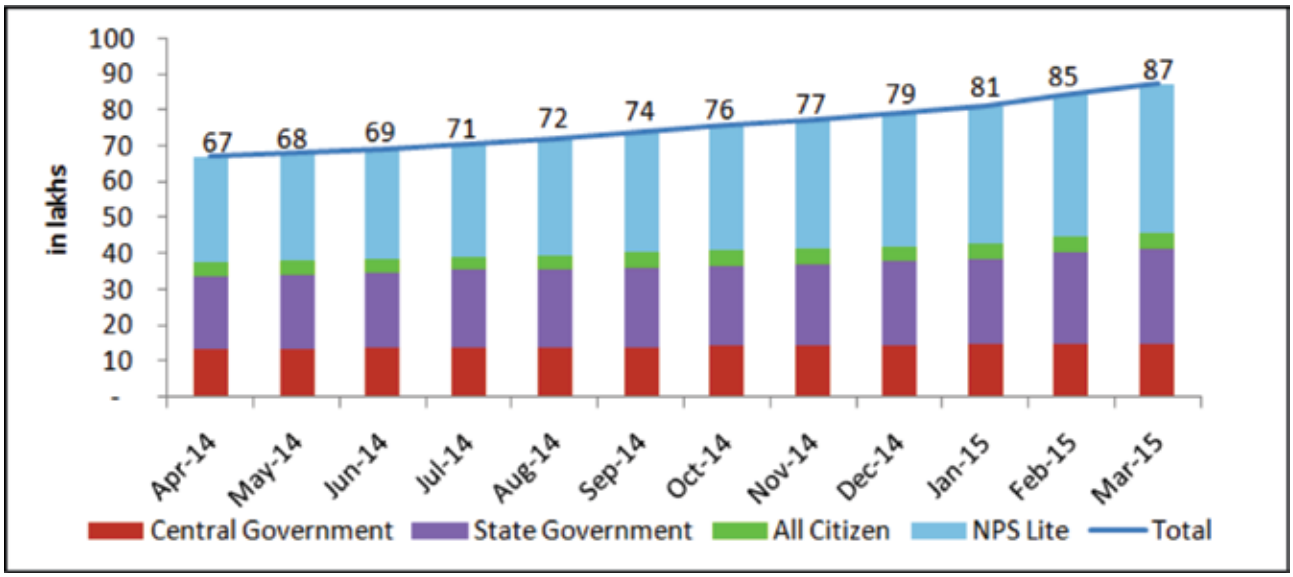

The number of NPS subscribers has increased from 67 lakh to 87 lakh, registering a growth of 34.46 per cent, during the FY 2014-15. The maximum growth is witnessed in NPS Lite/ Swavalamban sector, followed by Private and State Government sector. The share of government sector subscribers in total suscriber base has declined from 51.5 to 47.3 per cent during FY 2014-15. However, the share of Pvt. Sector has increased marginally from 5.2 per cent to 5.3 per cent and and NPS Lite has increased from 43.3 per cent to 47.4 per cent, during FY 2014-15.

iv) Month wise contributions and AUM under National Pension System

Chart 1.9: Month wise AUM and contribution in NPS during FY 2014-15

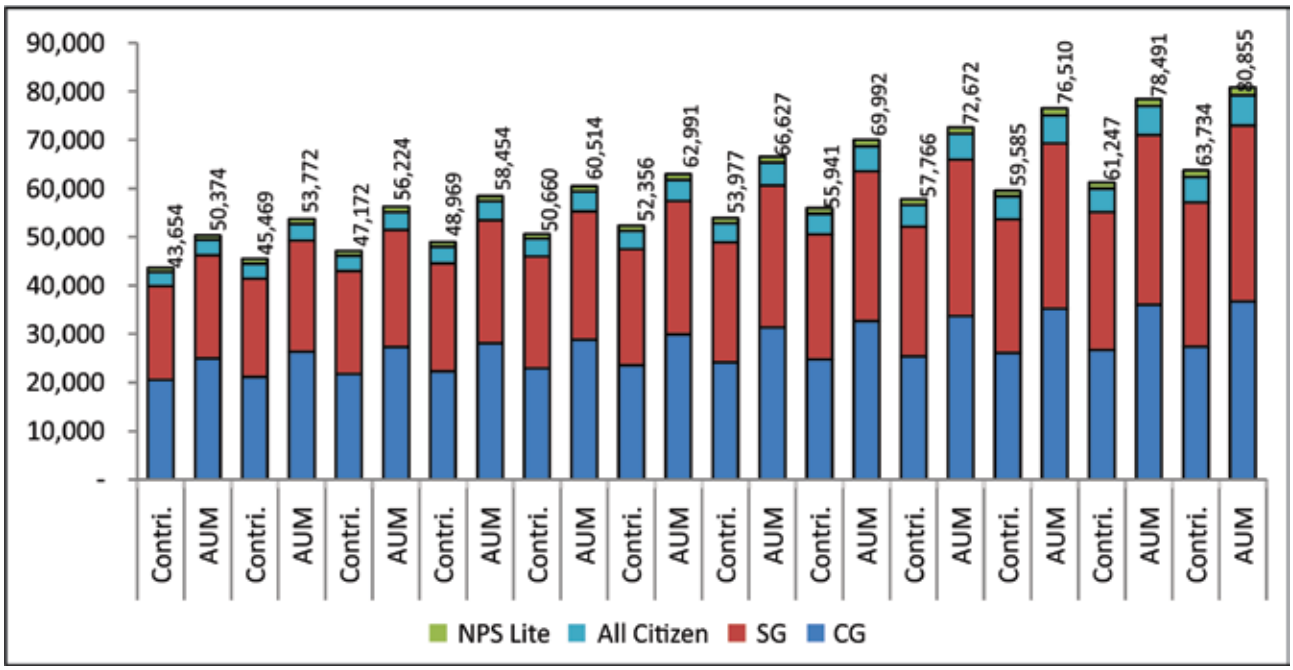

Total contribution to NPS by the subscribers has increased from Rs. 41,988 crore as end of March 2014 to Rs. 63,734 crore as end of March 2015 registering a growth of 51.8 per cent.

The AUM has increased from Rs. 48,135 crore as end of March 2014 to Rs. 80,855 crore as end of March 2015, registering a growth of 68 per cent.

Contribution per subscriber has improved from Rs. 0.65 lakh as end of March 2014 to Rs. 0.73 lakh as end of March 2015.The contribution per subscriber has increased under all the four sectors with the maximum contribution per subscriber from CG 1.82 lakh per annum. However, the contribution per subscriber from the NPS lite is Rs. 3300 per annum which is very low for sustenance of subscribers during their sunset years.

v) Month wise addition in contribution

Chart 1.10: Month wise addition in contribution during 2014-15

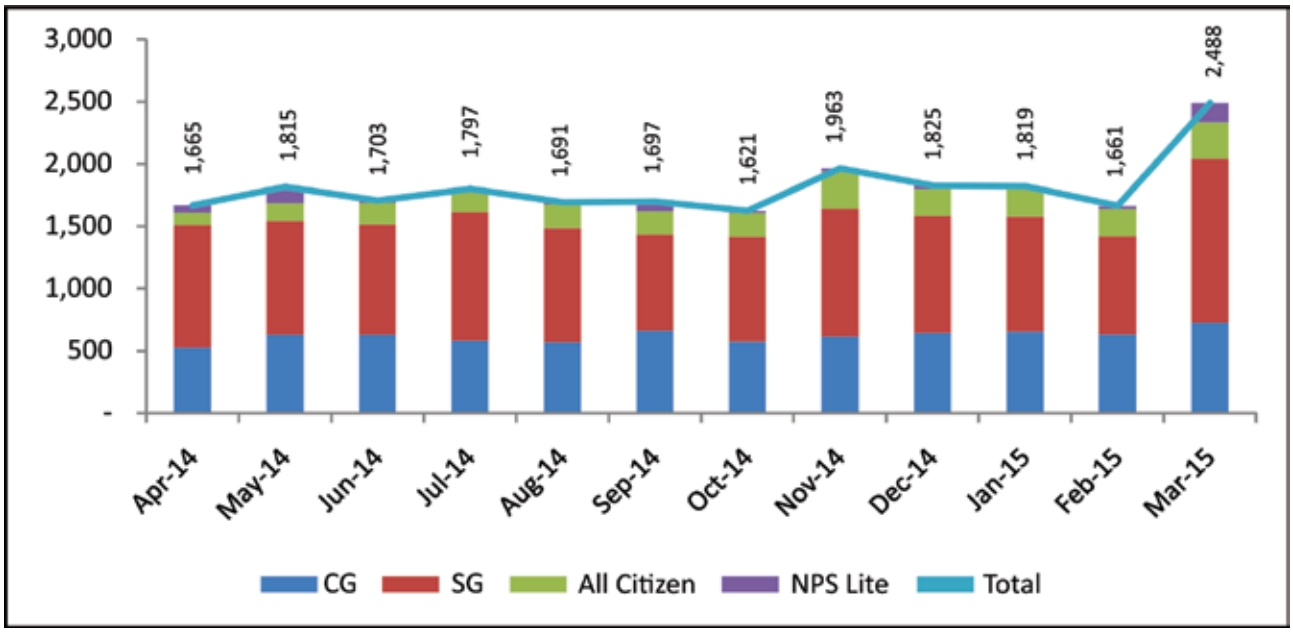

Maximum increase in contribution has been observed in NPS-Lite sector due to fresh registration.

vi) Gender wise subscribers of NPS

Table 1.3: Gender wise break up of NPS subscribers in various sectors

(in per cent)

Gender	Central Govt.	State Govt.	Pvt. Sector	NPS Lite	Total
Female	10	25	26	77	47
Male	90	75	74	23	53
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

47 per cent of the NPS subscribers are female. NPS lite which constitutes 77 per cent of female subscribers has the maximum number of female subscribers. The share of female subscribers in the Pvt. Sector is 26 per cent of the total private subscribers.

vii) NPS Subscribers by age group

Table 1.4: Age group wise NPS subscribers in various sectors

(in per cent)

Age Group	Central Govt.	State Govt.	Pvt. Sector	NPS Lite	Total
18-30 years	57	36	55	16	31
30-40 years	33	42	27	34	36
40-50 years	8	18	13	34	23
Above 50 years	3	4	5	16	10
Grand Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Maximum number of NPS subscribers is in the age group of 30-40 years followed by age group of 18-30 years. However, in organized sectors like subscribers of Central Govt, State Govt and corporates sectors the maximum subscribers is in age group of 18-30 years. This indicates that 10 per cent of the existing NPS subscribers will exit the system up to the year 2025, 23 per cent will exit in between 2025 to 2035 and rest 67 per cent in between the year 2035 - 2057.

1.7 Atal Pension Yojana

The government of India is concerned about the old age income security of the working poor and is focused on encouraging and enabling them to join NPS. To address the longevity risks among the workers in unorganized sector and to encourage the workers in the unorganized sector to voluntarily save for their retirement, who constitute 88% of the total labour force of 47.29 crore as per the 66th round of NSSO survey of 2011-12, but do not have any formal pension provision, the Government had started the Swavalamban scheme in 2010-11. The coverage under the said scheme was inadequate due to non-clarity of pension benefits at the age of 60 years. Therefore, a new scheme, Atal Pension Yojana (APY) was announced in Union Budget for 2015-16, with focus on unorganised sector. It is administered by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA). Under the APY, the subscribers would receive a fixed minimum monthly pension ranging between Rs. 1000 per month to Rs. 5000 per month, at the age of 60 years, depending on their contributions, which itself would depend on the age of the subscriber at the time of joining. The minimum age of joining APY is 18 years and maximum age is 40 years. Therefore, minimum period of contribution by the subscriber under APY would be 20 years or more. The benefit of fixed pension is guaranteed by the Government to the subscriber and his/her spouse with the return of corpus to the nominee. The Central Government would also co-contribute 50% of the total contribution or Rs. 1000 per annum, whichever is lower, to each eligible subscriber account, for a period of 5 years, i.e., from 2015-16 to 2019-20, who join the NPS before 31st December, 2015 and who are not income tax payers and are not covered under any statutory social security scheme. This would be transferred by the banks to the APY account of the subscribers.The subscriber should have a bank account and the monthly/quarterly/ half-yearly subscription to APY will be through auto debit to subscribers savings bank account. The existing subscribers of Swavalamban Scheme aged 18 - 40 years would be migrated to APY. All public sector banks, private sector banks, regional rural banks and urban rural cooperative banks on CBS platform are eligible to be registered as APY service providers to register subscribers.

Funding of APY: Government would provide (i) minimum pension guarantee for the subscribers by having a provision for gap funding (ii) co-contribute 50% of the contribution or Rs. 1000 per annum, whichever is lower, to eligible subscribers for five years i.e. from FY 15-16 to FY 2019-20; and (iii) also reimburse the expenses on promotional and development activities including incentive to the contribution collection agencies i.e. banks/banking correspondents to encourage people to join the APY.

1.8 Policies and programmes having a bearing on the working of the National Pension System and other pension schemes covered under the Act

A) Initiated by PFRDA

A committee to look into investment guidelines of the private sector was set up in 2014-15 which gave its final report on April 7, 2015. Based on the report, a revised investment guideline for NPS Schemes (Applicable to Scheme CG, Scheme SG, Corporate CG and NPS Lite schemes of NPS and Atal Pension Yojana) has been issued by PFRDA vide circular no. PFRDA/2015/16/PFM/7 dated 03.06.2015 w.e.f. 10th June, 2015.

Table 1.5: Revised investment guidelines for NPS Schemes for Scheme CG, Scheme SG, Corporate CG and NPS Lite schemes of NPS and Atal Pension Yojana

S.No.	Category	Percentage amount to be invested
(i)	Government Securities and Related Investments	Upto 50%
(ii)	Debt Instruments and Related Investments	Upto 45%
(iii)	Short-term Debt Instruments and Related Investments	Upto 5%
(iv)	Equities and Related Investments	Upto 15%
(v)	Asset Backed, Trust Structured and Miscellaneous Investments	Upto 5%

1. A set of new asset class viz. REITS, InvITs have been added in line with recommendation of Bajpayee Committee. New instruments and investment strategies have been introduced accordingly.

2. Restrictions/filters have been imposed in terms of exposure to the sponsor group, equity exposure, debt exposure, industry for Government NPS schemes (Applicable to Government Sector, Corporate CG and NPS Lite schemes of NPS and Atal Pension Yojana) to reduce concentration risks in the NPS investment of the subscribers.

B) Initiated by the Governnment

Union Budget 2015-16 - Announcements for Pension Sector

i) With respect to Employees Provident Fund (EPF), it has been announced in the Budget 2015-16 that the employee needs to be provided with two options. Firstly, the employee may opt for EPF or the New Pension Scheme (NPS). Secondly, for employees below a certain threshold of monthly income, contribution to EPF should be optional, without affecting or reducing the employer's contribution.This is a major step in providing a choice to the employees to opt for EPF or NPS. However, for its implementation certain issues need to be resolved. Under the EPF, it is mandatory for employers employing 20 or more persons to contribute to their employees PF who are drawing monthly salary upto Rs. 15,000/-.

ii) The limit on deduction on account of contribution to a Pension Fund and the New Pension Scheme is increased from Rs 1 lakh to Rs 1.5 lakh. To provide social safety net and the facility of pension to individuals, an additional deduction of Rs 50,000 is provided for contribution to the New Pension Scheme under Section 80CCD. This will enable India to become a pensioned society instead of a pensionless society.

Insurance Laws (Amendment) Bill, 2015 passed by the Parliament

Consequent upon the amendment in the Insurance Laws (Amendment) Bill, 2015 the composite foreign equity investment inclusive of all forms of foreign direct investment and foreign portfolio investments cap in Indian Insurance companies stands raised to 49 per cent from 26 per cent. Section 24 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) Act provides that the foreign investment limit in pension fund would be the same as that in the insurance sector, and thus, pension funds can also have upto the 49% foreign investment.

Chapter - II

Investment of Funds under NPS

2.1 Schemes

Presently the following schemes under National Pension System are operative :

A. Schemes applicable to Government Employees

1. Central Government Scheme
2. State Government Scheme

B. Schemes applicable to all citizens

1. Scheme - E (Tier-I & Tier-II)
2. Scheme - C (Tier-I & Tier-II)
3. Scheme - G (Tier-I & Tier-II)
4. NPS Lite Scheme*

2.2 Investment Guidelines

The exposure limits for investments in different categories of financial securities are as under:

Table 2.1: Exposure limits for investments for Central Govt., State Govt. and NPS-Lite schemes in different financial instruments

S.No	Category	Percentage of AUM to be invested	
		Prior to 10.06.2015	w.e.f 10.06.2015
(i)	Government Securities	upto 55 %	upto 50%
(ii)	Debt securities	upto 40%	upto 45%
(iii)	Money Market Instruments /Short term debt and related instruments	upto 5%	upto 5%
(iv)	Equity and related investments	upto 15%	upto 15%
(v)	Asset backed, Trust Structured and Miscellaneous Investments	-	upto 5%

Detailed guidelines issued by PFRDA for different NPS Schemes from time to time are available on the website of PFRDA i.e.www.pfrda.org.in

Further with aview to restrict exposure/ concentration to any group /sector/firm, it has been provided that investment sponsor group companies will be restricted to 5% of the paid up equity capital of all the group companies or 5% of the total AUM under equity exposure whichever is lower, in each scheme and 10% of the paid up equity capital of all the non sponsor group companies or 10 % of all the total AUM under equity exposure whichever is lower.

If an investor from the corporate sector or all citizen category, does not opt for any particular investment pattern his/her NPS portfolio is invested as per the life cycle or default choice in which the investment in different classes is invested as under:

* This scheme includes the NPS-Swavalamban and Atal Pension Yojana (APY)and follow investment pattern as applicable to schemes for Central Government employees.

(i) Investment Pattern of Lifecycle Fund* (Default Choice)

Table 2.2: Investment pattern of Lifecycle fund (Default choice)

Age	Asset Class E (%)	Asset Class C (%)	Asset Class G (%)
Up to 35 years	50	30	20
36 years	48	29	23
37 years	46	28	26
38 years	44	27	29
39 years	42	26	32
40 years	40	25	35
41 years	38	24	38
42 years	36	23	41
43 years	34	22	44
44 years	32	21	47
45 years	30	20	50
46 years	28	19	53
47 years	26	18	56
48 years	24	17	59
49 years	22	16	62
50 years	20	15	65
51 years	18	14	68
52 years	16	13	71
53 years	14	12	74
54 years	12	11	77
55 years	10	10	80

Under the Scheme E, the maximum investment in equity shares permitted is 50% of the AUM. Under Scheme C and Scheme G the maximum investment in the respective categories i.e. Corporate debt or Govt. securities can go upto 100% of the AUM of the scheme.

2.3 Exposure of National Pension System and other pension schemes portfolios to different categories of investments

As against the investment guidelines described above, the actual exposure as on March 31, 2015 to different financial instruments under different schemes has been as under:

Table 2.3: Exposure of NPS to various instruments

Security Type	Amount in Crores	% of investment
G-Sec exposure	39651	49.04
SDL exposure	2876	3.56
Corporate Bond	27092	33.51
Equity exposure	8247	10.20
Money Market	433	0.54
FDs	597	0.74
Net Current Assets	1959	2.42
Total AUM	**80855**	**100.00**

* In case of Default Choice, reallocation among the asset classes shall take place on the date of birth of the subscriber. Net Asset Value (NAV) will be released on regular basis so that the investors are able to take informed decisions.

Chart 2.1: Classification of NPS assets as on March 31, 2015

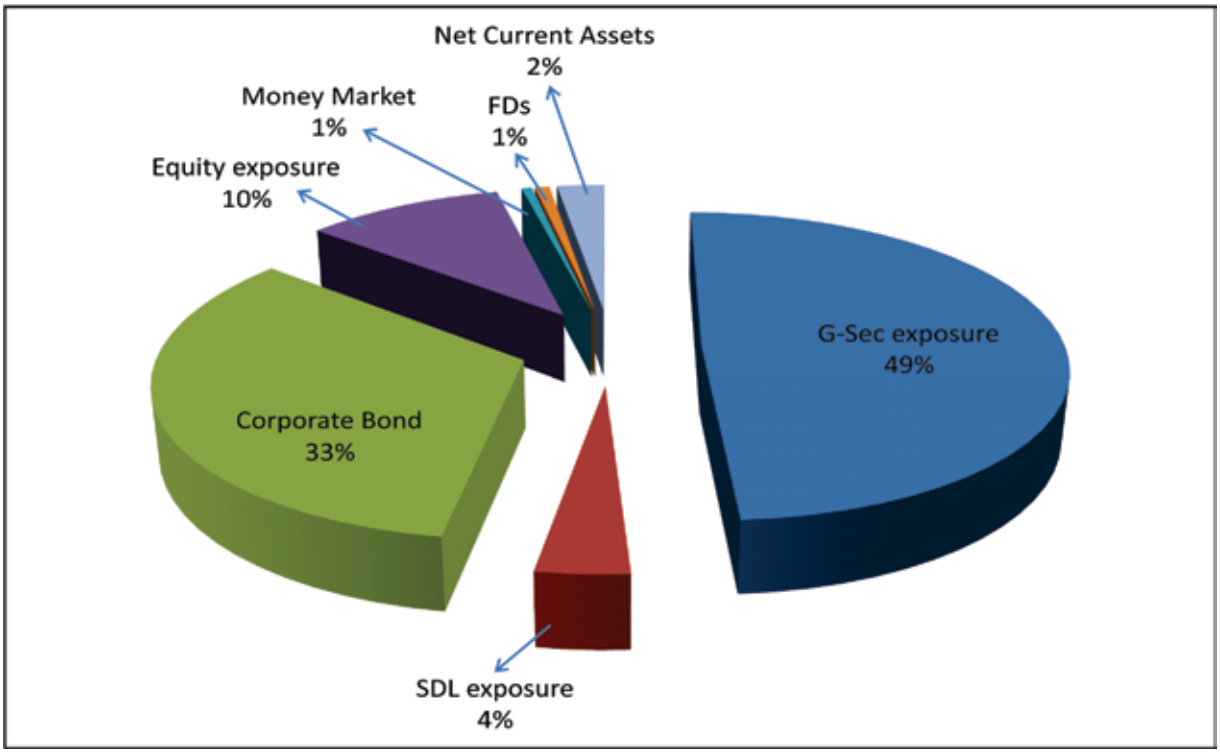

Table 2.4: Notional Returns (%) of Schemes of Different Pension Funds as on March 31, 2015

Scheme	Period	SBIPF	LICPF	UTIRSL	KOTAK PF	ICICI PF	RELIANCE PF	HDFC PF
CG	1 Year i.e. 2014-15	19.34	18.85	18.58	-	-	-	-
	Since Inception	10.59	10.24	10.06	-	-	-	-
SG	2014-15	19.76	19.32	18.82	-	-	-	-
	Since Inception	10.08	10.42	10.17	-	-	-	-
NPS-Lite	2014-15	19.55	19.35	19.20	19.23	-	-	-
	Since Inception	11.56	11.38	11.54	8.06	-	-	-
Asset Class E	2014-15	28.24	27.22	29.74	28.41	28.65	28.30	28.63
	Since Inception	10.55	23.64	13.17	11.90	13.71	12.46	29.36
Asset Class C	2014-15	15.71	15.35	15.09	15.22	15.72	15.04	15.20
	Since Inception	11.50	13.35	9.69	11.12	11.22	9.34	13.21
Asset Class G	2014-15	20.68	20.87	20.18	19.63	20.75	20.24	19.88
	Since Inception	10.24	15.32	8.65	8.63	8.95	8.29	13.50
Asset Class E-II	2014-15	28.48	21.30	31.04	28.12	28.66	28.25	22.77
	Since Inception	10.11	11.23	10.41	10.77	10.47	10.60	18.17
Asset Class C-II	2014-15	15.78	12.29	15.30	15.19	15.91	14.97	9.51
	Since Inception	11.07	9.67	9.95	9.50	11.30	9.02	9.32
Asset Class G-II	2014-15	20.49	19.88	20.27	19.90	20.70	20.44	19.45
	Since Inception	10.49	15.72	10.03	8.39	9.39	8.63	14.97

In the year of operations 2014-15, the Pension Funds managing the NPS Schemes have delivered a weighted average return of 18.99% for Central Government Scheme, 19.35% for State Government Scheme, 19.43% for NPS Lite Scheme, 19.94% for Corporate CG Scheme, 28.28% for Scheme-"E", 15.44% for Scheme-"C" and 20.35% for Scheme-"G" which were calculated on the basis of scheme Net Asset Value (NAV) declared by the Pension Funds.

The resultant scheme returns since inception based on the weighted Compounded Annual Growth Rate (CAGR) calculated from scheme NAVs were; 10.46% for Central Government Scheme, 10.37% for State Government Scheme, 11.78% for NPS Lite Scheme, 11.58% for Corporate CG Scheme, 13.04% for Scheme-"E", 11.53% for Scheme-"C" and 10.18% for Scheme-"G".

Chapter - III

Statutory functions of the Authority

3.1 Regulation of intermediaries

Section 14 of the PFRDA Act, 2013 lays down the duties, powers and functions of the Authority to regulate, promote and ensure orderly growth of the National Pension System and pension schemes and to protect the interests of subscribers of such system and schemes.

The National Pension System and other Pension Schemes are operationalized by PFRDA through large number of entities such as Pay & Accounts offices / Treasury Offices at the Central and State government which are responsible for the registration and upload of the NPS subscription of the Government employees on the NPSCAN, the point of presence (PoPs) which are Banks, NBFC, MFI etc. which assist in the registration and upload of NPS subscription for the corporates, private sector and unorganised sector employers, the aggregators which help in the last-mile reach to the potential subscribers particularly in the informal sector, the CRA, which is responsible for the recordkeeping of individual pension accounts called PRAN and acts as a coordinator for the NPS architecture, Trustee Bank, responsible for the day-to-day flow of funds and banking facilities, the PFs, mandated to invest and manage the pension assets of the subscribers covered under NPS and ASPs, empanelled with PFRDA to provide a monthly pension to the subscriber.

During the year 2014-15, the regulations with respect to PoPs, TB, Aggregators and NPST were notified in the FY 2014-15.

i. PFRDA (Point of Presence) Regulations 2015.
ii. PFRDA (National Pension System Trust) Regulations 2015
iii. PFRDA (Trustee Bank) Regulations, 2015
iv. PFRDA (Aggregator) Regulations 2015

The regulations with respect to other intermediaries are in the process of being notified. The details of the registered intermediaries may be referred to in the Annexures.

These regulations prescribe for the eligibility criteria for the registration and selection of the entities - PoPs, CRA, TB, PF etc., their functions, roles and responsibilities, provision for their operations, compliance with regulations and the penalties in case of default by them. While drafting the regulation, objectivites, transparency and fairness subscribers' interest has been kept in view.

According to Section27 of the PFRDA Act, 2013, no intermediary, to the extent regulated under this Act, shall commence any activity relating to a pension fund unless Certificate of Registration is granted by the Authority in accordance with the Act. All the intermediaries registered by Interim PFRDA before establishment of Authority, for which no registration certificate was necessary , may continue to do so for six months from such establishment or if he has made an application for such registration within six months till the disposal of such application.

Registration of three aggregators, namely, Spanco Ltd.,Sahaj e-village Ltd and Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Limited have been cancelled as these entities did not meet the eligibility criteria of financial sustainability for renewal.

3.2 Registration and regulation of pension schemes

Under the provision of the PFRDA Act, 2013, the Authority is vested with the power to regulate the National Pension System and any other pension scheme mentioned under sub-clause (b) of sub-section (1) of Section 12 of the said Act including, approving such schemes, the terms and conditions thereof and laying down norms for the management of the corpus of the pension funds, including investment guidelines under such schemes and to protect the interest of the subscribers by ensuring safety of contribution of the subscribers to various schemes of the pension funds.

Accordingly, a notice has been issued to all pension fund and scheme including superannuation and retirement funds, operating within the territory of India to provide information and submit documents relating to its constitution and operations, number of subscribers under the scheme, terms and conditions for enrollment to the Authority.

3.3 Report on exit of subscribers

3.3.1 Partial withdrawals

Section 20 (2b) of the PFRDA Act, 2013 provides that withdrawals, not exceeding twenty-five percent (25 per cent) of the contribution made by the subscriber, may be permitted from the individual pension account subject to the conditions, such as purpose, frequency and limits as may be specified by the regulations. PFRDA has notified the Regulations for Exit and withdrawals which contain the partial withdrawal conditions.PFRDA (Exit and Withdrawal) Regulations prescribe that such partial withdrawals - up to 25% of own contributions can be permitted for higher education and marriage of children, purchase/construction of a house and medical treatment of specified illness on completion of 10 years from the date of joining of the NPS. A maximum of 3 withdrawals will be allowed subject to a gap of 5 years between any two withdrawals other than illness.

3.3.2 Number of withdrawal claim, accepted, settled and outstanding

A subscriber can exit NPS in following circumstances; however, the exit in each of these situations would be different as described:

i. Upon attainment of the age of 60 years (Superannuation): At least 40 per cent of the accumulated pension wealth of the subscriber needs to be utilized for purchase of annuity providing for monthly pension to the subscriber and balance is paid as lump sum payment to the subscriber. However, the subscriber has the option to defer the lump sum withdrawal till the age of 70 years.

ii. At any time before attaining the age of 60 years (Premature): At least 80 per cent of the accumulated pension wealth of the subscriber needs to be utilized for purchase of annuity providing for monthly pension to the subscriber and the balance is paid as a lump sum payment to the subscriber.

iii. Death of the subscriber : The entire accumulated pension wealth (100 per cent) would be paid to the nominee/legal heir of the subscriber and there would not be any purchase of annuity/ monthly pension.

For those subscribers who have opted for Swavalamban scheme, withdrawals under (i) and (ii) above, there is an overriding condition on the lump sum payment payable due to which the entire accumulated pension wealth would be annuitized in case if the monthly pension obtained by using the 40 per cent/80 per cent of the pension wealth is below Rs. 1000/- per month.

Table 3.1: Sector wise withdrawal from NPS as on March 31, 2015

Sectors	Withdrawal Type	Pending at the end of last year (Mar'14)	Received during the Year 2014-15	Settled during the Year 2014-15	Pending at the end of Year (Mar'15)
Central Government	Death	280	377	107	550
	Premature	578	1513	995	1096
	Superannuation	297	682	632	347
State Government	Death	397	813	405	805
	Premature	69	152	91	130
	Superannuation	1023	1958	2012	969
All Citizen	Death	24	44	27	41
	Premature	53	53	49	57
	Superannuation	129	244	138	235
Corporate	Death	12	104	71	45
	Premature	15	184	125	74
	Superannuation	10	417	339	88
NPS Lite	Death	280	778	460	598
	Premature	20	89	7	102
	Superannuation	43	512	182	373
	Total	**3230**	**7920**	**5640**	**5510**

Applications are pending due to causes like incomplete documentation, variation in name of subscribers as per CRA system and KYC documents not submitted, bank proof not submitted by the subscriber etc.

Details of Annuity Service Providers (ASPs) and Annuity Schemes

Annuity provides for a monthly payment of pension against deposit of a lump sum amount. The subscriber has to mandatorily buy the annuity as specified in the exit rules of NPS, from a PFRDA empaneled Annuity Service Providers.

Annuity Service Providers are Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) licensed and regulated life insurance companies, transacting annuity business in India and these are empanelled by PFRDA for servicing the annuity requirements of the NPS subscribers. As on March 31, 2015 the following 7 ASPs are providing the Annuity services to NPS subscribers.

- Life Insurance Corporation of India
- SBI Life Insurance Co. Ltd.
- ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.
- HDFC Standard Life Insurance Co Ltd
- Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.
- Reliance Life Insurance Co. Ltd.
- Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.

These ASPs are governed under prudential regulations and monitored by Insurance Regulatory and Development Authority of India(IRDAI). Under National Pension System (NPS), the subscriber has the option to choose the type of Annuity and the Annuity Service provider. The subscriber may choose the annuity type/scheme basing on his

requirements from the available schemes offered by the respective ASPs. Currently, the following types of annuities are available with the ASPs.

i) Annuity for life.
ii) Annuity guaranteed for 5, 10, 15 or 20 years and for life thereafter.
iii) Annuity for life with return of purchase price on death.
iv) Annuity for life increasing at simple rate of 3 per cent p.a.
v) Annuity for life with a provision for 50 per cent of the annuity to the spouse of the annuitant for life on death of the annuitant.
vi) Annuity for life with a provision for 100 per cent of the annuity to the spouse of the annuitant for life on death of the annuitant.
vii) Annuity for life with a provision for 100 per cent of the annuity payable to the spouse of the annuitant for life on death of the annuitant, with return of purchase price on the death of last survivor.

3.4 Activities for protection of subscribers

Through the regulations, PFRDA has ensured the following rights and protections for all subscribers:

i) Requirement of professional diligence;
ii) Protection from unfair terms in financial contracts;
iii) Protection from unfair conduct, which includes misleading conduct and abusive conduct;
iv) Protection of personal information and confidentiality;
v) Requirement of fair disclosure, both at the initial stage and on continuing basis; and
vi) Requirement for each financial service provider to have an effective grievance redressal mechanism, which is accessible to all its consumers.

The Authority has formulated regulations in respect of Pension Funds, National Pension Trust, Trustee Bank, Central Recordkeeping Agency, Custodian of securities, Aggregators, Point of Presence, Redressal of subscribers' grievances etc. While framing all these regulations, the interest of subscribers has been the top most priority. Utmost care has been taken while framing the regulations to keep the NPS system transparent and fair, to protect the interest of the subscribers. The investment of funds is prudentially regulated with the exposure limits set for each kind of portfolio. The investment of funds is kept diversified with limits on exposure to a single group or related group, industry, instrument etc.

In accordance with Section 41 (1) of the PFRDA Act, PFRDA Subscriber Education and Protection Fund (SEPF) has been set up out of grants, donations penalties etc. which will be utilised towards protection of the subscribers' interest and promotion of education and awareness among them.

3.5 Mechanism for redressal of grievances of subscribers

The PFRDA (Redressal of Subscriber Grievance) Regulation 2015 was notified on January 29, 2015. The objective of the Redressal of Subscriber Grievance Regulation is to provide a framework for seamless handling of grievance/complaint in the interests of the subscribers by inter alia laying down guidelines for redressal of subscriber grievances through a well-defined Grievance Redressal Mechanism to be followed by the intermediaries of the National Pension System and other pension schemes, stipulate timelines for redressal of grievance, appointment of Ombudsman, mechanism of appeal by a subscriber to an Ombudsman and the provision of penalty. PFRDA strives to upgrade the quality of services through technology aided platform for smooth and efficient implementation and through inculcating quality consciousness amongst all service personnel and intermediaries associated with NPS architecture.

NPS has a multi-layered Grievance Redressal Mechanism centralised at Central Recordkeeping Agency (CRA) which is easily accessible, simple, quick, fair, responsive and effective. The Regulations have provided for four level escalation matrix for resolving subscriber grievance. Subscribers have the option of registering grievance/complaints through Call centre/ Interactive Voice Response System (IVR), web based interface, physical forms. Subscriber can check the status of the grievance at the CRA website www.cra-nsdl.co.in for the grievances logged in through Central Grievance Monitoring System (CGMS) maintained by CRA, or through the Call Centre by mentioning the token number. Subscriber can also raise a reminder through any one of the modes mentioned above by specifying the original token number issued. If subscriber does not receive any response within thirty (30) days or is not satisfied with the resolution by intermediary in such case subscriber can escalate the grievance to NPS Trust. Similarly, if the subscriber is not satisfied with the response or no response has been received within 30 days, subscriber can escalate the grievance to Ombudsman. The process for appointment of Ombudsman/ using the service of Ombudsman appointed by Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) is currently being explored with the Department of Financial Services and IRDAI.

The subscriber can also appeal to designated member of PFRDA if they are not satisfied with the order passed by the Ombudsman.

The position of Grievances received during the year at CGMS as on March 31, 2015 and its status is furnished in the table 3.2.

Table 3.2: Status of grievances during 2014-15

No. of Grievance Received	No of Grievance resolved	No. of Grievance pending
25,612	21,756	3,856

Of the 3,856 pending grievances, 2,987 grievances are related to NPS regular and 869 grievances are related to NPS Lite. Out of 2987grievance cases, 2793 cases under NPS regular are against government Nodal offices and pertain to incorrect processing of subscribers request.

3.6 Promotion of Professional Organisations connected with the pension system

PFRDA is in the process of identifying suitable organisations associated with pension education and capable to undertake research and studies on demographics, occupational structure, fiscal issues, taxation of retirement savings, pension, annuity and retirement solution and also provide a course on pension to the various stakeholders. PFRDA is exploring partnership with credible and eminent research and academic institutions within the country as also overseas.

3.7 Collection of data, commissioning of studies, research and projects

Presently, data is being collected from Central Recordkeeping Agency (CRA) and Pension Funds and the data is analyzed in house and corrective measures are being taken, if required.PFRDA is also in the process of entering into collaborative arrangement with the World Bank for analyzing the Pension landscape in the country.

3.8 Educating subscribers and the general public

In order to increase awareness about NPS,on issues relating to pension, retirement and related issues and training of intermediaries, PFRDA in coordination with the CRA on regular basis throughout the year conducts subscriber awareness program for existing and prospective subscribers across India. The duration of such seminars is two and half hours and the admission is free for all.

CRA also assists different stakeholders of NPS like Central Government/State Government nodal officers, PoPs, etc.with training programs and workshops. Snapshot of trainings conducted by CRA for the year April, 2014 to March 2015 is provided in table 3.3.

Table 3.3: Training programs and workshops conducted during FY 2014-15

Sectors	No. of Trainings	No. of attendees
Central Government & Central Autonomous Bodies	70	859
State Government & State Autonomous Bodies	12	2885
Corporate	4	242
NPS-Lite	14	968
UoS	14	655
Total	**114**	**5609**

NPS awareness programme was conducted in the states of Gujarat, Odisha, Rajasthan and Telangana in January and February 2015. Promotion of NPS-Swavalamban in these states was done through an interaction with State Government departments, Banks and Micro Finance Institutions/NGO (aggregators) during the event.

Subscriber information brochure and newsletters prepared and circulated to the subscribers of NPS. Periodical SMS alerts are being sent to NPS subscribers about contribution credits, value of investments etc.

'First Pension Conclave' was conducted on 26th August 2014. Revamped PFRDA Website and annual report of PFRDA was launched by Hon'ble Finance Minister during the conclave.

Interaction with intermediaries for continuous development of NPS-Swavalamban was made through National Aggregators' Conclave on 24th January 2014 for FY 2013-14 and on 26th August 2014 for FY 2014-15.

As a national programme, NPS-Swavalamban is included as one of the intrinsic pillar in Pradhan Mantri Jan DhanYojana (PMJDY) as part of long term financial inclusion of the unorganized sector workers. PFRDA participated in some of the State Level Bankers Committee meetings which are conducted in respective States. Monitoring the performance and progress of NPS-Swavalamban by PSBs and RRBs is done through the SLBC meetings. 'Expanding Horizons'-Swavalamban conference was conducted on 18th November 2014 for all PSBs, RRBs, NBFCs/MFIs and prospective private aggregators. Various campaigns organized by PSBs for NPS-Swavalamban under PMJDY were attended.

Strategy meeting was conducted for all aggregators including fixation of targets and improving persistence. Various capacity building programmes were conducted for aggregators.

3.9 Dissemination of information about performance of Pension Funds and performance benchmarks

In order to ensure uniformity and timeliness of dispensation of information in the interest of all stakeholders, Pension Funds (PFs) provide information regarding their performance, latest NAV, NAV history, portfolio composition under its Schemes, Scheme financials, Annual Report etc. to subscribers on a periodic basis as prescribed

by PFRDA from time to time including uploading of such information in electronic form on their respective websites under the heading 'Public Disclosure'.

Pension Funds (PFs) also disclose NPS Scheme portfolio details as prescribed under PFRDA (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Schemes under National Pension System) Guidelines - 2012. The formats, frequency, time limit and location for display on their website are also specified by PFRDA to ensure uniformity and timely disclosure for the benefit of all stakeholders.

Scheme wise performance benchmark indices have been prescribed by the NPS Trust against which the performance of Pension Funds is assessed periodically. For Scheme E -Tier I & II the benchmark generally used is CNX 100, Scheme C - Tier I & II is NPS - Corporate Bond Index, Scheme G - Tier I & II is NPS - Government Securities Index. For other schemes like NPS Lite, Scheme CG, Scheme SG and Scheme Corporate - CG are benchmarked to NPS - Government Pattern Index. However the benchmark indices are being further streamlined to give a more accurate representation of the indices and performance assessment of various schemes.

3.10 Regulating the Regulated Assets

"Regulated Assets" means and includes tangible and intangible assets created exclusively for the purpose of operations of CRA comprising bespoke software with all the components required for running the application, any third party software and component off the shelf specific to the CRA application system, all relevant CRA project data, dedicated specific hardware/software components of Data Centre and Disaster Recovery Centre, networks and all other facilities excluding physical infrastructure (building, air conditioners, power supply infrastructure, furniture).

On the expiry of the tenure of the registration or in the event of termination of the CRA, information and regulated assets held by CRA shall be transferred to another CRA registered with the Authority, within the time period and in the manner, as may be required under the PFRDA Act, rules or regulations or as may be directed by the Authority.

3.11 Fees and other charges levied for carrying out the purposes of the Act

Fees and charges are levied on the subscribers of the NPS at various stages by the intermediaries serving to the subscribers. At the entry to the NPS system, the intermediaries responsible for registration of the subscribers in NPS i.e. PoPs, charge fees which are collected upfront from the subscribers. In case of aggregators, the charge for registration of NPS-Lite/ Swavalamban and the Atal Pension Yojana (APY) is borne by the government. In the next stage, CRA, the recordkeeping agency, levy fee for opening account and generation of PRAN, maintenance of account by cancellation of units. Thereafter, for each transaction involving contribution of the subscribers there is charge by both CRA and POP. Invesment management fee is charged by the Pension Funds for managing the investment portolio of the susbcribers. And finally, the custodian of the securities charges for the assets under its custody.

Table 3.4: Fees and charges by the NPS intermediaries

Intermediary	Charge Head		Service Charges		Method of Deduction
			NPS-Regular	NPS-Lite	
POP (Charge for each subscriber)	Subscriber Registration		Rs. 100/-		To be collected upfront from the subscriber
	Transaction involving a contribution		0.25% of the contribution amount subject to a min of Rs. 20/ - and max. of Rs. 25,000/-	*Rs. 120 - 150 per a/c as charged by Aggregators	
	Charge Head	**NPS Lite***			
Aggregator		Below 1 lakh Swavalamban eligible accounts	1 lakh to 3 lakhs Swavalamban eligible accounts	3 lakhs to 5 lakhs Swavalamban eligible accounts	Above 5 lakhs Swavalamban eligible accounts
	Fixed*	Rs.100/- per a/c	Rs.100/- per a/c	Rs.100/- per a/c	Rs.100/- per a/c
	Variable*	Rs.20/- per a/c	Rs.30/- per a/c	Rs.40/- per a/c	Rs.50/- per a/c
	Charge Head		**NPS-Regular**	**NPS-Lite**	**Method of Deduction**
CRA	PRA Opening Charges		Rs. 50/-	Rs. 35/-	Through cancellation of units
	AMC per account		Rs. 190/-	Rs. 50/-	
	Charge per transaction		Rs. 4/-	Rs. 4/-**	
Trustee Bank	Nil		Nil		Nil
PFCharges	Investment Management Fee		0.0102% p.a. for Govt. sector/NPS Lite/ Swavalamban 0.01% p.a. for pvt. Sector.		Through NAV deduction
			0.01% p.a. for Pvt. Sector		
Custodian (On asset value in custody)	Asset servicing charges		0.0075% p.a. for electronic segment & 0.05 % p.a. for physical segment		Through NAV deduction

* Paid by Government

** Applicable after 12 free transactions/annum.

PFRDA gets processing fees from the Point of Presence and annual fees from registered PFs and CRA. The fees received from various intermediaries during FY 2014-15 is to the tune of Rs. 1.16 crore.

3.12 Inspections, inquiries and investigations conducted

The regulations having the provisions seeking information from intermediaries, inspections, inquiries and investigation including audit have been notified and the actions on the same is undertaken in line with the regulations.

3.13 Other functions

3.13.1 Coverage under National Pension System

i) Central Government and CAB Employees

NPS was made applicable to all new employees of Central Government service, except Armed Forces, who have joined Government service on or after January 1, 2004.Vide Dept. Of Expenditure, Ministry of Finance, OM No. 1(13)/EV/2001 dated November 13, 2003. NPS was further made mandatory for the new entrants recruited in bodies under CG Ministries/ Departments on or after January 1, 2004. Furthermore, the employees of Central Autonomous Bodies who have joined before January 1, 2004 are permitted to shift to NPS vide Department Of Expenditure, Ministry of Finance. OM No 1(2)/EV/2007 dated June 30, 2009.

NPS is mandatory for all members of Central Civil Services and All India Services joining the service on or after January 1, 2004 as specified by Ministry of Personnel, Public Grievances. and Pensions F. No 25014/14/2001-AIS II dated September 8, 2009.

Even though the NPS started in the Central Government w.e.f. January 1, 2004, till end March 2008, the NPS funds of Central Government employees were held by the Central Pension Accounting Offices and during this period these funds were given the rate of returns as applicable to GPF of Central Government employees. NPS funds were remitted to the Trustee Bank and the Pension Funds after March 2008.

As on March 31, 2015, 15.12 lakh subscribers have been registered in the Central Government. This subscriber base form approximately 17.27 per cent of the total subscriber base under NPS. Further, CABs subscribers contribute 8 per cent of the CG subscribers.

In the CG Sector the subscriber base has grown from 4.30 Lakh in FY 2008-09 to 15.12 lakh at the close of FY 2014-15 at a Compound Average Growth Rate (CAGR) of approximately 28.59 per cent. This high rate of growth is partly due to low base. The rate of growth in subsequent years would depend upon the rate of growth in new employees joining the government and establishment /autonomous bodies which are eligible under NPS but are yet to join.

The corpus under CG sector has increased at a CAGR of 74 per cent since March 2009 and the AUM has increased at a CAGR of 59 per cent.

Central Autonomous Bodies (CABs)

Various CABs have adopted NPS architecture and implemented NPS for the employees of State Government as well as for the employees of Autonomous bodies, State PSUs, Corporations, Boards, Nigams, etc. with effect from different dates.

Table 3.5: Details of CABs under NPS

As on 31st March	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Number of CABs	1	88	203	307	400	456	488
No. of subscribers(CAB)	-	7,150	25,200	63,961	89,063	106,387	121,465
NPS contributions by CABs (Rs. Crore)	-	23.38	220.63	737.99	1,601.11	2,566.55	3722.17

ii) State Government and SAB Employees

In the SG Sector, the subscriber base has grown from 1.79 Lakh in FY 2009-10 to 26.30 Lakh at the close of FY 2014-15 at a CAGR of approximately 71 per cent.

The corpus as well as Assets under Management of State Government sector has witnessed continuous improvement since 2010. The corpus of the State Government has increased at the CAGR of 179 percent and the assets under management at CAGR of 187 percent during the same period.

State Autonomous Bodies (SABs)

Various SGs have adopted NPS architecture and implemented NPS for the employees of State Government as well as for the employees of Autonomous bodies, State PSUs, Corporations, Boards, Nigams, etc. with effect from different dates. The number of SABs, subscribers and NPS contribution (corpus) during the period March 2011 to March, 2015 are given in Table 3.6.

Table 3.6: Details of SABs under NPS

As on March 31	2011	2012	2013	2014	2015
Number of SABs	29	69	162	266	438
No. of subscribers(SAB)	5,359	139,879	191,862	292,908	391,126
NPS contributions by SABs (Rs. Crore)	11.11	109.04	563.53	976.50	2085.87

The percentage of SABs subscribers to the SG subscriber is 15 per cent and percentage of contribution of the SAB subsbcribers to the SG subscribers is 7 per cent.

During the year under reference, State Government of Assam has notified and implemented NPS-Swavalamban and Government of Gujarat has notified NPS-Swavalamban. PFRDA has been in talk with other state governments, particularly with the Health/ Family Welfare, Women & Child Development, Labour and Rural Development for providing Swavalamban for the occupational groups associated with the Departments.

iii) Private Sector Subscribers

Private Sector subscribers are categorized into two sectors:

(a) Corporate Sector

(b) All Citizen.

(a) Corporate Sector

National Pension System (NPS) was made available to all citizens of India on May 01, 2009. Later, in order to facilitate the organized entities including public sector organizations, a customized version of NPS, known as NPS-Corporate Sector Model, was introduced in December 2011.

NPS-Corporate Model provides a platform for the employers to extend the old age social security benefits to their employees and co-contribute for their pension with the flexibility in the amount of contribution from employee/employer.

The NPS is an efficient and low-cost scheme built on a highly efficient technology platform. NPS performs through specialized entities where the employers need not be actively involved in record keeping, investment, annuity etc. as in the case of self-administration of pension functions.

The NPS-Corporate Model can be introduced along with any other retirement benefit scheme like Employee Provident Fund (EPF) and Superannuation Fund (SAF). The corporates/employers have flexibility to select the Point of Presence (POP), Pension Funds (PFs) and investment choice centrally for all employees or leave the choice for selection of Pension Funds (PFs) and investment choice to individual employees. The portability feature of NPS account (Permanent Retirement Account Number-PRAN) is best suited for the employees of Corporate Sector, where the employment change is frequent. It is portable across geographies and employment.

Employee and employer both can avail tax benefits.Subscribers (employees) can avail tax benefit on their own contribution as per sec 80CCD(1) and 80 CCD (1B). Employer's contribution to employees NPS is tax exempt under section80CCD(2) of the IT-Act. Corporates can claim deduction for contributing to their employees to NPS upto 10% of basic and dearness allowance for each employee with no upper limit for the entire contribution under section 36(1) of the IT-Act as 'Business Expense'.

Corporates desirous of extending NPS to their employees need to tie up with any of the approved PoPs under NPS.

POP and POP-SP, as service provider are the interface between the corporate/subscribers and the NPS architecture. PoP/POP-SP will perform the functions related to registration of corporate and subscribers, undertaking (KYC) verification, receiving contributions and instructions from corporate and transmission of the same to designated NPS intermediaries. POPs would also provide services to corporate/subscribers for change in master details, scheme change, POP and Pension Fund change, employment change, exit & withdrawal etc.

During the FY 2014-15, the number of corporates registered for NPS, crossed the 1600 mark with over 342 Corporates coming into the fold of NPS during 2014-15. The total corporates registered under this model, as on March 31, 2015 were 1608 (Chart 3.1).

Chart 3.1: Number of corporates under NPS.

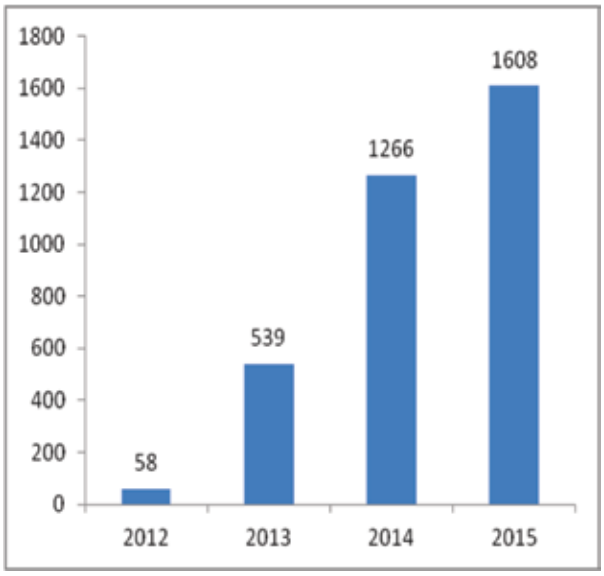

There is also significant growth in AUM and number of subscribers under Corporate Sector.

Chart 3.2: AUM under Corporate Sector

(Rs. crore)

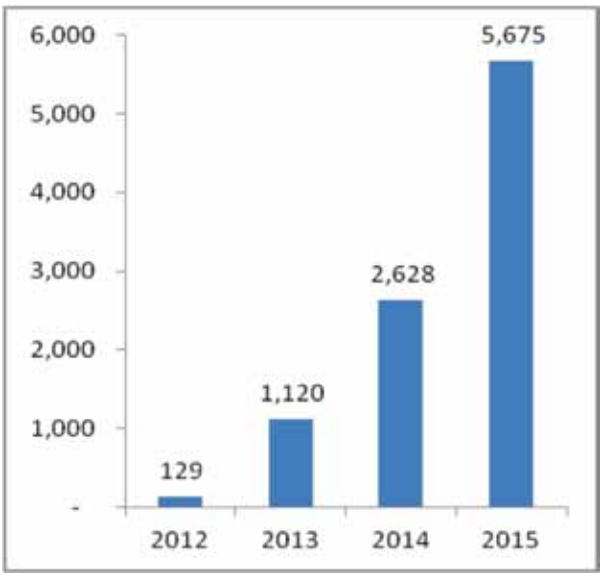

With 1, 11,938 new corporate subscribers (employees of corporate) enrolled during the financial year 2014-15, total number of corporate subscribers under NPS crossed 3.70 lakh. The subscriber enrolment grew at a rate of 42 per cent (chart 3.3)

Chart 3.3: Number of subscribers under Corporate Sector

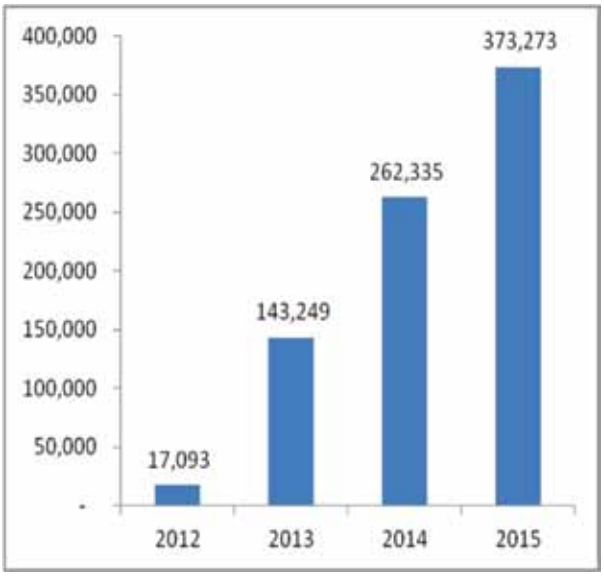

(b) NPS All Citizen Model

This sector constitutes the subscribers from unorganised sector such as self-employed, traders, business owners and others not covered under any other sector. Any resident or non-resident Indian can register under this model through point of presence (POP) through whom he wishes to transact the NPS.

He/she can choose the Pension Funds and the investment scheme (active choice) from the available options to manage his investments under NPS.

For the convenience of those subscribers who are not in a position to choose a particular investment scheme/option, the NPS provides default option "auto choice" of asset allocation for safeguarding the interests of the subscribers. In "auto choice" option the contribution by the subscribers is invested in the life cycle funds as per the subscribers' age. A subscriber can change his existing Pension Funds (PFs), the investment option (active or auto choice) as well as the asset allocation ratio (allocation among asset class - equity /corporate instrument/ government securities) once in a financial year. This scheme preference will be applicable to the existing pension corpus as well as to the prospective subscriptions.

The subscriber can choose from type of annuity and the Annuity Service Provider (ASP) from whom the subscriber wishes to purchase the annuity, at the time of exit from NPS.

There is also significant growth in contribution, AUM and number of subscribers under the all citizen model.

Chart 3.4: Number of subscribers under All Citizen Model

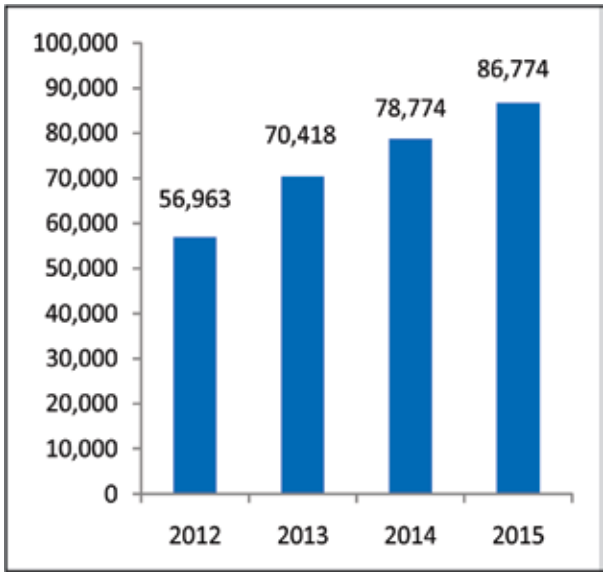

With addition of 8,000 new subscribers during the financial year 2014-15, total number of Private sector subscribers under NPS crossed 0.85 Lakh. The subscriber enrolment grew at a rate of 10% (Chart 3.4).

Chart 3.5: AUM under All Citizen Model

(Rs. crore)

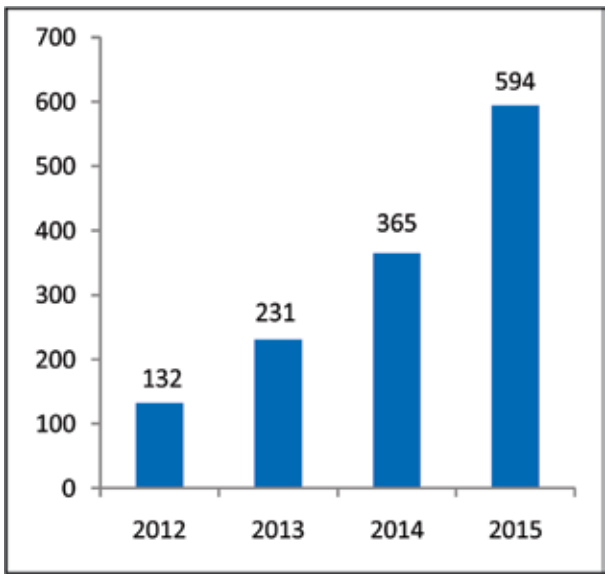

The AUM for corporate subscribers grew at approximately 116% during FY 2014-15 and reached Rs.5,675 crores as on end March 2015 from Rs.2,628 crores as on end March 2014.

NPS-Lite / Swavalamban

- PFRDA, being conscious of its ultimate responsibility in providing a platform for old age income security to all sections of society developed a cost effective and feature optimized model of NPS, called NPS-Lite which facilitates economically weaker sections of the society to join the NPS in groups through aggregators i.e. a set of grass root intermediaries registered with PFRDA to function as subscriber interface under NPS architecture.
- 'SwavalambanYojana' was announced in the budget of 2010-11 with the objective of encouraging people from the unorganized sector to voluntarily save for their retirement. In order to incentivize voluntary participation and lower the cost of savings for the workers of the unorganised sector, Government of India makes a contribution of Rs 1000/- p.a to all eligible NPS Swavalamban accounts where the subscribers own contribution is between Rs. 1000/- to Rs 12000/- pa.
- NPS-Swavalamban has already been adopted by several state governments like Andhra Pradesh, Jharkhand, Haryana, Rajasthan, Chhattisgarh, Bihar and Karnataka for the Building and Construction workers, anganwadi workers and anganwadi helpers, unorganized sector workers engaged in identified occupational groups.
- Swavalamban Scheme is operationalized through 'aggregators' who act as intermediary between the subscriber and National Pension System. Upto the year 2014-15, there are 76 Aggregators including some State Govt entities, Public Sector Banks, Regional Rural Banks, MFIs, NBFCs and private sector entities to provide the last mile access to the subscribers for effective implementation of the scheme. The list of aggregators registered with PFRDA as on March 31, 2015 is at annexure IV.
- During 2014-15, 15.28 lakh new subscribers were registered under NPS Lite, raising the total number of NPS Lite subscribers to 41.47 lakh. Of these, 20.64 lakh subscribers became eligible for Govt. co-contribution under Swavalamban in the year 2014-15.
- Yearwise subscribers registered under NPS Swavalamban are as follows:

Table 3.7: Year wise number of subscribers eligible under Swavalamban

Year	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15*
Swavalamban eligible subscribers	301,922	643,979	1,101,079	1,590,610	2,063,610

Note:

i) Swavalamban eligible numbers are including POP.

ii) In FY 2010-11- 1,780 subscribers, in FY 2011-12- 4,500 subscribers, in FY 2012-13 - 6,401 subscribers, In FY 2013-14 - 5,990 subscribers were eligible for Govt. co-contribution under NPS Swavalamban which were sourced through POP.

iii) In FY 2014-15- 5,017 (provisional) subscribers were eligible for Swavalamban through POP.

iv) Department of Post, Grameen Dak Sewaks(GDS) is not included in Subscriber registered numbers.

Chart 3.6: The genderwise break up of Swavalamban eligible subscribers

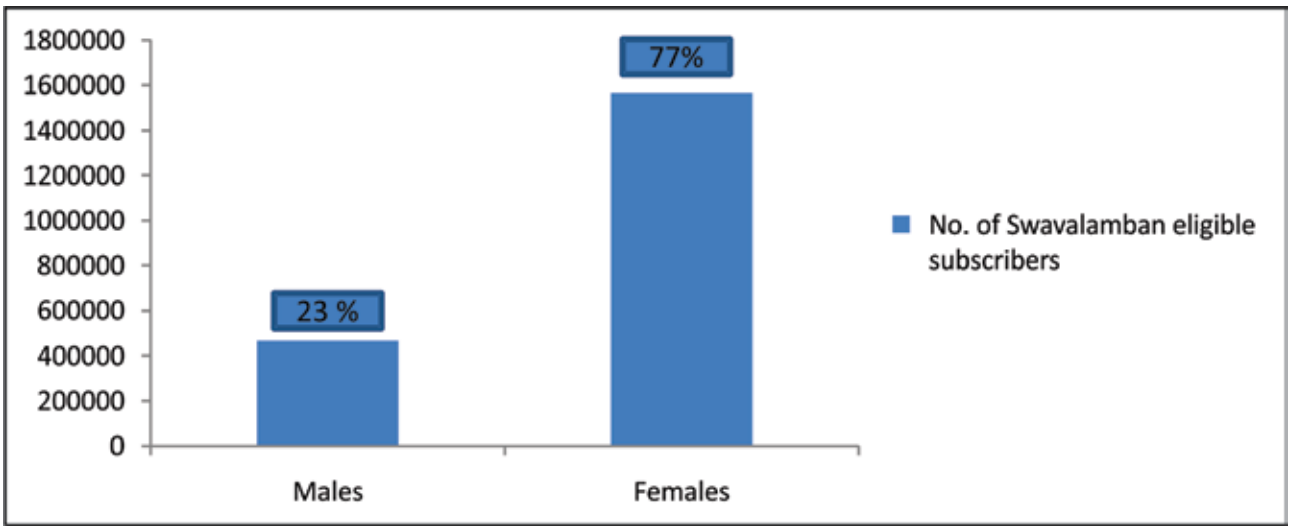

Female subscribers constitute 77 per cent of the total Swavalamban subscribers.

Chart 3.7: Age wise analysis of Swavalamban eligible subscribers for the year 2014-15

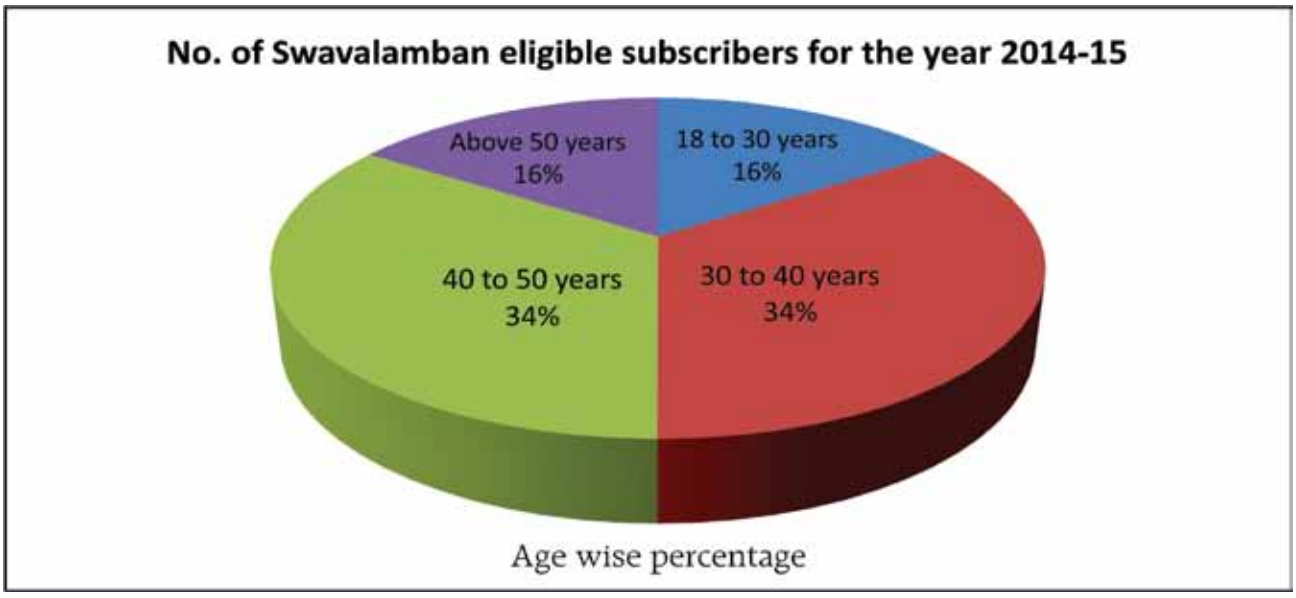

3.13.2 Point of Presence (POP)

POP is the first point of interaction between the subscriber and the NPS architecture. Point of Presence (POP) shall perform the functions relating to registration of subscribers, undertaking Know Your Customer (KYC) verification, receiving contributions and instructions from subscribers and transmission of the same to designated NPS intermediaries. PoP(s) and their authorized branches (PoP-SPs) shall also be required to comply with the provisions of the Prevention of Money Laundering (PML) Act, 2002 and the rules framed thereunder, as may be applicable, from time to time. As on 31st March 2015 there are 64 PoPs and 38,411 POP-SPs registered with PFRDA. List of POP-SPs is provided at annexure III.

3.13.3 Assets under Management - Scheme wise

Table 3.8: Scheme wise AUM of PFs as on March 31, 2015

(Rs. crore)

Pension Fund	NPS Schemes										
	Central Govt (CG)	State Govt (SG)	Corp CG*	NPS Lite	E-I	C-I	G-I	E-II	C-II	G-II	TOTAL
SBI PF	13488	12324	3701	661	372	271	540	18	16	16	31407
UTI RSL	12201	12073	-	453	35	23	34	5	3	4	24831
LIC PF	11047	11999	404	466	44	28	22	0	0	0	24010
ICICI PF	-	-	-		132	93	106	14	14	10	369
Kotak PF	-	-	-	26	27	21	27	2	2	2	107
Reliance PF	-	-	-		26	18	25	3	2	3	77
HDFC PF	-	-	-		20	15	17	1	1	0	54
TOTAL	**36736**	**36396**	**4105**	**1606**	**655**	**470**	**771**	**44**	**38**	**35**	**80855**

* The Corporate CG Scheme has been discontinued w.e.f. February 12, 2013

The AUM under CG scheme constitutes 45.43 per cent of the total AUM followed by SG and Corporate CG which constitute 45.01 per cent and 5.07 per cent, respectively, of the total AUM under NPS.

3.13.4 Central Recordkeeping Agency

NSDL e-Governance Infrastructure Ltd, was appointed by PFRDA, as the Central Recordkeeping Agency on November 26, 2007 for a period of 10 years w.e.f December 1, 2007.

Besides maintaining the individual records of the subscribers, it acts as an operational interface for all intermediaries. The role includes liasoning with all necessary external agencies and recordkeeping, administration and customer service functions for all subscribers of the NPS.

Role and responsibilities of CRA

The major role and responsibilities of CRA are as follows:

i) **Services to subscribers of all sectors**
The primary role of CRA is of recordkeeping, administration, providing customer service functions for all NPS subscribers, issuance of unique Permanent Retirement Account Number (PRAN) and IPIN/TPIN to the subscribers. The various services to the subscribers includes sending SMS alerts and emails at the time of registration, credit/ debit of units, withdrawal, balance in the PRAN, conducting subscriber

awareness programs and providing web based access to all the NPS stakeholders. CRA also provides Centralized Grievance Management System and call centre facility to the subscribers and Nodal offices. Besides these services all subscriber maintenance services such as change of scheme, change of demographic details, grievance handling etc. are being handled by CRA.

ii) Services to Intermediaries

a) PFs

It is one of the primary responsibilities of CRA to timely allocate the funds to PFs based on the choices indicated by the subscribers/ employees (CG/SG sector), prepare and send consolidated Investment Preference Scheme information, sending net fund transfer report to PFs on the basis of confirmation of fund transfer report received from Trustee bank and to generate the Scheme performance reports using NAVs sent by PFs to CRA.

b) TB

CRA reconciles pension fund reports received from Trustee Bank Account with pension fund contribution information report.It generates error/discrepancy report on fund reconciliation, pension fund contribution/collection report,fund transfer report and retirement funds transfer report.Further it sends instruction to the Trustee Bank to remit withdrawal fund to subscribers' account and remit remaining amount to Annuity Service Providers' account against the annuity scheme.

c) ASPs

On superannuation / exit of subscriber, CRA collects physical application forms from the subscribers and forwards them to ASPs and sending funds details for the subscriber's annuity to ASPs. Transferring electronic data to ASPs with respect to subscriber details and sending instruction on Annuity scheme.

iii) Continuous Enhancements and developments of new functionalities

As and when required by the regulator, CRA develops various new functionalities/utilities and undertakes continuous enhancements and development of modules to address changing requirements of various stakeholders.

iv) Others:

Provide periodic and ad-hoc MIS (including Grievance redressal) to PFRDA, NPS Trust, State Governments, Central Government and Ministry of Finance, conduct periodic orientation programs for nodal offices on NPS process/architecture and to provide seamless and error-free system operations involving CRA system, PFs, TB and other entities in NPS.

CRA Monitoring

(1) PFRDA has defined the frequency of operations and maintenance activities for CRA on regular intervals. Below is the list of activities and intervals at which these are monitored:

(a) Quarterly: monitoring of operational and technical Service Level Agreements (SLAs), recording of downtime activities and monitoring of disaster recovery operation, monitoring of call centre performance and CRA bill verification.

(b) Annually: Verification of services provided by CRA to various stakeholders, review of exit management plan, IT/system audit, internal inspection of CRA system and financial audit.

(c) Need Based: Monitoring data storage of various data sets relating to CRA, user acceptance test on new released functionality, change control initiation by CRA and any other issues reported in service delivery of CRA.

(2) For protection of interest of subscribers under National Pension System the following steps have been taken by CRA in consultation with PFRDA:-

a. In order to resolve errors committed by the nodal offices during preparation of

subscriber contribution files, CRA has developed a error rectification module(ERM) which is an online rectification functionality which helps the nodal offices, Trustee Bank(intermediaries in NPS) to resolve such type of errors.

b. A special grievance redressal module named Central Grievance Management System (CGMS) has been developed for handling all types of grievances raised by the subscribers and other stakeholders under NPS.

c. CRA has CMMI level 3 and IT security ISO 27001 certification to ensure data integrity and data protection.

(3) As and when required by PFRDA, CRA develops new functionalities and processes to benefit subscribers and ensure protection of subscriber's interest.

Regulations

The PFRDA (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015, have been notified on 27th April, 2015.

The objective of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 is to set standards for the eligibility, governance, organization and operational conduct of the entity who wish to function as Central Recordkeeping Agency. Regulations would ensure an effective and credible use of inspection, audit, investigation, surveillance and enforcement powers and implementation of an efficient compliance program in tune with the spirit of PFRDA Act.

Entity registered as Central Recordkeeping Agency through this regulation is required to establish an internal system and process that delivers compliance with standards for internal organization and operational conduct, with the aim of protecting the interests of NPS subscribers and their assets.

Development of New Functionalities

Continuous enhancements and development of new functionalities/ modules to address changing requirements of various stakeholders is one of the main objective of CRA. Major functionalities developed by CRA to ensure the seamless functioning of NPS system during the year are as under:

Training Module

A facility has been provided to the Nodal Offices of Government Sector for submitting training requests through CRA's corporate website. The training module can be accessed by the nodal offices through the CRA transaction website (www.cra-nsdl.com) for request of training related to NPS.

Reset of IPIN

The functionality to reset IPIN using One Time Password (OTP) sent to the subscribers mobile has been released in the NPS Regular platform. While using this process, subscriber is required to provide few personal details (printed on PRAN card) and the new password. A system generated OTP is sent to the subscriber's mobile number registered with the CRA system. Once the subscriber enters the OTP at the desired field, the new password is activated and subscriber can then access his/her account.

Subscriber Details Modification

The facility has been provided in the CRA system for the subscribers to update their personal details like mobile no, telephone no and email directly in the CRA system. An e-mail as well as SMS alerts will be sent to the updated & existing mobile/email address of the subscriber with an intimation of the changes in his / her contact details.

Transaction Statement

i) Nodal offices and subscribers can now view as well as print the NPS transaction statement in Hindi from the CRA system. The nodal office/subscriber should select "Hindi" option from the dropdown available to view/print the transaction statement in Hindi.

ii) Provision of displaying the returns in the SOTs has been made.

PRAN kit dispatch

Earlier CRA had been dispatching PRAN cards to NLOO (NPS Lite Oversight Office) or NLAO (NPS Lite Accounts Office) as opted by the aggregator for onward distribution to the underlying NPS Lite Collection Centres (NLCCs) which in turn are required to distribute the same to the associated subscribers. Now, as advised by PFRDA, CRA has commenced dispatching the PRAN Cards directly to the subscribers at their postal address as provided in the subscriber registration form.

Subscriber Registration form Modification

i) Earlier, subscriber's father's full name was a mandatory field in the S1 Form. Now the field 'Father's full name' in the S1 form is to be modified to 'Father / Mother's full name'. The PRAN card would also display Mother's name where the subscriber wishes to provide the same under the field 'Father / Mother's full name'.

ii) Provision of selection of language option for receiving the annual transaction statement has been provided in subscriber registration file format. This flag will be used for printing of annual transaction statement in language of choice opted by subscriber at the time of registration.

iii) Now, the subscribers can enter the Aadhaar details that will get captured in CRA system.

3.13.5 Pension Funds

i) About Pension Funds (PFs)

Pension fund means an intermediary which has been granted a Certificate of Registration by the PFRDA as a pension fund for receiving contributions, accumulating them and making payments to the subscriber in the manner as may be specified by the Authority. Pension funds are companies under the Companies Act, 1956/2013 and registered with PFRDA for the purpose of management of pension funds assets.

Functions

The Pension Fund functions in accordance with the Regulations and terms of Certificate of Registration issued by Authority. PF is mandated to invest and manage the pension assets of the subscribers covered under NPS, or other pension schemes which are regulated by PFRDA which interalia includes:

i. Investment of contributions as per investment guidelines prescribed by the Authority.

ii. Scheme portfolio construction.

iii. Maintains books and records of its operations.

iv. Reporting to the Authority at periodical intervals.

v. Public disclosure.

List of Pension Funds (PFs)

As on March 31, 2015, the following PFs are operative:

A. Pension Funds (PFs) for Government Sector*

i. LIC Pension Fund Ltd.
ii. SBI Pension Funds Pvt. Ltd
iii. UTI Retirement Solutions Ltd

(*The Pension Funds are subject to change.)

The investment management fee charged by Pension fund is 0.0102 percent per annum.

B. Pension Funds (PFs) for Private Sector

i. HDFC Pension Management Co. Ltd
ii. ICICI Prudential Pension Fund Management Co. Ltd.
iii. Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.
iv. LIC Pension Fund Ltd.
v. Reliance Capital Pension Fund Ltd.
vi. SBI Pension Funds Pvt. Ltd
vii. UTI Retirement Solutions Pvt. Ltd .
viii. DSP BlackRock Pension Fund Managers Pvt. Limited*
ix. Birla Sun Life Pension Management Limited**

(* Pension Fund has ceased to act as pension fund w.e.f. August 1, 2014)
(**Yet to commence the business)

The investment management fee charged by Pension fund is with upper ceiling of 0.25 percent per annum till 31.07.2014 and w.e.f. 01.08.2014 investment management fee charged by pension fund is 0.01 percent per annum.

3.13.6 Trustee Bank:

Axis Bank Ltd has been appointed as the Trustee Bank through a competitive bidding process on July 1, 2013 for a period of two years.

i) Roles and responsibilities of Trustee Bank:

a) Trustee Bank has been appointed by PFRDA to facilitate fund transfers across various entities of CRA system viz. Pension Fund Managers, Annuity Service Providers and Nodal Offices (uploading offices) i.e. Directorate of Treasuries and Accounts/ District Treasury Officer/Pay and Accounts Officer/Points of Presence/Corporate Head Office/NPS Lite Oversight Office/NPS Lite Accounts Office

b) Nodal offices transfer the contribution of subscribers and corresponding government contribution to the Trustee Bank account via authorized branches of Trustee Bank.

c) Trustee Bank uploads a file containing the details of the funds received from various nodal offices to the CRA system. These details are then matched with contribution details provided by nodal office(s) to CRA system.

d) Trustee Bank receives fund transfer instructions from CRA system as a part of pay-in process to transfer funds to various entities viz. PFs, annuity providers, withdrawal account and may also receive funds from Pension Fund Manager(s).

e) Return of unidentified remittances on the next day of receipt of clear funds.

f) Upload of probable PAO file containing details of return remittances.

g) At the end of each settlement day, the balance funds at Trustee Bank account are reconciled with CRA system.

ii) Timelines for Trustee Bank

The business activities of Trustee Bank are linked with the other processes at CRA. Therefore, bank ensures that the activities are completed before the timeline specified. The table given below gives the basic idea of the core activities and time limit within which the same is carried out by the Bank:

Table 3.9 :Core activities of the Trustee Bank

Nature of Activity	Timelines
Return of unidentified funds	T+1
Upload of Fund Receipt Confirmation file (FRC)	T+1 (any time)
Download Pay- in instruction files from CRA	Daily
Transfer of funds to Pension Fund Managers and withdrawal account	T+2
Upload of statements and closing balance of various accounts	Daily (17:00 hrs)

Note: (Assumption- Fund realization at TB on day T)

iii) Improvement in the system to protect subscriber's interest:

Trustee Bank is appointed to facilitate transfer of funds from Nodal Offices to Pension Fund Managers. The following measures have been undertaken to improve the system in order to protect the interest of subscribers:-

a) Standardization of Fund Remittance process in NPS

Cash Management Service (CMS) has been adopted for NPS to gain the advantage of automated matching and booking, advance technology support, centralised collection and payments and easy reconciliation.

b) Return of unidentified remittances on T+1 day (T being the day of receipt of clear funds)

Trustee Bank returns (on T+1 day) remittances in the following scenarios:-

i) Where details of respective transaction IDs are not available in designated field of electronic fund transfer message. Amount remitted differs with the amount of SCF

ii) Amount remitted for expired transaction Id

iii) Amount remitted with incorrect account number and with wrong IFSC

iv) Amount remitted and the amount of file uploaded in the CRA system differs.

vi) Electronic mode of payment for Government sector

It has been made mandatory to make payments through electronic mode for Government sector from 1st April, 2014. It has helped in reducing the processing time and costs in preparation and dispatch of cheques and there is speed and efficiency in collection of funds as there is no delay in realisation of proceeds.

iv) Challenges faced

a) Pending SCFs-It has been observed that in some cases the nodal offices have uploaded SCFs twice or have not remitted funds corresponding to these SCFs. The TB & CRA under the supervision of NPS Trust and regulatory ambit of PFRDA try to get these SCFs matched and booked.

b) Missing credit-At times many nodal offices are not regular in remitting funds timely. PFRDA has continuously taken up the matter of missing credits in the PRAN of the subscribers with the concerned organisations- PAOs, so that the subscribers do not lose on investment opportunity as a result of the delay.

c) Funds remitted with incomplete details-Many nodal offices remitted funds to

the Trustee Bank without complete details like PAO id, Transaction Id, etc. These funds received by the Trustee Bank prior to May 2012, are lying unidentified for which Nodal Offices have neither provided Fund Transfer Details (FTDs) nor uploaded SCFs. PFRDA is continuously following it up with the Nodal offices for resolution of the same.

v) **Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) Regulations, 2015**

PFRDA (Trustee Bank) regulations, 2015 had been notified on 23rd March, 2015.

The objective of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Trustee Bank) Regulations is to set standards for the eligibility, governance, organization and operational conduct of the entity who wish to function as Trustee Bank. Regulations would ensure an effective and credible use of inspection, audit, investigation, surveillance and enforcement powers and implementation of an efficientcompliance program in tune with the spirit of PFRDA Act.

3.13.7 NPS Custodian

Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL) has been registered as the custodian under the NPS in the year 2008 for a period of ten years for providing custodial and depository participant services. The custodian fee charged by SCHIL is 0.0075 per cent p.a.

3.13.8 The National Pension System Trust (NPS Trust)

1. The NPS Trust is the registered owner of all assets under the NPS architecture. NPS Trust was established on February 27, 2008 through a Trust Deed executed by its Settlor namely Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA). The trust holds these assets for the beneficial interest of the subscribers. The PFRDA (National Pension System Trust) Regulations was notified by the Authority on 12th March 2015.
2. The National Pension System Trust is managed by a Board of Trustees, consisting of a minimum of five trustees and not more than eleven trustees as may be appointed from time to time by the Authority. Out of the trustees appointed, one trustee is designated by the Authority as Chairperson of the Board of Trustees of the National Pension System Trust.
3. Authority appoints a person with appropriate background and experience as Chief Executive Officer of the Trust (CEO) who is responsible for day to day administration and Management of the Trust subject to the superintendence, control and direction of the Board of NPS Trust. The Board meets once in every three calendar months.

Table 3.10: The constitution of the Board as on March 31, 2015

S. No.	Name	Designation
1	Sh. G.N. Bajpai	Chairman
2	Sh. ShalieshHaribhakti	Trustee
3	Smt. Pallavi Shroff	Trustee
4	Sh. Pramod Kumar Rastogi	Trustee
5	Sh. N. D. Gupta	Trustee
6	Sh. Ashvin Parekh	Trustee

Management of NPS Funds by the NPS Trust

The Board of Trustees is responsible for the monitoring of the operational and service level functions under the National Pension System.

The NPS funds are managed by the Board of Trustees to realize and fulfill the objectives of the NPS Trust in the exclusive interest of the subscribers. The performance of the Pension fund managers is reviewed on quarterly basis by NPS Trust, and

instructions/guidance is being given to them for protecting the interest of the subscribers.

New Developments and Achievements
Scheme accounts of NPS - The Scheme accounts of NPS were examined and adopted by the Board of NPS Trust after due deliberation (FY 2013-14).

Dissemination of Information:-

- The website of the NPS Trust has been launched in this year with a view to facilitate better dissemination of information to the subscribers.
- Information regarding NPS that are useful for the subscribers are available in one place.
- NAV details, returns of the schemes, portfolio details of the schemes are disclosed for subscriber's information/comparison.
- Disclosure of portfolio details to the subscribers for ensuring transparency

Financial Literacy
Facility of pension calculator was provided in the NPS Trust website to the subscribers for planning his savings for retirement.

Facilitating Interface to the subscribers
Facilities like FAQs, subscriber registration forms, service forms and facility to lodge and view grievances are provided in one place.

Simplification of SOT
New features like returns, nominee details and charges were incorporated in the statement of transactions provided to the subscribers.

Subscriber forms
Prepared common subscriber registration form for NPS subscribers across all sectors

Exit and withdrawal
Online withdrawal processing - mandatory from April 1 2015 across all nodal offices, to reduce the pendency and to decrease the turnaround time of the withdrawal claims processing.

3.13.9 Other intermediaries including the Aggregators

Aggregators shall be intermediaries identified and approved by PFRDA, to perform subscriber interface functions under NPS-Swavalamban in respect of their constituent groups. The aggregators shall be entities already in existence having continuous functional relationship with a known customer base for delivery of some socio-economic goods / services. Upto the year 2014-15, there are 76 Aggregators including some State Govt(s), Public Sector Banks, Regional Rural Banks, MFI's, NBFC's and private sector entities for effective implementation of the scheme.

NPS - Lite accounts are opened through aggregators and subscribers have to approach the concerned aggregator for the same. The updated list of existing aggregators is available on PFRDA website i.e. www.pfrda.org.in or the subscriber may call at our call centre no. 1800110708 to locate the nearest aggregator.

The functions of aggregators include:

i) Promotion of NPS and awareness about the need for old age income security among its constituent group members.
ii) Meeting the 'Know Your Customer' requirements in respect of potential NPS subscribers as mandated under AML/CFT requirements.
iii) Discharge of responsibilities relating to fund and data upload within prescribed time limits.
iv) Collection of contributions from subscribers and ensuring its passage to Trustee Bank.
v) Ensuring availability of services to its underlying subscribers as mandated under NPS-Lite.
vi) Handling grievances received from subscribers and their resolution.
vii) Any other responsibility as assigned to them by PFRDA to ensure protection of subscribers' interest.

Chapter - IV

Other Activities undertaken by PFRDA

4.1 Pension Advisory Committee

Section 45 of PFRDA Act provides for constitution of a Pension Advisory Committee with representations from employees, associations, subscribers, commerce & industry, intermediaries and organisation engaged in pension research to advise the Authority on matter relating to the making of regulations or as may be referred to it. The Authority constituted a Pension Advisory Committee with effect from September 19, 2014 with composition as at Annexure I. During the year under reference, the Pension Advisory Committee meetings took place i.e. on November 7, 2014, November 17, 2014 and December 9, 2014 at New Delhi.

4.2 Regulations made and amended

Section 52 of the PFRDA Act provides power to the Authority to make regulations and rules for carrying out the provisions of the Act. Accordingly, PFRDA has notified 14 regulations with respect to various intermediaries and other statutory functions conferred to PFRDA. Of these, following nine regulations were notified during the FY 2014-15. Four of the PFRDA regulations are related to the intermediaries.

i) PFRDA (Procedure for Inquiry by Adjudicating Officer) Regulations 2015.
ii) PFRDA (Procedure for Authority Meetings) Regulations, 2015.
iii) PFRDA (Pension Advisory Committee Meetings) Regulations, 2015.
iv) PFRDA (Subscriber Education and Protection Fund) Regulations, 2015.
v) PFRDA (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations 2015.
vi) PFRDA (Point of Presence) Regulations 2015.
vii) PFRDA (National Pension System Trust) Regulations 2015
viii) PFRDA (Trustee Bank) Regulations, 2015
ix) PFRDA (Aggregator) Regulations 2015

Registration of the intermediaries as per the regulations has commenced.

4.3 Other activities having a bearing on the NPS and other pension schemes.

Consequent upon the announcement and subsequent launch of the Atal Pension Yojana, which provides for a minimum guaranteed pension, and is a modified version of the NPS-Swavalamban scheme, new enrollments/registrations under NPS-Lite/Swavalamban have been stopped with effect from 1st April, 2015.

APY is launched to address the old age income security concerns of the workers in unorganized sector and to encourage the workers in unorganized sector to voluntarily save for their retirement, who constitute around 88 per cent of the total labor force of 47.29 crore(as per NSSO survey 2011-12) and to make the country a pensioned society from pension less society.The scheme was announced in the budget 2015 and inaugurated by Honorable PM on May 9,2015.

Highlights of APY

i. Any citizen of India having a bank account and between age group of 18-40 years can join APY.

ii. There is a minimum guaranteed monthly pension for the subscribers ranging between Rs. 1000 to Rs. 5000 per month.

iii. GoI also co-contributes 50% of the total contribution or Rs. 1000 per annum, whichever is lower to each eligible subscriber, for a period of 5 years, who joins the scheme between June 1, 2015 to December 31, 2015.

iv. Government co-contribution is available for those who are not covered by any statutory social security schemeand who are not income tax payers.

v. The minimum guaranteed monthly pension of Rs. 1000 to Rs. 5000 per month is available to the subscribers on attaining the age of 60 years.

vi. Spouse gets same amount of pension after subscriber's death.

vii. Upon death of both the subscriber and the spouse, nominee gets back the accumulated pension wealth of Rs. 1,70,000 - Rs. 8,50,000 depending upon the amount contributed.

Chapter - V

Organisational Matters

5.1 Constitution of PFRDA Board

Section 4 of the PFRDA Act provides for the composition of the Authority consisting of a Chairperson, three wholetime members; and three part-time members to be appointed by the Central Govt. As on 31.03.2015 the composition was as under:

(i) Chairman

Shri Hemant G. Contractor is the first Chairman to head the statutory Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) after notification of PFRDA Act in 2014. He joined PFRDA on 7th October 2014. Prior to joining PFRDA he was a career banker, joining State Bank of India (SBI) as Probationary Officer in 1974.

Prior to October 7, 2014, Sh. R.V.Verma, WTM (Finance), functioned as officiating Chairman of PFRDA from May 23, 2014.

(ii) Whole-Time Members

1. Sh. R.V. Verma, Whole-time Member (Finance) from 13.05.2014 till date.
2. Dr. B.S. Bhandari, Whole-Time Member(Economics) from 16.05.2014 till date

(iii) Part-Time Members

1. Ms. Sudha Krishnan, Joint Secretary, Department of Expenditure from 3rd December 2012 to 12th December 2014
2. Dr. Anup Wadhawan, JS (P&I) Department of Financial Services and Part-Time Member, PFRDA (25th July 2013 to 30th January 2015) also acted as Chairman, PFRDA (concurrent charge) from 13th November 2013 to 16th May 2014.
3. Ms. Vandana Sharma, Joint Secretary, Department of Pension and Pensioner's Welfare from 12th December 2014 till date
4. Ms. Annie George Mathew, Joint Secretary, Department of Expenditure from 12th December 2014 till date
5. Dr. Shashank Saksena, Economic Adviser, Department of Financial Services from 30th January 2015 till date

5.2 Meetings of the Authority

Eleven Meetings which includes matters decided through circulation of the Authority were held during financial year 2014-15

33rd Authority Meeting held on 23rdApril,2014

34th Authority Meeting held on 16th May 2014

35th Authority Meeting held on 23rd May 2014

36th Authority Meeting held on 6thJune 2014

37th Authority Meeting held on 21stJuly 2014

38th Authority Meeting held through Circulation

39th Authority Meeting held through Circulation

40th Authority Meeting held on 8th December 2014

41st Authority Meeting held on 27thJanuary 2015

42nd Authority Meeting held on 20th Feb 2015

43rd Authority Meeting held through Circulation

Several important decisions including finalization of regulations as per the PFRDA Act was taken during the Board meetings.

5.3 Information Technology

Information Technology has become a core enabler of business processes within every Organization today. Keeping this in mind, PFRDA has taken up various IT initiatives over the past few years to accomplish these tasks. The details of the recent initiatives taken by PFRDA are given below.

PFRDA Website

A website is the most effective platform to disseminate information about an organization and its associated process to any individual/ consumer/user/stakeholder. PFRDA website has been revamped to enable subscribers to easily access information regarding PFRDA, NPS, its intermediaries, regulatory framework, training, grievance redressal etc. The website is compatible with multitude of devices such as desktops, laptops, smart phones.

The website has been upgraded as per the Guidelines for Indian Government Websites (GIGW guidelines) which stresses the importance to be subscriber/consumer centric, user friendly and should have universal accessibility including access for the differently abled people.

It is a bilingual website to disseminate information to the general public at large to cater to the Hindi speaking people.

Being the most visible and accessible source of information as well as publicity, PFRDA effectively utilizes the website for promoting the NPS programme.

5.4 Promotion of Official Language

In line with the Official Language Act Section 3(3), an official language cell has been set up in PFRDA to implement the official language policy of the Government of India and to promote Hindi in PFRDA. Employees are encouraged to use Hindi language in day to day work of the authority. Communications received in official language are replied in official language. RTI letters received in Hindi are replied to in Hindi. Annual confidential report, asset liability forms are provided to employees in bilingual form.

All the regulations framed by PFRDA are bilingual to make large section of subscribers from Hindi speaking regions aware about the roles, functions and responsibilities of the various entities under the architecture of NPS.

Keeping in view the large customer base of NPS consisting of various sections of the society, the existing PFRDA website is being redesigned as bilingual website. The contents are being translated into Hindi for the benefit of the general public. Statement of transaction (SOT) is being sent to the subscribers in various regional languages.

Subscriber Registration Forms in Hindi

Considering the convenience to the majority of Indian population, subscriber registration form (Form-S1) is being made available to the potential subscribers in Hindi. However, the record of the subscribers are maintained with the CRA in English hence the S1 form is required to be filled in English also.

Further, the printing of covering letters of the PRAN Kit in Hindi and English for all sectors is also under development stage.

5.5 Right to Information Act, 2005

PFRDA is implementing the Right to Information Act, 2005. There is a dedicated cell to process the applications received under the Right to Information Act, 2005 which is under Central Public Information Officer. During the year 2014-15, 347 applications and 5 appeals were received regarding opening, transfer, withdrawal & exit from NPS and Swavalamban scheme, PoPs etc. All the applications

were replied within stipulated time. Any citizen can request for information under RTI by making an application in writing or through electronic means in English / Hindi with the prescribed fees to the Central Public Information Officer, Pension Fund Regulatory and Development Authority, 1st Floor ICADR Building, Plot No. 6 Institutional Area Phase II, Vasant Kunj, New Delhi.

5.6 Disaster Management Plan

For any eventualities, whether natural or manmade, like fire, data security, theft etc., PFRDA has disaster management plan in place. Also, it is ensured that the intermediaries like CRA, Trustee Bank etc. have disaster management policy against any natural or manmade eventualities.

5.7 Employees Strength in PFRDA

After recruitment of a staff in FY 2014-15,as on March 31, 2015, the staff strength of PFRDA is 49 of which 47 are in officer cadre.

5.8 Re-structuring of Departments

To undertake the role and responsibilities vested to PFRDA - promotion & development of the pension sector, execution/implementation/operation of the system and supervision & regulation of the system the departments of the PFRDA have been restructured under three verticals during the FY 2014-15. The organization chart is as under:

Chart 4.1: Organization chart

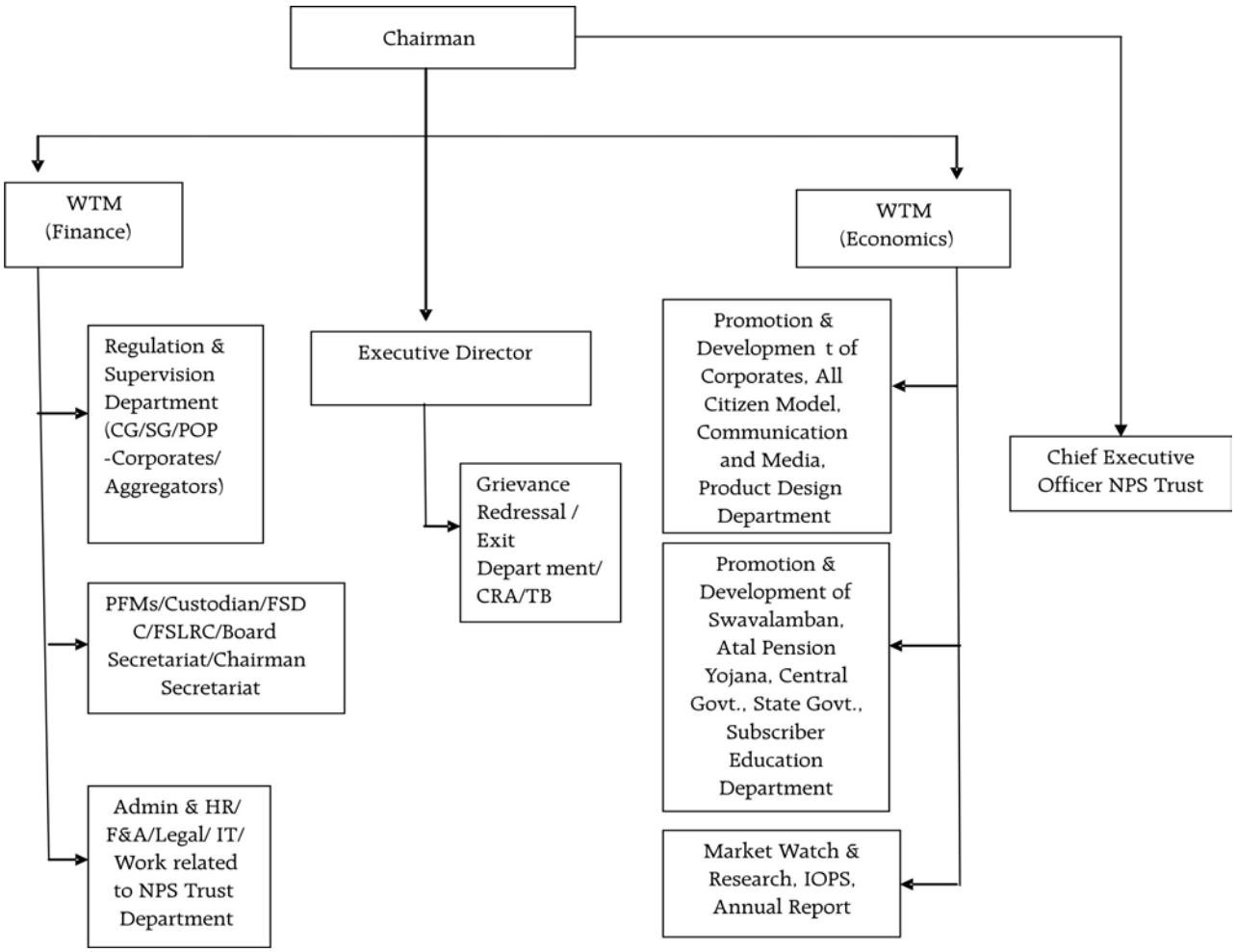

5.9 Setting up of OBC/SC/ST Cell in PFRDA

To implement government instructions on welfare of OBCs/ SC/ ST/ PWD officers and staff welfare, a separate Cell for OBCs/ SC/ ST is in place and the welfare committee meets at quarterly frequency.

5.10 Committee for Prevention of Sexual Harassment at Workplace

A committee for prevention of Sexual Harassment at workplace is in place for receiving complaints, holding enquiry etc. in accordance to Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. No complaint has been received during the year.

5.11 Accounts of PFRDA

During the financial year 2014-15 PFRDA received a grant of Rs.31.00 crores from Government of India.

To encourage the workers of unorganized sector to voluntarily save for their retirement, the Central Government has announced a co-contributory pension scheme 'Swavalamban' in the Union Budget 2010-11. PFRDA has been mandated by the Government to implement the Swavalamban scheme all over the country. During the financial year 2014-15, PFRDA has received a grant of Rs.195.00 crore under the scheme, towards Government co-contribution, incentive to aggregators and other activities. Finance Minister in his budget speech for FY 2015-16 has announced Atal Pension Yojana for persons belonging to unorganized sector. All subscribers under NPS- lite/Swavalamban between the age of 18-40 years are eligible to shift to Atal Pension Yojana.

(Rs. Cr.)

Sr. No.	Particulars	Grant received during FY 2014-2015 (Cr./Rs.)	Payment released during FY 2014-15 (Cr./Rs.)
1	Grant - in aid General	23.00	24.99
2	Grant - in aid Salaries	8.00	8.01
3	Grant-in-aid-Swavalamban Scheme (Co-contribution) *	175.00	275.96
4	Grant-in-aid-Swavalamban Scheme (Promotion and Development)*	20.00	24.96

* payment has been released from the opening balance, grant and fee received during the period

The accounts of the authority for the financial year 2014-15 were prepared on accrual basis as per the standard accounting norms and procedures prescribed by the Government for autonomous organizations. The accounts were approved by the PFRDA Board in its 47th Board meeting held on August 1, 2015. The Balance Sheet and Income & Expenditure Accounts of PFRDA along with Schedules forming part of the financial statements are placed at AnnexureVI.

In accordance with the provisions of the General Financial Rules, 2005 and on approval of the Board, the accounts of PFRDA for the financial year 2014-15 have been forwarded to the Comptroller and Auditor General of India for audit.

Chapter - VI

Any Critical Area Adversely Affecting the Interest of Pensioners

6.1 EET status of NPS

NPS was introduced by the Government of India for employees of central government and central autonomous bodies, with the exception of the armed forces, who joined service on and after 01.01.2004. Subsequently, most of the states and central/state autonomous bodies, public sector banks have joined NPS. Employees of these entities are now mandatorily covered under NPS through Tier I account. Basically, NPS Tier I is a pension account of the employees, wherein employers and the employees contribute for getting regular pension after retirement.

NPS is old age income security where there is an element of social protection and thus has to be treated on a preferential footing then an ordinary investment product.

In the market there are similar schemes like Contributory Provident Fund, Employees Provident Fund, Superannuation Fund and Public Provident Fund which in variably competes with NPS while these schemes enjoy EEE status. Present tax treatment for NPS-Tier I is Exempt/Exempt and Tax (EET). However, beneficiaries of similar pension products such as the commutation under Defined Benefit Pension Scheme, the EPF/EPS and the approved superannuation funds (SAF) enjoy EEE tax treatment.

In the interest of the subscribers, it is recommended that annuities purchased from NPS and other pension schemes corpus which are approved and regulated by PFRDA be exempted from tax at the time of withdrawal to provide a level playing field and grant EEE tax treatment in respect of the NPS in line with the Defined Benefit Pension Scheme/ GPF/EPF and SAF.

6.2 Choice of Fund Managers and Investment classes

During PFRDA officials interaction with Govt. employees, it has been argued that the PFRDA Act provides for choice of PF and asset class by the subscriber. However, this has not yet been extended to Govt. employees.

6.3 Service tax on purchase of annuities under NPS

On attaining the age of 60 years or superannuation, a subscriber to the National Pension System has to compulsorily put at least 40% of his accumulated pension corpus in an annuity. Under rule 6(7A) (ii) of the Service Tax Rules, the premium charged (one time contribution) for provision of annuities is subject to a 3% service tax on which there is another 3% education cess, thus a total of 3.09% as per Department of Revenue notification No. 3/2012-Service Tax dated 17.03.2012. This brings down the net annuitized amount and thus the monthly pension. In the interest of the subscribers, it is recommended that annuities purchased from NPS and other pension schemes corpus which are approved and regulated by PFRDA be exempted from service tax.

Chapter - VII

INITIATIVES BY PFRDA

1) With a view to enable the subscribers to modify/ update their latest contact details viz. email address and mobile numbers on CRA system, a facility has been provided to all NPS subscribers to modify/ update their contact details directly using login credentials of CRA system.

2) With a view to simplifying and streamlining the exit and withdrawal claims of the subscribers of National Pension System (NPS), it has been decided that all the nodal offices (PAO's/ DDO/ POP's/Aggregators etc) shall process the withdrawal claims of their underlying subscribers on the online platform being made available on the CRA system. The processing of all withdrawal claims on online mode has been made mandatory from April 01, 2015.CRA M/s NSDL e-governance Services Ltd, is providing required support through guidance and training of the nodal offices(PAO's/DDO/ POP's/ Aggregators etc), so that the advantages of the web enabled withdrawal/exit functionality can be used effectively to the full extent.

   This functionality has been made available through the website of CRA and can be initiated at any of the levels of any of the functionaries.

3) The Statement of Transaction (SOT) can be viewed and downloaded by NLCC financial year wise.

   The E-PRAN card can be generated/downloaded by NLCCs. The NLCCs can also print the E-Pran card. The E-PRAN card is similar to a physical PRAN card and will display the same details alongwith photograph and signature of the subscriber. However, physical PRAN card cannot be replaced by E-PRAN card. The subscribers will be required to produce the physical PRAN card wherever necessary. CRA shall continue sending the physical PRAN card as per the approved process.

4) With a view to optimize the cost of operations, in case of the Atal Pension Yojana , it has been decided that there is no need for a physical PRAN card.The acknowledgement slip generated at the time of registration itself will serve as the PRAN card as it contains all the necessary details required by the subscriber.

5) A website of NPS Trust to provide proper and effective information dissemination to stakeholders of the national pension system (NPS) has been launched. The National Pension System Trust has been set-up and constituted by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) for taking care of the assets and funds under NPS in the interest of the beneficiaries (subscribers).

6) To make NPS more affordable to its subscribers, Investment Management Fee (IMF) for private sector was revised downwards to 0.01 % from 0.25% per annum of assets under management w.e.f August 1, 2014.

7) An expert committee was constituted under the Chairmanship of Sh. G.N.Bajpai, to review the investment guidelines for NPS Schemes in Private Sector. The committee has submitted its report and PFRDA is examining the recommendations of the report.

8) During the year the following activities were undertaken under NPS Lite/Swavalamban:

   i) PRAN cards are directly dispatched by CRA to the subscribers registered under NPS-Lite/Swavalamban at the postal address as mentioned in the subscriber registration form under intimation to the respective Aggregator.

   ii) Subscribers did not have a facility to lodge their grievance directly under CGMS system. With a view to ameliorate the services to the subscribers and enhance the credibility

of the system, PFRDA in consultation with CRA has decided to extend the facility of lodging the grievance in the CRA system to all subscribers registered under NPS-Lite/ Swavalamban. The NPS-Lite/Swavalamban subscribers will now be able to register their grievances/complaints on CRA website (www.npscra.nsdl.co.in).

iii) NPS-Lite collection centers (NLCCs) are given access to the CRA system by using One Time Password (OTP) to view and download the statement of transaction of NPS-Lite/Swavalamban subscriber and also to generate and download E-Pran card for the subscribers registered under NPS-Lite / Swavalamban.

9) With a view to ensure better penetration of National Pension System (NPS) through enhanced participation of PoPs,initial subscriber registration charges for POP under NPS for all subscribers under private sector has been enhanced from Rs. 100/- to Rs. 125/-.

7.1 Advertisement and Publicity

For the development of NPS across, it is essential to create awareness of NPS among the corporates and their employees. Towards this, PFRDA supports its intermediaries like POPs and Pension Funds in their marketing/promotion efforts.

All efforts are being taken by PFRDA for creating awareness and for providing information/ clarification related to NPS to the corporates through conference/ seminars/ discussion and disseminations organized by intermediaries, CRA, POP, PFs etc. and by industry associations like CII, FICCI, ASSOCHAM, PHD Chamber of Commerce etc.

7.1.1 NPS Awareness Campaign

To fulfill PFRDA's mandate of creating awareness for the need of saving for retirement and retirement planning, PFRDA embarked upon a media campaign under the tagline 'NPS-

Save Right, Retire Bright'. The tagline not only captures the essence of the product (NPS) but also reminds the general public that for a happy and comfortable retired post work life, one needs to save regularly and invest in right instruments to create a healthy corpus.

'NPS-Save Right, Retire Bright- NPS Awareness Campaigns'were carried out. The campaigns were executed through print media and were carried out in Hindi, English and 11 other regional languages in over 130 newspapers pan India during the period December through March 2015.

To have a better recall each campaign series was carried out on two consecutive days. In addition to that, to have a multi-pronged visibility across different media, campaigns were also carried through Audio/ Visual (AV), Radio (FM channels), Rail Enquiry (139) and Outdoor media (inside Delhi Metro).

The different campaign details are as follows:

a. Under the print media, three topics were covered i.e. why retirement planning and what is NPS, retirement planning and tax savings and retirement planning and investment released on 05th/06th December, 2014, 18th/19th December, 2014 and 26th/27th February, 2015 respectively.

b. Under the audio/visual media, TV commercials namely 'NPS Donation' and 'NPS Swavalamban' were broadcasted from June 7, 2014 to June 17, 2014 and April 26, 2014 to May 4, 2014 respectively.

c. Radio campaign got broadcasted under the topic ' NPS Swavalamban' from May 18,2014 to May 27, 2014.

d. Radio commercial 'NPS Swavalamban' ran on the rail enquiry no. 139 for one month from February / March, 2015.

e. As a part of outdoor media, NPS posters were displayed for one month from February / March, 2015.

7.1.2 NPS Quarterly Newsletters

To interact with the subscribers at a personal level, thereby increasing the subscriber confidence in the product and to gauge to subscriber's interest in the various topics associated with NPS viz. tax savings, returns, asset classes, investment options etc. a quarterly newsletter is being released by PFRDA from November 2014.

Two newsletters on the topics "National Pension System- An Introduction" and "Tax Savings through NPS" have been released and forwarded to the registered email ids of the NPS subscribers of CG, SG and Corporate sectors in November 2014 and March 2015, respectively.

Annexure - I: Composition of Pension Advisory Committee (PAC) and issues discussed during PAC meetings

1. Dr. Ajay Shah, Professor, National Institute of Public Finance and Policy
2. Mr. Anil Kumar Khachi, Joint Secretary, Ministry of Labour& Employment
3. Ms. Ashu Suyash, Director, The Association of Mutual Funds in India
4. Mr. Chandrajit Banerjee, Director General, Confederation of Indian Industry
5. Mr. D. V. S. S. V. Prasad, Chief Executive Officer, Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India
6. Mr. G. N. Bajpai, Chairman, National Pension System Trust
7. Mr. Gagan Rai, Managing Director & CEO, NSDL e-Governance Infrastructure Limited
8. Dr. L. H. Manjunath, Executive Director, Shree Kshethra Dharmasthala Rural Development Project
9. Ms. Meghana Baji, Chief Executive Officer, ICICI Prudential Pension Funds Management Co. Ltd
10. Mr. M. V. Tanksale, Chief Executive, Indian Banks' Association
11. Dr. Mukul Asher, Professorial Fellow, National University of Singapore
12. Mr. P.K. Choudhury, Chairman & Group CEO, ICRA Limited
13. Mr. R. Sundararaman, Senior Vice President, Chief-Business Excellence and New Products, National Stock Exchange of India Ltd.
14. Mr. R. Sridharan, Managing Director, The Clearing Corporation of India Ltd
15. Mr. Raghavendra Lal Das, Chief General Manager-in-Charge, Human Resource Management Department, Reserve Bank of India
16. Mr. Soma Sankara Prasad, Managing Director & CEO, SBI Pension Funds Pvt. Ltd
17. Ms. Trishaljit Sethi, Deputy Director General (Establishment), Postal Directorate
18. Principal Secretary, Finance, Government of Rajasthan

The Chairperson and the members of the Authority shall be the ex-officio Chairperson and ex-officio members of the Pension Advisory Committee.

The regulations taken up for discussion in the First Meeting of PAC were as follows:

- PFRDA (Pension Advisory Committee Meeting) Regulations, 2015
- PFRDA (Procedure for Authority Meetings), Regulations, 2015
- PFRDA (Subscriber Education and Protection Fund),Regulations, 2015
- PFRDA(Procedure for Holding Enquiry by an Adjudicating Officer) Regulations, 2015
- PFRDA (Employees' Service) Regulations, 2015

The regulations taken up for discussion in the Second Meeting of PAC were as follows:

- PFRDA (Points of Presence (PoP), Regulations 2015
- PFRDA (Aggregators), Regulation 2015
- PFRDA (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015

The regulations taken up for discussion in the Third Meeting of PAC were as follows:

- PFRDA NPS Trust Regulations 2015
- PFRDA CRA Regulations 2015
- PFRDA Custodian Regulations 2015
- PFRDA Trustee Bank Regulations 2015
- PFRDA PF Regulations 2015
- PFRDA Exit Regulations 2015

Annexure II: Intermediaries under NPS

S.No.	Intermediaries
1	NPS Trust
2	Central Recordkeeping Agency
3	Pension Funds
4	Trustee Bank
5	Custodian
6	Govt. Nodal Offices (including Central Autonomous Bodies and State Autonomous Bodies)
7	Point of Presence
8	Aggregators

Annexure III: List of PoPs

List of POPs with the number of POP-SPs

Sr No	POP Reg No	POP Name	Count of POP-SP
1	5000284	Abhipra Capital Limited	41
2	5000251	Alankit Assignments Limited	1041
3	5000015	Allahabad Bank	286
4	5000472	Andhra Bank	317
5	5000111	Axis Bank Limited	2318
6	5000365	Bajaj Capital Limited	50
7	5000413	Bank of Baroda	2
8	5000424	Bank of India	5
9	5000520	Bank of Maharashtra	1851
10	5000402	Canara Bank	3568
11	5000122	Central Bank of India	1006
12	5000225	Citi Bank NA	42
13	5000030	Computer Age Management Services Private Limited	194
14	5000446	Corporation Bank	1996
15	5000531	Dena Bank	1449
16	5000612	Elite Wealth Advisors Limited	1
17	5000660	Eureka Stock And Share Broking Services Limited	4
18	5000542	HDFC Securities Limited	1
19	5000155	ICICI Bank Limited	175
20	5000343	ICICI Securities Limited	27
21	5000133	IDBI Bank Limited	1566
22	5000026	IL&FS Securities Services Limited	90
23	5000586	India Infoline Finance Ltd	1
24	5000240	India Post NPS Nodal office	833
25	5000435	Indian Bank	1834
26	5000516	Indian Overseas Bank	1
27	5000656	ING Vysya Bank Limited	1
28	5000310	Integrated Enterprises (India) Limited	99
29	5000671	Karnataka Bank Limited	1
30	5000494	Karvy Financial Services Limited	12
31	5000041	Kotak Mahindra Bank Limited	348
32	5000623	LICHFL Financial Services Limited	1
33	5000295	Marwadi Shares and Finance Limited	87
34	5000564	Microsec Capital Limited	1

Sr No	POP Reg No	POP Name	Count of POP-SP
35	5000262	Muthoot Finance Limited	35
36	5000645	Narnolia Securities Limited	1
37	5000063	Oriental Bank of Commerce	509
38	5000553	Punjab and Sind Bank	0
39	5000505	Punjab National Bank	1776
40	5000004	Reliance Capital Limited	140
41	5000100	State Bank of Bikaner & Jaipur	912
42	5000203	State Bank of Hyderabad	1312
43	5000214	State Bank of India	3889
44	5000166	State Bank of Indore	25
45	5000144	State Bank of Mysore	25
46	5000052	State Bank of Patiala	75
47	5000170	State Bank of Travancore	674
48	5000332	Steel City securities Limited	45
49	5000376	Stock Holding Corporation of India Limited	198
50	5000354	Syndicate Bank	2052
51	5000590	Tamilnad Mercantile Bank Ltd	425
52	5000601	The Federal Bank Ltd	149
53	5000461	The KarurVysya Bank	0
54	5000391	The Lakshmi Vilas Bank	361
55	5000192	The South Indian Bank Limited	804
56	5000575	UCO Bank	1
57	5000181	Union Bank of India	3138
58	5000450	United Bank of India	1093
59	5000085	UTI Asset Management Company Limited	152
60	5000273	UTI Infrastructure Technology And Services Limited	70
61	5000483	Vijaya Bank	1247
62	5000634	Way2Wealth Brokers Private Limited	2
63	5000306	Yes Bank Limited	25
64	5000321	Zen Securities Limited	27
	Grand Total		**38411**

Annexure IV: List of Aggregators

Sr No	Name of the Aggregator	NLOO as of March 31, 2015	NLAO as of March 31, 2015	NLCC as of March 31, 2015	No of NLCCs active as of March 31, 2015
1	A. P. Building & Other Construction Workers (A.P.B&OCWWB)	1	4	27	4
2	Abhipra Capital	1	1	36	34
3	Adhikar Micro Finance Private Limited	1	1	1	1
4	Alankit Assignments	1	13	122	81
5	Allahabad Bank	1	1	2895	293
6	Allahabad U.P.Gramin Bank	1	10	176	112
7	Andhra Bank	1	1	2304	78
8	Assam GraminVikash Bank	1	7	430	333
9	Axis Bank	1	-	-	-
10	Banas Dairy	1	1	1954	708
11	Bandhan Financial Services Ltd	1	10	11	10
12	Bank of Baroda	1	2	86	2
13	Bank of India	1	19	2812	19
14	Bank of Maharashtra	1	1	1885	716
15	Baroda Gujarat Gramin Bank	1	1	184	24
16	Baroda Rajasthan Gramin Bank	1	9	693	67
17	BWDA Finance	1	1	39	38
18	C DOT	1	1	52	12
19	Canara Bank	1	42	5654	3,011
20	Cashpor Micro Credit	1	19	343	343
21	Central Bank of India	1	-	469	-
22	Corporation Bank	1	1	1671	4
23	CSC E-Governance Services India Ltd	1	20	32211	1,713
24	D/o Women & Child Dev.	1	30	212	191
25	Dena Bank	1	3	1451	7
26	ESAF Microfinance Pvt Ltd	1	2	246	233
27	Grameen Koota Financial Services Private Limited	1	1	83	57
28	Gujarat Infotech Ltd.	1	2	2	2
29	IDBI Bank	1	1	1563	32
30	IFMR Holdings	1	11	4510	3,440
31	IL&FS Securities Services Limited	1	1	19	12

Sr No	Name of the Aggregator	NLOO as of March 31, 2015	NLAO as of March 31, 2015	NLCC as of March 31, 2015	No of NLCCs active as of March 31, 2015
32	India Infoline Ltd	1	1	1551	990
33	Indian Bank	1	1	2288	413
34	Indian Overseas Bank	1	1	1102	58
35	Indur Intimideepam	1	1	15	15
36	Jagaran Microfin Private Limited	1	1	12	1
37	Janalakshmi Financial Services	1	1	237	188
38	Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank	1	-	-	-
39	Jharkhand Building and Other Construction Workers' Welfare Board	1	1	36	32
40	Karnataka State Unorganised Workers Social Security Board (KSUWSSB)	1	5	1040	525
41	Karnataka Vikas Gramin Bank	1	-	-	-
42	Kerelagramin bank - (North Malabar Gramin Bank amalgamated as Kerelagramin bank)	1	-	-	-
43	Krishna Gramin Bank	1	-	-	-
44	LIC Housing Finance	1	1	79	50
45	LIC of India	1	1	65	22
46	Madhya Bihar Gramin Bank	1	1	581	86
47	Margdarshak Financial Services	1	1	31	26
48	Nainital - Almora Kshetriya Gramin Bank	1	-	-	-
49	Oriental Bank of Commerce	1	35	1164	214
50	Pallavan Grama Bank	1	1	190	-
51	Parvatiya Gramin bank	1	-	-	-
52	Puduvai Bharthiar Grama Bank	1	-	-	-
53	Punjab and Sind Bank	1	-	27	-
54	Punjab National Bank	1	1	5254	440
55	Rajasthan State Building & Other Construction Workers Welfare Board (RSBOCWWB)	1	1	33	33
56	Samhita Community Development Services	1	1	1	1
57	Saptagiri Grameena Bank	1	-	3	-
58	Saptrishi Consultancy Services	1	1	7	7
59	Sarva Haryana Gramin Bank	1	1	553	435
60	Shree Kshethra Dharmasthala Rural Development Project	1	1	123	117

Sr No	Name of the Aggregator	NLOO as of March 31, 2015	NLAO as of March 31, 2015	NLCC as of March 31, 2015	No of NLCCs active as of March 31, 2015
61	Shri MahilaSewaSahkari Bank ltd	1	1	10	10
62	Society for Elimination of Rural Poverty (SERP)	1	22	22	22
63	South Indian Bank	1	1	813	624
64	State Bank of Bikaner and Jaipur	1	-	1	-
65	State Bank of Hyderabad	1	1	1189	92
66	State Bank of India	1	8	17965	14
67	State Bank of Mysore	1	-	730	-
68	State Bank of Patiala	1	1	980	33
69	State Bank of Travancore	1	-	997	-
70	Swayamshree Micro Credit Services	1	1	45	16
71	Syndicate Bank	1	18	3394	101
72	UCO Bank	1	1	349	22
73	Union Bank of India	1	1	3319	10
74	United Bank of India	1	6	1460	213
75	UTI Infrastructure Technology and Services Limited	1	4	175	156
76	Vijaya Bank	1	1	1487	555
	Total	76	340	109469	17,098
77	Department of Post	1	20	443	437
	Grand Total	**77**	**360**	**109912**	**17,535**

Annexure V: List of PFs as on 31.03.2015

List of Pension Funds (PFs) for Government Sector

S.No.	Name of Pension Fund
1	LIC Pension Fund Ltd.
2	SBI Pension Fund Pvt. Ltd.
3	UTI Retirement Solutions Ltd.

List of Pension Funds (PFs) for Private Sector

S.No.	Name of Pension Fund
1	HDFC Pension Management Co. Ltd.
2	ICICI Prudential Pension Fund Management Co. Ltd.
3	Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.
4	LIC Pension Fund Ltd.
5	Reliance Capital Pension Fund Ltd.
6	SBI Pension Fund Pvt. Ltd.
7	UTI Retirement Solutions Ltd.

Annexure VI

PENSION FUND REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY
BALANCE SHEET AS ON 31.03.2015

(Amount - Rs.)

CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS / CAPITAL FUND	1	157,827,280	30,757,879
RESERVES AND SURPLUS	2	-	-
EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	3	39,118,331	-
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	-	-
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	142,256,576	1,196,355,938
TOTAL		**339,202,187**	**1,227,113,817**
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	4,391,977	5,025,072
INVESTMENTS - FROM EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	9	-	-
INVESTMENTS - OTHERS	10	-	-
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11	334,810,210	1,222,088,745
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not wrtten off or adjusted)		-	-
TOTAL		**339,202,187**	**1,227,113,817**

Notes :-

a) The Financial Statements are prepared on the basis of accrual method of accounting.

b) Swavalamban Kosh account is being maintained on payment basis.

c) Depreciation in books provided as per the rate mentioned in Income tax act 1961.

d) As per recommandation of CAG auditor unutilised grant as on 31.03.2015 has been shown under the head Current Liabilities & Provisions.

e) Previous year figures are rearrange and regrouped whenever necessary.

Prepared by
CA Santosh Kumar

Manju Bhalla
Deputy General Manager

Venkateswarlu Peri
General Manager

For RMA & Associates
Chartered Accountants
FRN No-000978N
M.No- 533944
Date:- 30.06.2015
Place: New Delhi

PENSION FUND REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31st MARCH 2015

(Amount - Rs.)

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
Income from Sales / Services	12	-	
Grants / Subsidies	13	2,260,300,000	1,711,500,000
Fees /Subscriptions	14	-	-
Income from Investments (Income on Invest. from earmarked/endow. Funds transferred to Funds)	15	-	-
Income from Royalty, Publication etc.	16	-	-
Interest Earned	17	11,672,286	6,529,229
Other Income	18	11,691,279	14,633,673
Increase / (decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress	19	-	-
TOTAL (A)		**2,283,663,565**	**1,732,662,902**
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	90,125,415	87,024,642
Other Administrative Expenses etc.	21	3,115,148,818	1,345,042,919
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	5,500,000	9,500,000
Bank Charges	23	5,297	9,370
Depreciation (Net Total at the year-end - corresponding to Schedule 8)	8	1,160,392	2,211,075
TOTAL (B)		**3,211,939,922**	**1,443,788,006**
Balance being excess of Income over Expenditure (A - B)		(928,276,358)	288,874,896
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer to / from General Reserve			
BALANCE BEING SURPLUS / (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS / CAPITAL FUND		**(928,276,358)**	**288,874,896**

Prepared by
CA Santosh Kumar

Manju Bhalla
Deputy General Manager

Venkateswarlu Peri
General Manager

For RMA & Associates
Chartered Accountants
FRN No-000978N
M.No- 533944
Date:- 30.06.2015
Place: New Delhi

PENSION FUND REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY
RECIEPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31-03-2015

(Amount - Rs.)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. Opening Balances			**I. Expenses**		
a) Cash in hand	20,000	20,000	a) Establishment Expenses	90,115,453	87,185,138
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses	103,881,589	90,131,580
i) In current accounts	-	-	**II. Grants Utilised**		
iii) Saving accounts Balance with Schedule Bank	1,184,021,445	904,540,704	a) Swavalamban Contribution	2,759,468,000	1,103,940,000
II. Grants Received			b) Swavalamban Promotion	249,585,820	148,535,828
Central Govermant (Grant -Swavalamban Contribution)	1,750,000,000	1,350,000,000	c) Grant to Pension Trust	5,500,000	9,500,000
Central Govermant (Grant -Swavalamban Promotion)	200,000,000	179,000,000	**III. Investments and deposits made**		
Govt. Grant (Grant in Aid Salaries)	80,000,000	70,000,000	a) Out of Earmarked/Endowment funds		
Govt. Grant (Grant in Aid General)	230,000,000	112,500,000	b) Out of Own Funds (Investments-Others)		
Grant from SIDBI	300,000	-	**IV) Investment In Fixed Assets**		
III. Income on Investments from	-	-	a) Purchase of Fixed Assets	735,097	1,028,385
a) Earmarked/Endow. Funds (Interest received from Axis Bank in Subscribers Education and Protection Fund)	29,986	-	b) Expenditure on Capital Work-in-progress		-
b) Own Funds (other)			**V. Refund of surplus money/Loans**		
IV. Interest Received			a) Recoverable pension trust		
Interest Received From Bank of India	-	4,342,666	b) To the State Government		
Interest Received From Indian Overseas Bank	1,417,164	1,144,441	c) To other providers of funds		
Interest Received From Axis Bank	10,244,140	1,018,236	**VI. Finance Charges (Interest)**		
V. Other Income (Specify)			Other Bank charges	5,297	9,370
Licence & Processing Fees	11,593,630	14,600,000	**VII. Other Payments (Specify)**		
Miscellaneous Income	97,649	33,673	Prepaid	538,682	785,317
			Loan/ Advance to employees	520,000	670,000
			Secutity Deposits/EMD Payment	-	800,500
			Advance Against Expenses	129,438,331	13,497,441
VII. Any Other receipts (give details)			**VII. Closing Balances**		
Security/EMD receipts	20,000	2,006,500	a) Cash in hand	20,000	20,000
Recovery of Advance	740,780	868,780	b) Bank Balances		
Transfer of Assets	29,147	50,003	i) In Current accounts		
Subscribers Education and Protection Fund	39,088,345	-	ii) In Deposit accounts		
			iii) Saving accounts	167,794,017	1,184,021,445
TOTAL	**3,507,602,286**	**2,640,125,003**	**TOTAL**	**3,507,602,286**	**2,640,125,003**

Prepared by
CA Santosh Kumar

Manju Bhalla
Deputy General Manager

Venkateswarlu Peri
General Manager

For RMA & Associates
Chartered Accountants
FRN No-000978N
M.No- 533944
Date:- 30.06.2015
Place: New Delhi

PENSION FUND REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2015

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 1 - CORPUS / CAPITAL FUND :	Current Year	Previous Year
Balance as at the beginning of the year	30,757,879	21,363,724
Add :Opening Balance of unutilised corpus fund	1,184,041,445	904,560,704
Less:Closing Balance of unutilised corpus fund	(128,695,686)	(1,184,041,445)
Add / (Deduct) : Balance of net income / (expenditure)	(928,276,358)	288,874,896
Add : Govt. Grant to be Received From Govt	-	-
transferred from the Income and Expenditure Account		
BALANCE AS AT THE YEAR - END	**157,827,280**	**30,757,879**

Prepared by
CA Santosh Kumar

Manju Bhalla
Deputy General Manager

Venkateswarlu Peri
General Manager

For RMA & Associates
Chartered Accountants
FRN No-000978N
M.No- 533944
Date:- 30.06.2015
Place: New Delhi

PENSION FUND REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE-SHEET AS ON 31.03.2015

SCHEDULE 3: EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS

(Amount - Rs.)

Particulars	Subscribers Education and Protection Fund	
	Current year	Previous year
1. Opening balance of the funds	-	-
2. Additions to the funds		
(a) Donations/grants	-	-
(b) Income on Investments made on account of funds (Interest received from Axis Bank)	29986.00	-
(c) Transfer from NPS Trust Penalty A/c and NPS Trust Investor Awareness Fund A/c	39088344.90	-
(d) Other Additions (specify nature)	-	-
TOTAL (1+2)	**39118330.90**	**0.00**
3. Utilisation / Expenditure towards objectives of funds		
(a) Capital Expenditure		
(i) Fixed assets	-	-
(ii) Others	-	-
Total	**0.00**	**0.00**
(b) Revenue Expenditure		
(i) Salaries, Wages and allowances etc.	-	-
(ii) Rent	-	-
(iii) Other Administrative expenses	-	-
Total	**0.00**	**0.00**
TOTAL (3)	**0.00**	**0.00**
NET BALANCE AT THE YEAR END (1+2-3)	**39118330.90**	**0.00**

Prepared by
CA Santosh Kumar

For RMA & Associates
Chartered Accountants
FRN No-000978N
M.No- 533944
Date:- 30.06.2015
Place: New Delhi

Manju Bhalla
Deputy General Manager

Venkateswarlu Peri
General Manager

PENSION FUND REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2015

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES :	Current Year		Previous Year	
a) Acceptances secured by hypothecation of Capital Equipment and Other Assets	-		-	
b) Others				
TOTAL				

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS :	Current Year		PreviousYear	
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Acceptances				
2. Sundry Creditors & Payables	5,319,078		4,050,250	
3. Advances Received (As security Deposit)	7,125,000		7,105,000	
4. Interest Accrued but not Due on :				
a) Secured Loans / Borrowings				
b) Unsecured Loans / Borrowings				
5. Statutory Liabilities :				
a) Overdue				
b) Others (Duties & Taxes)	180,557		171,909	
6. Other Current Liabilities				
(I) I.R.D.A	31,988		31,988	
(II) Unutilised grant as on 31st March Payable to GOI	128,695,686		1,184,041,445	
7. Pay & Account Office	-		-	
TOTAL (A)	141,352,308	#	1,195,400,592	
B. PROVISIONS				
1. For Taxation				
2. Gratuity				
3. Trade Warranties / Claims				
4. Leave Payable	373,357		462,762	
5 Pension Contribution Payable	530,911		492,584	
TOTAL (B)	904,267		955,346	
TOTAL (A + B)	142,256,576		1,196,355,938	

Prepared by
CA Santosh Kumar

For RMA & Associates
Chartered Accountants
FRN No-000978N
M.No- 533944
Date:- 30.06.2015
Place: New Delhi

Manju Bhalla — **Deputy General Manager**
Venkateswarlu Peri — **General Manager**

PENSION FUND REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2015

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS		GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
DESCRIPTION	Qty.	Cost/Valuation As at begaining of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/Valuation As at the year-end	As at beginning of the Year	For the Year	On Deductions during the year	Total upto year end	As at the Current Year	As at the previous year
A. FIXED ASSETS :											
1. LAND :		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Freehold		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Leasehold		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. BUILDINGS :		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) On Freehold Land		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) On Leasehold Land		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Ownership Flats/ Premises		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Superstructures on Land not belonging to the entity		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Plant Machinery & Equipment		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Vehicle		1,037,399	-	-	1,037,399	613,446	63,593	-	677,039	360,360	423,953
5. Furniture & Fixtures		4,641,870	84,363	-	4,726,233	2,365,373	235,692	-	2,601,066	2,125,166	2,276,496
6. Office Equipments		2,695,290	436,267	58,465	3,073,092	1,428,749	245,025	16,761	1,657,013	1,416,079	1,266,540
7. Computer/Peripherals		8,985,089	153,388	416,892	8,721,585	7,967,626	580,910	282,796	8,265,740	455,846	1,017,464
8. Electrical Installations		157,822	358,392	356,892	159,322	117,203	7,593		124,796	34,526	40,619
9. Liabrary Books		96,533	27,579	-	124,112	96,533	27,579	-	124,112	-	-
10. Tubewells & Watre Supply		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Other Fixed Assets		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OF CURRENT YEAR		17,614,003	1,059,989	832,249	17,841,743	12,588,931	1,160,392	299,557	13,449,766	4,391,977	5,025,072
PREVIOUS YEAR		17,046,649	850,857	283,502	17,614,003	10,513,439	2,211,075	135,583	12,588,931	5,025,072	6,533,210
B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS										-	-
TOTAL										4,391,977	5,025,072

Prepared by
CA Santosh Kumar

Manju Bhalla
Deputy General Manager

Venkateswarlu Peri
General Manager

For RMA & Associates
Chartered Accountants
FRN No-000978N
M.No- 533944
Date:- 30.06.2015
Place: New Delhi

PENSION FUND REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2015

(Amount - Rs.)

SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	Current Year	Previous Year
A. CURRENT ASSETS :		
1. Inventories :		
a) Stores and Spares		
b) Loose Tools		
c) Stock-in-Trade		
Finished Goods		
Work-in-Progress		
Raw Materials		
2. Sundry Debtors :		
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months		
b) Others (recoverable from IFFCO Tokyo)	58,418	58,418
3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)	20,000	20,000
4. Bank Balances :		
a) with Scheduled Banks :		
On Savings Accounts	167,794,017	1,184,021,445
b) with Non-Scheduled Banks :		
On Current Accounts		
On Deposit Accounts		
On Savings Accounts		
5. Post Office-Savings Accounts		
TOTAL (A)	**167,872,435**	**1,184,099,863**
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. Loans :		
a) Staff(Loan to Staff)	756,486	966,285
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity		
c) Other		
2. Advances and Other Amounts Recoverable in cash or in kind or for value to be received:		
a) On Capital Account		
b) Prepayments	539,805	788,684
c) Security Deposits	318,000	318,000
d) Loans, Advances & Others	165,323,484	35,915,913
3. Income Accrued :		
a) On Investments from Earmarked/ Endowment Funds		
b) On Investments - Others		
c) On Loans and Advances		
d) Others (includes income due unrealised)		
4. Claims Receivable		
TOTAL (B)	**166,937,775**	**37,988,882**
TOTAL (A + B)	**334,810,210**	**1,222,088,745**

Prepared by
CA Santosh Kumar

For RMA & Associates
Chartered Accountants
FRN No-000978N
M.No- 533944
Date:- 30.06.2015
Place: New Delhi

Manju Bhalla
Deputy General Manager

Venkateswarlu Peri
General Manager

PENSION FUND REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE A/C FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2015

SCHEDULE 13 - GRANTS /SUBSIDIES	Current Year	Previous Year
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)		
Govt Grant	2,260,000,000	1,711,500,000
Grant From SIDBI	300,000	-
TOTAL	2,260,300,000	1,711,500,000

SCHEDULE 14 - FEES /SUBSCRIPTIONS	Current Year	Previous Year
Entrance Fees	-	-
Annual Fees /Subscriptions /Memebership	-	-
Seminar /Program Fees	-	-
Consultancy Fees	-	-
Licence fees	-	-
TOTAL	-	
Note - Accounting Policies towards each items are to be disclosed		

PENSION FUND REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE A/C FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2015

SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS		
(income on invest. from Earmarked /Endowment Funds transferred to Funds)	Current Year	Previous Year
1) Interest		
a) On Govt.Securities	-	-
b) Other Bonds/Debentures	-	-
2) Dividends :		
a) On shares	-	-
b) On Mutual Funds Securities	-	-
3) Rents		
4) Others (Specify)		
TOTAL		
TRANSFERRED TO EARMARKED /ENDOWMENT FUNDS		

Prepared by
CA Santosh Kumar

Manju Bhalla
Deputy General Manager

Venkateswarlu Peri
General Manager

For RMA & Associates
Chartered Accountants
FRN No-000978N
M.No- 533944
Date:- 30.06.2015
Place: New Delhi

PENSION FUND REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE A/C FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2015

SCHEDULE 17- INTEREST EARNED	Current Year	Previous Year
1) On Term Deposits:		
a) with Scheduled Bank		
b) with Non Scheduled Bank		
c) with Institutions		
d) Other		
2) On savings Accounts:		
a) with Scheduled Bank	11,661,304	6,505,343
b) with Non Scheduled Bank		
c) Post Office Savings Accounts		
d) Other		
3) On Loans:		
a) Employees / Staff	10,982	23,886
b) Other		
4) Instrest on Debtors and Other Receivables		
TOTAL	**11,672,286**	**6,529,229**

Prepared by
CA Santosh Kumar

For RMA & Associates
Chartered Accountants
FRN No-000978N
M.No- 533944
Date:- 30.06.2015
Place: New Delhi

Manju Bhalla
Deputy General Manager

Venkateswarlu Peri
General Manager

PENSION FUND REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE A/C FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2015

SCHEDULE 18 - OTHER INCOME	Current Year	Previous Year
1) Profit on Sale / Disposal of Assets:	-	-
a) Owned assets	-	-
b) Assets acquired Out of grants, or received free of cost	-	-
2) Export Incentive Realized	-	-
3) Fees for Miscellaneous Services	11,593,630	14,600,000
4) Miscellaneous Income	97,649	33,673
TOTAL	**11,691,279**	**14,633,673**

SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES	Current Year	Previous Year
a) Salaries and Wages	83,635,227	81,492,880
b) Allowances and Bonus	-	-
c) Contribution to Pension	5,244,273	4,386,625
d) Leave Salary	555,895	248,985
e) Tution Fees - Reimbursement	-	11,250
f) Medical Reimbursement	690,020	855,001
h) Gratuity Paid	-	29,901
TOTAL	**90,125,415**	**87,024,642**

Prepared by
CA Santosh Kumar

For RMA & Associates
Chartered Accountants
FRN No-000978N
M.No- 533944
Date:- 30.06.2015

Manju Bhalla
Deputy General Manager

Venkateswarlu Peri
General Manager

PENSION FUND REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE A/C FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2015

SCHEDULE 21 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	Current Year	Previous Year
a) Advertiesment & Publicity Expenses	35,203,527	21,545,960
b) Electricity and Power	4,018,375	3,339,723
c) Water Charges	34,510	19,870
d) Repair and Maintenance	4,672,831	5,691,081
e) Rent, Rates and Taxes	27,197,816	26,966,411
f) Vehicles Running and Maintenance	10,185,767	11,429,066
g) Postage, Telephone and Communication Charges	3,322,435	3,056,699
h) Printing and Stationary	1,097,278	684,896
i) Travelling and Conveyance Expenses	5,850,259	10,262,538
j) Membership Fees	1,531,010	-
k) Staff welfare Expenses	449,744	375,184
l) Professional Charges	9,039,339	7,390,834
m) Consultancy Charges	1,226,593	66,980
n) Meeting & Conference Expenses	1,391,128	568,711
o) Books & Periodicals	90,052	99,104
p) Recruitment Exps	-	90,383
q) Insurance	784,335	958,803
r) Swavalamban Govt Contribution	2,759,468,000	1,103,940,000
s) Swavalaman promotion	-	26,999,477
t) Incentive to Aggregator	249,585,820	121,557,200
TOTAL	**3,115,148,818**	**1,345,042,920**

PENSION FUND REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE A/C FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2015

SCHEDULE 22 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	Current Year	Previous Year
a) Grants given to Institutions / Pension Trust	5,500,000	9,500,000
b) Subsidies given to Institutions / Organisations		
TOTAL	**5,500,000**	**9,500,000**

Note : Name of the Entities, their Activities alongwith the amount of Grants/ Subsidies are to be disclosed.

SCHEDULE 23 - INTEREST	Current Year	Previous Year
a) On Fixed Loans		-
b) On Other Loans		
c) Other Bank Charges	5,297	9,370
TOTAL	**5,297**	**9,370**

Prepared by
CA Santosh Kumar

For RMA & Associates
Chartered Accountants
FRN No-000978N
M.No- 533944
Date:- 30.06.2015
Place: New Delhi

Manju Bhalla
Deputy General Manager

Venkateswarlu Peri
General Manager

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
प्रथम तल, आईसीएडीआर बिल्डिंग, प्लाट नं. 6, वसंत कुंज इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेस–II, नई दिल्ली–110070
FIRST FLOOR, ICADR BUILDING, PLOT NO. 6, VASANT KUNJ INSTITUTIONAL AREA, PHASE - II, NEW DELHI - 110070
फोन / Tel. : +91–11–26897948 / 49, फैक्स / Fax : +91–11–26897938 www.pfrda.org.in

Printed & Designed by : Sai Art Graphics, Mob. : 9899227477